खण्ड–511, अंक–10
शुक्रवार, 09 फाल्गुन, शक सम्वत् 1941
(28 फरवरी, 2020 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2020)

(खण्ड 511 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2022

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
प्रश्नोत्तर	7-73
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	73
लोकसभा की भांति विधान सभा/विधान परिषद् की सीधी कार्यवाही दिखाए जाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा अपना चैनल स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न...	74
आई स्पर्श ग्राम योजना हेतु स्वीकृत धनराशि को निर्गत न कराए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न...	75
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	75-79
जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र अजगरा के अन्तर्गत पुवारी कला से तिवारीपुर तक रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	79-80
जनपद लखनऊ के निशातगंज में गुड बेकरी चौराहे पर अवैध कब्जे एवं जाम से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	80
जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र रसूलाबाद के अन्तर्गत ग्राम सभा जोत से आश्रम तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	80-81
जनपद पीलीभीत के कतिपय स्थानों पर कूड़े से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	81
जनपद गोरखपुर में राजनगरी विकास प्राधिकरण द्वारा डूडा तथा कार्यदायी संस्था द्वारा हुए दुरुपयोग की जांच कराने तथा जिम्मेदार अधिकारियों को दण्डित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	81-82
जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत ट्रामा सेण्टर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	82
जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लाक धौरहरा एवं ब्लाक रमिया बेहड़ में शुद्ध पेयजल हेतु नारखी ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना शीघ्र प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	82-83

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद सीतापुर के विकास खण्ड पिसावां में ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के अन्तर्गत पानी टैंक लगवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	83
जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर के अन्तर्गत तहसील मोदीनगर में ग्रामीण न्यायालय शुरू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	83
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के अन्तर्गत भू-माफियाओं द्वारा किये जा रहे अवैध कब्जों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	84
जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र गाजीपुर सदर के अन्तर्गत नन्दगंज में चीनी मिल को पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	84
जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र गोवर्द्धन के अन्तर्गत माइनरों में हो रहे सीपेज के कारण टेल तक पानी न पहुंचने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	84
जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत करिया बझना को धार्मिक पर्यटन स्थल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	85
जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ के अन्तर्गत प्रमुख मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	85
जनपद बलरामपुर के तहसील बलरामपुर के अन्तर्गत राप्ती नदी के कटान से प्रभावित क्षेत्र में तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	85
जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड भुता में आई0टी0आई0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	86
जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायां के अन्तर्गत बस अड्डे का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	86
उ0प्र0 में जन स्वास्थ्य रक्षक की सेवाओं को बहाल किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	86-87

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र अलीगंज के अन्तर्गत प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	87
जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत गुरचाही सम्पर्क मार्ग से वनिया गांव तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	87
जनपद फिरोजाबाद के ग्राम सोफीपुर के गाटा संख्या 90 में ग्राम सभा की भूमि पर श्रमिकों के बच्चों हेतु अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	88
जनपद अलीगढ़ में बरौली-कटरा-चण्डौस-पिसावां मार्ग को प्रमुख जिला मार्ग घोषित एवं निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	88
जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सेवता के अन्तर्गत कतिपय विकास खण्डों में महिला विद्यालयों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	89
जनपद कौशाम्बी के तहसील मंझनपुर स्थित महाकवि तुलसी दास प्रेरणा स्थलीय रत्नावली धाम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	89
प्रधानमंत्री कृषि सेवा योजनान्तर्गत खुदवाये गये तालाबों में पम्पसेट के अनुदान में वृद्धि के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	89-90
जनपद गोंडा में विश्वविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	90
जनपद गोंडा के विधान सभा क्षेत्र तरबगंज के अन्तर्गत घाघरा नदी पर सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	90
जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के अन्तर्गत कतिपय नगर पालिका एवं नगर पंचायत में पार्कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	90-91
जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बरेली शहर के अन्तर्गत महाराणा प्रताप जिला संयुक्त चिकित्सालय के पुरुष विभाग को स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	91
जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र किठौर के अन्तर्गत ग्राम मवी से ग्राम एत्मादपुर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	91

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बल्देव के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा ग्राम सूरज एवं डहरुआ फाटक पर किये गये सी0सी0 निर्माण में अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	91-92
प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2019-2020 में आयी बाढ़ से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के हुए नुकसान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	92
जनपद अमरोहा के तहसील धनौरा अन्तर्गत एस0डी0एम0 धनौरा द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	92-93
जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र राबर्ट्सगंज के अन्तर्गत ब्लाक चतरा में मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	93
जनपद बिजनौर के हिन्दू शरणार्थियों को कृषि भूमि पर मालिकाना हक दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	93
जनपद शाहजहाँपुर में प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग उ0प्र0 शासन द्वारा जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	93-94
जनपद बलिया के रसड़ा तहसील में इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	94
जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र बांसगांव में इंटरलॉकिंग रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	94-95
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर में सड़कों के निर्माण हेतु धन का आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	95
जनपद अमेठी में तैनात लेखपाल श्री शहजाद अहमद द्वारा व्यापक रूप से अनियमितता किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	96
जनपद बस्ती स्थित पालिटेक्निक चौराहे से संजय कालोनी मरोठिया तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	96
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	96-97

विषय	पृष्ठ-संख्या
लघु सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित चेकडैमों के निर्माण में हुई अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	97
झांसी के किले में रानी लक्ष्मी बाई के जन्मोत्सव पर दीपोत्सव मनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	97-98
जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर में व्याप्त जाम की समस्या का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	98
जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र करहल के कतिपय सम्पर्क मार्गों का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	98
जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के तहसील मुख्यालय में स्थित शौचालय की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	98-99
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मल्हनी की कतिपय सड़कों का निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	99
जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र जैदपुर स्थित हरक सतरिख-चिनहट बार्डर मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	99
जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा स्थित कैलीमार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	100
जनपद बस्ती के जिलाधिकारी द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने में पक्षपात किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	100-101
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर ट्रामा सेण्टर एवं क्रिटिकल केयर सेण्टर बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	101-102
जनपद बस्ती के शहीद गांव कुसमौर में मूलभूत सुविधाएं प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	102
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के विभिन्न गांवों में जल निकासी की व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	102

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद सहारनपुर की कतिपय नदियों पर रपटे का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	103
जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट में व्याप्त पेयजल संकट के निराकरण हेतु पाइपलाइनों में हो रहे लीकेज को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	103-104
विधान सभा क्षेत्र कानपुर छावनी स्थित संकरे पुल से हो रही परेशानियों को दूर कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	104
जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली स्थित एक निश्चित मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	104-105
जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड ठेकमा के अन्तर्गत ग्राम जमुआवां स्थित निश्चित पिच मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	105
जनपद हापुड़ के विकास खण्ड धौलाना में अग्निशमन केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	105
जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हंडिया स्थित निश्चित सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	106
जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा गढ़वा में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	106
जनपद प्रयागराज स्थित ग्राम रसपीपुर के भूमि नं0 458 घ एवं 485 पर अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	107
जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के अन्तर्गत प्रा0 विद्यालय के नजदीक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	107
जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र काल्पी के कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	107-108
प्रदेश में वन्य क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	108
जनपद बरेली में नवनिर्मित अस्पताल को संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	108

विषय	पृष्ठ-संख्या
सहारनपुर मण्डल की जेलों में व्याप्त अनियमितताओं को दूर किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	108-109
जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार में लोक निर्माण विभाग द्वारा अनियमित रूप से अतिक्रमण हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	109
जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र बलरामपुर में कतिपय सड़कों के निर्माण हेतु धन का आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	109
जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद की कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	110-112
जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र मीरगंज में राजकीय इंटर कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	112
जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना के अन्तर्गत मंडी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	112
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान में नहर पट्टी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	112-113
जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र गोविन्दनगर के अन्तर्गत सी0टी0आई0 पुल के समानान्तर पुल न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	113
जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के अन्तर्गत ग्राम बधाई खुर्द में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	113
जनपद अमेठी के विकास खण्ड गौरीगंज में कतिपय सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	114
जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत मोहल्ला बंशीबाजार में 400 के0वी0 का ट्रांसफार्मर लगवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	114
जनपद सीतापुर के अन्तर्गत संचालित आश्रम पद्धति विद्यालय हाजीपुर व मुर्तजानगर में शिक्षकों की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	114-115
जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना के अन्तर्गत चकरनगर में कन्या इंटर कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	115
नेता सदन द्वारा आज सदन के प्रत्येक सदस्य के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की सूचना	115

विषय	पृष्ठ-संख्या
नियम-103 के अन्तर्गत जनगणना हेतु एन0पी0आर0 में पिछड़ी जातियों का कालम भी जोड़ने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश का प्रस्ताव लाकर चर्चा कराये जाने की मांग	115-122
लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या 05-2017 (लो0आ0)(स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)(सदन के पटल पर रखा गया)...	122-123
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (बत्तीसवां संशोधन) नियमावली, 2019 ...	123
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1524/ ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (76)-2019, दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	123
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1526/ग्यारह-2-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(83)-2019, दिनांक 23 दिसम्बर, 2019(सदन के पटल पर रखा गया)	123
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 77/ग्यारह-2-9(42)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(85)-2020, दिनांक 14 जनवरी, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	123-124
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 79/ग्यारह-2-9(42)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(87)-2020, दिनांक 14 जनवरी, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	124
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 80/ग्यारह-2-9(42)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(88)-2020, दिनांक 14 जनवरी, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	124
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 83/ग्यारह-2-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(89)-2020, दिनांक 28 जनवरी, 2020(सदन के पटल पर रखी गयी)	124
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 84/ग्यारह-2-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(90)-2020, दिनांक 28 जनवरी, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	124
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (पैंतीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2020(सदन के पटल पर रखी गयी)	125
उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकपैड) वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सरकारी संध लि0, लखनऊ के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	125

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2019-2020) का प्रथम प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	125
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, (2019-2020) का द्वितीय प्रतिवेदन(सदन के पटल पर रखा गया) ...	125-126
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, (2019-2020) का तृतीय प्रतिवेदन(सदन के पटल पर रखा गया) ...	126
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, (2019-2020) का चतुर्थ प्रतिवेदन(सदन के पटल पर रखा गया) ...	126
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, (2019-2020) का पंचम् प्रतिवेदन(सदन के पटल पर रखा गया) ...	126
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, (2019-2020) का षष्ठम् प्रतिवेदन(सदन के पटल पर रखा गया) ...	127
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, (2019-2020) का सप्तम् प्रतिवेदन(सदन के पटल पर रखा गया) ...	127
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, (2019-2020) का अष्टम् प्रतिवेदन(सदन के पटल पर रखा गया) ...	127
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, (2019-2020) का नवम् प्रतिवेदन(सदन के पटल पर रखा गया) ...	127
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, (2019-2020) का दशम् प्रतिवेदन(सदन के पटल पर रखा गया) ...	128
श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बाराबंकी से सम्बन्धित तीन याचिकाएं (प्रस्तुत की गयीं)	128
श्री बृजेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बधित याचिका (प्रस्तुत की गयीं)	128
श्री बहोरन लाल मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित दस याचिकाएं (प्रस्तुत मानी गयीं)	129-130
श्री वीरेन्द्र सिंह राणा, सदस्य, विधान सभा की जनपद हाथरस से सम्बन्धित आठ याचिकाएं (प्रस्तुत की गयीं)	130-131
श्री अवस्थी बाला प्रसाद, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर से सम्बन्धित चार याचिकाएं (प्रस्तुत की गयीं)	131

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री काली प्रसाद, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित याचिका (प्रस्तुत की गयीं)	131
श्री कैलाश नाथ शुक्ल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर से सम्बन्धित तीन याचिकाएं (प्रस्तुत की गयीं)	131-132
श्री कल्पनाथ पासवान, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित तीन याचिकाएं (प्रस्तुत की गयीं)	132
श्री महेश त्रिवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित नौ याचिकाएं च कानपुर देहात से सम्बन्धित एक याचिका (प्रस्तुत मानी गयीं)	132-134
श्री महबूब अली, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा से सम्बन्धित पांच याचिकाएं (प्रस्तुत मानी गयीं)	134
श्री मौ0 फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित याचिका (प्रस्तुत मानी गयीं)	134-135
श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित अट्ठारह याचिकाएं (प्रस्तुत मानी गयीं)	135-137
श्री मनोज कुमार पारस, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित आठ याचिकाएं (प्रस्तुत की गयीं)	137-138
श्री त्रिवेणीराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से आठ व जनपद लखनऊ से सम्बन्धित एक याचिका (प्रस्तुत की गयी) ...	138-139
श्री विजय प्रकाश राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद मऊ से सम्बन्धित याचिका (प्रस्तुत की गयी)	139-140
श्री विनोद कुमार कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर देहात से सम्बन्धित दो याचिकाएं (प्रस्तुत की गयीं)	140
श्री भूपेश चौबे, सदस्य, विधान सभा की जनपद सोनभद्र से सम्बन्धित छः याचिकाएं (प्रस्तुत की गयीं)	140-141
श्री पंकज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद नोएडा से सम्बन्धित दो याचिकाएं (प्रस्तुत की गयीं)	141
श्री प्रमोद उटवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित नौ याचिकाएं (प्रस्तुत मानी गयीं)	141-142
श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली से सम्बन्धित पांच याचिकाएं (प्रस्तुत की गयीं)	142-143

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री प्रेम सागर पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित एक व जनपद महराजगंज से सम्बन्धित दो याचिकाएं (प्रस्तुत की गयीं)	143
श्री रवि कुमार सोनकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित पांच याचिकाएं (प्रस्तुत की गयीं)	143-144
श्री राकेश प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमेठी से सम्बन्धित दो याचिकाएं (प्रस्तुत की गयीं)	144
श्री श्रीराम सोनकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद मऊ से सम्बन्धित तीन याचिकाएं (प्रस्तुत की गयीं)	144
श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भैय्या, सदस्य, विधान सभा की जनपद बदायूं से सम्बन्धित छः याचिकाएं (प्रस्तुत की गयीं)	145
श्री ज्ञानेन्द्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद महराजगंज से सम्बन्धित पांच याचिकाएं (प्रस्तुत की गयीं)...	146
श्री संजय प्रताप जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित दो याचिकाएं (प्रस्तुत मानी गयीं)...	146-147
श्री संजय गर्ग, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर से सम्बन्धित तीन याचिकाएं (प्रस्तुत की गयीं)...	147
श्री सीताराम वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर से सम्बन्धित एक याचिका (प्रस्तुत की गयी)...	147
श्री सुभाष पासी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित एक व जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित चार याचिकाएं (प्रस्तुत मानी गयीं)	147-148
श्री सुभाष राय, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित चार याचिकाएं (प्रस्तुत की गयीं)...	148-149
श्री सुरेश राही, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित तीन याचिकाएं (प्रस्तुत की गयीं)...	149
श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित दो याचिकाएं (प्रस्तुत की गयीं)...	149
श्री छत्रपाल सिंह गंगवार, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित अट्ठारह याचिकाएं (प्रस्तुत की गयीं)...	149-151
श्री विरेन्द्र कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित छः याचिकाएं (प्रस्तुत की गयीं)...	151-152

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित दस याचिकाएं (प्रस्तुत मानी गयीं)	152-153
श्री नफीस अहमद, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित पांच याचिकाएं (प्रस्तुत मानी गयीं)...	154
श्री अमनमणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोरखपुर से एक व जनपद लखनऊ से एक तथा जनपद महराजगंज से सम्बन्धित दो याचिकाएं (प्रस्तुत मानी गयीं)	154-155
श्री अनिल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित चार याचिकाएं (प्रस्तुत मानी गयीं)...	155
श्री अरविन्द गिरि, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर खीरी से सम्बन्धित चार याचिकाएं (प्रस्तुत मानी गयीं)...	155-156
श्री ओम प्रकाश राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित सात याचिकाएं (प्रस्तुत मानी गयीं)...	156
श्री असलम अली, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजियाबाद से सम्बन्धित दो याचिकाएं (प्रस्तुत मानी गयीं)	157
श्री अनूप प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद अलीगढ़ से सम्बन्धित पांच याचिकाएं (प्रस्तुत मानी गयीं)...	157
श्री गौरी शंकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित दस याचिकाएं (प्रस्तुत मानी गयीं)...	157-158
श्री लाल बहादुर, सदस्य, विधान सभा की जनपद कौशाम्बी से सम्बन्धित चौदह याचिकाएं (प्रस्तुत मानी गयीं)...	158-160
श्रीमती निर्मला संखवार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर देहात से सम्बन्धित तीन याचिकाएं (प्रस्तुत मानी गयीं)...	160
श्रीमती राजबाला, सदस्य, विधान सभा की जनपद रामपुर से सम्बन्धित छः याचिकाएं (प्रस्तुत मानी गयीं)	160-161
श्रीमती संगीता यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोरखपुर से सम्बन्धित दो याचिकाएं (प्रस्तुत मानी गयीं)	161
श्रीमती सरोज सोनकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित तीन याचिकाएं (प्रस्तुत मानी गयीं)	161

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित दस याचिकाएं (प्रस्तुत मानी गयीं)...	162-163
श्रीमती गरिमा सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमेठी से सम्बन्धित याचिका (प्रस्तुत मानी गयीं)	163-164
श्री चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित सात याचिकाएं (प्रस्तुत मानी गयीं) ...	163-164
डॉ0 डी0सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित नौ याचिकाएं (प्रस्तुत मानी गयीं)	164-165
डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित तीन याचिकाएं (प्रस्तुत मानी गयीं)	165
श्री संगीता बलवन्त, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित दो याचिकाएं (प्रस्तुत मानी गयीं)	165-166
श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित पांच याचिकाएं (प्रस्तुत मानी गयीं)	166
श्री विकास गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित याचिका (प्रस्तुत मानी गयीं)	166
श्री सीताराम वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर से सम्बन्धित पांच याचिकाएं (प्रस्तुत मानी गयीं)	166
श्री उमेश मलिक, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित सात याचिकाएं (प्रस्तुत मानी गयीं)	167-168
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	168-190
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन की कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	190
उत्तर प्रदेश पुलिस और फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय विधेयक, 2020 (पुरःस्थापित)	190-191
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (पुरःस्थापित) ...	191
उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2020 (पुरःस्थापित)...	191
व्यवसाय संघ (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (पुरःस्थापित)... ...	192
राज्य आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2020	192

विषय	पृष्ठ-संख्या
सदन में आज पुरःस्थापित हुए विधेयकों के विचार एवं पारण सम्बन्धी मदें आज ही लिये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)...	192-195
वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर अनुदान संख्या-01 लगायत 12, 15 लगायत 31, 33 लगायत 34, 37 लगायत 53, 59 लगायत 63, 65 लगायत 87, 89, 91 लगायत 92 तथा 94 लगायत 95	195
अनुदान संख्या-01-आबकारी विभाग	195
अनुदान संख्या-02-आवास विभाग	195
अनुदान संख्या-03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) ...	195
अनुदान संख्या-04-उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	195
अनुदान संख्या-05-उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	195
अनुदान संख्या-06-उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	196
अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	196
अनुदान संख्या-08-उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन-सामग्री) ...	196
अनुदान संख्या-09-ऊर्जा विभाग	196
अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	196
अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	196
अनुदान संख्या-12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	196
अनुदान संख्या-15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)... ...	197
अनुदान संख्या-16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) ...	197
अनुदान संख्या-17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	197
अनुदान संख्या-18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) ...	197
अनुदान संख्या-19-कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) ...	197
अनुदान संख्या-20-कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	197
अनुदान संख्या-21-खाद्य तथा रसद विभाग	197

विषय			पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या-22-खेल विभाग	...	...	198
अनुदान संख्या-23-गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	...	...	198
अनुदान संख्या-24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	...	...	198
अनुदान संख्या-25-गृह विभाग (कारागार)	...	...	198
अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस)	...	...	198
अनुदान संख्या-27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	...	...	198
अनुदान संख्या-28-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन एवं अन्य व्यय)		...	198
अनुदान संख्या-30-गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) ...	...	...	197-199
अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण)		...	199
अनुदान संख्या-33-चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)		...	199
अनुदान संख्या-34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)		...	199
अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग	...	...	199
अनुदान संख्या-38-नागरिक उड्डयन विभाग	...	...	199
अनुदान संख्या-39-भाषा विभाग ...	...	...	199
अनुदान संख्या-40-नियोजन विभाग	...	...	199
अनुदान संख्या-41-निर्वाचन विभाग	...	...	200
अनुदान संख्या-42-न्याय विभाग	...	...	200
अनुदान संख्या-43-परिवहन विभाग	...	...	200
अनुदान संख्या-44-पर्यटन विभाग	...	...	200
अनुदान संख्या-45-पर्यावरण विभाग	...	...	200
अनुदान संख्या-46-प्रशासानिक सुधार विभाग	...	...	200
अनुदान संख्या-47-प्राविधिक शिक्षा विभाग	...	...	200
अनुदान संख्या-48-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	...	...	200
अनुदान संख्या-49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग	...	...	201
अनुदान संख्या-50-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	...	...	201
अनुदान संख्या-51-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)		...	201

विषय				पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या-52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	...			201
अनुदान संख्या-53-राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	...	...		201
अनुदान संख्या-59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	...			201
अनुदान संख्या-60-वन विभाग	...	...	...	201
अनुदान संख्या-61-वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	...			201-202
अनुदान संख्या-62-वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	...			202
अनुदान संख्या-63-वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	...			202
अनुदान संख्या-65-वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)	...			202
अनुदान संख्या-66-वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	...	...		202
अनुदान संख्या-67-विधान परिषद् सचिवालय	...	...		202
अनुदान संख्या-68-विधान सभा सचिवालय	...	...		202
अनुदान संख्या-69-व्यावसायिक शिक्षा विभाग	...	...		202
अनुदान संख्या-70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	...	...		203
अनुदान संख्या-71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	...	...		203
अनुदान संख्या-72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	...	...		203
अनुदान संख्या-73-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	...	...		203
अनुदान संख्या-74-गृह विभाग (होमगार्ड्स)	...	...		203
अनुदान संख्या-75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	...	...	...	203
अनुदान संख्या-76-श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	...	...		203
अनुदान संख्या-77-श्रम विभाग (सेवायोजन)	...	...		203
अनुदान संख्या-78-सचिवालय प्रशासन विभाग	...	...		204
अनुदान संख्या-79-समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	...	...	...	204
अनुदान संख्या-80-समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	...	...	...	204
अनुदान संख्या-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	...			204

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या-82-सतर्कता विभाग	204
अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	204
अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग	204
अनुदान संख्या-85-सार्वजनिक उद्यम विभाग	205
अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग	205
अनुदान संख्या-87-सैनिक कल्याण विभाग	205
अनुदान संख्या-89-संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	205
अनुदान संख्या-91-संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) ...	205
अनुदान संख्या-92-संस्कृति विभाग	205
अनुदान संख्या-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	205
अनुदान संख्या-95-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	205-207
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2020 (पारित)	207-215
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020 (पारित) ...	215-217
उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय विधेयक, 2020 (पारित)	217-237
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (पारित) ...	237-238
उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2020 (पारित)	238
व्यवसाय संघ (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (पारित) ...	240-242
राज्य आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2020 (पारित) ...	242-271
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	272-278
जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा में कतिपय राशन गोदामों को विस्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	278
जनपद महाराजगंज के मुख्यालय पर के0एम0सी0 अस्पताल से हनुमान मन्दिर तक की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रेम सागर पटेल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, मुख्य मंत्री का वक्तव्य	279

विषय	पृष्ठ-संख्या
सेतु निर्माण निगम के उप परियोजना प्रबन्धक के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शीतल पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य ...	279-286
जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र शोहरतगढ़ में नगर पंचायत द्वारा सड़क के निर्माण में की गई अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमर सिंह चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	280-282
जनपद बलिया में मेडिकल कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमाशंकर सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, चिकित्सा शिक्षा मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)	282-284
समाज कल्याण विभाग के शादी अनुदान वाले साफ्टवेयर में जबरदस्त तकनीकी कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री संजय गर्ग द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, समाज कल्याण मंत्री का वक्तव्य	284-286
जनपद महाराजगंज में चानकी घाट का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमन मणि त्रिपाठी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य...	286-288
जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊँचाहार में स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य	288-289
जनपद गोरखपुर नगर निगम से होकर गुजरने वाले प्राकृतिक नाले से अतिक्रमण हटाये जाने एवं आधुनिक नाला बनवाये जाने के सम्बन्ध में डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	289
जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना के अन्तर्गत ग्राम गढ़ी नोआबाद में पुलिस चौकी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमेश मलिक द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	290
नेता सदन द्वारा सदन संचालन में नेता प्रतिपक्ष सहित सभी दलीय नेताओं, मा0 सदस्यों के प्रति आभार...	290-297

विषय				पृष्ठ-संख्या
संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सदन के संचालन हेतु नेता प्रतिपक्ष सहित सभी दलों के नेताओं, सदस्यों तथा श्री अध्यक्ष के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सभी को होली की बधाई	...	...	...	298-300
सदन को अनिश्चितकाल के लिये स्थगित करने का प्रस्ताव (स्वीकृत)			...	301
राष्ट्रगान	...	...	...	301
नत्थियां	...	...	...	302-307

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्रहवीं विधान सभा

सोमवार, दिनांक 28 फरवरी, 2020

[विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।]

उपस्थित सदस्य-306

1. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
2. अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह'', श्री बस्ती
3. अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, श्री सम्भल
4. अजीत पाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
5. अजीत सिंह पाल, श्री कानपुर देहात
6. अनिल कुमार दोहरे, श्री कन्नौज
7. अनिल पाराशर, श्री अलीगढ़
8. अनिल राजभर, श्री वाराणसी
9. अनीता, श्रीमती अम्बेडकर नगर
10. अनीता लोधी राजपूत, डॉ0 बुलन्दशहर
11. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती बहराइच
12. अनुराग सिंह, श्री मिर्जापुर
13. अनूप प्रधान, श्री अलीगढ़
14. अबरार अहमद, श्री सुल्तानपुर
15. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री प्रतापगढ़
16. अमन मणि त्रिपाठी, श्री महाराजगंज
17. अमर सिंह, श्री फर्रुखाबाद
18. अमर सिंह चौधरी, श्री सिद्धार्थनगर
19. अमिताभ बाजपेई, श्री कानपुर नगर
20. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री लखनऊ
21. अरविन्द गिरि, श्री खीरी
22. अरूण कुमार, डॉ0 बरेली
23. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती कन्नौज
24. अवधेश सिंह, प्रो0 (डा0) वाराणसी
25. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री खीरी
26. असलम अली, श्री हापुड़
27. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री बलिया
28. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 प्रतापगढ़
29. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती प्रतापगढ़
30. आलमबदी, श्री आजमगढ़
31. आशीष सिंह पटेल ''आशू'', श्री हरदोई
32. आशुतोष उपाध्याय, श्री देवरिया
33. आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'', श्री लखनऊ
34. इकबाल महमूद, श्री सम्भल
35. इकराम कुरैशी, हाजी मुरादाबाद
36. इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी, श्री फैजाबाद
37. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
38. उज्जवल रमण सिंह, श्री इलाहाबाद
39. उदयभान सिंह, चौ0 आगरा
40. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
41. उमाशंकर सिंह, श्री बलिया
42. उमेश मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
43. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
44. कमल रानी, श्रीमती कानपुर नगर
45. करण सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
46. कल्पनाथ पासवान, श्री आजमगढ़
47. कारिन्दा सिंह, श्री मथुरा
48. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
49. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
50. केसर सिंह, श्री बरेली
51. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर

52. कैलाश नाथ सोनकर, श्री वाराणसी
53. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
54. गरिमा सिंह, श्रीमती अमेठी
55. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
56. गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
57. गौरव कुमार, श्री बाराबंकी
58. गौरी शंकर, श्री जालौन
59. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री बस्ती
60. चेतन चौहान, श्री अमरोहा
61. चेतराम, श्री शाहजहाँपुर
62. छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री बरेली
63. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
64. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 इलाहाबाद
65. जय कुमार सिंह (जैकी), श्री फतेहपुर
66. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
67. जयप्रकाश निषाद, श्री देवरिया
68. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
69. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
70. जितेन्द्र वर्मा, श्री आगरा
71. जी0 एस0 धर्मेश, डॉ0 आगरा
72. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
73. ज्ञानेन्द्र, श्री महाराजगंज
74. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
75. डेनजिल जे0 गोडिन, डा0 नाम-निर्देशित
76. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
77. तेजेन्द्र निर्वाल, श्री शामली
78. त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर
79. दयाराम चौधरी, श्री बस्ती
80. दल बहादुर, श्री रायबरेली
81. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
82. दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
83. दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, श्री सन्तकबीर नगर
84. दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
85. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
86. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
87. देवमणि द्विवेदी, श्री सुल्तानपुर
88. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
89. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री कासगंज
90. देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री कासगंज
91. धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया
92. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
93. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
94. धर्म सिंह सैनी, डॉ0 सहारनपुर
95. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'', श्री बदायूं
96. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
97. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
98. नन्द किशोर गुर्जर, श्री गाजियाबाद
99. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
100. नरेन्द्र पाल सिंह, कुँ0 जालौन
101. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
102. नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
103. नाहिद हसन, श्री शामली
104. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
105. निर्मला संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
106. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
107. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
108. नीलम करवरिया, श्रीमती इलाहाबाद
109. नील रतन सिंह पटेल 'नीलू', श्री वाराणसी
110. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर

111. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
112. पक्षालिका सिंह, रानी आगरा
113. पवन कुमार उर्फ पवन केडिया, श्री कुशीनगर
114. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
115. पारसनाथ यादव, श्री जौनपुर
116. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
117. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
118. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
119. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
120. प्रभुनारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
121. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
122. प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
123. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
124. बन्दना सिंह, श्रीमती आजमगढ़
125. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
126. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
127. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
128. बाबा गोरखनाथ, श्री फैजाबाद
129. बाबू राम पासवान, श्री पीलीभीत
130. बावन सिंह, श्री गोण्डा
131. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
132. बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
133. बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, श्री महोबा
134. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
135. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
136. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
137. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
138. भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुर नगर
139. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
140. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
141. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
142. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
143. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
144. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
145. मन्जू शिवाच, डॉ0 गाजियाबाद
146. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
147. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
148. मसूद अख्तर, श्री सहारनपुर
149. महबूब अली, श्री अमरोहा
150. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
151. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
152. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
153. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई
154. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
155. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहाँपुर
156. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
157. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
158. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
159. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
160. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
161. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
162. मो0 फईम इरफान, श्री मुरादाबाद
163. युवराज सिंह, श्री हमीरपुर
164. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
165. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
166. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
167. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
168. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
169. रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
170. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
171. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
172. रमेश चन्द्र दिवाकर, श्री औरैया

173. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
174. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
175. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री भदोही
176. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
177. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
178. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
179. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
180. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
181. राकेश सिंह बघेल, श्री सन्तकबीर नगर
182. राजकुमार अग्रवाल, श्री हरदोई
183. राजकुमार पाल, श्री प्रतापगढ़
184. राजकुमार सहयोगी, श्री अलीगढ़
185. राजबाला, श्रीमती रामपुर
186. राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
187. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
188. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
189. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
190. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती, श्री प्रतापगढ़
191. राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री बरेली
192. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
193. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
194. राधा मोहन दास अग्रवाल, डॉ0 गोरखपुर
195. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकर नगर
196. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
197. राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
198. राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
199. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
200. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
201. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
202. राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
203. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
204. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
205. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
206. रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
207. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
208. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
209. लाखन सिंह, श्री औरैया
210. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
211. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
212. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
213. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
214. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
215. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
216. विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
217. विजय कुमार कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
218. विजय कुमार राजभर, श्री मऊ
219. विजय मिश्र, श्री भदोही
220. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
221. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
222. विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
223. विनय शाक्य, श्री औरैया
224. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
225. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
226. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
227. विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
228. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
229. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहाँपुर
230. वीरेन्द्र, श्री एटा
231. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
232. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
233. शशांक वर्मा, श्री खीरी
234. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर

235. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
236. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
237. शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
238. शीतला प्रसाद, ''पप्पू पटेल'' श्री कौशाम्बी
239. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
240. शैलेश कुमार सिंह ''शैलू'', श्री बलरामपुर
241. शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
242. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
243. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
244. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
245. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
246. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
247. श्रीराम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
248. श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
249. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
250. संगीता बलवन्त, डा0 गाजीपुर
251. संजय, श्री बुलन्दशहर
252. संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
253. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
254. संजय यादव, श्री बलिया
255. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
256. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
257. संजीव राजा, श्री अलीगढ़
258. संजू देवी, श्रीमती अम्बेडकर नगर
259. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
260. सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 सिद्धार्थनगर
261. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
262. सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले'', श्री मेरठ
263. सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
264. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
265. सरोज सोनकर, श्रीमती बहराइच
266. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
267. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
268. साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
269. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
270. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
271. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
272. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
273. सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
274. सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट, श्री बहराइच
275. सुभाष राय, श्री अम्बेडकर नगर
276. सुरेन्द्र नाथ सिंह, श्री बलिया
277. सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री वाराणसी
278. सुरेन्द्र मैथानी, श्री कानपुर नगर
279. सुरेश कुमार, श्री शामली
280. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
281. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहाँपुर
282. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
283. सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री लखनऊ
284. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
285. सुरेश राही, श्री सीतापुर
286. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
287. सुशान्त सिंह, कुँ0 बिजनौर
288. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
289. सुशील सिंह, कुँ0 चन्दौली
290. सुषमा पटेल, श्रीमती जौनपुर
291. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
292. सूर्यभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
293. सोमेन्द्र तोमर, डॉ0 मेरठ
294. सोवरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
295. सोहिल अख्तर अंसारी, श्री कानपुर नगर
296. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
297. स्वाती सिंह, श्रीमती लखनऊ
298. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर

299. हरगोविन्द भार्गव, डॉ0	सीतापुर	303. हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0	जौनपुर
300. हरिओउम यादव, श्री	फिरोजाबाद	304. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री	इलाहाबाद
301. हरिशंकर माहौर, श्री	हाथरस	305. हाकिम लाल बिन्द, श्री	इलाहाबाद
302. हरीराम, श्री	सोनभद्र	306. हृदय नारायण दीक्षित, श्री	उन्नाव

नोट :-मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ) उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य), जल शक्ति मंत्री (डा0 महेन्द्र सिंह), पंचायती राज मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी) तथा परिवहन एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अशोक कटारिया) भी सदन में उपस्थित थे।

[11:00] प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में वर्तमान में विद्युत की खरीद व उत्पादन तथा किसानों को समयबद्ध तरीके से बिजली की आपूर्ति कराने विषयक

***01-श्री संजय गर्ग-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने मेगावाट बिजली की खपत वर्तमान समय में है ? क्या सरकार बतायेगी कि वर्तमान में कितने मेगावाट की खरीद और कितने मेगावाट का उत्पादन प्रदेश में हो रहा है ? क्या सरकार किसानों को समयबद्ध तरीके से बिजली की आपूर्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री श्रीकान्त शर्मा)-

पूरे प्रदेश में, प्रदेश की विद्युत मांग मौसम के अनुसार बदलती रहती है। अप्रैल से अक्टूबर तक जहाँ यह मांग लगभग 17,500 मे0वा0 से 22,000 मे0वा0 के मध्य रहती है वहीं नवम्बर से मार्च के मध्य यह लगभग 10,000 मे0वा0 से 16,000 मे0वा0 तक ही रहती है।

वर्तमान समय में प्रदेश में बिजली की औसत खपत लगभग 15,800 मे0वा0 चल रही है। एस0एल0डी0सी0 द्वारा प्रदेश में मांग के अनुसार राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर उपलब्ध एवं अनुबन्धित ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से पर्याप्त ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चत की जाती है।

वर्तमान में प्रदेश की औसतन विद्युत मांग 15,800 मे0वा0 है, जिसके सापेक्ष समस्त स्रोतों से औसतन विद्युत उत्पादन मांग के सापेक्ष पर्याप्त है। वर्तमान में अधिकतम मांग के सापेक्ष प्रदेश के उत्पादन संयंत्रों से 8700 मे0वा0 तथा केन्द्रीय एवं अन्य स्रोतों से 7100 मे0वा0 तक विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में माह जनवरी, 2020 तक समस्त स्रोतों से कुल 1,05,264 मिलियन यूनिट विद्युत क्रय की गई है।

जी हाँ।

प्रदेश में घोषित रोस्टर के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घण्टे, तहसील क्षेत्रों में 20 घण्टे तथा जनपद मुख्यालय पर 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति निर्धारित है। इसके अतिरिक्त कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु पृथक 11 के0वी0 पोषकों का पर 10 घण्टे विद्युत आपूर्ति का रोस्टर निर्धारित है, जिसके अनुसार विद्युत आपूर्ति की जा रही है। वर्ष

2019-20 में माह जनवरी, 2020 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 18:19 घण्टे, तहसील क्षेत्रों में 22:09 घण्टे तथा जनपद मुख्यालय पर 23:11 घण्टे विद्युत आपूर्ति की गई है।

स्थानीय व्यवधान व राष्ट्रीय ग्रिड की सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में कभी-कभी आकस्मिक कटौती करनी पड़ती है। स्थिति सामान्य होने पर आपूर्ति पूर्व की भांति कर दी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री संजय गर्ग-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रदेश का पर कैपिटा बिजली कंजप्सन के हिसाब से बिजली की अपने आप में बहुत इम्पार्टेंस है। हमारा आशय इस बात के साथ साथ प्रदेश में कितनी विद्युत मांग है और कितनी विद्युत उत्पादन की क्षमता है। विद्युत उत्पादन की क्षमता डिमाण्ड और सप्लाई में गैप बढ़ने के साथ साथ जितनी तेजी से विद्युत उत्पादन की क्षमता प्रदेश के अपने स्रोतों से बढ़नी चाहिए थी क्या उससे बढ़ी कि नहीं बढ़ी। इसके सापेक्ष इस जवाब में आया है कि वर्तमान में अधिकतम मांग के सापेक्ष प्रदेश के उत्पादन संयंत्रों में 8700 मे0वा0 तथा केन्द्रीय एवं अन्य स्रोतों से 7100 मे0वाट विद्युत आपूर्ति की जा रही है, जो प्रदेश के अपने स्रोत हैं उसमें हाइड्रो में लगभग 68 पैसे पर यूनिट की लागत आती है और जो थर्मल के हैं उसमें दो रुपए 70 पैसे के करीब लागत आती है परन्तु केन्द्रीय पूल और अन्य स्रोतों से जब बिजली खरीदी जाती है तो वह चार से साढ़े चार रुपए पर यूनिट के हिसाब से औसतन आक्सन के आधार रेट तय करने का काम स्टेट लोड डिस्पेंस सेंटर करता है। मेरा आपके माध्यम से केवल इतना सा प्रश्न है कि प्रदेश के औसतन उत्पादन संयंत्रों के सापेक्ष प्रदेश के उत्पादन संयंत्रों से 8700 मेगावाट बताया गया है मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ विद्युत मंत्री जी से 2017 में जब माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी उस समय प्रदेश के उत्पादन संयंत्रों की क्षमता क्या थी 2018 मे कितनी थी और 2019 में कितनी थी जिससे यह पता चल सके कि विद्युत उत्पादन की क्षमता बढ़ी है कि घटी है।

मेरा एक दूसरा प्रश्न और है कि जो केन्द्रीय और अन्य स्रोतों से अनुबन्धित ऊर्जा है, यह जो अनुबन्ध किये गये हैं, यह केन्द्रीय तथा निजी स्तर से जो अनुबन्ध किये गये हैं, यह अनुबन्ध क्या एक वर्षीय अनुबन्ध हैं या पंचवर्षीय अनुबन्ध हैं या किस तरह की समय सीमा के अनुबन्ध हैं ? चूंकि सेन्ट्रल पूल में रेट बहुत फ्लक्चुएट होता है तो उस हिसाब से स्टेट लोड डिस्पैच सेन्टर ने जो अनुबन्ध किये हैं वह किस तरह का अनुबन्ध है, मेरी यह जिज्ञासा है और यह जानकारी मैं माननीय मंत्री जी से चाहूँगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय ऊर्जा मंत्री जी।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, 03 वर्षों में 3973 मेगावाट की क्षमता वृद्धि हुयी है और उसका ब्रेकअप भी मैं दे रहा हूँ। तापीय 1890, जलीय 138, सोलर 1350, नॉन सोलर 595 यानी

कि टोटल अगर हम करें तो 3973 मेगावाट की क्षमता वृद्धि हुयी है। जहाँ तक माननीय सदस्य ने यह जिज्ञासा जाहिर की है और वह पी0पी0ए0 का जिक्र कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह अनुबन्ध का समय पूछ रहे हैं।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

हाँ, अनुबन्ध का समय तय रहे हैं। मान्यवर, मैं थोड़ा समय ले लूं और पूरा पढ़ दूं तो जो इनके और भी सवाल होंगे उनके भी उत्तर आ जायेंगे। वर्तमान समय में प्रदेश की मांग के सापेक्ष आवश्यक ऊर्जा की लगभग 97 परसेंट खरीद मुख्यतः पहले से निष्पादित दीर्घकालीन ऊर्जा क्रय अनुबन्धों के माध्यम से की जाती है नम्बर एक। नम्बर दो, आकस्मिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु लगभग 3 परसेंट ऊर्जा अल्पकालीन क्रय के माध्यम से की जाती है। इस अल्पकालीन क्रय हेतु बिडिंग प्रक्रिया उत्तर प्रदेश हेतु अधिकृत प्रतिनिधि मेसर्स पी0एफ0सी0 द्वारा दीप पोर्टल तथा सी0आई0आर0सी0 के अधिकृत लाईसेंसी एनर्जी एक्सीस द्वारा स्वयं के पोर्टल पर की जाती है। इस प्रकार प्रदेश हेतु क्रय की गयी ऊर्जा की औसत दर मुख्यतः दीर्घकालीन ऊर्जा क्रय अनुबन्धों पर ही निर्भर करती है। पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा अलकनन्दा, रोजा, बजाज, ललितपुर, एम0बी0 पावर, के0एस0के0 आदि ऊर्जा परियोजनाओं से दीर्घकालीन पी0पी0ए0 किये गये थे जिनकी प्रदेश को ऊर्जा आपूर्ति की लागत रुपये 5 रुपये 14 पैसे प्रति यूनिट से 11 रुपये 09 पैसे प्रति यूनिट तक आती है। वर्तमान सरकार ने ऊर्जा क्रय लागत कम करने के उद्देश्य ये सिंगरौली थर्ड, न्यू नवीनगर, किशनगंगा हायड्रो एवं केमेंग हायड्रो परियोजनाओं से दीर्घकालीन पी0पी0ए0 निष्पादित किये हैं जिनकी प्रदेश को ऊर्जा आपूर्ति की लागत रुपये 2 रुपये 98 पैसे प्रति यूनिट से लेकर 4 रुपये 19 पैसे प्रति यूनिट तक आयेगी। मान्यवर दो चीजें स्पष्ट हैं कि जो पूर्व सरकार ने पी0पी0ए0 किये उसके रेट का भी मैंने उल्लेख किया है और जो हमारी सरकार ने पी0पी0ए0 किये हैं उसके रेट का भी मैंने उल्लेख किया है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संजय जी, अब तो उत्तर आ गया।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

मान्यवर, अगर कुछ और भी सवाल हैं तो मैं उनका भी जवाब दे दूंगा।

(माननीय नेता विरोधी दल, श्री राम गोविन्द चौधरी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल, क्या आप कुछ पूछेंगे ?

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से बहुत स्पष्ट सवाल था और आशय यह था कि जो बिजली उत्पादन के सुधार की दिशा में अखिलेश यादव जी ने काम प्रारम्भ किया था वह

लगभग 18 तक पूरा हो गया। माननीय मंत्री जी से यह स्पष्ट रूप से जानना चाहा गया था कि 18-19, 19-20 में आपने अपने संसाधन से कितने यूनिट बिजली पैदा की ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। अपना किसी का कुछ नहीं होता है। यह तो सरकार का है यानी कि प्रदेश की जनता का है और मैंने बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, एक पी0पी0ए0 होते हैं जो प्रदेश के उपभोक्ता के हित के लिये होते हैं और उसमें जो रेट हैं उनका भी मैंने उल्लेख किया है। दूसरा, माननीय सदस्य और माननीय नेता प्रतिपक्ष की यह जिज्ञासा है कि आपके जो पुराने प्लांट चल रहे थे यानी कि पूर्ववर्ती सरकार में जो चीजें हुयी थीं उसमें हमने बढ़ोत्तरी करते हुए आज हमारी सरकार है, तो उसमें हमने बढ़ोत्तरी करते हुए 3 हजार 973 मेगावाट की वृद्धि की है। नम्बर दो जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि जो पी0पी0ए0 है, पी0पी0ए0 में भी तुलनात्मक रूप से, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो हमारे पी0पी0ए0 हैं वह 2 रुपये 98 पैसे से लेकर 4 रुपये 19 पैसे तक हुए हैं। यह नोट करने वाली बात है और पूर्व में जो पी0पी0ए0 हुए हैं वह 5 रुपये 14 पैसे से लेकर 11 रुपये 9 पैसे तक हुए हैं। मान्यवर, इतना बड़ा अन्तर है। मुख्य बात यही है।

श्री संजय गर्ग-

माननीय अध्यक्ष जी, 2016-17 में जो विद्युत का बजट था वह पूरे बजट का 16.67 था और 2017 में 17.7 था। परन्तु वर्तमान में जो बजट पास किया गया है उसमें मात्र 13 प्रतिशत है। यानी की 3 प्रतिशत बजट में घटोत्तरी हुई है। उत्पादन के साधन हमें बढ़ाने हैं, नए संयंत्र हमें लगाने हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने 2017 में जिन संयंत्रों को पूरा करके उत्पादन शुरू कर दिया था उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडेक्शन के पाईप लाइन में उत्पादन था, जिन परियोजनाओं को उन्होंने शुरू किया था जिसका प्रतिफल बाद के वर्षों में मिला है। हमारा और नेता विरोधी दल का आशय पूछने का यह था कि क्या कोई नए संयंत्रों के साथ, नई परियोजना वर्तमान सरकार के द्वारा शुरू की गयी है ? यहीं केवल एक सवाल था और कोई दूसरा मतलब हमारा नहीं है।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, संजय गर्ग जी हर सेशन में यह जिक्र करते हैं और मैं इसमें कहीं कोई कन्जूसी नहीं करता हूँ और बहुत स्पष्ट रूप से बताता हूँ कि पूर्व से जो व्यवस्था चली आ रही थी उसमें हमने जो संशोधन किया है, जो पूर्व सें व्यवस्था चली आ रही थी उसको पुनः सुधारते हुए हम आगे बढ़ा रहे हैं और इसलिए मैंने जो वृद्धि की है उसको बता रहा हूँ। आपने मा0 अखिलेश जी की सरकार का जिक्र किया लेकिन मैं आपको इतना जरूर बताना चाहता हूँ कि 2015-16 में यानी कि जब मा0 अखिलेश यादव जी की सरकार थी,

समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय जो 1.59 मिलियन यूनिट बिजली सप्लाई करते थे और आज मैं 20,151 की बात कर रहा हूँ। 2018-19 में 30,584 मिलियन यूनिट बिजली ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 52 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। आपने सवाल अच्छा पूछा कि आपने उसमें क्या किया ? हमने इमसें 52 प्रतिशत की ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति में वृद्धि की है। यह हमारी उपलब्धि है।

श्री रामगोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी विद्वान है। स्पष्ट है कि क्या वर्तमान सरकार बिजली पैदा करने के लिए अपने संसाधन से कोई नया प्रोजेक्ट लगायी है और यदि लगायी है तो उससे कितनी यूनिट बिजली पैदा की गयी है ? बस बात इतनी सी है, कितनी बिजली सप्लाई हो रही है, कितने घन्टे बिजली मिल रही है इसके लिए आपको धन्यवाद। आपने बिजली के रेट बढ़ा दिए उसके लिए भी धन्यवाद। यह अलग प्रक्रिया है। केवल यह कि क्या वर्तमान सरकार अपने निजी पैसे से, अपने पास कराये बजट के पैसे से कौन सा यंत्र-संयंत्र लगाया जिससे कितनी यूनिट बिजली पैदा हुई ? बस यह जानकारी हम लोग चाहते हैं।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष यह भी जानते हैं क्योंकि वह भी सरकार में रहे हैं। अगर कोई पॉवर प्लान्ट लगता है, ठीक है इन्होंने शिलापूजन किए हैं हमने भी पनकी में शिलापूजन किया है और हमारा भी प्लान्ट 2022 तक कमीशन हो जायेगा। मेरा सिर्फ निवेदन इतना है कि हमने प्रशासनिक सुधार करते हुए जो गांव में बिजली जाती नहीं थी, गांव में हमने 52 प्रतिशत की विद्युत आपूर्ति में बढ़ोत्तरी की गयी है। यह हमारा प्रशासनिक सुधार है। पॉच या साढ़े पॉच साल में प्लान्ट तैयार होता है दूसरी बात यह भी विचार के योग्य है कि लगातार आप पी0पी0ए0 करके प्लान्ट लगा दो, और हमारी सरकार तो 4600 करोड़ रुपये तो केवल खड़े-खड़े प्लान्ट के लिए देती है। हम उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने के लिए प्रयासरत हैं और जब हमारे पास बिजली उपलब्ध है, पर्याप्त बिजली उपलब्ध है और केवल 2022 का नहीं 2032 तक का खाता हमने तैयार किया है कि हमको कितनी बिजली की आवश्यकता होगी, उसके सापेक्ष हमारा विभाग उस पर काम कर रहा है।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि जब विपक्ष की सरकारें थीं तो इन्होंने चार-पांच रुपये से लेकर ग्यारह रुपये प्रति मीट में पी0पी0ए0 किया था। हमने दो रुपये से लेकर चार रुपये में पी0पी0ए0 किया तो अगर दो रुपये में यानी सस्ते में खरीद रहे हैं तो क्या उस सस्ते के हिसाब से उपभोक्ताओं की बिजली सस्ती की गयी है कि बढ़ाई गयी है ? केवल इतना ही सवाल है ? अगर आपने सस्ती की है तो उसका लाभ किसान को या विद्युत उपभोक्ता को मिलना चाहिए।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अभी तो इनके द्वारा जो गड्ढ़े खोदे गयें है उनको भरने में समय निकल रहा है जब इनके द्वारा खोदे गये गड्ढ़े पूरी तरह से भर जायेंगे तो निश्चित रूप से इसी सदन में आपकी अध्यक्षता में हम लोगों ने यह कमिटमेन्ट किया है कि प्रदेश को सस्ती और स्वच्छ बिजली हमारी ही सरकार उपलब्ध करायेगी।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, कितनी वृद्धि किया है इन तीन सालों में सिर्फ इतना बता दें ? सस्ता गड्ढ़ा भरने के बाद की चीज है, इन तीन सालों में कितने प्रतिशत वृद्धि किया 125 रुपया हो गया 500 रुपया और किसान का 55 रुपया से हो गया 180 रूपया प्रति हार्सपावर। आपने बिजली सस्ती लेकर और बढ़ा चार गुना दिया है और कह रहे हैं कि हम गड्ढ़ा भर रहे हैं।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

मान्यवर ये 180 का जिक्र कर रहे हैं, 170 रुपये प्रति एच0पी0 है और जिन्होंने मीटर लगा रखा है उन किसानों को हमारी सरकार साढ़े सात रुपये की हमको कीमत लगती है बिजली किसान के गांव में घर पहुंचाने में और किसानों से हम 1 रुपये 30 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से ले रहे हैं उसमें भी हम हर साल सरचार्ज माफ करते हैं। अभी भी सरचार्ज माफ किया किसानों का, 6 किश्तों में अपना किसान जो मूलधन है वह सरकार के खाते में जमा कर सकता है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, महत्वपूर्ण यह सवाल है जो भी चाहे संजय गर्ग जी चाहे मैं चाहे विधानसभा नेता बसपा वर्मा जी, जिस बात की जानकारी चाहिए। चूंकि माननीय मंत्री जी विद्वान है पढ़े-लिखे हैं उसको घुमा-फिरा कर देते हैं, असल पर आते नहीं। सस्ती बिजली कह रहे हैं कि हमने खरीदी और हर स्तर पर बढ़ा दिया। बिजली एक यूनिट पैदा नहीं किया जो अखिलेश यादव ने तय किया था 18, 22 और 24 उसमें अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। माननीय मंत्री जी हमारे मित्र हैं और मैं मानता भी बहुत हूँ लेकिन हम जनता के हकों की लड़ाई लड़ने के लिए आये हैं, अध्यक्ष जी एक भी प्रश्न का जवाब न देने के कारण चूंकि आज हम यहाँ पर नहीं आयेंगे क्योंकि हम इनको भागने देना नहीं चाहते हैं। इसलिए यह जनता के हित की बात है, माननीय मंत्री जी उत्तर देने में असमर्थ हैं इसलिए हम 5 मिनट के लिए सदन का बहिष्कार करते हैं।

(अनुपूरक उत्तर से असंन्तुष्ट होकर नेता विरोधी दल व नेता बहुजन समाज पार्टी ने अपने दल सहित पांच मिनट के लिये सदन से बहिर्गमन कर गये।)

श्री श्रीकान्त शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने सवाल पूछा था, वर्मा जी ने भी पूछा था और नेता प्रतिपक्ष ने भी पूछा था कि वृद्धि कितनी हुई ? समाजवादी पार्टी की सरकार 2013-14 में 6.58 प्रतिशत की टैरिफ में वृद्धि हुई। अक्टूबर 2014 में 8.90 की टैरिफ में वृद्धि हुई। 2015 में 5.41 प्रतिशत की वृद्धि है। 2016 में 4.91 प्रतिशत की वृद्धि हुई। शायद आप भी वाकआउट करें तो कर जायें लेकिन अपने सवाल का जवाब जरूर सुन लें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आप सस्ते में खरीद रहे हैं और यह निरंतर प्रक्रिया है वृद्धि की। वृद्धि हुई सुधार हुआ मैं मानता हूँ और मैं इससे असहमति नहीं व्यक्त कर रहा हूँ। लेकिन आप सस्ते में खरीद रहे हैं और उत्पादन की लागत भी आपने घटाने का काम किया है तो उसका लाभ उपभोक्ता को मिलना चाहिए। हमारा यह कहना है कि 55 रूपया प्रति हार्सपावर किसान की बिजली का दाम था पहले आपने मेरी समझ से 180 था लेकिन आप कह रहे हैं 170 चूंकि मैं भुगतान करता हूँ मुझे लग रहा है कि 180 है मैंने जब अपना बिल जोड़ा। लेकिन आप 170 कह रहे हैं मैं 170 भी मान रहा हूँ तो 55 से 170 जो आपने बढ़ाया है, क्या उसको घटाकर 170 से फिर से 55 करने की कृपा करेंगे, अगर नहीं तो यह तो किसान के साथ ज्यादती है, ये यह बता दें कि घटायेंगे कि नहीं ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा कि हमने किसानों के लिए भी और गांवों के लिए भी ऊर्जा खपत में वृद्धि की है। जब यह घाटा कम होता चला जायेगा तो निश्चित रूप से उसका लाभ उपभोक्ता को ही मिलेगा। वर्तमान में 13000 करोड़ रुपये का प्रतिवर्ष का कैश बैक है। हमारी पहली प्राथमिकता यह है कि सबको बिजली का बिल उपलब्ध कराकर जितनी बिजली लोग कन्ज्यूम कर रहे हैं उतना बिल सब देना शुरू करेंगे तो यह जो कैश बैक है यह कम होगा। जब कैश बैक होगा तो निश्चित रूप से जो यह पूरे सदन का मत है कि सस्ती बिजली हम लोग उपलब्ध करायें तो उसमें हम लोग सफल होंगे।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार किसानों और उपभोक्ताओं के हित में काम नहीं कर रही है। सरकार बिजली सस्ती देने का काम नहीं कर रही है और लगातार बिजली के दाम बढ़ाती जा रही है इसलिये सरकार के इस रूख के खिलाफ हम और हमारा दल सदन से बर्हिगमन करता है।

(श्री लालजी वर्मा अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से बर्हिगमन कर गये)

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, अगर कुशल ड्राइवर होता है तो गाड़ी की स्पीड भी मेनटेन करता है और कम तेल की खर्चे में गंतव्य स्थान तक पहुंचा भी देता है। उनके जमाने में जो अव्यवस्था थी, दुर्व्यवस्था थी जिसकी वजह से प्रदेश में सब जगह लोगो को बिजली नहीं मिल पा रही थी और वह केवल चार-पांच जिलों को ही बिजली दे रहे थे तो हमने पूरे उत्तर प्रदेश को 18 घण्टे, 20 घण्टे और 24 घण्टे बिजली दी है और साथ ही साथ प्रशासनिक सुधार करके हमने 3973 मेगावाट बिजली की वृद्धि की है जिसका फायदा पूरे प्रदेश की गरीब जनता से लेकर शहरों तक को मिला है। यह कुशल प्रशासन का ही नतीजा है कि हम पूरे प्रदेश को बिजली देने में सक्षम हो चुके हैं और आज पूरा प्रदेश और चाहे पक्ष के लोग हो या विपक्ष के लोग हों यह स्वीकार करते हैं कि योगी जी की सरकार में सबसे अच्छी तरीके से बिजली की सप्लाई हो रही है लेकिन इनको तो जाना है और अखबार की सुर्खियां लूटना है ताकि कल जब सुबह अखबार आये तो तो इनकी फोटो अखबार में छपे और यह खबर छपे कि इन लोगो ने किसानों के लिए एक बड़ा भारी तमगा हासिल कर लिया है।

श्री अध्यक्ष-

अब हम अगला प्रश्न लेते हैं।

पावर कार्पोरेशन के बढ़ते घाटे को रोकने विषयक

***02-श्री अजय कुमार लल्लू (अनुपस्थित)-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विगत बीस वर्षों में पावर कार्पोरेशन का घाटा 70 करोड़ से बढ़कर 85 हजार करोड़ हो गया है ? यदि हाँ, तो सरकार ने उक्त बढ़ते घाटे की रोकने के लिए कोई उपाय किये है ? यदि हाँ, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

वर्ष 2000-01 में पावर कार्पोरेशन की वितरण कम्पनियों का सकल घाटा लगभग रु0 77.47 करोड़ था, जो कि वित्तीय वर्ष 2018-19 (अंकेक्षित) के अन्त में बढ़कर रु0 82214.40 करोड़ हो गया है।

जी हाँ।

पावर कार्पोरेशन के बढ़ते वित्तीय घाटे को कम करने के प्रयासों का विवरण :-

वित्तीय घाटे के मुख्य कारण के रूप में लाइन हानियों को कम करने की कार्य योजनायें सीमित संसाधनों के उपरान्त भी विभिन्न इकाइयों द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।

1-विद्युत चोरी रोकने हेतु 55 अतिरिक्त प्रवर्तन दलों को स्वीकृत किया गया है एवं 75 जिलों में विद्युत चोरी निरोधक थानों का गठन किया गया है जिसमें से 59 जिलों में विद्युत चोरी निरोधक थाने क्रियाशील हो गये हैं। साथ-साथ विभागीय अधिकारियों एवं अवर अभियन्ताओं द्वारा विद्युत चोरी के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है जिसका अनुश्रवण आर0एम0एस0 पोर्टल पर किया जा रहा है।

2-बेहतर राजस्व वसूली एवं विद्युत चोरी के सम्बन्ध में रेड टीमों एवं सहयोगी स्टाफ हेतु प्रोत्साहन योजना लागू की गई है।

3-विद्युत चोरी में लिप्त लोगों को पकड़वाने हेतु मुखबिर योजना लागू की गई है।

4-ग्रामीण क्षेत्रों में अनमीटर्ड उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर लगाने का कार्य सम्पन्न कराया जा रहा है।

5-नई बिलिंग एजेन्सी द्वारा मीटर की रीडिंग कराकर उपभोक्ताओं को रीडिंग आधारित बिल उपलब्ध करा राजस्व वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

6-4 कि0वा0 भार तक के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं पर बकाया रु0 7275.00 करोड़ की वसूली के लिये आसान किस्त योजना लागू की गई जिससे अभी तक 1063 करोड़ की वसूली हो पाई है।

7-पी0टी0 डब्ल्यू किसानों से बकाया रु0 7166.00 करोड़ की वसूली हेतु किसान आसान किस्त योजना लागू की गई है।

8-प्रदेश में 47 शहरों में लगभग 40 लाख स्मार्ट मीटर विशेष रूप से अधिक लाइन हानियों वाले फीडरों पर लगाकर बिलिंग दक्षता एवं वसूली-दक्षता बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है।

9-विद्युत चोरी रोकने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में ए0बी0 केबिल लगाकर उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

10-ग्रामीण क्षेत्रां में घरेलू संयोजनों एवं नलकूपों के फीडरों का पृथकीकरण किया जा रहा है।

11-विगत में कटिया नियमितीकरण योजना लागू करके अवैध संयोजनों के नियमितीकरण किये गये थे।

12-विद्युत क्रय लागत में कमी करने हेतु अधिक लागत वाले विद्युत उत्पादन इकाइयों से पारस्परिक निगोशिएशन की कार्यवाही की गई।

13-राज्य विद्युत उत्पादन गृहों की वैरिएबल उत्पादन लागत में 75 पैसे प्रति यूनिट तक की कमी की गई।

14-ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व वसूली बढ़ाने के लिये जन सुविधा केन्द्र ग्रामीण स्थानीय उद्यमी स्तर पर प्री-पेड वॉलेट लागू किया गया है।

15-उपभोक्ताओं को विद्युत बीजक भुगतान हेतु ऑनलाइन, मोबाइल, पेमेण्ट गेट-वे सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं।

16-राशन की दुकानों के माध्यम से भी बिल भुगतान को प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

नत्थी (ख)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पदार्थो पर दी जाने वाली सब्सिडी को सीधा लाभार्थियों के खातों में देने पर विचार किये जाने विषयक

***1-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित किये जाने वाले पदार्थों पर दी जाने वाली सब्सिडी को सीधा लाभार्थियों के खातों में स्थानान्तरित करने की योजना लागू करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

प्रदेश में खाद्यान्न के स्थान पर सब्सिडी हेतु डी0बी0टी0 योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत जनपद बागपत की तहसील खेकड़ा में चण्डीगढ़ मॉडल तथा शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत जनपद अयोध्या के नगर निगम क्षेत्र में झारखण्ड मॉडल प्रायोगिक तौन पर लागू करने का निर्णय लिया गया है। चण्डीगढ़ मॉडल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत देय खाद्यान्न सब्सिडी का नकद हस्तान्तरण लाभार्थी के खाते में किया जाता है, जिससे लाभार्थी को खुले बाजार से खाद्यान्न लेने की स्वतंत्रता होगी। इसी प्रकार झारखण्ड मॉडल में लाभार्थी को सब्सिडी की धनराशि से उचित दर दुकानों से ही खाद्यान्न प्राप्त करना होगा।

डी0बी0टी0 योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के राशन कार्ड डाटाबेस का पूर्ण डिजिटाइजेशन, डाटाबेस में उपलब्ध आधार संख्या का एन0आई0सी0, उ0प्र0 द्वारा डी-डुप्लीकेशन कराया जाना, राशन कार्ड डाटाबेस में बैंक खातों, आधार संख्या एवं मोबाइल नम्बर को लिंक किया जाना, बैंक खातों में आधार संख्या की रीडिंग एवं आधार संख्या का सत्यापन एवं प्रमाणीकरण, प्रमाणिक लाभार्थियों की संख्या दुकानदार तैयार कर तदानुसार सब्सिडी की धनराशि लाभार्थियों के खाते में भेजे जाने की कार्यवाही की जाती है। भारत सरकार के पत्र संख्या-5-5/2017-एन0एफ0एस0ए0, दिनांक 11-07-2017 एवं भारत सरकार के अर्द्धशा0पत्र संख्या-5-7/2017-एन0एफ0एस0ए0, दिनांक 11-11-2017 द्वारा डी0बी0टी0 लागू किये जाने से पूर्व निर्धारित बिन्दुओं में शत-प्रतिशत कार्यवाही पूर्ण किये जाने के उपरान्त ही पायलट डी0बी0टी0 योजनालागू किये जाने के निर्देश हैं, तत्क्रम में योजना सम्बन्धी तैयारियों की जा रही हैं। उक्त दोनों चयनित क्षेत्रों में खाद्यान्न सब्सिडी के नकद हस्तान्तरण की योजना अभी तक क्रियान्वित नहीं हुई है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों एवं शर्तों को पूर्ण किये जाने के उपरान्त पायलट डी0बी0टी0 योजना क्रियान्वित की जा सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

***2-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-**

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में बेघर श्रमिकों को आवास सुविधा उपलब्ध कराये जाने की मांग

***3-श्री सुखदेव राजभर-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गरीब एवं बेघर श्रमिकों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवास सहायता योजना लागू है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 व 2018-19 में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कुल कितनी धनराशि आवंटित की गयी तथा आवंटित धनराशि के सापेक्ष कुल कितने गरीब बेघर श्रमिकों को आवास की सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है तथा कितनों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराना शेष है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम तथा सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

जी हाँ। भवन एवं अन्य सन्निर्माण प्रक्रियाओं में कार्यरत कर्मकारों व उनके परिवार को आवासीय सुविधा हेतु अनुदान/सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दिनांक 23-12-2011 से निर्माण कामगार आवास सहायता अधिसूचित की गई है।

निर्माण कामगार आवास सहायता योजना का पृथक से कोई लक्ष्य नहीं है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में उक्त योजना के अन्तर्गत रु0 1,80,74,000/- का बजट आवंटन तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में 15,96,46,000/- का बजट आवंटन उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा किया गया है। जिसके सापेक्ष वर्ष 2017-18 में 33 एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में 74 पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को लाभान्वित किया गया है।

विवरण संलग्न† है।

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि वर्ष 2017-18 में जो 1,80,74,000 रुपये की धनराशि शौचालय और आवास के मद में आवंटित की गई है क्या वह धनराशि पूरी खर्च हो गई है अथवा नहीं हुई है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि वर्ष 2018-19 में जो 15,96,46,000 रुपये की धनराशि आवंटित हुई है वह खर्च हो गई अथवा नहीं हुई है। यदि यह नहीं हो पाई है तो आप शेष धनराशि का आवंटन इन मदों में कब तक करा देंगे।

---

† छापा नहीं गया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, जो विवरण संलग्न है उसमें पूरी जानकारी दी गयी है और मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि दो किस्तों में धन दिया जाता है। आधे निर्माण के बाद पहला किस्त यानी तीन चौथाई पहले और वन फोर्थ बाद में दिया जाता है इसलिए जैसे-जैसे वह अपना निर्माण करते जाते हैं वैसे-वैसे उनके पास धन जाता रहता है। धन का कोई अभाव नहीं है। इसमें जो भी लाभार्थी आते हैं परीक्षण वह किसी भी सरकारी आवासीय सुविधा से अगर लाभ नहीं पाये हैं यानी इंदिरा आवास, लोहिया आवास, प्रधानमंत्री आसास, मुख्य मंत्री आवास आदि योजनाओं से आच्छादित नहीं है तो ऐसे पंजीकृत श्रमिकों में जितने भी लाभार्थी आते हैं हम सभी पात्र अभ्यर्थियों को निर्माण के लिए पैसा देते हैं। मैंने इसमें एक व्यवस्था और कर दी है कि अभी तक हम लोग केवल एक लाभ देते थे इसमें पिछले महीने हमारे बोर्ड की जो बैठक हुई थी उसमें मैंने निर्देश दिया था कि एक लाख में आवास बनना पर्याप्त नहीं है इसलिए अब माननीय प्रधानमंत्री आवास के समतुल्य धनराशि देने का निर्णय कर लिया है। अतः आप लोगों की जो मंशा है उसके अनुसार सरकार काम कर रही है। (सत्ता पक्ष द्वारा मेजें थपथपाई गयी।)

श्री अध्यक्ष-

अब तो उत्तर आ गया है।

प्रदेश की जेलों में कैदियों की परिजनों से बिना जाली मुलाकात की व्यवस्था कराये जाने विषयक

***4-श्री राकेश प्रताप सिंह-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कारागारों की कुल कितनी संख्या है ? क्या यह सही है कि इन जेलों में परिजनों की बन्दियों से मुलाकात जाली युक्त स्थान से कराई जाती है ? क्या सरकार इस जालीयुक्त मुलाकात की व्यवस्था को समाप्त कर बिना जाली आमने-सामने मुलाकात कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल 72 कारागारें क्रियाशील हैं।

प्रदेश की सभी कारागारों में परिजनों की बन्दियों से मुलाकात जाली युक्त स्थान से नहीं कराई जाती है।

वर्तमान में प्रदेश की 23 कारागारों[†] में बन्दियों की परिजनों से मुलाकात कराये जाने हेतु जाली युक्त मुलाकात घर स्थापित हैं।

जी नहीं।

[†] देखिये नत्थी (क) आगे पृष्ठ संख्या 302 पर।

जाली युक्त मुलाकात घर की व्यवस्था कारागारों एवं कारागारों में निरुद्ध बन्दियों की सुरक्षा तथा निषिद्ध वस्तुओं के कारागार में प्रवेश पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से की गई है।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, यह अंग्रेजों का बनाया कानून है और उसी पर हम चले आ रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश में 72 जेले हैं और 49 जेलों में जाली से मुलाकात नहीं करवाई जा रही है। यह व्यवस्था कैदियों के लिए हो तब भी ठीक है कि उन्होंने बड़ा अपराध किया है और उनको सजा हो गयी है, उनको जाली द्वारा मिलने दिया जाए या देशद्रोहियों हो तब भी ठीक है। छोटी-छोटी धाराओं में आदमी जेल चला जाता है और उनके परिवार के बच्चे या लोग मिलने जाते हैं तो उनको जाली से मुलाकात कराई जाती है। यह कतई सही नहीं है। कई बार इसमें मानवाधिकार में भी कहा गया है कि यह व्यवस्था ठीक नहीं है। जाली को हटवाया जाए। इस सदन में भी यह बात कई बार आई है कि जाली को हटवाया जाए। पिछली सरकार में मुझे याद है कि आखिरी में कहा गया था कि सभी जेलों की जालियों हटवा दी जाएंगी और जाली से मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। हम इसमें माननीय मंत्री जी से केवल इतना जानना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी 23 जेले हैं जिसमें बंदियों से इतना खतरा है और कौन सी ऐसी 49 जेले हैं जिनमें खतरा नहीं है तथा उनकी जालियां हटवा दी गयी हैं। इसको स्पष्ट कर दिया जाए। तभी तो क्लियर होगा कि इन जेलों में कौन-कौन से लोग बन्द हैं ?

श्री अध्यक्ष-

क्या आप इसकी लम्बी सूची सुनेंगे ? हम कह रहे हैं कि आप माननीय मंत्री जी से कारण पूछ लीजिए कि जाली से मुलाकात क्यों कराते हैं और क्यों नहीं कराते हैं ?

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, तभी तो क्लियर होगा कि उन जेलों में किस स्तर के बन्दी बन्द हैं और वहाँ जाली से मुलाकात नहीं होती है। किन जेलों में साधारण बन्दी बन्द हैं और वहाँ जाली से मुलाकात कराई जाती है ?

श्री अध्यक्ष-

आप कारण पूछ लीजिए।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

यह तो होना चाहिए। हमको जहाँ तक मालूम है कि यह व्यवस्था सेंट्रल जेलों में तो भी ठीक है कि वहाँ कैदी रहते हैं, लेकिन जो जिला जेल हैं जहाँ मुचलके के बन्दी रहते हैं। वह जाते हैं दूसरे दिन जमानत कराकर तीसरे दिन छोटी-छोटी धाराओं में चले आते हैं। मुचलके के बंदियों को जाली से मुलाकात कराई जाए और अंग्रेजों ने अपनी जेलों को थ्री-स्टार, फाईव-स्टार होटलों में तब्दील कर लिया है तथा हमारे यहाँ ऐसा कानून बना गये हैं जिससे हम ऊपर नहीं

उठना चाहते हैं और प्रयास भी नहीं करते हैं तो 49 ऐसी कौन सी जेलें जिसमें हमने जालियां हटवा दी हैं और उनसे लोगों को भय नहीं है ?

श्री अध्यक्ष-

आप माननीय मंत्री जी से इसका कारण पूछिए जेलों की सूची में सदन का समय चला जाएगा।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, मैं यही तो कह रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आप क्या चाहते हैं कि पूरे सदन का समय चला जाए ?

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सदन अच्छे से संचालित हो। सदन 90 दिन नहीं 180 दिन चले हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे और आप जैसे योग्य-सुयोग्य अध्यक्ष जी का संरक्षण भी हमको प्राप्त होता रहे। यह सदन 180 दिन चले मैं इसमें बिलकुल बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहता। लेकिन हमें इसमें स्पष्ट कर दें। बीच-बीच कभी इसमें मानवाधिकार भी हस्तक्षेप करता है और कई बार यह प्रस्ताव आया है कि जेल मेनुअल को संशोधित किया जायेगा। जिस तरह से 49 जेलों की जालियों को हटाकर कैदियों और परिजनों की आमने-सामने मुलाकात करवाते हैं आने वाले समय में जिन 23 जेलों में जाली से मुलाकात होती है क्या उनमें भी बंदियों की मुलाकात बिना जाली के करवाने का प्रबंध करेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने पूछा कि कौन सी 23 जेले हैं। हम बताये देते हैं। यह जेले हैं-केन्द्रीय कारागार बरेली, नैनी प्रयागराज, वाराणसी, मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, कासगंज, गौतमबुद्ध नगर, बागपत, कानपुर नगर, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर, जिला कारागार मुजफ्फरनगर, महराजगंज, आजमगढ़, मऊ, सिद्धार्थनगर, गाजियाबाद, कौशाम्बी, चित्रकूट, सोनभद्र, लखनऊ और कन्नौज। मान्यवर, यह सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और इस प्रकार के माडल को तिहाड़ जेल माडल बोला जाता है। मान्यवर, जब सन्, 2000 से यह प्रक्रिया शुरू हुयी। उसके पहले कई बार ऐसा हुआ कि बन्दी से मुलाकात करने गये और मुलाकाती के साथ वह भी निकल लिये। मान्यवर, जब कोई ऐसा कड़ा कानून बनता है तो उसके पीछे कोई ठोस वजह होती है। नहीं तो यह जाली में पैसे खर्च होते हैं। समय भी लगता है और उसके लिए स्थान भी चाहिए। मान्यवर, ऐसी मुलाकातों में कोई खतरा नहीं होता। और फिर मुलाकात तो मुलाकात है बातचीत तो मुँह से होती है। और मैं समझता हूँ कि सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है इसलिए यह व्यवस्था लागू की गयी। उत्तर प्रदेश में जो चार कारागार बन रही हैं। जिला कारागार प्रयागराज, श्रावस्ती, संत कबीर नगर और इटावा। इसमें भी यही व्यवस्था की

गयी है जो चली आ रही है। और सरकार का कोई इरादा नही है कि हम उस जाली को समाप्त करें। क्योंकि इस प्रकार की आवश्यकता नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है इसलिए इसको किया गया है। इसमें परिवर्तन होने की संभावना नहीं है और न आवश्यकता है।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने 23 जेलों का जो उल्लेख किया। इनमें कई सेन्ट्रल जेल हैं और कई जिला जेल हैं। फतेहगढ़ जैसी जेल में जहाँ बड़े कैदी, अपराधी बन्द किये जाते हैं वहाँ जाली से मुलाकात नहीं होती। अगर 23 जेलों में खतरा है तो क्या उन 49 जेलों में भी जाली लगाकर मुलाकात करवाने की व्यवस्था करेंगे। खतरा तो वहाँ भी है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, आवश्यकता अविष्कार की जननी है। जहाँ जेलों में बनने के लिए स्थान भी चाहिए, उसके साथ धन भी चाहिए और जहाँ सुरक्षा की आवश्यकता महसूस होती है वहाँ तुरन्त बनवा दिया जाता है। इस बार चार की बजट में व्यवस्था की है। इन चार जेलों में जाली लगवाकर मुलाकात करवायेंगे। और यह सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। इसमें पूरी संवेदनशीलता बरती जाती है। मुलाकात बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में की जाती है।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, इनमें बिलकुल संवेदना नहीं है। बन्दियों के साथ मिलने उनके परिवार की महिलायें जाती हैं। बच्चे जाते हैं। सरकार इसमें बिलकुल संवेदनहीनता का परिचय दे रही है। सरकार भय का माहौल बनाना चाहती है।

***5-श्री विजय मिश्र-**

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

सौभाग्य योजनान्तर्गत 2019-20 में विद्युत कनेक्शन देने व विद्युत आपूर्ति किये जाने विषयक

***6-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सौभाग्य योजना के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में कितने लोगों को विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं ? क्या यह सही है कि उक्त योजना के अन्तर्गत स्वीकृत अधिकांश कनेक्शनों में विद्युत आपूर्ति नहीं की जा रही है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त योजना के सभी कनेक्शनों को विद्युत आपूर्ति करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हाँ।

प्रदेश में सौभाग्य योजना के अन्तर्गत 2019-20 में माह जनवरी, 2020 तक लगभग 5.77 लाख विद्युत संयोजन निर्गत किये गये हैं।

जी नहीं। अधिकांश संयोजनों पर विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

जी हाँ।

सौभाग्य योजना के अन्तर्गत निर्गत संयोजनों में विद्युत आपूर्ति निर्धारित रोस्टर के अनुसार की जा रही है। सौभाग्य योजना में निर्गत संयोजनों पर संज्ञानितक विद्युत शिकायतों का यथाशीघ्र निराकरण कराया जा रहा है। योजना में विद्युत संयोजनों पर मीटरों के ऊर्जीकरण आदि सम्बन्धी शिकायतों का निराकरण सतत् प्रक्रियाधीन कराया जा रहा है एवं इंगित कमियों में से लगभग 90 प्रतिशत कमियों का निराकरण कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री जवाहर लाल राजपूत-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं सदन को बताना चाह रहा हूँ कि वास्तव में जो मा0 योगी सरकार एवं मा0 मंत्री जी का प्रयास है उसका एहसास केवल सड़क, बिजली व पानी से हो रहा है, बहुत अच्छी बिजली मिल रही है। मैं 2-3 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। सौभाग्य योजना के अन्तर्गत वंचित मजरे पुरवा गांव में कब तक विद्युतीकरण हो जायेगा ? सौभाग्य योजना के अन्तर्गत जिनको बिजली कनेक्शन दे दिये गये हैं और उनके बिल संयोजन पोर्टल पर अपलोड भी कर दिये गये हैं, लेकिन विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है। क्या उनका कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा या बिल समाप्त कर दिया जाएगा या दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी या जो ठेकेदार या कम्पनी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ? जो किसान खेत, मन्दिर या कुएं पर बस गये हैं उनको भी इस योजना में लेंगे और सौभाग्य योजना कब तक चलेगी ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 योगी जी की सरकार में एक करोड़ 24 लाख 22 हजार लोगों को विद्युत संयोजन दिया गया है, कुछ एरिया रह गया था। इसलिए सौभाग्य-2 को एक्सटेण्ट किया गया है। जिन उपभोक्ताओं ने इच्छा प्रकट की थी कि हमें संयोजन चाहिए, उन सभी को संयोजन दे दिये गये हैं, जो पार्ट-2 चल रहा है, अभी ऐसे साढ़े तीन लाख कंज्यूमर हैं जिन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की है। उन सभी उपभोक्ताओं के घरों में 31 मार्च, 2020 तक विद्युत कनेक्शन दे दिये जाएंगे। जहाँ तक मा0 सदस्य जी ने पूछा है। अगर कहीं पर 10 संयोजनों की आवश्यकता है यानी कहीं पर 10 उपभोक्ता एक साथ बिजली लेना चाहते हैं तो हम लोग उनके घरों तक लाइन बिछाने का काम कर रहे हैं।

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने अपने जवाब में स्वीकार किया है कि जो प्रश्न था उसमें जो कमियां दर्शायी गयी हैं, हम उन कमियों को 90 प्रतिशत दूर कर चुके हैं यानी कमियां थीं। लेकिन अभी भी 10 प्रतिशत कमियां रह गयी हैं जिनको ठीक करना है। मा0 अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से सवाल है कि क्या जो 90 प्रतिशत कमियां थीं जिनको मा0 मंत्री जी ने ठीक किया है और 10 प्रतिशत कमियों को ठीक किया जाना बाकी है। जिन उपभोक्ताओं का बिजली का बिल आया है, तो क्या उनके बिलों को माफ करेंगे और सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे जिनको बिना कनेक्शन का बिल आया है ?

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी का सौभाग्य योजना को लेकर बहुत सतत प्रयास है। अभी मा0 मंत्री जी ने बताया है कि फेज-1 संतृप्त हो चुका है और बजट में पृष्ठ संख्या-19 पर स्पष्ट लिखा है कि सौभाग्य योजना एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश में एक करोड़ चौबीस लाख घरों में विद्युत संयोजन निर्गत कर समस्त 75 जिलों के लक्ष्य के अनुरूप निर्धारित समय में संतृप्त कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष-

आपका सवाल क्या है ?

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि इन्होंने एक तरफ कहा है कि सन्तृप्त कर दिया गया है और जो मा0 मंत्री जी का उत्तर आया है कि अभी कुछ पुरवे एवं मजरे बाकी रह गये हैं तो दो तरह के जवाब हैं। बजट भाषण में माननीय मंत्री जी ने अलग बात कही है।

श्री अध्यक्ष-

आप सवाल पूछिए।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

यही तो मूल सवाल है कि बजट भाषण में लिखा है कि संतृप्त हो गये और माननीय मंत्री जी सदन में बता रहे हैं कि अभी कुछ बाकी रहे गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिए, उत्तर देने दीजिए।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मैं माननीय मंत्री जी यह पूछना चाहती हूँ कि कितने मजरे बाकी रहे गये हैं और जो बाकी रह गये हैं वह कब तक पूरे हो जाएंगे।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी उत्तर देने के लिए खड़े तो हो गये हैं, आप प्रश्न रिपीट कर रही है।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

मान्यवर, जिन उपभोक्ताओं ने अपनी इच्छा प्रकट की थी, क्योंकि हम जबरदस्ती किसी के यहाँ कनेक्शन नहीं लगा सकते। जिन लोगों ने इच्छा प्रकट की, ऐसे 01 करोड़ 24 लाख 22 हजार उपभोक्ताओं को कनेक्शन दे दिया गया है। दूसरा, जो सौभाग्य-2 योजना चल रही है इसमें भी लगभग साढ़े तीन लाख ऐसे कंज्यूमर आए हैं, जिसने इच्छा प्रकट की है कि उनको भी कनेक्शन चाहिए। उनको भी कनेक्शन देने की प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी कर ली जाएगी।

मा0 सदस्य बहुत अनुभवी है और मा0 अध्यक्ष जी, कनेक्शन देने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है।

श्री अध्यक्ष-

हाँ, यह कॉन्टीन्यूअस प्रॉसेस है।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी मान्यवर, कॉन्टीन्यूस प्रॉसेस है। दूसरा, माननीय सदस्य ने एक सवाल पूछा है जहाँ पर मीटर तो लग गया है कि लेकिन तार नहीं पहुंचा है, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि उनको जो बिजली के बिल निर्गत किये गये थे उन सबको निरस्त करते हुए जिस दिन से उनके घर में बिजली का करंट आएगा, उस दिन से ही उनका बिल लिया जाएगा। (सभी मा0 सदस्यों ने मेजे थपथपाई)

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इसके लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा।

श्री पूरन प्रकाश-

माननीय अध्यक्ष जी, गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, जल निगम की पेयजल की टंकियों से पेयजल सप्लाई होता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाह रहा हूँ कि सरकारी विभाग सरकारी है, पेयजल....

श्री अध्यक्ष-

यह सवाल तो बिजली का है।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, मैं वहीं पर आ रहा हूँ, पेयजल नहीं, इसी बिजली से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष-

बिजली का इससे क्या लेना-देना है।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, बिजली के बिल जमा न होने के कारण विद्युत काट दी गयी है, इससे जनपद मथुरा के अन्तर्गत आने वाले गांवों में पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है, बिजली के बिल का भुगतान चाहे जल निगम करे या प्रधान करे लेकिन जनता इस समस्या से काफी पीड़ित है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आपका विषय आ गया है, आप बैठिए। आप दोनों एक ही जिले क्षेत्र के हैं।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि बिजली कनेक्शन चालू कर दिये जाएं ताकि पेयजल मिल सके।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, बैठिये। आपकी बात आ गयी है, हम अगला प्रश्न लेते हैं।

पंजीकृत बेरोजगारों को भत्ता देने, रोजगार मेलों का आयोजन करने व श्रम विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्ति करने सम्बन्धी

***7-हाजी इरफान सोलंकी-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में श्रम विभाग में पंजीकृत बेरोजगारों को रोजगार मिलने तक बेरोजगारी भत्ता देने, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में रोजगार मेलों का आयोजन करने तथा श्रम विभाग में रिक्त समस्त पदों पर नियुक्ति करने की कोई योजना सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

सेवायोजन विभाग द्वारा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्त देने की कोई नीति प्रस्तावित नहीं है। सेवायोजन विभाग के अधीन संचालित प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार मेलों का आयोजन कर बेरोजगारों को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान किये जा रहे हैं।

वर्ष 2017-18, वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 में 12 फरवरी, 2020 तक क्रमशः 633, 685 एवं 641 रोजगार मेले आयोजित किये गये, जिसके माध्यम से क्रमशः 63152, 103202 एवं 115387 बेरोजगार अभ्यर्थी रोजगार हेतु चयनित हुए।

विभिन्न राजकीय विभागों में नियमित रिक्तियों की भर्ती का कार्य तद्प्रयोजन हेतु गठित चयन/भर्ती आयोग के माध्यम से किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री हाजी इरफान सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं मा0 मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ।

श्री अध्यक्ष-

तो फिर क्या किया जाये ?

श्री हाजी इरफान सोलंकी-

मान्यवर, इन्होंने जो आंकड़े दिये हैं, उस आंकड़े के विपरीत पूरा ब्यौरा मेरे पास है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी कोई बात हो तो पूछ लीजिए।

श्री हाजी इरफान सोलंकी-

02 लाख 81 हजार बेरोजगारों को रोजगार मेले के माध्यम से जो आपने चयन किया है क्या इनमें से किसी भी व्यक्ति को अब तक नौकरी मिली है ? आपने चिन्हित कर लिया, लेकिन उनको कहाँ-कहाँ पर रोजगार मिला है, क्या वह सब रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हैं ?

मान्यवर, मेरा दूसरा सवाल है, रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगारों को पंजीकृत कराने के लिए आपने कौन-कौन से इम्पार्टेन्ट डाकूमेन्ट्स मांगे हैं और आपने उनका मिनिमम कितना डेली भत्ता रखा है कि उन लोगों को मिनिमम इतनी सैलरी हम देंगे और दूसरा-श्रम विभाग में रिक्त पदों के बारे में जो है, आपके जो पद खाली हैं, उनको भरने के सम्बन्ध में क्या कोई डिटेल मंत्री जी के पास है ? उसे भी बताने की मंत्री जी कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

बहुत अच्छा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, सेवायोजन विभाग लगातार उत्तर प्रदेश में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलाने की दिशा में बहुत ही सक्रियता से लगा हुआ है और उसी का नतीजा है कि पूर्ववर्ती सरकार के 05 साल के कार्यकाल में जहाँ 01 लाख 80 हजार लोगों को रोजगार मिला था। अभी 03 साल भी नहीं पूरे हुए, यह आंकड़ा जब मैंने दिया था तो उस समय तक 02 लाख 81 हजार 741 यानी 03 साल पूरा होने के पहले-पहले था। यह आंकड़ा 12 तारीख का था लेकिन आज इस आंकड़े में हम पहुंच गए हैं, 02 लाख 93 हजार 741, यानी इस स्पीड में लगातार बढ़ रहे हैं और इसके साथ ही साथ, मान्यवर, जहाँ तक रही बात पंजीयन की, हमारा सेवायोजन वेब पोर्टल बना हुआ है, उस पर ऑन लाइन पंजीयन की सुविधा है और अब तो आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूरे सदन और सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को इस बात की जानकारी देना चाहता हूँ कि अब तो माननीय मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर जो पूर्व में विभिन्न सरकारी विभागों में संविदा पर हो रही भर्तियां, जिसमें निजी कम्पनियां बड़े पैमाने पर आउट सोर्सिंग के नाम पर बेरोजगार नौजवानों का दोहन करती थी, मन चाहे तरीके से जब चाहती थीं, रखती थीं, जब चाहती थी, निकाल देती थी और रखने के बावजूद भी 5-5, 6-6, 7-7 महीना उनको वेतन नहीं देती थी। यहाँ तक कि उनके पी0एफ0 का पूरा पैसा हजम कर जाती थी। हमने जब इन नौजवानों की पीड़ा को माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने अपनी कैबिनेट में प्रस्तुत किया तो तत्काल बिना विलम्ब किए हुए, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कार्मिक को निर्देश दिया, चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिया कि तत्काल इस पर कार्य-योजना तैयार करिए और सेवायोजन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करायी और मान्यवर, बैठक का प्रस्ताव भी आ गया। अब आउट सोर्सिंग कम्पनियों के माध्यम से मनमाने तरीके से सरकारी विभागों में भी संविदा पर भर्तियां नहीं होंगी, बल्कि जैम पोर्टल पर पंजीकृत कम्पनियों के माध्यम से अब सेवायोजन के द्वारा दिए गए जो वहाँ पर बेरोजगार नौजवानों की सूची होगी, उसी पैनल से उनको नौकरी देना होगा और साथ ही साथ अब जैम पोर्टल से पंजीकृत होने का फायदा यह मिलेगा कि उनकी वेबसाइट पर, किनको रखा जा रहा है, उनका वेतन हर महीना दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, उनके पी0एफ0 का पैसा उनके खाते में जा रहा है या नहीं जा रहा है, यह सब मन्थ टू मन्थ सेवायोजन वेब

पोर्टल पर आता रहेगा, जो सबसे बड़ा अब तक का ऐतिहासिक फैसला योगी सरकार का है और नौजवानों को शोषण से मुक्त कराने का, साथ ही साथ पारदर्शिता से लोगों को सेवायोजित कराने का। इसके साथ ही साथ जैसा कि मैंने पूर्व में भी इसी सदन के माध्यम से सन्देश दिया था, अब तक योगी जी की सरकार जब से बनी है, विभिन्न विभागों में और विभिन्न विभागों में संविदा पर रखे गए कर्मियों को, सेवायोजन के आंकड़े को, आई0टी0आई0 और कौशल विकास के आंकड़े को जोड़ लिया जाए तो हम 12 लाख से ज्यादा लोगों को सेवायोजित कर चुके हैं और साथ ही साथ जिनको हम सेवायोजित कर रहे हैं, भिन्न-भिन्न कम्पनियां मौके पर चयन करने के लिए आती हैं और उनको ले जाकर अपने वहाँ सेवायोजित भी करती हैं और उसकी सूचना हमारे सेवायोजन कार्यालय को देती भी हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब हम अगला प्रश्न लेते हैं।

श्री हाजी इरफान सोलंकी-

अध्यक्ष जी, आप यह गलत कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

हमसे गलती हो जाए तो माफ करना।

श्री हाजी इरफान सोलंकी-

अध्यक्ष जी, ये उत्तर देने के बजाए भाषण दे रहे हैं। माना कि मंत्री जी की आवाज तेज है और ये तेज आवाज में सब कुछ बता सकते हैं, पर इन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। यह भाषण का समय नहीं है। यह कोई चुनाव का भाषण नहीं चल रहा है। बात यह हो रही है कि जो पद खाली हैं, वे कब तक भरे जाएंगे ? इन्होंने कहा है कि हम उनका पैसा भेज देंगे जिनका पैसा नहीं पहुंचा है तो उनकी कितनी सूचना इनके पास मौजूद है लेकिन ये तो भाषण दे रहे हैं। आवाज तेज है तो ये कुछ भी कह लेंगे। पर सच्चाई कहाँ आई, सच्चाई तो अखबारों में रह गई, पेपरों में रह गई।

श्री अध्यक्ष-

आप भी तो युवा हैं, आप भी तेज बोल रहे हैं।

श्री हाजी इरफान सोलंकी-

अध्यक्ष जी, हम तेज बोलेंगे तो फिर उधर से भी लोग तेज बोलेंगे तो आप कहेंगे कि यह क्या हो रहा है ? अध्यक्ष जी, आप मेरा जवाब दिलवाइए। यह बेरोजगारी का मसला है, नौजवान सड़कों पर है और ऐसी लच्छेदार बातों से काम नहीं चलेगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब आपकी बात आ गई।

श्री हाजी इरफान सोलंकी-

लेकिन जवाब तो दिलवाइए।

श्री अध्यक्ष-

लेकिन अबकी बार अगर ये ज्यादा जोर से बोलें तो नाराज न होना।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य इस सदन में कई बार निर्वाचित होकर आ चुके हैं, अब अगर ये जानबूझकर अज्ञानी बन रहे हैं तो उसका हमारे पास इलाज नहीं है। मान्यवर, जैसा कि श्रम विभाग के जितने भी खाली पद होते हैं तो उनके अधियाचन लोक सेवा आयोग में जाते हैं। लोक सेवा आयोग में अधियाचन जाते हैं और लोक सेवा आयोग उन पदों की भर्ती समय-समय पर करता है। लोक सेवा आयोग वह भर्ती करके समय-समय पर अधियाचन के क्रम में नियुक्ति करके हमारे विभाग में भेजता भी रहता है और यह समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है कि हम भ्रष्टाचार में डूबकर मनमाने तरीके से भर्ती कर लेंगे बल्कि जो विधिक प्रक्रिया है, हम उस विधिक प्रक्रिया का अनुपालन करते हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, मौर्य जी बड़े वरिष्ठ सदस्य भी हैं और मंत्री भी रहे हैं। इनकी इच्छा हमेशा इधर रहने की रहती है। ये एक क्वेश्चन पर इतना लम्बा भाषण देते हैं तो उनकी इच्छा इधर रहने की है, इसलिए उनकी यह इच्छा पूरी होगी। जहाँ तक इन्होंने कहा कि पिछली सरकार में ऐसा हुआ तो पिछली सरकारों में ये भी मंत्री रहे हैं। हमारी सरकार में नहीं रहे तो वर्मा जी की सरकार में रहे हैं। लेकिन ये चोला बदलने वाले लोग अगर किसी पार्टी को कहें कि उसमें यह भ्रष्टाचार था, उसमें वह भ्रष्टाचार था तो भ्रष्टाचारी स्वयं वह है जो हमेशा अपने चित्र के विपरीत पार्टियां बदलता रहता है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, नेता विरोधी दल को शायद इस बात का ज्ञान नहीं है कि पूर्व की सरकार में मैं मंत्री नहीं था, नेता विरोधी दल था। उस भ्रष्टाचारी सरकार में मैं कभी नहीं था। मा0 अध्यक्ष महोदय, आपके ज्ञानवर्धन के लिए मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि मैं जब भी, जिस विभाग में भी मंत्री था तो मैंने पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम किया। मुझे जो भी विभाग दिया गया, मैंने उसका काम किया। यही कारण है कि आज 22 साल से लगातार जनप्रतिनिधि रहकर, इस सदन में आने के बावजूद भी चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे प्रदेश की जनता हो या कोई विरोधी पार्टी हो, आज तक मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सका है। यह है पारदर्शिता, यह है ईमानदारी से काम करने का परिणाम।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, यही बात मैं भी कह रहा हूँ कि चोर को केवल चोर दिखाई देता है। ईमानदार को ईमानदार दिखाई देता है। अगर ये ईमानदार रहते तो हम लोग इनको ईमानदार दिखाई देते। मा0 अध्यक्ष जी, 05 साल मा0 अखिलेश यादव ने सरकार चलाई जिसमें मा0 मौर्य जी, नेता विरोधी दल थे और यहाँ बैठते थे। तब न मौर्य जी खुद, न विधान सभा का कोई सदस्य, न कोई पत्रकार, न कोई अखबार, न कोई चैनल किसी ने इस बात को उजागर नहीं किया कि अखिलेश यादव की सरकार में अमुक घोटाला हुआ।

(कतिपय मा0 सदस्यों द्वारा बीच में टोकाटाकी करने पर)

भुनभुनाने की बात अलग है। मैंने क्या कहा और क्या आप सुन रहे हैं ? मैंने कहा कि किसी अखबार, कोई पत्रिका, कोई चैनल ने इस तरह की न्यूज प्रसारित नहीं की उसकी मिसाल बहुत कम है। सभी जाति-पाति धर्म के उत्थान के लिए अखिलेश यादव की सरकार ने काम किया जो काम उन्होंने किया उसी का अब तक ये फीता काट रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी ईमानदारों की पार्टी है आचार्य नरेन्द्र देव, डा0 राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, चन्द्रशेखर, राज नारायण जी, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है जो ईमानदारी से काम करती है आप वरिष्ठ नेता है हल्के से किसी बात को नहीं कहना चाहिये। आप हमारे मित्र हैं समाजवादी पार्टी ने ईमानदारी से सरकार चलाई है, आगे भी मौका मिलेगा तो ईमानदारी से सरकार चलाएंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, 15 मार्च, 2012 को यह सरकार बनी। भ्रष्टाचार से ज्यादा बड़ा आरोप आतंकवादियों को छुड़ाने का है और 28 मार्च, 2012 को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के द्वारा सारे जिलों में कलेक्टर के यहाँ यह पैगाम भेजा गया कि आपके यहाँ जो आतंकवादी मुकदमें हों उनको वापस करने की रिपोर्ट भेज दें। ये ज्यादा बड़ा है आतंकवाद के गम्भीर मामले हैं और जब यह मामला मान्यवर, हाइकोर्ट में पहुंचा तो हाइकोर्ट ने यह टिप्पणी की कि आज इनके खिलाफ मुकदमें वापस कर लो और कल इनको पद्म श्री सम्मान से सम्मानित कर देना। मान्यवर, यह आपकी सरकार का कारनामा है। दूसरी बात मान्यवर, लोक सेवा आयोग जो भ्रष्टाचार की जननी थी। भ्रष्टाचार की जननी लोक सेवा आयोग बन गया था, कितना बड़ा हाईकोर्ट ने स्ट्रेक्चर पास किया। मान्यवर, ये हमें कहलवाने के लिए मजबूर करते हैं। सवाल यह है कि मौर्या जी ने जवाब दिया, मौर्या जी ने किसी को इंगित नहीं किया। किसी को भी मौर्या जी ने इंगित नहीं किया और आप बकायदा उनको इंगित कर रहे थे कि चोर सबको चोर कहते हैं। आप इस तरह की भाषा प्रयोग कर रहे हैं। आप एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुये हैं आप ये

शब्द कैसे कह सकते हैं कि चोर सबको चोर दिखायी पड़ता है। मान्यवर, यह भाषा आपत्तिजनक है, इसको कार्यवाही से निकला जाना चाहिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, बात भ्रष्टाचार की हो रही है और ये बात आतंकवादी पर ले आये। मैं कह रहा हूँ कि आप आतंकवादी हो तो क्या आपके कहने से कोई आतंकवादी हो जायेगा। आपके कहने से कोई आतंकवादी हो जायेगा तो मैं कह रहा हूँ कि आप आतंकवादी हो।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

हम तो आपके बयान की भर्त्सना करते हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आप क्या करते हो वह दिल्ली में दिखाई दे दिया है, आप आतंकवादी हो जो हर जगह आपने तोड़-फोड़ किया। क्या आप जिसको आतंकवादी कहेंगे वही आतंकवादी हो जायेगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी दो वर्ष में एक दर्जन घोटाले इस सरकार ने किये हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने पूरे प्रदेश का माहौल खराब किया है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल आप बैठिये। कृपया आप लोग बैठ जाइये। आप सब बैठिये। अब हम अगला प्रश्न ले लें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, हम लोगों को सुन लीजिये। ऐसा नहीं है, विपक्ष कमजोर नहीं है। विपक्ष ईमानदार है विपक्ष का चाल-चलन ईमानदार है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, इनको अपने अशोभनीय आचरण के लिए सदन के अन्दर, सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी चाहिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, माफी तो इनको मांगनी चाहिये ये पूर्ववर्ती सरकार को भ्रष्ट कह रहे हैं। माफी इनको मांगनी चाहिए जो पूर्ववर्ती सरकार को भ्रष्ट और बेईमान कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप लोग बैठ जाइये। वरिष्ठ नेताओं द्वारा एक दूसरे पर इस तरह के आरोप-प्रत्यारोप ठीक नहीं होते। नीचे के स्तर पर इस समय उत्तर प्रदेश की आदरणीय जनता हमको देख रही है और यह भी सुन रही होगी कि कैसे-कैसे हम लोग लड़ाई कर रहे हैं तो इसका असर अच्छा नहीं जाता और फिर पूरे राजनैतिक गणतंत्र पर जनता का एक ऐसा जैसा रवैया बनता है कि सब इसी तरह लड़ाई करते हैं। यदि आप अनुमति दे तो मैं अगला प्रश्न ले लूं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ अपने-अपने स्थान से बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, नेता विरोधी दल भूल गये कि यह चन्द्रशेखर का साथ छोड़कर मुलायम सिंह जी के साथ आए थे। आप भी पार्टी बदले थे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

ना, ना ।

श्री अध्यक्ष-

मौर्या जी, बैठिए, यह डिबेट की बात नहीं होगी, आप बैठिए। अब वो मान गये थे लेकिन आप नहीं मान रहे हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

चन्द्रशेखर जी के कहने से आए थे। चन्द्रशेखर जी ने खुद बयान दिया कि राम गोविन्द चौधरी अब हम बूढ़े हो गये हैं, बीमार हो गये हैं आप समाजवादी पार्टी में जाइए।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, यह देश आजाद है सबको स्वतंत्रता है कि कौन किस दल में रहे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

यह नहीं कि जो पार्टी चार पार्टी बार मंत्री बनाया हूँ, तीन बार विरोधी दल का नेता बनाया हूँ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय वर्मा जी, कुछ कह रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह प्रश्न प्रहर है हम सवाल-जवाब करते हैं और हमारे नियमों में भी आरोप लगाने की एक प्रक्रिया है। अब माननीय मंत्री जी या कोई भी सदस्य खड़ा हो जाता है

तो किसी दूसरे विपक्ष के साथियों पर इस तरह से बात करना उचित नहीं है। मान्यवर, हमारा निवेदन है कि इसको यहीं पटाक्षेप करें और अगला प्रश्न ले लें।

जेल में बन्द कैदियों हेतु स्किल डेवलपमेन्ट व कारागारों में स्थापित उद्योगों से रेवेन्यू की जानकारी

***8-श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जेलों में बन्द कैदियों की स्किल डेवलपमेन्ट, उच्च शिक्षा और शोधकार्य की कोई योजना सरकार की है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जेल कैदियों द्वारा बनाये गये उत्पाद से कितना रेवन्यू जनरेट हुआ और इस रेवेन्यू का क्या उपयोग हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदेश की कारागारों में स्थापित उद्योगों से उत्पादित सामग्री से रु0 11,52,539.00 का रेवेन्यू जनरेट हुआ, जिसे सम्बन्धित कारागारों द्वारा राजकोष में जमा कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी मेरे इस सवाल के तीन अनुपूरक है। मेरे बारे में मशहूर है कि मैं बैकग्राउण्ड ज्यादा बनाता हूँ तो मैं बैकग्राउण्ड नहीं बनाऊंगा। मैं आपसे सिम्पल डायरेक्ट 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला, यह जरूरी नहीं है कि जेल में जितने लोग जाएं वह कम आइक्यू के हों या कम एजूकेटेड हों तो जो लोगों में संभावनाएं हैं, जैसे किसी को मैथ्स का हुनर हो या कोई साइन्स में काफी क्वालिफाइड हो तो उनको हायर एजुकेशन परस्यू करने का और यहाँ तक कि पी0एच0डी0 और रिसर्च करने के क्या विकल्प हम लोग क्रियेट कर सकते हैं जिससे कि वह लोग भी और इन्टलेक्चुअल प्रापर्टी जेनरेट कर सके। इसमें भी क्या सरकार इसमें प्रावधान बनाने का काम करेगी कि अगर वह लोग कुछ अविष्कार लैब में करते हैं, जैसे हो सकता है कि वहाँ पर कोरोना वायरस की ही रिसर्च हो जाये तो पेटेण्ट भी प्राप्त कर सकें। दूसरा, जैसे यहाँ पर 4 जी जैमर्स लगे हुए हैं और सारे फोन बन्द हो जाते हैं परंतु जेल में अभी भी कैदी लोग 4 जी फोन से बात कर रहे हैं और क्राइम भी हो रहे हैं तो क्या एडवांस जैमर सारी जेलों में लगाये जाएंगे जिससे कैदी जेल के बाहर बिल्कुल बात करना बन्द कर दे। मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि अर्न्तराष्ट्रीय नार्म यह होता है कि जब कैदी अपने घर के लोगों से मिलते हैं तो वह एक ग्लास वॉल के थ्रू मिलते हैं और फोन से बात करते हैं जिससे कि वह किसी गलत मामले की चिट एक-दूसरे को पास न कर दें या कोई जहर न पास कर दें तो इसलिए ग्लास वॉल के थ्रू

मिलते हैं और फोन के थ्रू एक-दूसरे से बात करते हैं। क्या यह नार्म यहाँ की जेलों में किसी तरह का गलत काम न हो। यह भी इन्सीडेन्ट आया है कि छुरा दे दिया।

श्री अध्यक्ष-

बाजपेयी जी, आप बैठिए।

श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

और छुरे से मार दिया गया इसलिए इस तरह की घटना न घटे। यह तीन सवाल के जवाब दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

बाजपेयी जी, आपका मूल सवाल यह नहीं है।

कारागार एवं लोक सेवा प्रबन्धन राज्य मंत्री (श्री जय कुमार सिंह 'जैकी')-

माननीय अध्यक्ष जी ।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिए।

श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी जवाब देना चाह रहे हैं, तो आप उनसे जवाब दिलवा दीजिए ।

श्री अध्यक्ष-

लेकिन यह आपके मूल प्रश्न से संगत नहीं है, आप अपना सवाल देखिए आप तो बहुत शिक्षित हैं।

श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

मान्यवर, यह संगत ही है, मेरा प्रश्न जेल से ही सम्बन्धित है। जो वहाँ की कार्यप्रणाली है उसी से संगत है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, आपका पहला सवाल शोधकार्य का है और दूसरा जो कैदी माल तैयार करते हैं उससे कितना रेवन्यू आया है। यह दो मूल सवाल है इसका इससे क्या सम्बन्ध है जो आपने बाद में पूछा है ?

श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

मान्यवर, उच्च शिक्षा और शोधकार्य से सम्बन्धित मेरा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

उच्च शिक्षा और शोध का सवाल आपका है कि कैसे यह कर रहे हैं और क्या इसे करायेंगे ? दूसरा आपका प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ है कि जो उत्पाद वहाँ पैदा होते हैं उससे कितना रेवन्यू आता है। यह दो मूल प्रश्न आपके हैं।

श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

जी मान्यवर, और उसमें अनुपूरक पूछा है। यह बहुत सिम्पल सी जैमर लगाने की और ग्लास वॉल्स लगाने की बात पूछी है।

श्री अध्यक्ष-

इसका उससे क्या सम्बन्ध है ?

श्री जय कुमार सिंह (जैकी)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य के प्रश्न का जवाब दे देता हूँ। इनका पहला सवाल शोध से सम्बन्धित है, उसके लिए हमारे यहाँ व्यवस्था है कि जितने जेल में बन्दी रहते हैं, अगर वह अपना आवेदन करते हैं तो इस तरीके के आवेदन की हमारे पास सूची है, जैसे कक्षा-5 से लेकर कक्षा-8 तक की शिक्षा लेने के लिए वर्ष 2018-19 में 1081 बच्चों ने आवेदन किया जिसमें से 1050 बच्चे उत्तीर्ण हुए। हमारे यहाँ टोटल 1673 बच्चे पंजीकृत हैं, जिनका अभी परीक्षाफल नहीं आया है। जितने बच्चों ने जिस तरीके की शिक्षा के लिए आवेदन किया है उसकी सूची मेरे पास है, माननीय सदस्य अगर कहेंगे तो वह सूची उन्हें उपलब्ध करा देंगे। शोध के लिए, आगे पी0एच0डी0 करने के लिए या किसी को कोई भी चीज करनी है तो इस तरह का हमारे यहाँ आवेदन किसी भी बन्दी ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, लेकिन अगर कोई बन्दी आवेदन करता है तो सरकार उस पर विचार करेगी और कोशिश भी करेगी। क्योंकि हम लोग शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं और लगातार हम लोग जेल विभाग में सुधार कर रहे हैं। इस तरीके का अगर किसी बन्दी के द्वारा आवेदन आयेगा तो हम उस पर जरूर विचार करेंगे और उसे प्रोत्साहित भी करेंगे। दूसरी चीज जैमर के बारे में है, जिस समय 2जी था हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की 24 जेलों में जैमर लगाये थे। लेकिन चूंकि लगातार 2जी के बाद 3जी आया, हमने उसे 3जी में अपडेट किया। यहाँ तक कि हम लोगों की जेल में जैमर निरन्तर चले, इसके लिए उनको सोलर से जोड़ा गया ताकि बिजली चली जाये तो कहीं कोई कठिनाई न हो। लेकिन इसके बाद 4जी आ गया, कल 5जी आ जायेगा। अपडेट करने में बहुत सारा पैसा लगता है। जब कोई व्यवस्था होती है तो कोशिश पूरी की जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं यह कह सकता हूँ कि 19 मार्च, 2017 से जब से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आयी तब से जेलों में सुधार के लिए हम लोग निरन्तर प्रयास कर रहे हैं। उस प्रयास का ही सार्थक नतीजा है कि आज लगातार सुधार हो रहा है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा समय था जब जेल को लोग अपनी राजनीति का अड्डा या तमाम सारी आपराधिक गतिविधियों का केन्द्र मानते थे। लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि जब कश्मीर के आतंकवादियों को कहीं भी देश में अगर शिफ्ट करना था तो उत्तर प्रदेश की जेलों को सुरक्षित समझा गया और उन्हें उत्तर प्रदेश की जेलों में शिफ्ट किया गया। निरन्तर हम लोग काम कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, ग्लास-वॉल का, अभी चौथे नम्बर पर प्रश्न था कि इसको हटा दिया

जाय। एक माननीय सदस्य बाजपेयी जी के द्वारा कहा गया कि ग्लास-वाल को और अच्छी तरीके से लगा दिया जाय। हम लोग उसके लिए निरन्तर प्रयासरत हैं। उत्तर प्रदेश में 49 जेलों में ग्लास-वॉल नहीं हैं, 23 जेलों में है। 49 जेलों में जो व्यवस्था नहीं है, उसके लिए बहुत सारे कारण भी हैं। कई जगहों पर हमारी जो पुरानी जेले हैं, उसमें जगह भी नहीं है। अगर मुलाकात के लिए हम जाली का सिस्टम लायेंगे तो उनसे मुलाकात के लिए हमारे पास वहाँ पर पर्याप्त जगह भी नहीं है। कुछ जेलों में जगह है, हम उत्तर प्रदेश की सभी जेलों को व्यवस्थित करने का प्रयास बजट के साथ निरन्तर करते रहेंगे।

(कुछ माननीय सदस्यों द्वारा अनुपूरक पूंछने का प्रयास किया गया)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जाईये। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं।

विद्युत लाइनों पर कार्यरत लाइनमेन्स के दुर्घटनाग्रस्त, मृत्यु, अपंग होने के प्रकरणों को रोकने व दोषियों को दण्डित किये जाने विषयक

*9-श्री नाहिद हसन-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत लाइनों पर कार्य करते समय लाइनमैन के दुर्घटनाग्रस्त, मृत्यु अथवा अपंग होने के कुल कितने प्रकरण वर्तमान वर्ष में सरकार के संज्ञान में आये है ? क्या सरकार ने ऐसे प्रकरणों को रोकने, प्रभावित को सहायता देने के लिये तथा दोषी को दण्डित करने हेतु कोई योजना बनाई है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

प्रदेश में विद्युत लाइनों पर कार्य करते समय लाइनमैन के दुर्घटनाग्रस्त होने अथवा अपंग होने के वर्तमान वर्ष में कुल 88 प्रकरण सरकार की संज्ञान में आये हैं।

जी हाँ।

(क) विद्युत दुर्घटनाओं के प्रकरणों को रोकने हेतु कारपोरेशन के आदेश संख्या-1790 सी0एम0यू0डी0/विद्युत सुरक्षा/2019, दिनांक 15-07-2019 द्वारा प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगमों को दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। (संलग्नक-1)†

(ख) कारपोरेशन के आदेश संख्या-2269-औ0स0/2017-19 (125)ए0एस0/01, दिनांक 01-05-2017 द्वारा प्रभावित को सहायता देने हेतु नीति निर्धारित की गई है। (संलग्नक-2)† †

† देखिये नत्थी (ख) आगे पृष्ठ 303-304 पर।

† † देखिये नत्थी (ग) आगे पृष्ठ 305-306 पर।

(ग) दोषी को दण्डित करने के सम्बन्ध में कारपोरेशन के आदेश संख्या-2445/औ0सं0/2015-08-एम0/92, दिनांक 15-07-2015 द्वारा प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगमों को निर्देशित किया गया है। (संलग्नक-3)†††

जी हां। प्रश्न नहीं उठता।

(श्री श्रीकान्त शर्मा, मा0 ऊर्जा मंत्री द्वारा उत्तर पढ़ा गया)

श्री नाहिद हसन-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि यह जो मैंने क्विशचन किया था, इसमें माननीय मंत्री जी ने 88 प्रकरण बताये हैं, जिसमें इस तरीके से लाइनमैन की मृत्यु हुई है। मेरा आपसे एक सवाल है, मैं सबसे पहले यह जानना चाहता हूँ कि जो आपने 88 प्रकरण बताये हैं, इसमें कितनों को दण्ड दिया गया है और इसमें कितनों को मुआवजा दिया गया है ? मुआवजे के लिए जो पांच लाख रुपये मिलते हैं, क्या उसको सरकार और बढ़ाने का काम करेगी और क्या इसके बारे में सोचने का काम करेगी ? माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे उपाय में भी कई सारी चीजें बताई हैं। उसमें मैं कहना चाहता हूँ कि दो तरीके से इस तरह की घटना होती हैं, एक तो बिजली-घर में कर्मचारियों की लापरवाही से, जो हमारे तार-खम्भों पर, जो लाइनमैन हैं या कांट्रेक्ट बेस पर जो कर्मचारी रखे हुए होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। अक्सर क्या होता है कि जैसे हमारे क्षेत्र में ज्यादातर गांव, देहात के हैं, हम लोगों को यह देखने को मिलता है कि जो संविदा या कांट्रेक्ट बेस पर जो ठेकेदार वहाँ पर काम करता है, तो शाम के टाइम इतनी लीनियन्सी बरत देते हैं कि आगे वह ठेकेदार जिस कर्मचारी को अप्वाइंट करता है, वह आगे एक और गांव के कोई चौकीदार वगैरह को पूरी बिजली घर की जिम्मेदार दे देते हैं। उसको यह नहीं मालूम कि शटडाउन कब लेना है ? कोई कर्मचारी ऊपर खड़ा है, तो इस तरीके की अनियमिततायें जानकारी न होने के कारण होती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इस तरीके के जो प्रकरण हमारे सामने आये हैं और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो लोग क्षेत्र में जाते होंगे, यह सभी की समस्या होगी। अगर इस तरीके की लापरवाही होती है तो उसकी जांच कराकर उसमें सुधार कीजिए और उसमें दण्डात्मक कार्रवाई भी कीजिए। दूसरा मैं यह कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

अब आप उत्तर देने दीजिए।

श्री नाहिद हसन-

मान्यवर, बस दो मिनट।

---

††† देखिये नत्थी (घ) आगे पृष्ठ 307 पर।

श्री अध्यक्ष-

आप सवाल करिये।

श्री नाहिद हसन-

अध्यक्ष जी, हम लोग कभी-कभी बोलते हैं, आपका संरक्षण चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

आपको मना नहीं कर रहे हैं, आप हमारी बात सुनिये।

(श्री नाहिद हसन द्वारा पुनः बोलने का प्रयास करने पर)

आप फिर नहीं सुन रहे हैं। आप हमारी बात सुनते क्यों नहीं हैं ? हम कह रहे हैं कि हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, नम्बर एक। आप कह रहे हैं कि आप कभी-कभी बोलते हैं। हम आपको मना नहीं कर रहे, हमने आपको प्रश्न पूछने के लिए अलाऊ किया है। आपने बहुत सुन्दर दो-तीन सवाल पूछे भी हैं, हम आपको कतई मना नहीं कर रहे हैं। जब हम आपको टोकते हैं, तो आप कहते हैं कि हमको मना कर रहे हैं। आप एक प्रश्न पूछिये, दो प्रश्न पूछिये, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप प्रश्न पूछिये।

श्री नाहिद हसन-

मान्यवर, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जो तार कमजोर हो जाते हैं, जर्जर तार हैं, वह कहीं न कहीं गिर जाते हैं, उसकी वजह से दुर्घटना हो जाती है, उसकी वजह से जानवर हुआ, छोटा बच्चा हुआ या कोई बड़े बुजुर्ग हुए, उनकी डेथ हो जाती है। तो क्या आप जर्जर तारों को पहले से एक डाटा बनाकर, एक क्राइटेरिया बनाकर कि वह कितने साल पुराने हैं, उनको पहले बदलवाने का क्या सरकार विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री नाहिद हसन-

मान्यवर, तीसरी चीज है, जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, 33 हजार और 11 हजार की लाइनें कई घरों के ऊपर से जा रही हैं, लेकिन वह बेचारे हैं और हम लोग खुद लाचार हैं कि उनको हटवा नहीं सकते। क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगे कि ऐसी 33 हजार और 11 हजार की जो लाइनें हैं, उनको हटवाने के लिए क्या सरकार अपने खर्चे से कोई एक्शन लेगी ?

श्री अध्यक्ष-

अब बैठिये, आपने बहुत अच्छा पूछा। आपने 5-7 सवाल पूछ लिये, अब आप बैठिये, अब हो गया।

श्री नाहिद हसन-

माननीय अध्यक्ष जी, एक चीज और कहना चाहता हूँ कि जिस गांव में बिजली घर लगा हुआ होता है, उस गांव की थोड़ी मोनोपॉली हो जाती है, वह आस-पास के गांवों में हावी हो जाते हैं। तो मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि इसमें भी थोड़ा सुधार करें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नोत्तरकाल में प्रश्न पूछे जाते हैं, आप बैठिये। अब माननीय ऊर्जा मंत्री जी।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों के सवालों में सुझाव भी हैं और उन सुझावों पर सरकार बहुत गम्भीरता से काम भी कर रही है। जहाँ तक पहले सवाल में माननीय सदस्य ने जिज्ञासा उत्पन्न की है, 88 ऐसे प्रकरण हैं जिनमें लगभग सभी प्रकरण संतृप्त कर दिये गये हैं, 19 प्रकरण अभी बाकी हैं जिनमें औपचारिकताएं पूरी होनी शेष हैं, बहुत जल्दी 31 मार्च तक उन प्रकरणों को भी सही कर दिया जायेगा। दूसरे माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है कि लापरवाही तो निश्चित रूप से लापरवाही कई जगह सामने आई है और काफी लोगों के खिलाफ हमने सख्त कार्रवाई भी की है। भविष्य में ऐसी लापरवाही न हो इसलिए हर उपकेन्द्र पर हमारे जो संविदाकर्मी भाई हैं उनकी ....

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, एक छोटा सा प्रश्न मेरा भी है।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

मान्यवर, आपने सवाल पूछ लिये हैं बहुत लम्बी लिस्ट है इसमें सवाल भी हैं, सुझाव भी हैं और फिर और कोई जिज्ञासा होगी तो उसका भी हम जवाब दे देंगे। तो पहला इन्होंने कहा है लापरवाही तो लापरवाही आगे न बढ़े इसके लिए हर उपकेन्द्र पर जो संविदा भाई हैं उनको सूचीबद्ध किया गया है, उनका फोटो भी लगाया गया है और उनको आई0कार्ड भी दिया गया है। अभी जो एजेंसियां हायर हुई हैं उनमें उनको सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध कराये गये हैं। भविष्य में आप देखेंगे दो-तीन महीने बाद यू0पी0सी0एल0 जैकेट भी उनके ऊपर देख पायेंगे, जिससे हम आसानी से आइडेंटीफाई कर सकें कि यह हमारा संविदाकर्मी है। जहाँ तक कमजोर तार की बात है, इस पर भी सरकार गम्भीरता से काम कर रही है और वर्ष 2022 तक एडबी से हमने लोन वगैरह लिया है तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, जर्जर तारों पर काम कर रहे हैं। अभी तक लगभग 28 हजार 582 किलोमीटर के जो जर्जर तार हैं वहाँ ए0बी0 कन्डक्टर हम लगा चुके हैं और भविष्य में, आने वाले समय में जितने भी जर्जर तार हैं उनके लिए भी मास्टर प्लान बनाया गया है, वर्ष 2022 तक उनको पूरा कर पायेंगे।

(सदस्य श्री नाहिद हसन एवं श्री मनोज कुमार पाण्डेय के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप दोनों लोग लड़ाई कर रहे हैं, कौन बोलेगा ?

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से केवल इतना पूछना चाहता हूँ कि अधिकतर दुर्घटनाएं जो हो रही हैं वह कम्युनीकेशन गैप से हो रही हैं, लाइनमैन और पॉवर हाउस के बीच में तो क्या माननीय मंत्री जी वायरलेस सेट या वाकीटाकी, लाइन मैन और पॉवरहाउस में बैठे हुए व्यक्ति के बीच में देने पर विचार करेंगे ?

श्री नाहिद हसन-

क्या सरकार 11 हजार एवं 33 हजार की लाइन को आबादी से हटाने का काम करेगी।

श्री अध्यक्ष-

समय समाप्त हो जायेगा अगर आप पूछेंगे इसलिए मा0 मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

मान्यवर, ज्यादातर जिलों में इस तरह की समस्या है क्योंकि जहाँ 33 हजार, 11 हजार की लाइनें जा चुकी हैं उसके नीचे लोग अपने मकान बना लेते हैं। इसमें भी जिला स्तर पर कमेटियां बनाई गई हैं, मा0 सदस्यों का, मा0 लोक सभा सदस्यों का भी हम लोग सहयोग ले रहे हैं कि विधायक निधि एवं सांसद निधि का भी हम लोग लाभ लें तो उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। जहाँ तक माननीय पाण्डेय जी का सवाल है, बहुत अच्छा सुझाव है उस पर मैं गम्भीरता से विचार करूंगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

श्री मो0 फईम इरफान-

मान्यवर, अभी 12 बजकर 19 मिनट ही हुआ है आप अनुमति दें तो बहुत छोटा सा सवाल पूछ लूं।

श्री अध्यक्ष-

आप घड़ी देखिये, अब कैसे ले पायेंगे। आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है उसको हम स्वीकार करते हैं लेकिन अब समय नहीं है, आपके सवाल की हम प्रशंसा करते हैं, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है।

स्कूली-बच्चों हेतु प्रयुक्त वाहनों की बढ़ती दुर्घटनाओं के दृष्टिगत इसके उपाय और निर्देश जारी करने सम्बन्धी

***10-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्कूली बच्चों के आवागमन हेतु प्रयुक्त वाहनों की बढ़ती दुर्घटनाओं के दृष्टिगत उक्त हेतु प्रयोग होने वाले वाहनों के लिये कोई नये व कारगर दिशा निर्देश सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अशोक कटारिया)-

प्रदेश में स्कूली बच्चों के सुरक्षित आवागमन हेतु शासन की अधिसूचना संख्या-12/2019/805/तीस-4-2019-17(सा0)/2018, दिनांक 27-05-2019 द्वारा उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 में छब्बीसवें संशोधन के रूप में नया अध्याय नौ-क जोड़ते हुए ''विद्यालयीय यानों के लिये विशेष उपबन्ध'' किये गये हैं।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश के समस्त बेरोजगारों को योग्यतानुसार रोजगार/बेरोजगारी भत्ता दिये जाने विषयक

***11-श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेरोजगारी भत्ते के रूप में कितनी धनराशि वर्तमान में दी जा रही है ? क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 2017 से वर्तमान वर्ष तक बरोजगारी भत्ते में कितने रुपये की बढ़ोत्तरी की है तथा कितने नये बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया गया है ? क्या सरकार सभी बेरोजगार युवाओं को उनकी योग्यतानुसार रोजगार अथवा बेरोजगारी भत्ता देगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

सेवायोजन विभाग द्वारा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की कोई नीति वर्तमान में संचालित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

सेवायोजन विभाग के अधीन संचालित प्रदेश के सेवायोजक कार्यालयों द्वारा रोजगार मेलों का आयोजन कर बेरोजगारों को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान किये जा रहे हैं। वर्ष 2017-18, वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 में 12 फरवरी, 2020 तक क्रमशः 633,

---

***नोट :-**नत्थी (ख) के तारांकित प्रश्न संख्या-09 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

685 एवं 641 रोजगार मेले आयोजित किये गये, जिसके माध्यम से क्रमशः 63152, 103202 एवं 115387 बेरोजगार अभ्यर्थी रोजगार हेतु चयनित हुए।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जनपदवार वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के माह जून तक निजी नलकूपों का विद्युत संयोजन के सम्बन्ध में

***12-श्री उज्जवल रमण सिंह-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जनपदवार वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के माह जून तक कितने निजी नलकूपों हेतु विद्युत संयोजन स्वीकृत हुये और इनमें से कितने नलकूपों का ऊर्जीकरण कर दिया गया है तथा कितने शेष हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि शेष नलकूपों का विद्युत संयोजन कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 में माह जून तक कुल 118629 निजी नलकूपों के आवेदन स्वीकृत हुए माह जनवरी, 2020 तक कुल 87251 नलकूपों का ऊर्जीकरण किया जा चुका है तथा 56696 नलकूपों का ऊर्जीकरण अद्यतन शेष है।

शेष 56696 नलकूपों में से 1108 नलकूपों का ऊर्जीकरण माह मार्च, 2020 तक किया जाना लक्षित है तथा अवशेष नलकूपों का ऊर्जीकरण वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटित बजट के सापेक्ष लक्ष्य के अनुसार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस जनपद मुख्यालय पर बनने के साथ ही तहसील व ब्लाक स्तर पर बनवाये जाने विषयक

***13-श्री आजाद अरिमर्दन-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ जनपद मुख्यालय पर बनने के कारण आम जनता को परेशानी होती है ? यदि हाँ, तो ड्राइविंग लाइसेंस तहसील स्तर व ब्लाक स्तर पर बनवाये जाने पर भी सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक कटारिया-

जनपद मुख्यालय पर ड्राइविंग लाइसेन्स बनाये जाने की व्यवस्था से आम जनता को परेशानी नहीं होती है।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के तहत लाइसेंस निर्गत करने का अधिकार लाइसेंसिंग प्राधिकारी को है। उ0प्र0 मोटरयान नियमावली,

1998 के नियम-3 के तहत संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी या संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अधिकृत संभागीय निरीक्षक लाइसेंसिंग प्राधिकारी के रूप में अधिकृत हैं। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-8 (5) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-11 के अन्तर्गत आवेदक को लाइसेंसिंग प्राधिकारी के समक्ष परीक्षण हेतु उपस्थित होने का प्राविधान है, तथा परीक्षण में सफल होने के उपरान्त ही लर्निंग लाइसेंस जारी किया जाता है। इसी प्रकार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धरा-9(3) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-15 के तहत लाइसेंसिंग प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को चालक दक्षता परीक्षण करने का प्राविधान है, तथा परीक्षण में सफल आवेदकों को ही स्थाई लाइसेंस निर्गत किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा लाइसेंसिंग प्राधिकारी के दायित्वों का निर्वहन करने वाले प्राधिकारियों (सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/संभागीय निरीक्षक प्राविधिक) की तैनाती जनपदीय मुख्यालय स्थित परिवहन कार्यालयों में होती है। शिक्षार्थी लाइसेंस हेतु वर्तमान में लागू कम्प्यूटरीकृत परीक्षण प्रणाली तथा स्थाई लाइसेंस हेतु वर्तमान में लागू कम्प्यूटरीकृत परीक्षण प्रणाली तथा स्थाई लाइसेंस हेतु चालक परीक्षण के लिये ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक भी जनपदीय मुख्यालय स्थित परिवहन कार्यालय में उपलब्ध है। अतः आवेदक को जनपदीय परिवहन कार्यालय में उपस्थित होकर लाइसेंस सम्बन्धी दक्षता परीक्षण में लाइसेंसिंग प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होना विधिक रूप से अनिवार्य है।

विभाग द्वारा जनता की सुविधा के दृष्टिगत सभी प्रकार के लाइसेंस सम्बन्धी आवेदन तथा आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करने की व्यवस्था उपलब्ध है। आवेदन शिक्षार्थी लाइसेंस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरान्त शिक्षार्थी लाइसेंस का प्रिन्ट जन सुविधा केन्द्रों के साथ-साथ कहीं से भी कर सकते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में दिव्यांगजनों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाने की मांग

***14-श्री सहेन्द्र सिंह चौहान-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दिव्यांगजनों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन तथा बिजली के बिल में छूट प्रदान करने की कोई योजना सरकार की है ? यदि हाँ, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत उपभोक्ता के विद्युत दर का निर्धारण मा0 उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा किया जाता है।

प्रदेश में डग्गामार/जर्जर बसों का संचालन बन्द कराये जाने हेतु

***15-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में डग्गामार/जर्जर बसों का संचालन सरकार बन्द करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक कटारिया-

प्रदेश में नियमित चेकिंग के दौरान अवैध रूप से संचालित डग्गामार/जर्जर बसों के चालान/बन्द करने की कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर विशेष चेकिंग अभियान भी चलाये जाते हैं।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2015-2016 से लेकर दिनांक 27-01-2020 तक सोलर रूफटॉप द्वारा ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में लक्ष्य की तुलना में प्रगति के सम्बन्ध में

***16-श्री अजय कुमार लल्लू-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2015-16 से अब तक सोलर रूफटॉप द्वारा ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में लक्ष्य की तुलना में क्या प्रगति हुई है ? क्या सरकार उक्त क्षेत्र में प्रगति का वर्षवार विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

उ0प्र0 सौर ऊर्जा पॉलिसी 2017 के अन्तर्गत वर्ष 2022 तक कुल 4300 मे0वा0 सोलर रूफटॉप स्थापित करने का लक्ष्य है जिसमें वर्ष 2015-16 से वर्ष 2018-19 की प्रगति निम्नवत् है :-

वित्तीय वर्ष	प्रगति
2015-16	22.58 मेगावाट
2016-17	14.89 मेगावाट
2017-18	64.66 मेगावाट
2018-19	122.50 मेगावाट
	योग : 224.63 मेगावाट

जी हाँ। उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में डीजल के बढ़ते मूल्य के दृष्टिगत किसानों के लिये सिंचाई हेतु निजी नलकूपों की विद्युत दरों को कम किये जाने विषयक

***17-श्री उमाशंकर सिंह-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में डीजल के बढ़ते हुए मूल्य के दृष्टिगत किसानों के सिंचाई हेतु निजी नलकूपों की विद्युत दरों को सरकार कम करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

विद्युत दरों का निर्धारण उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा किया जाता है तथा इसमें परिवर्तन का अधिकार वितरण लाईसेन्सी को नहीं है।

प्रदेश सरकार द्वारा निजी नलकूपों हेतु वर्ष 2019-20 हेतु रु0 5694 करोड़ की शासकीय सहायिकी प्रदान करके इनके विद्युत दरों को सीमित रखा गया है। उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ आदेश दिनांक 03-09-2019 में निजी नलकूप, एल0एम0वी0-5 उपभोक्ता श्रेणी में आच्छादित हैं। इस श्रेणी के मीटर्ड उपभोक्ताओं की उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित विद्युत दर औसत आपूर्ति लागत रु0 63.12 प्रतिशत कम है तथा अनमीटर्ड उपभोक्ताओं की विद्युत दर 83.5 प्रतिशत कम है।

प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु किये गये उपायों का विवरण

***18-श्री संजय गर्ग-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विगत 3 वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में कितने प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है ? क्या सरकार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु कोई उपाय किए जा रहे हैं ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक कटारिया-

यातायात निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2016 के सापेक्ष 2017 में सड़क दुर्घटनाओं के 8.90 प्रतिशत, वर्ष 2017 के सापेक्ष 2018 में 9.76 प्रतिशत तथा वर्ष 2018 के सापेक्ष वर्ष 2019 में 0.01 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है।

हाँ।

सरकार द्वारा अनेक उपाय किये जा रहे हैं तथा उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा नीति, 2014 बनाई गई है जिसके मुख्य अवयव निम्नवत् हैं :-

सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता।

संस्थागत व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण।

सड़क सुरक्षा सूचना डेटावेस की स्थापना।

सुरक्षित सड़क अवस्थापना सुनिश्चत करना।

सुरक्षित वाहन।

सुरक्षित चालक।

असुरक्षित सड़क उपभोगकर्ताओं की सुरक्षा।

सड़क सुरक्षा, शिक्षा एवं प्रशिक्षणता।

यातायात सम्बन्धी कानून का प्रवर्तन।

सड़क दुर्घटना में घायलों हेतु आपात चिकित्सकीय सहायता।

सड़क सुरक्षा अनुसंधान।

प्रश्न ही नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

विद्युत उपभोक्ताओं की विभिन्न समस्याओं के समयबद्ध निस्तारण हेतु योजना लागू करने सम्बन्धी

1-श्री हाजी इरफान सोलंकी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं की विद्युत सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं के समयबद्ध निस्तारण हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हाँ, तो योजना का स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

उ0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता, 2005 की बिन्दु संख्या-7.7 में उल्लिखित कार्यपालन के मानक में ग्राहक सेवा के मानदण्डों के अनुसार विद्युत उपभोक्ताओं की विद्युत सम्बन्धी समस्याओं का निस्तारण किया जाता है, जिसके मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं :-

(क) आपूर्ति से सम्बन्धित मामले, (ख) नये संयोजन/असंयोजन/पुनः संयोजन और सम्बन्धित मामलों, (ग) मीटर लगाने, (घ) बिल भेजने, (ङ) स्वामित्व के अन्तरण और सेवा के परिवर्तन के लिये हैं।

उपभोक्ताओं की समस्याओं को दर्ज कराने हेतु कराने हेतु टोल फ्री 1912 नं0 कार्यरत है जिस पर उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इन समस्याओं का निराकरण त्वरित एवं प्रभावी ढंग से किया जाता है एवं उच्च अधिकारियों द्वारा शिकायत का अनुश्रवण किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में विशेष नलकूप योजना के अन्तर्गत आवेदकों को डी0पी0 उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

2-डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में विशेष नलकूप योजना अन्तर्गत आवेदनकर्ताओं द्वारा आवेदन के लिए शुल्क जमा कराया गया है ? यदि हाँ, तो क्या उक्त आवेदकों को डी0पी0 उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

जनपद-फिरोजाबाद के अन्तर्गत विशेष नलकूप योजना संचालित नहीं है।

सामान्य योजना के अन्तर्गत रु0 68,000.00 की छूट का निजी नलकूपों हेतु प्राप्त आवेदन के सापेक्ष प्रगति का विवरण निम्नवत् है :-

वर्ष	प्राप्त आवेदन	लक्ष्य	कृत निर्गत संयोजन	आवेदन के सापेक्ष अवशेष (2-4)
1	2	3	4	5
2019-20	1033	998	1023	10

जी हाँ।

1023 संयोजनों को डबल पोल, परिवर्तक आदि सामग्री उपलब्ध कराई जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

अवशेष 10 संयोजनों को वर्ष 2020-21 हेतु शासन से निर्धारित लक्ष्य एवं बजट की उपलब्धता के अनुसार सामग्री निर्गत की जाती है।

जनपद हापुड़ के पिलखवा के निकट एन0एच0-9 पर स्थित मदर डेयरी के निजी वाहनों द्वारा उत्पन्न जाम का संज्ञान लेकर स्वामी के विरुद्ध कार्रवाई करने विषयक

3-श्री असलम अली-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हापुड़ में पिलखवा के निकट एन0एच0 9 पर मदर दूध डेयरी के निजी वाहन सर्विस लाइन पर खड़े होकर भारी भरकम जाम की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इसका संज्ञान लेकर मदर डेयरी स्वामी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक कटारिया-

जी हाँ।

जनपद हापुड़ में पिलखवा के निकट एन0एच0-9 पर मदर दूध डेयरी के निजी वाहन सर्विस लाइन पर खड़े होकर भारी भरकम जाम की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं।

परिवहन विभाग, हापुड़ द्वारा निर्दिष्ट स्थल पर प्रवर्तन कार्यवाही करते हुए 19 वाहनों का चालान किया गया तथा पुलिस अधीक्षक, हापुड़ के आदेश दिनांक 17-02-2020 के क्रम में जारी निर्देशों के अनुपालन में यातायात प्रभारी, हापुड़ द्वारा 12 वाहनों का चालान किया गया है।

प्रबन्धक, मदर डेयरी, निकट एन0एच0-9 पिलखुवा, हापुड़ को सर्विस लेन में वाहन न खड़ा करने एवं अपने स्तर से भी उक्त सम्बन्धी कार्यवाही करने एवं संस्था का कोई भी निजी या व्यावसायिक वाहन सर्विस लाइन पर खड़ा न करने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद की डासना कारागार में गरीब बन्दियों के शोषण व जेल में हो रही अनियमितताओं की जांच व कार्रवाई विषयक

4-श्री असलम अली-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद की डासना कारागार में गरीब बंदियों से काम के नाम पर भारी मोटी रकम जेल कर्मियों व अधिकारियों द्वारा वसूली, बन्दी द्वारा पैसे ना देने पर सजा, पैसे वाले बंदियों के यहाँ अन्य बंदियों से काम कराया जाना तथा जेल में प्राइवेट कैंटीन में खानपान का रेट बहुत अधिक होने की शिकायतें सरकार के संज्ञान में हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार गम्भीरता से जिला कारागार डासना गाजियाबाद की जांच कराकर, दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जिला कारागार, गाजियाबाद से सम्बन्धित विगत वर्ष 2019 में कुल 02 शिकायती पत्र प्राप्त हुए। उक्त शिकायतों की जांच परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक कारागार, मेरठ से कराई गई। जांच में जांच अधिकारी द्वारा उक्त शिकायतें अभिलेखीय साक्ष्यों/बन्दियों के बयानों से पुष्टि व प्रमाणित नहीं पाई गई। कारागार का कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया।

प्रश्न ही नहीं उठता।

वि0क्षे0 गोसाईंगंज/मोहनलालगंज आदि क्षेत्रों में अनु0 जाति बाहुल्य ग्रामों में एच0टी0 लाइन के स्थान पर ए0बी0सी0 लाइन लगवाये जाने विषयक

5-श्री अम्ब्रीश सिंह पुष्कर, एडवोकेट-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विकास क्षेत्र गोशाईगंज/मोहनलालगंज क्षेत्रों के अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों पाल खेड़ा करनपुर बिन्दौक, समेसी, बखत खेड़ा, रमपुरा, शिवपुरा सहित सैकड़ों गांवों में डा0 अम्बेडकर ग्राम्य विकास

योजना से विद्युत-विद्युतीकरण कार्य के दौरान गांव के अन्दर संचालित एच0टी0 (हाईटेंशन लाइन) से आये दिन दुर्घनाएं होती हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार दलित बाहुल्य गांवों में बिछी एच0टी0 लाइन हटवाकर ए0बी0सी0 केबिल लाइन लगवाकर विद्युत आपूर्ति करवाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

अम्बेडकर ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु उच्च विभव वितरण प्रणाली (एच0वी0डी0एस0) के तहत 11 के0वी0 लाइन (एच0टी0 लाइन) का निर्माण करते हुए पाल खेड़ा करनपुर बिन्दौक समेसी, बखत खेड़ा, रमपुरा, शिवपुरा एवं अन्य ग्रामों में उचित क्षमता के परिवर्तक उपयुक्त स्थानों पर लगाकर सम्बन्धित उपभोक्ताओं को संयोजन दिया जाना प्रस्तावित था जिसके तहत 11 के0वी0 लाइन बनाकर विद्युतीकरण किया गया है। उक्त ग्रामों में अभी तक एच0टी0 लाइन से कोई विद्युत दुर्घटना संज्ञानित नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मोहनलालगंज क्षेत्र वि0ख0 व नगर पंचायतों में गरीब पात्र लाभार्थियों के नाम राशन कार्ड बनवाये जाने विषयक

6-श्री अम्ब्रीश सिंह पुष्कर, एडवोकेट-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र विकास खण्डो व नगर पंचायतों में एक लाख पचास हजार से अधिक गरीब परिवारों के राशन कार्ड संचालित हैं, में से बड़ी संख्या में गरीब पात्र लाभार्थियों के नाम सूची से हटाकर अपात्रों को चयनित कर लिये जाने की जानकारी सरकार को हैं ? यदि हाँ, तो उक्त की जांच कराकर पूर्व से खाद्यान्न प्राप्त कर रहे अपात्र लाभार्थियों को हटवाकर पात्र लोगों के नाम सूची में फीडिंग कर उन्हें खाद्यान्न प्रदान करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र के विकास खण्डों व नगर पंचायतों में किसी पात्र लाभार्थी का नाम सूची से हटाकर अपात्र का चयन नहीं किया गया है। समय-समय पर जांच में अपात्र पाये गये लाभार्थियों के राशन कार्ड निरस्त कर छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड निर्गत करते हुए नियमानुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

जनपद सहारनपुर में खनन पट्टेधारक द्वारा अवैध खनन किये जाने पर कार्रवाई करने विषयक

7-श्री नरेश सैनी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में जिस स्थान पर खनन के पट्टे किये गये हैं, पट्टेधारक चिन्हित पट्टों को छोड़कर अवैध स्थानों पर खनन किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 03 जून, 2019 प्रमुख सचिव, खनन को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

विभाग से प्राप्त मा0 सदस्य के पत्र दिनांक 03-06-2019 के क्रम में शासनादेश संख्या-74आई0जी0आर0एस0/86-2019, दिनांक 07-06-2019 द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु विभागीय अधिकारियों की तीन सदस्यीय जांच टीम गठित की गई। उक्त जांच टीम द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या दिनांक 29-06-2019 के क्रम में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक 14-11-2019 के दृष्टिगत शासन द्वारा जिलाधिकारी, सहारनपुर को वैध पट्टों के संचालन तथा अवैध खनन की रोकथाम हेतु नियमानुसंगत आवश्यक कार्यवाही करने के लिये निर्देशित कर दिया गया है।

जनपद सहारनपुर में किसानों की सिंचाई हेतु 20 घण्टे विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने विषयक

8-श्री नरेश सैनी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में किसानों को सिंचाई के लिये विद्युत आपूर्ति हेतु घोषित 20 घण्टे के सापेक्ष 10 घण्टे विद्युत सप्लाई किये जाने से सिंचाई कार्य नहीं हो पा रहा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार जनपद सहारनपुर में किसानों को सिंचाई हेतु 20 घण्टे विद्युत आपूर्ति करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

11 के0वी0 ग्रामीण पोषकों से पृथक किये गये 11 के0वी0 कृषि पोषकों पर सिंचाई हेतु 10 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने का रोस्टर लागू है।

जनपद सहारपुर में लक्षित 85 नग 11 के0वी0 ग्रामीण पोषकों को पृथक कर कृषि पोषक बनाने की योजना में 81 नग कृषि पोषकों पर प्रातः 7 बजे से 5 बजे तक विद्युत आपूर्ति की जा रही है। अवशेष 4 ग्रामीण पोषकों के पृथकीकरण का कार्य दिनांक 05-03-2020 तक लक्षित है। इन 4 फीडरों पर अभी ग्रामीण क्षेत्र के रोस्टर के अनुसार आपूर्ति की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र तथा विधान सभा कैराना में सुचारु रूप से विद्युत आपूर्ति किये जाने विषयक

9-श्री नाहिद हसन-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में प्रदेश के ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र में कुल कितने घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है ? क्या सरकार बतायेगी कि माह दिसम्बर, 2019 से दिनांक 22-01-2020 तक जनपद शामली के कैराना विधान सभा में नगरीय व ग्रामीण क्षेत्र में कुल कितने घंटे की विद्युत आपूर्ति की गई है तथा स्थानीय स्तर पर पिछले दो माह में कितनी बार शटडाउन लिया गया है ? क्या सरकार स्थानीय स्तर पर बार-बार शटडाउन से बाधित हो जाने वाली विद्युत आपूर्ति की समस्या से निपटने के लिए कदम उठायेगी ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

वर्तमान में विद्युत आपूर्ति का रोस्टर शेड्यूल निम्नवत् है :-

जिला मुख्यालय-24 घण्टे।

तहसील क्षेत्र-20 घण्टे।

ग्रामीण क्षेत्र-18 घण्टे।

उक्त रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

विधान सभा क्षेत्र कैराना में माह दिसम्बर, 2019 से दिनांक 22-01-2020 तक औसत विद्युत आपूर्ति निम्नवत् है :-

क्षेत्र	माह दिसम्बर, 2019 की औसत विद्युत आपूर्ति (घण्टों में)	माह जनवरी, 2020 से 22-01-2020 तक औसत विद्युत आपूर्ति (घण्टों में)
कैराना तहसील क्षेत्र	21.38	21.33
कैराना ग्रामीण क्षेत्र	17.30	17.19

विधान सभा कैराना क्षेत्र में स्थित 33 नग विद्युत उपकेन्द्रों के 148 नग 11 के0वी0 पोषकों पर 11के0वी0 लाइनों, एल0टी0 लाइनों, परिवर्तकों एवं उपकेन्द्रों पर होने वाले विद्युत दोषों को दूर करने के लिये औसतन पांच दिन में एक बार प्रति पोषक सम्बन्धित अवधि में अवर अभियन्ता तथा लाइन स्टाफ द्वारा शटडाउन लिया गया था। दोष का निराकरण कर तत्काल विद्युत बहाल की गई।

जी हाँ।

विभिन्न केन्द्रीय व राज्य स्तरीय योजनाओं तथा विभागीय योजनाओं के माध्यम से 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों का उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण, एल0टी0 लाइनों का सुदृढ़ीकरण कराया जाता है ताकि वितरण प्रणाली में कम से कम विद्युत व्यवधान उत्पन्न हो तथा शट डाउन को कम से कम किया जा सके।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा कैराना जनपद शामली के कुछ ग्रामों में फीडर सेपरेशन योजना का कार्य कराये जाने विषयक

10-श्री नाहिद हसन-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली के विधान सभा कैराना के ग्राम मामोर, मलकपुर, मंगलपुर तहसील को फीडर सेपरेशन योजना में सम्मिलित न करने के क्या कारण है ? क्या सरकार बतायेगी कि उपरोक्त ग्रामों में फीडर सेपरेशन का कार्य किस तिथि तक पूर्ण कराया जायेगा ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

पश्चिमांचल विद्युत निगम लि0, मेरठ के अन्तर्गत जिला-शामली में डी0डी0यू0जी0जे0 वाई0 (नवीन) के अन्तर्गत स्वीकृत वित्तीय सीमा के अधीन फीडर पृथक्कीकरण हेतु कुल 42 नग, 11 के0वी0 पोषक चयनित थे। इन समस्त चयनित (42 अदद) 11 के0वी0 पोषकों के फीडर पृथक्कीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

उक्त योजना में जिला शामली, तहसील कैराना के ग्राम मामोर, मलकपुर, मंगलपुर के फीडर सेपरेशन के कार्य वित्तीय अनुपलब्धता के कारण सम्मिलित नहीं थे।

उपरोक्त ग्रामों के फीडर सेपरेशन का कार्य एशियन डेवलपमेंट बैंक पोषित योजना के अन्तर्गत चयनित कर लिया गया है। यह फीडर सेपरेशन का कार्य 31-03-2021 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

11-श्री विजय मिश्र-

[03 बुधवार के अता0प्र0सं0-121 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मथुरा में रोजगार मेले का आयोजन कराये जाने विषयक

12-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में स्नातक/स्नातकोत्तर/तकनीकी तथा व्यावसायिक कोर्स उत्तीर्ण मेधावी छात्र छात्राओं की बढ़ती संख्या एवं बेरोजगारी की समस्या के दृष्टिगत सरकार उनके सेवायोजन हेतु जनपद मथुरा के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में रोजगार मेले का आयोजन करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

सेवायोजन विभाग के अधीन संचालित प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा बेरोजगार अभ्यर्थियों को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की उपलब्धता के दृष्टिगत रोजगार मेलों के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। सेवायोजन कार्यलय मथुरा द्वारा वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 में 12 फरवरी, 2020 तक क्रमशः 01 एवं 01 रोजगार मेले आयोजित किये गये, जिसके माध्यम से क्रमशः 88 एवं 188 बेराजगार अभ्यर्थी रोजगार हेतु चयनित हुए।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

13-श्री मो0 फईम इरफान-

[02 गुरुवार के अता0प्र0सं0-63 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद कुशीनगर, विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर को इंटीग्रेटेड/एकीकृत पावर डेवलपमेंट स्कीम से लाभान्वित करने विषयक

14-श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के तथागत गौतम बुद्ध की निर्वाण स्थली व अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थली नगरीय क्षेत्र कुशीनगर का इंटीग्रेटर/एकीकृत पावर डवलपमेण्ट स्कीम (आई0पी0डी0एस0) से आच्छादित सरकार करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हाँ।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के तथागत गौतमबुद्ध की निर्वाण स्थली व अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थली नगरीय क्षेत्र कुशीनगर का इंटीग्रेटर/एकीकृत पावर डेवलपमेंट स्कीम (आई0पी0डी0एस0) में कार्य हो रहा है।

माह मार्च, 2020 तक कार्य पूर्ण हो जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

15-श्री दलवीर सिंह-

[दिनांक 26-2-2020 को अता0प्र0सं0-155 द्वारा उत्तरित]

16-श्री ओम प्रकाश राजभर-

[बहुत अधिक ब्यौरे के आधार पर निरस्त]

अधि0 अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर के कार्यालय में पी0टी0 डब्लू ट्यूबवेल के एग्रीमेंट में चालान न लगाये जाने से होने वाली राजस्व हानि की जांच कराये जाने विषयक

17-श्री वीर विक्रम सिंह, प्रिंस-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड तिलहर जनपद शाहजहाँपुर के कार्यालय अन्तर्गत पी0टी0डब्लू0 ट्यूबवेल साढे सात (एच0पी0) का एग्रीमेन्ट 01-01-2017 से 31-03-2019 तक किन-किन व्यक्तियों के किये गये हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त एग्रीमेन्ट में चालान न लगाये जाने से राजस्व हानि हो रही है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त की जांच करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

विद्युत वितरण खण्ड तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर के अन्तर्गत दिनांक 01-01-2017 से 31-03-2019 तक 7.5 एच0पी0 भार के निजी नलकूप के 1915 उपभोक्ताओं के अनुबन्ध किये गये हैं।

जी हाँ। (सूची संलग्न[†])

प्रश्न नहीं उठता।

जी हाँ।

जी हाँ।

इस सम्बन्ध में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 लखनऊ मुख्यालय के सतर्कता इकाई द्वारा जांच का आदेश दिया जा चुका है तथा जांच प्रगतिशील है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन के किसानों को सिंचाई हेतु विद्युत कनेक्शन दिये जाने विषयक

18-श्री मूलचन्द्र सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के किसानों के सिचांई हेतु निजी नलकूप के विद्युत कनेक्शन वर्तमान में 4000 की संख्या में लम्बित है ? यदि हाँ, तो किसानों को उक्त विद्युत कनेक्शन सरकार स्वीकृत करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

[†] छापी नहीं गई।

जनपद-जालौन में कुल 2163 निजी नलकूप विद्युत संयोजन निर्गत करने हेतु लम्बित हैं।

जनपद-जालौन

वर्ष	आवेदन	लक्ष्य	सामग्री निर्गत/ ऊर्जीकृत	अवशेष
2018-19	2224	580	1361	857
2019-20	1410	825	104	1306
योग :	**3634**	**1405**	**1465**	**2163**

कुल लक्षित निजी नलकूपों 1405 के विरुद्ध 1465 की सामग्री निर्गत कर ऊर्जीकृत किये जा चुके हैं। अवशेष 2163 आवेदकों को वर्ष 2020-21 में उ0प्र0 सरकार द्वारा स्वीकृत बजट एवं निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष आवेदकों को सामान्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के गोण्डा सदर विधान सभा क्षेत्र में सद्भावना पुलिस चौकी से झंझरी ब्लाक होते हुए एल0बी0एस0 चौराहे तक सड़क के विद्युत पोलों को शिफ्टिंग कराये जाने की मांग

19-श्री प्रतीक भूषण सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के गोण्डा सदर विधान सभा क्षेत्र में सद्भावना पुलिस चौकी से झंझरी ब्लाक होते हुए एल0वी0एस0 चौराहे तक जाने वाली सड़क के विद्युत पोलों में उक्त सड़क के चौड़ीकरण के बाद भी शिफ्टिंग नहीं करायी गयी है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्युत पोलों को समयबद्ध सीमा में शिफ्ट करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हाँ।

जनपद गोण्डा के गोण्डा सदर विधान सभा क्षेत्र में सद्भावना पुलिस चौकी से झंझरी ब्लाक होते हुए एल0बी0एस0 चौराहे तक जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण में आ रहे विद्युत लाइनों की शिफ्टिंग हेतु कार्य का प्राक्कलन बनाकर अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड-1 को धनराशि रु0 10452773.00 जमा करने हेतु पत्रांक 5083, दिनांक 27-12-2018 (संलग्नक-1) को प्रेषित किया गया था, जिसका अनुस्मारक भी पत्र संख्या-2177/वि0वि0खं0-प्र0(गो0), दिनांक 05-07-2019 (संलग्नक-2) एवं पत्र संख्या-4676/वि0वि0खं0-प्र0(गो0), दिनांक 12-12-2019 (संलग्नक-3) के माध्यम से धनराशि

जमा करने हेतु प्रेषित किया गया परन्तु धनराशि न जमा होने के कारण विद्युत लाइनों की शिफ्टिंग का कार्य नहीं कराया जा सका है। अतः प्राक्कलन धनराशि जमा होने के उपरान्त 6 माह के अन्दर विद्युत लाइनों की शिफ्टिंग का कार्य करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना अन्तर्गत फेज-2 के सन्दर्भ में शेष मजरों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

20-श्री प्रतीक भूषण सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संचालित प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के अन्तर्गत फेज-II के एडिशनल इन्फ्रा वर्क का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है ? यदि हाँ, तो उक्त के क्या कारण हैं ? क्या सरकार सौभाग्य फेज-II के अन्तर्गत जिन मजरों में विद्युत कार्य नहीं कराया गया है उनको कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

प्रदेश में संचालित प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के अन्तर्गत फेज-II में एडिशनल इन्फ्रा वर्क के निर्माण के कार्य प्रगति पर हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हाँ।

सौभाग्य योजना के फेज-II के अन्तर्गत मजरों में सौभाग्य योजना के मानक दिशा-निर्देशों एवं स्वीकृत धनराशि के अनुरूप स्वीकृत कार्यों में से लगभग 17106 नग (संलग्नक-1) मजरों में अवशेष/अपूर्ण विद्युतीकरण के कार्य पूर्ण कराये जा रहे हैं।

सौभाग्य योजना के अन्तर्गत फेज-II में एडिशनल इन्फ्रा वर्क के निर्माण कार्य माह मार्च, 2020 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज में पुराने जर्जर विद्युत लाइनों को बदलने के सम्बन्ध में

21-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज में पुराने जर्जर विद्युत लाइनों को बदलने हेतु कोई नीति है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार बतायेगी कि विधान सभा विश्वनाथगंज अन्तर्गत बाजार मोहनगंज, कटरा गुलाब सिंह,

मान्धाता, हैंसी, पनियारी, साहबगंज, किठावर, विश्वनाथगंज, जेठवारा, सगरा सुंदरपुर, भगवतगंज में पुराने जर्जर विद्युत लाइनों को सरकार बदलवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हाँ।

प्रदेश में पुराने जर्जर तारों को बिजनेस प्लान से प्रतिस्थापित किया जाता है इसके अतिरिक्त ए0डी0बी0 से ऋण लेकर 1000 से अधिक आबादी वाले मजरों के पुराने व जर्जर तारों को ए0बी0 केबिल से प्रतिस्थापित किये जाने की नीति है।

विधान सभा विश्वनाथगंज के अन्तर्गत-

(i) मोहनगंज, मान्धाता, हैंसी परजी, किथावर बाजार एवं जेठवारा आदि मजरों में एशियन डेबलपमेंट बैंक द्वारा पोषित ऋण से खुले तारों को ए0बी0सी0 में बदलने का कार्य प्रस्तावित है। यह कार्य वर्ष 2020-21 में पूर्ण किया जाना लक्षित है। (संलग्नक-1)

(ii) कटरा गुलाब सिंह, साहबगंज, पनियारी, विश्वनाथगंज, सगरा सुन्दरपुर, भगवतगंज में लगे हुए जर्जर तारों का सर्वे कराया जा रहा है जिसे बिजनेस प्लान 2020-21 में सम्मिलित कर बदला जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन के उरई से वाया कोच ग्वालियर बस सेवा का संचालन कराने विषयक

22-श्री मूलचन्द्र सिंह-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के अन्तर्गत उरई से वाया कोच ग्वालियर तक रोड़ वेज की बस सेवा न होने के कारण से क्षेत्रीय जनता एवं व्यापारियों को यातायात में अधिक कठिनाई होती है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उरई कोच ग्वालियर तक बस सेवा का संचालन करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक कटारिया-

जी नहीं।

जी नहीं।

अन्तर्राज्यीय मार्गों पर परिवहन निगम की बसों का संचालन राज्यों के मध्य हुए पारस्परिक यातायात समझौता के अनुसार एवं उक्त समझौता में घोषित मार्गों पर किया जाता है।

उ0प्र0 एवं मध्य प्रदेश राज्य के मध्य यातायात समझौता परिपत्र सं0-399/30-4-2012-8(2)पी-80-लखनऊ, दिनांक 08 मई, 2012 में घोषित मार्गों की सूची में ग्वालियर से उरई वाया कोच मार्ग सम्मिलित नहीं है। उक्त कारणवश उरई कोच ग्वालियर तक परिवहन निगम की बस सेवा का संचालन किया जाना सम्भव नहीं है।

आजमगढ़ मण्डल व वाराणसी मण्डल के कतिपय जनपदों में कुशल व अकुशल बेरोजगारों का पंजीकरण व रोजगार उपलब्ध कराने का विवरण

23-श्री आजाद अरिमर्दन-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ मण्डल एवं वाराणसी मण्डल के कतिपय जनपदों में कुल कितने कुशल एवं अकुशल बेरोजगारों का पंजीकरण मार्च, 2017 से 31 दिसम्बर, 2019 तक सेवायोजन कार्यालय में किया गया है तथा पंजीकृत बेरोजगार में से कुल कितनों को विभागवार रोजगार उपलब्ध करा दिया गया है ? क्या सरकार उक्त का जनपदवार एवं विभागवार विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

क्र0-सं0	जनपद/सेवायोजन कार्यालय	01 मार्च, 2017 से 31 दिसम्बर, 2019 तक पंजीकरण कराने वाले बेरोजगारों की सं0	
		कुशल	अकुशल
1	आजमगढ़	22319	1535
2	मऊ	13957	1019
3	बलिया	21515	1729
4	वाराणसी	28121	1505
5	गाजीपुर	27486	1281
6	जौनपुर	74381	2593
7	चन्दौली	16400	733
	योग :	**204179**	**10395**

विभिन्न राजकीय विभागों में नियमित रिक्तियों की भर्ती का कार्य तद्प्रयोजन हेतु गठित चयन/भर्ती आयोग के माध्यम से किया जाता है।

सेवायोजन विभाग द्वारा रोजगार मेलों का आयोजन कर निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान किये जा रहे हैं।

आजमगढ़ एवं वाराणसी मण्डल में रोजगार मेले की प्रगति रिपोर्ट

क्र0-सं0	जनपद/कार्यालय	दिनांक 01-04-2018 से 31-03-2019 तक		दिनांक 01-04-2019 से 12-02-2020 तक	
1	2	3	4	5	6
		रोजगार मेलों की संख्या	रोजगार हेतु चयनित	रोजगार मेलों की संख्या	रोजगार हेतु चयनित
1	आजमगढ़	13	798	8	1462
2	मऊ	9	1509	6	693

1	2	3	4	5	6
3	बलिया	7	1154	8	2249
4	वाराणसी	20	9836	23	5834
5	गाजीपुर	8	1289	9	1579
6	जौनपुर	5	428	10	1121
7	चन्दौली	4	1324	3	644
	योग :	**66**	**15938**	**68**	**13582**

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण हेतु निर्मित हेल्प डेस्क द्वारा किये गये समस्याओं के निराकरण का विवरण

24-श्री आजाद अरिमर्दन-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण हेतु हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गयी है ? यदि हाँ, तो जनपद आजमगढ़ में मार्च, 2017 से 31 दिसम्बर, 2019 तक हेल्प डेस्क पर कितने उपभोक्ताओं की समस्याओं का निराकरण किया गया है एवं कितने उपभोक्ताओं की समस्यायें अभी तक लंबित है ? क्या सरकार उक्त का विवरण तहसीलवार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हाँ।

जनपद आजमगढ़ में मार्च, 2017 से 31 दिसम्बर, 2019 तक हेल्प डेस्क पर प्राप्त बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण से सम्बन्धित सूचना निम्नवत् है :-

35358 में से 34911 (98.74 प्रतिशत) बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का निराकरण किया गया एवं 447 (1.26 प्रतिशत) बिजली उपभोक्ताओं की समस्यायें अभी लम्बित हैं।

जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत तहसीलवार उपभोक्ताओं से सम्बन्धित निस्तारित/लम्बित शिकायतों के विवरण की सूची संलग्न है। (संलग्नक-1)†

प्रश्न नहीं उठता।

† छापी नहीं गयी।

प्रदेश में अति गरीब अनु0 जाति, जनजाति व अति पिछड़े किसानों को सिंचाई सुविधा हेतु निःशुल्क विद्युत ट्यूबवेल कनेक्शन व निःशुल्क बिजली देने विषयक

25-श्री आजाद अरिमर्दन-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अति गरीब अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अति पिछड़े किसानों की सिंचाई सुविधा हेतु निःशुल्क विद्युत टयूवेल कनेक्शन दिये जाने के साथ ही निःशुल्क बिजली सरकार मुहैया करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी वर्गों के किसानों के निजी नलकूप के सामान्य योजना के अन्तर्गत विद्युत संयोजन के निर्गमन के समय कुल प्राक्कलित धनराशि के विरुद्ध अनुदान धनराशि रु0 68,000 प्रति संयोजन की दर से छूट प्रदान की जा रही है। यह छूट पहले 5 एच0पी0 तक के निजी नलकूप के आवेदकों को प्रदान किया जाता था। उ0प्र0 सरकार द्वारा सितम्बर, 2017 से 7.5 एच0पी0 तक के निजी नलकूप आवेदकों को भी धनराशि रु0 68,000 की छूट प्रदान की जा रही है।

वर्ष 2007 से 2012 तक औसत 18869 से 2017 तक प्रतिवर्ष औसत 19880 निजी नलकूप के संयोजन निर्गत किये गये जबकि 2017 से अद्यतन 46393 के वार्षिक औसत से निजी नलकूप के विद्युत संयोजन निर्गत किये गये हैं।

10 जनवरी, 2018 को डार्क जोन में निजी नलकूप विद्युत संयोजन के प्रतिबन्ध को समाप्त किये जाने के उपरान्त डार्क जोन में 25489 नग निजी नलकूप के संयोजन निर्गत किये गये।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के निजी नलकूप किसानों को सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध कराने के लिये सरकार द्वारा सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। निजी नलकूपों के लिये वर्ष 2019-20 हेतु रु0 5694 करोड़ की शासकीय सहायिकी प्रदान की गई है जिसके फलस्वरूप श्रेणी के मीटर्ड उपभोक्ताओं की मा0 आयोग द्वारा अनुमोदित विद्युत दर औसत आपूर्ति लागत से 63.19 प्रतिशत कम है तथा अनमीटर्ड उपभोक्ताओं की विद्युत दर 83.5 प्रतिशत कम है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज में ओवरलोडेड ट्रान्सफार्मरों की क्षमता वृद्धि करने के सम्बन्ध में

26-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज में कुल कितने विद्युत ट्रांसफार्मर स्थापित हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त में

से कुल कितने ट्रांसफार्मर अधिभारित हैं एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में कितने ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि की गई है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज में कुल 1814 अदद ट्रान्सफार्मर स्थापित हैं।

विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल अतिभारित 49 अदद परिवर्तकों में से 49 अदद ट्रान्सफार्मरों की क्षमतावृद्धि की गई। वर्तमान में वर्ष 2019-20 में कुल 31 परिवर्तक अतिभारित है जिसकी क्षमतावृद्धि 31 मार्च, 2020 तक करा दी जायेगी।

जी हाँ। (संलग्नक-01, 02)†

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में पूर्व मा0 विद्यालय मझौआ कला द्वितीय में 11 हजार वोल्ट विद्युत तार को हटाये जाने के सम्बन्ध में

27-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के ब्लाक रुधौली के पूर्व माध्यमिक विद्यालय मझौआ कला द्वितीय में विद्यालय परिसर के मध्य से 11 हजार वोल्ट की सप्लाई लाइन के नीचे पेड़ लाइन को छूते रहने से कुछ माह पहले खेलते समय विद्यालय का एक बच्चा 11 हजार वोल्ट विद्युत के चपेट में आने की वजह से घायल हो गया था ? यदि हाँ, तो, तो क्या सरकार ब्लाक रूधौली के पूर्व माध्यमिक विद्यालय मझौआ कला द्वितीय में विद्यालय परिसर के मध्य 11 हजार वोल्ट की सप्लाई लाइन को हटवायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

पूर्व माध्यमिक विद्यालय, मझौवा कला-द्वितीय, रुधौली बस्ती के प्रधानाध्यापक द्वारा अवगत कराया गया है कि छात्र विशाल कुमार पुत्र कुन्जेश्वरी, प्रा0 विद्यालय मझौवा कला द्वितीय रुधौली बस्ती के कक्षा-चार में अध्ययनरत् हैं, माह सितम्बर, 2018 में विद्यालय बन्द होने के उपरान्त कैम्पस के अन्दर स्थित कदम के पेड़ पर चढ़ गया था। पेड़ के समीप से गुजर रही 11000 वोल्टेज विद्युत लाइन के सम्पर्क में आने के कारण, पेड़ से नीचे गिर गया था, जो प्राथमिक उपचार के बाद ठीक हो गया।

जी हाँ।

---

† छापी नहीं गयी।

दिनांक 16-02-2020 को विद्यालय परिसर के मध्य से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की लाइन के तार को हटा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जानकीपुरम्, लखनऊ में प्रस्तावित बस स्टेशन को शहर से बाहर स्थापित किये जाने पर विचार किये जाने विषयक

28-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अर्द्धशा0प0 सं0-नि0 16/तीस-1-2019, उ0प्र0 शासन परिवहन अनुभाग-1, लखनऊ दिनांक 6 मार्च, 2019 जानकीपुरम, लखनऊ में प्रस्तावित बस स्टेशन का निर्माण न कराये जाने तथा 31 अक्टूबर, 2019 को इंजीनियरिंग कालेज चौराहे पर हुई भीषण बस दुर्घटना व अन्य दुर्घटनाओं को देखते हुये शहर की सीमा से बाहर बस स्टेशन स्थापित किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक कटारिया-

जी नहीं।

वर्तमान में लखनऊ शहर में परिवहन निगम के तीन बस स्टेशन आलमबाग, कैसरबाग एवं चारबाग संचालित है। कैसरबाग बस स्टेशन शहर के मध्य है, जहाँ से बहराइच, गोण्डा, गोरखुपर, उत्तराखण्ड, हरदोई, सीतापुर, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद एवं दिल्ली आदि की ओर जाने वाली बसों का संचालन होता है। शहर के जाम की समस्या के दृष्टिगत मा0 उच्च न्यायालय में योजित जनहित में याचिका सं0-12106 (एम/बी)/2017 अवध बार एसोसियेशन बनाम पुलिस अधीक्षक यातायात व अन्य योजित हुई थी, जिसके क्रम में शासन स्तर पर हुई बैठकों में जाम की समस्या के निराकरण हेतु सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिये गये। इसी क्रम में एल0डी0ए0 द्वारा जानकीपुरम् सेक्टर-ई स्थित 18445.44 व0मी0 बस स्टेशन हेतु आरक्षित भूमि परिवहन निगम को 90 वर्ष की लीज पर दी गई है। यहाँ पर कैसरबाग से चलने वाली हरदोई, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद एवं दिल्ली आदि की ओर जाने वाली बसें संचालित होगी तथा शहर की जाम की समस्या कम होगी।

जनपद लखनऊ के फैजुल्लागंज के दाउदनगर में विद्युत उपकेन्द्र निर्माण की स्थिति का विवरण देने विषयक

29-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के फैजुल्लागंज स्थित दाउदनगर में विद्युत उपकेन्द्र का शिलान्यास तत्कालीन गृह मंत्री भारत सरकार द्वारा जनवरी,

2018 में किया गया था ? यदि हाँ, तो उक्त विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण की वर्तमान प्रगति का विवरण सदन के पटल पर सरकार रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हाँ।

उपकेन्द्र का निर्माण बिजनेस प्लान-2019-20 के अन्तर्गत स्वीकृत है। उपकेन्द्र के निर्माण हेतु नगर निगम द्वारा पूर्व आवंटित भूमि तकनीकी रूप से उपयुक्त न होने के कारण कार्य बाधित था। नव आवंटित भूमि का कब्जा दिनांक 10-01-2020 को प्राप्त कर लिया गया है एवं उपकेन्द्र के निर्माण हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। उक्त उपकेन्द्र का निर्माण दिनांक 30-09-2020 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत कस्बा बड़ौत में बावली चुंगी बड़ौत पर स्थित परिवहन विभाग की भूमि पर मिनी रोडवेज बस स्टैण्ड का निर्माण कराये जाने विषयक

30-श्री कृष्णपाल मलिक-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कस्बा बडौत, जनपद बागपत में रोडवेज बस स्टैंड कस्बे की आबादी से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर होने के कारण यात्रियों को अत्यन्त असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार जनसुविधा को दृष्टिगत करते हुए बावली चुंगी बडौत पर स्थित परिवहन विभाग की खाली भूमि पर मिनी रोडवेज बस स्टैंड का निर्माण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक कटारिया-

जी नहीं।

बड़ौत में परिवहन निगम के निम्नवत् बस स्टेशन हैं :-

1-दिल्ली-सहारनपुर मार्ग पर शहर के मध्य से दिल्ली की ओर 02 किलोमीटर पर परिवहन निगम का एक बस स्टेशन है।

2-दिल्ली सहारनपुर मार्ग पर शहर के मध्य बुकिंग एवं एम0एस0टी0 काउन्टर है जहाँ से बसें रुक कर यात्रियों को ले जाती हैं।

3-मेरठ बड़ौत मार्ग पर किराये की भूमि पर बिनौली बस स्टेशन है, जो मुख्यतः मेरठ से आने वाले यात्रियों के लिये है।

4-बॉवली चुंगी परिवहन निगम की भूमि पर वर्तमान में निगम कर्मी तैनात है तथा बसें रोक कर यात्रियों को लेने व उतारने की सुविधा प्रदान की जा रही है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बड़ौत स्थित बॉवली चुंगी में परिवहन निगम की भूमि एवं संकरी पट्टी के रूप में है, जिसकी लम्बाई लगभग 184 मीटर तथा चौड़ाई अधिकतम 39 मीटर है। ऐसी स्थिति में बस स्टेशन में आवश्यक अवस्थापनाओं जैसे-यात्री शेड, कार्यालय आदि के निर्माण उपरान्त भूमि की चौड़ाई 39 मीटर से और कम हो जायेगी, जिससे बसों का मुड़ना कठिन होगा।

न्यूनतम मजदूरी का पुनर्निर्धारण कराने के सम्बन्ध में

31-श्री मनीष असीजा-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी का पुनरीक्षण कराने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी हाँ, प्रदेश में विभिन्न नियोजनो में मजदूरी का पुनरीक्षण कराये जाने हेतु उ0प्र0 न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के पुनर्गठन हेतु पुनरीक्षित प्रस्ताव श्रम आयुक्त कार्यालय के पत्र दिनांक 11-02-2020 द्वारा शासन को प्राप्त हुआ है जिसके गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड जखनियां में बने पावर हाउस का नवीनीकरण व क्षमतावृद्धि कराये जाने विषयक

32-श्री त्रिवेणी राम-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनियां के विकास खण्ड जखनियां में बने पावर हाउस पुराने एवं जर्जर हो चुके हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उनका नवीनीकरण व क्षमता वृद्धि करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हाँ।

जी हाँ।

(1) जखनियां 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि (10+5) एम0वी0ए0 से (2x10) एम0वी0ए0 दिनांक 12-01-2020 को की जा चुकी है।

(2) जखनियां 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र के कन्ट्रोल रूम को जनपदीय मरम्मत व अनुरक्षण कार्य बिजनेस प्लान 2019-20 में सम्मिलित कर लिया गया है एवं ई-निविदा आमंत्रित की जा चुकी है।

(1) जखनियां 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि दिनांक 12-01-2020 को की जा चुकी है।

(2) उपकेन्द्र के कन्ट्रोल रूम के जनपदीय मरम्मत व अनुरक्षण का कार्य दिनांक 30-06-2020 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अवैध खनन के दोषियों के विरुद्ध विगत दो वर्षों में की गई दण्डात्मक कार्रवाई का विवरण देने सम्बन्धी

33-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अवैध खनन में दोषियों के विरुद्ध विगत ढाई वर्षों में की गयी दण्डात्मक कार्रवाई का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

विगत वर्षों में अवैध खनन/परिवहन के विरुद्ध किये गये प्रवर्तन कार्य के आधार पर की गई कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है :-

वर्ष	प्रकरणों की सं0	राजस्व क्षतिपूर्ति के रूप में जमा धनराशि	दर्ज (FIR)	दर्ज परिवाद
2017-18	10188	28.73 करोड़	934	2228
2018-19	21752	80.86 करोड़	754	868
2019-20 (माह जनवरी, 2020 तक)	15625	56.12 करोड़	691	1508

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद एटा के एटानगर में पीपल अड्डा पर सरकारी ट्यूबवेल के पास ट्रान्सफार्मर को आबादी से अन्यत्र स्थानान्तरित करने विषयक

34-श्री ममतेश शाक्य-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा के एटा नगर में पीपल अड्डा पर सरकारी ट्यूबवेल के पास 400 के0वी0ए0 का विद्युत ट्रांसफार्मर घनी आबादी वाले क्षेत्र में लगा होने के कारण दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त ट्रांसफार्मर से लगभग 6 माह पूर्व दुर्घटना भी हुई है ? यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त ट्रांसफार्मर को अन्यत्र स्थानान्तरित करवायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

उपरोक्त ट्रान्सफार्मर से वर्तमान में दुर्घटना की कोई सम्भावना नहीं है क्योंकि ट्रान्सफार्मर उपयुक्त स्थान पर स्थापित है एवं उसके चारों तरफ फैसिंग भी स्थापित है।

लगभग 6 माह पूर्व स्पार्किंग होने के कारण ट्रान्सफार्मर की एल0टी0 केबिल क्षतिग्रस्त हुई थी जिसे तुरन्त ठीक कराकर विद्युत आपूर्ति सुचारु कर दी गई इसमें कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ था

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

घनी आबादी होने के कारण उक्त ट्रान्सफार्मर को तकनीकी रूप से अन्यत्र स्थानान्तरित करना सम्भव नहीं है।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के ग्राम रुधौली कला में पूर्व में बस स्टेशन के लिये आरक्षित भूमि पर अवैध कब्जे के विरुद्ध कार्रवाई के सम्बन्ध में

35-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के नगर पंचायत व तहसील स्तरीय कस्बा रुधौली के ग्राम रुधौली कला में पूर्व में बस स्टेशन के लिए आरक्षित भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अवैध कब्जादारों से भूमि मुक्त कराकर बस स्टेशन का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक कटारिया-

जी हाँ।

जी नहीं।

उक्त भूमि में जिला/मण्डल न्यायालय के आदेशानुसार यथा स्थिति बनाये रखने के निर्देश हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

बस स्टेशन हेतु आरक्षित भूमि का स्वामित्व राजस्व अभिलेखों में बस स्टेशन का नाम खारिज कर उच्चीकृत चिकित्सालय, रुधौली का नाम दर्ज है।

प्रदेश के सजा काट चुके बन्दियों को मुक्त कराने विषयक

36-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान में ऐसे कितने बन्दी हैं जो सजा पूरी हो जाने के बाद भी जेलों में बन्द है ? क्या सरकार उक्त बंदियों को चिन्हित कर जेल से मुक्त करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

शून्य।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रयागराज में सोरांव में उच्च क्षमता के ट्रान्सफार्मरों की स्थापना कराये जाने विषयक

37-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज में विधान सभा क्षेत्र सोरांव में स्थापित कम क्षमता वाले विद्युत ट्रान्सफार्मरों के स्थान पर उच्च क्षमता वाले विद्युत ट्रान्सफार्मरों की स्थापना सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हाँ।

जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र-सोरांव में परिवर्तकों के अधिभारित होने पर आवश्यकतानुसार क्षमतावृद्धि निरन्तर कराई जाती है।

जनपद प्रयागराज के विधान सभा सोरांव 2019-20 में 30 अतिभारित परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि लक्षित है जिसमें से अभी तक 26 अदद् परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि करा दी गई है अवशेष 04 परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि मार्च, 2020 तक करा दिया जायेगा (संलग्नक-1)।

प्रश्न नहीं उठता।

खनन मानकों का पालन कराये जाने सम्बन्धी शर्तों का अनुपालन न करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई का ब्यौरा देने विषयक

38-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खनन हेतु अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार पड़ोस के खेत, चकरोड अथवा सड़क की सुरक्षा के दृष्टिगत कितनी दूरी तक खनन कार्य करना अनुमन्य है ? क्या उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित करने या निगरानी हेतु कोई सरकारी तंत्र कार्यरत है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त शर्त का अनुपालन न करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध दिनांक 01-04-2019 से 31-12-2019 के मध्य की गयी दण्डात्मक कार्रवाई का ब्यौरा सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम-41 (ङ) के अनुसार सार्वजनिक निर्माण स्थल जैसे सार्वजनिक सड़कों और भवनों या निवासित स्थल से 50 मीटर की दूरी तथा ग्राम सड़क की दशा में बाहरी कोर से 10 मीटर की दूरी में किसी भी स्थल पर खनन-संक्रिया किया जाना अनुमन्य नहीं है। खनन योजनाओं एवं पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र में दी गई शर्तों के अनुसार नियत दूरी पर पड़ोस के खेत से खनन कार्य किया जाना अनुमन्य है।

प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों द्वारा नियमानुसार निगरानी सुनिश्चित की जाती है।

दिनांक 01-04-2019 से 31-12-2019 के मध्य कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में पंजीकृत भवन सन्निर्माण श्रमिकों द्वारा चिकित्सा सहायता योजना के अन्तर्गत धनराशि प्रदान किये जाने विषयक

39-श्री मनीष असीजा-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में कुल कितने भवन सन्निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं एवं कितने श्रमिकों ने प्रतिवर्ष स्वास्थ्य लाभ हेतु मिलने वाली चिकित्सा सहायता योजना के अन्तर्गत रु0 3000/2000 की धनराशि प्राप्त हैं ? क्या सरकार भवन सन्निर्माण श्रमिकों को प्रदान की जाने वाली चिकित्सा सहायता योजना अन्तर्गत प्रतिवर्ष 3000/2000 रुपये की धनराशि को जनपद फिरोजाबाद में एक साधन अभियान चलाते हुए प्रदान कराये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद में दिनांक 19-12-2020 तक कुल 67067 निर्माण श्रमिक पंजीकृत हुए हैं।

श्रमिकों को प्रतिवर्ष चिकित्सा सुविधा के अन्तर्गत दिये गये लाभों का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0-सं0	वित्तीय वर्ष 2017-18 में	वित्तीय वर्ष 2018-19 में	वित्तीय वर्ष 2019-20 में (माह दिसम्बर, 2019 तक)
1	3356	3735	2667

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत निर्माण श्रमिकों के पंजीयन हेतु एवं पूर्व से पंजीकृत श्रमिकों के हितलाभ आवेदन भरवाये जाने हेतु समय-समय पर शिविरों का आयोजन किया जाता है।

लागू नहीं।

न्यूनतम मजदूरी का पुनरीक्षण कराये जाने व न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति का गठन कराये जाने के सम्बन्ध में

40-श्री मनीष असीजा-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात् होने वाली न्यूनतम मजदूरी सलाहकार का पुनरीक्षण सरकार करायेगी ? क्या सरकार

बतायेगी कि न्यूनतम मजदूरी का पुनरीक्षण कराये जाने हेतु न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति की सलाह लेना अनिवार्य है ? यदि हाँ, तो सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति का गठन करा लिया गया है ? यदि नहीं तो क्या सरकार न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति का गठन करने पर विचार करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी हाँ। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा-7 व 9 के अधीन प्राविधानित है। न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड का कार्यकाल अधिनियम की व्यवस्थानुसार दो वर्ष रखा गया है।

जी हाँ। विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी का पुनरीक्षण कराये जाने हेतु न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड तथा समिति/उप समितियों की सलाह से ही न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किये जाने की व्यवस्था है।

श्रम आयुक्त कार्यालय के पत्र दिनांक 11-02-20 द्वारा शासन को पुनरीक्षित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, बोर्ड के गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

शासन के निर्णयोपरान्त 'उ0प्र0 न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड' का पुनर्गठन कर लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में ओवरलोड, बिना रवन्ना के ट्रकों पर कार्यवाही करने तथा ट्रकों व खदान संचालकों पर कार्यवाही विषयक

41-श्री बृजेश कुमार प्रजापति-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बांदा में दिनांक 01 नवम्बर 2019 से 25 जनवरी 2020 तक बालू, मोरंग के ओवरलोड तथा बिना रवन्ना के कितने वाहनों पर क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त ट्रक किन खदानों से बालू/मोरंग लेकर आये थे और उन खदान संचालकों पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद बांदा में दिनांक 01 नवम्बर, 2019 से 25 जनवरी, 2020 तक ओवरलोड तथा बिना रवन्ना के वाहनों पर की गई कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है :-

कुल प्रकरण	शमन के प्रकरण	वसूली की धनराशि रुपये	दर्ज एफ0आई0आर0	दर्ज परिवाद
1132	438	1.65 करोड़	23	671

जनपद बांदा के चार खनन पट्टाधारकों के स्वीकृत क्षेत्र से 22 ओवरलोड वाहनों का प्रकरण संज्ञान में आने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार नोटिस निर्गत की गई है। उक्त के

अतिरिक्त सीमावर्ती राज्य मध्य प्रदेश से आये बिना रवन्ना/ओवरलोड खनिज वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के यात्रियों की सुविधा हेतु अत्याधुनिक बस स्टैण्ड बनाये जाने विषयक

42-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में यात्रियों की सुविधा हेतु रोडवेज व प्राइवेट बसों के लिए अत्याधुनिक बस स्टैण्ड नहीं हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि झांसी नगर निगम ने एक प्रस्ताव पास कर के जमीन भी किराये पर देने के लिए प्रस्ताव पास कर दिया जिसमें मौजा कौछाभवर स्थित आराजी सं0-516 रकबा 6.013 है0 में से 2.835 है0 (7 एकड़) का प्रस्ताव पास कर दिया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार अत्याधुनिक बस स्टैण्ड बनायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक कटारिया-

जी हाँ।

जी हाँ।

जी हाँ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जिला मुरादाबाद, तहसील बिलारी, पूर्ति कार्यालय से सम्बद्ध राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के कार्डों व यूनिटों में वेवजह कटौती व अवैध वसूली समाप्त करने व दोषियों को दण्डित करने सम्बन्धी

43-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्ति कार्यालय तहसील-बिलारी, जिला-मुरादाबाद से सम्बद्ध राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों के कार्ड और यूनिट बेवजह काटे जाने और उसके ठीक कराने के नाम पर हो रही अवैध वसूली सरकार के संज्ञान में है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अवैध वसूली को रोकने एवं दोषियों को दण्डित करने का कार्य करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रकरण की जांच उप जिलाधिकारी, बिलारी से कराई गई। किसी भी कार्डधारक से नाम ठीक कराने या यूनिट सीड कराये जाने हेतु किसी के भी द्वारा अवैध वसूली का कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया।

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र बड़ौत में लापरवाही से विद्युत तार टूटने, दुर्घटनाओं में मृतकों के परिवार को मुआवजा दिये जाने व दुर्घटनाओं को रोकने हेतु योजना विषयक

44-श्री कृष्णपाल मलिक-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बडौत में वर्तमान सरकार के गठन से अब तक विद्युत तार टूटने/विद्युत दुर्घटनाओं के कारण कितने लोगों की असमय मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम व पते क्या हैं तथा कितने मृतकों को विभाग द्वारा मुआवजा दिया गया है एवं उनके नाम व पते क्या हैं और कितने मृतकों के मुआवजा आवेदन लम्बित हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

वर्तमान वर्ष विधान सभा क्षेत्र, बड़ौत के अन्तर्गत वर्तमान सरकार के गठन से अब तक विद्युत तार टूटने से विद्युत दूर्घटनाओं के कारण कुल 13 लोगों की असमय मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम व पते संलग्नक-1 में उल्लिखित हैं। 13 मृतकों के परिजनों को विभाग द्वारा मुआवजा प्रदान किया जा चुका है एवं उनके नाम व पते संलग्नक-1 में उल्लिखित हैं। किसी मृतक का मुआवजा लम्बित नहीं है।

जी हाँ। उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रयागराज के सोरांव में गांवों में विद्युतीकरण कराये जाने विषयक

45-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के सभी गांवों में विद्युत आपूर्ति है ? क्या सरकार शेष गांवों में विद्युत व्यवस्था आपूर्ति की जायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हाँ।

जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के सभी 172 अदद राजस्व ग्राम सभाओं में विद्युत आपूर्ति है। (संलग्नक-1)[†]

प्रश्न नहीं उठता।

[†] छापी नहीं गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विद्युत बिलों में गड़बड़ी रोकने हेतु योजना के विवरण विषयक

46-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत बिलों में हो रही गलत रीडिंग आदि की गड़बड़ी के रोकथाम हेतु कोई कार्य योजना है ? यदि हाँ, तो योजना का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हाँ।

यदि किसी प्रकरण में मीटर रीडिंग गलत अंकित हो जाती है तो ऐसे बिलों को संशोधित कर सही बीजक निर्गत कर दिया जाता है। गलत बिलों को ठीक किया जाना विभाग की नियमित प्रक्रिया है। गलत बिलों का संशोधन विभाग द्वारा प्राथमिकता पर लिया गया है। गलत बिलों को ठीक कराये जाने हेतु उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की फील्ड इकाइयों को लगातार निर्देशित किया जा रहा है। 1912 हेल्पलाइन नं0 पर भी अन्य शिकायतों के साथ-साथ बिलों की शिकायतें भी दर्ज होती हैं। गलत बिलों का संशोधन 07 दिनों के अन्दर करने का मानक निर्धारित है, जिसका सतत् अनुश्रवण किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रयागराज में पूर्वांचल विद्युत वितरण कार्यालय जार्ज टाउन में स्थानान्तरण नीति के तहत कर्मचारियों/अधिकारियों का स्थानान्तरण कराये जाने विषयक

47-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज में पूर्वांचल विद्युत वितरण कार्यालय जार्ज टाउन में ऐसे कितने अधिकारी/कर्मचारी हैं जो लगभग विगत 5 वर्षों से तैनात हैं ? क्या सरकार शासन की स्थानान्तरण नीति के तहत ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों का अन्यत्र स्थानान्तरण करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद प्रयागराज में पूर्वांचल विद्युत वितरण कार्यालय जार्ज टाउन में अधिकारियों की संख्या शून्य है तथा कर्मचारियों की संख्या-68 है, जो लगभग विगत 5 वर्षों से तैनात हैं।

नियमानुसार अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर अन्तर्गत सैदपुर विधान सभा क्षेत्र में वनवासी (मुशहर) बस्ती में 5-5 सोलर लाईट लगाने विषयक

48-श्री सुभाष पासी-

क्या अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सैदपुर में वनवाशी (मुसहर) समुदाय बस्ती में 5-5 सोलर लाईट सरकार लगायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

विधान सभा क्षेत्र सैदपुर में कुल 58 वनवाशी (मुशहर) समुदाय की बस्तियां हैं। इन बस्तियों में से ग्राम सभा-सइचना, विकास खण्ड-देवकली के अन्तर्गत दूरस्थ ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में एक मुशहर बस्ती में 02 अदद परिवारों में सोलर पावर पैक स्थापित कराये गये हैं।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक बस्ती में 5 अदद सोलर लाईट की स्थापना कराये जाने पर कुल 290 अदद सोलर स्ट्रीट लाईटें लगाई जा सकती हैं। सोलर स्ट्रीट लाइट का वर्तमान मूल्य रु0 23,665/- प्रति संयंत्र दर (आपूर्ति, स्थापना, कमिशनिंग एवं 05 वर्ष की कम्प्रीहेन्सिव वारण्टी तथा अनुषांगिक व्यय के साथ) निर्धारित है। उक्तानुसार 58 मुशहर बस्तियों में कुल 290 अदद सोलर स्ट्रीट लाईटों की स्थापना कराये जाने पर रु0 68,62,850/- मात्र का व्यय भार आयेगा। प्रोजेक्ट मोड के अन्तर्गत यू0पी0 नेडा द्वारा प्रति लाईट रु0 7100/- मात्र की धनराशि उपलब्ध कराई जाती है तथा शेष धनराशि मा0 जनप्रतिनिधियों की क्षेत्र विकास निधियों से यू0पी0 नेडा को प्राप्त होने पर सोलर लाईटों की स्थापना यू0पी0 नेडा द्वारा अल्प समय में कराई जा सकती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र नौतनवां में जर्जर विद्युत तारों को बदलने विषयक

49-श्री अमन मणि त्रिपाठी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जर्जर विद्युत तारों को बदले जाने की कोई योजना सरकार द्वारा संचालित है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार बतायेगी कि विधान सभा क्षेत्र नौतनवां के किन-किन विद्युत उपकेन्द्रों के अन्तर्गत किन-किन गांवों में कुल कितने जर्जर तारों को बदला गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हाँ।

प्रदेश में पुराने जर्जर तारों का बिजनेश प्लान से प्रतिस्थापित किया जाता है इसके अतिरिक्त ए0डी0बी0 से ऋण लेकर 1000 से अधिक आबादी वाले मजरे के पुराने व जर्जर तारों को ए0बी0 केबिल से प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

विधान सभा नौतनवां के अन्तर्गत जर्जर तार नहीं बदले गये हैं।

विधान सभा नौतनवां के ब्लाक लक्ष्मीपुर और नौतनवां के 1000 से अधिक आबादी वाले 126 मजरों में (संलग्नक-1)† पुराने जर्जर तारों को ए0बी0 केबिल से बदलने का कार्य प्रस्तावित है जिसे 2020-21 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। विधान सभा नौतनवां के अवशेष मजरों के जर्जर तार बिजनेश प्लान 2020-21 में सम्मिलित कर बदल दिया जायेगा।

जनपद बस्ती के महर्षि वशिष्ट मेडिकल कालेज के निर्माण में राजकीय निर्माण निगम द्वारा बिजली चोरी किये जाने के सम्बन्ध में

50-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के महर्षि वशिष्ट मेडिकल कालेज में वर्तमान में हो रहे निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा बिना अस्थाई विद्युत कनेक्शन लिये ही अस्पताल की बिजली से निर्माण कार्य कराया जा रहा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

जनपद बस्ती में महर्षि वशिष्ट मेडिकल कालेज में स्थाई 500 के0वी0ए0 का विद्युत संयोजन 33 के0वी0 विभव पर स्वीकृत एवं चालू है। इस संयोजन पर आपूर्तित विद्युत उपभोग द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ आदेश दिनांक 01-10-2014 (प्रभावी दिनांक 12-10-2014) के जनरल प्रोविजन के प्रस्तर-15 के अनुसार यदि किसी मीटर्ड उपभोक्ता द्वारा अपने उसी परिसर में विस्तार कार्य कराया जाता है, तो उसे अलग से अस्थाई संयोजन लेने की बाध्यता नहीं है, बशर्ते मीटर में डिमाण्ड स्वीकृत भार से अधिक न हो तथा उसकी बिलिंग टैरिफ में अनुमन्य श्रेणी के अनुसार हो रही हो।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

[12:20] औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

अब हम नियम-300 की सूचनाएं लेते हैं, आज इसमें दो सूचनाएं हैं, पहली सूचना श्री उमाशंकर सिंह जी की लोक सभा की भांति विधान सभा/विधान परिषद् की सीधी कार्यवाही दिखाये जाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा अपना चैनल स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में है। हालांकि इसका सम्बन्ध है नहीं लेकिन आप कह लीजिये।

---

† छापी नहीं गयी।

लोकसभा की भांति विधान सभा/विधान परिषद् की सीधी कार्यवाही दिखाए जाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा अपना चैनल स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

***श्री उमाशंकर सिंह-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ मैं इसको नियम-300 में लेकर आया हूँ इसका पूरा तालुकात इस विधान सभा से है। मान्यवर, आज जो भी कार्यवाही यहाँ होती है, इसके लिए मैं आपको बधाई भी देता हूँ कि आपकी अध्यक्षता में जब से कार्यकाल शुरू हुआ है तो कम से कम 11 बजे से ले करके दो बजे तक इस विधान सभा की कार्यवाही का प्रसारण डी0डी0 उत्तर प्रदेश चैनल पर होता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि चूँकि यह सदन 6-6, 7-7 बजे तक चलता है और चूँकि आप कहते हैं कि हमारे आचरण को पूरा प्रदेश देखता भी है, लेकिन 02-00 बजे के बाद डर भी रहता है कि हम ऐसा आचरण करें कि बाहर लोग न देखें। 02:00 के बाद अगर हमारा आचरण खराब भी होगा तो बाहर कोई नहीं देखेगा।

श्री अध्यक्ष-

02:00 नहीं बजा, इसीलिए आज लड़ाई ज्यादा थी।

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरा आग्रह है। चूँकि आप हमेशा समय-समय पर लोक सभा और राज्य सभा का अनुसरण भी करते हैं, तो जिस तरह से लोक सभा में 'लोकसभा टी0वी0' है, राज्य सभा में 'राज्य सभा टी0वी0' है। देखा जाए तो अगर यह प्रदेश नहीं होता, तो दुनिया का सबसे बड़ा पांचवां देश होता, लेकिन आज यह भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, इसलिए यह आवश्यक है कि लोक सभा और राज्य सभा की भांति उत्तर प्रदेश विधान सभा की भी अपनी टी0वी0 चैनल होनी चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश 'विधान सभा टी0वी0 चैनल' हम रखते हैं, अपना चैनल लान्च करते हैं, तो जब तक सदन चलेगा, तब तक सदन की कार्यवाही उस पर दिखायी जाए और जब सदन नहीं चलेगा, तब सरकार की अन्य उपलब्धियों का उस पर प्रसारण कर सकते हैं। समय-समय पर आपके सुझाव भी उस पर दिखाये जा सकते हैं। इस तरह से आप जैसे विद्वान लोगों का भी उसमें मार्गदर्शन देखने को मिल सकता है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपनी अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश को एक सौगात के रूप इसको दीजिये, जिससे उत्तर प्रदेश की एक अलग पहचान बन सके।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आपका विषय आ गया है और यह नियम-300 में नहीं आता है, इसलिए हम इसे अग्राह्य करते हैं। मा0 नरेन्द्र वर्मा जी का एक विषय है, इन्होंने इसे कल भी दिया था, इसलिए हमने सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु कह दिया था।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आई स्पर्श ग्राम योजना हेतु स्वीकृत धनराशि को निर्गत न कराए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

***श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

मा0 अध्यक्ष जी, हमने जो नियम-300 की सूचना आपको दी है, वह इसी विधान सभा के मण्डप से जुड़ा हुआ है। सप्लीमेंट्री बजट में सीतापुर और उन्नाव के छः गांवों के लिए अधूरे कामों को पूरा करने के लिए बजट में 9 करोड़ 77 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था। ये काम 'आई स्पर्श स्मार्ट ग्राम योजना' के अधूरे गांव थे, गेट, खेल के मैदान की बाउन्ड्रीवाल, सार्वजनिक शादी भवन आधे बने खड़े हैं इसके अलावा इंटरलॉकिंग, सी0सी0 रोड और सौर ऊर्जा का कार्य भी पूर्ण नहीं हुआ है। सप्लीमेंट्री में बजट के प्रावधान के बाद भी कार्य पूर्ण नहीं हुए। आज हम आपसे विनती करेंगे कि आपके उन्नाव में पैसा जारी हो गया, लेकिन सीतापुर में अभी तक नहीं जारी हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

हम देखेंगे कि उन्नाव में कैसे जारी हो गया।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, उन्नाव में जारी हो गया, इसके लिए आपको धन्यवाद, लेकिन सीतापुर के जिन तीन गांवों में मीरा नगर, कपूरा और पोखराकला में पैसा नहीं जारी हुआ, उसके लिए हम आपका आशीर्वाद/स्नेह/संरक्षण चाहते हैं कि उन गांवों के अधूरे कार्यों को पूर्ण करने हेतु पैसा जारी करा दें।

[12:25] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी आपका विषय आ गया है। हमने सरकार से कह दिया है कि इस प्रकरण को सरकार देखे/जांचें और आवश्यक कार्यवाही करे।

अब मुझे दो छोटी-छोटी सूचनाएं देनी है। एक छोटी सूचना यह है कि नियम-301 में आज 80 सूचनाएं प्राप्त हुईं और सभी सूचनाएं स्वीकृत की गयीं और पढ़ी हुई मानी गईं।

(सदन की सहमति से संलग्न सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मनी गईं)

1-श्री कैलाश नाथ सोनकर की जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र अजगरा के अन्तर्गत पुवारी कला से तिवारीपुर तक रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 2-श्रीमती राजबाला की जनपद लखनऊ के निशातगंज में गुड बेकरी चौराहे पर अवैध कब्जे एवं जाम से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, 3-श्रीमती निर्मला संखवार की जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र रसूलाबाद के अन्तर्गत ग्राम सभा जोत से आश्रम तक मार्ग का निर्माण कराये

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाने के सम्बन्ध में है, 4-श्री संजय सिंह गंगवार की जनपद पीलीभीत के कतिपय स्थानों पर कूड़े से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, 5-डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल की जनपद गोरखपुर में राजनगरी विकास प्राधिकरण द्वारा डूडा तथा कार्यदायी संस्था द्वारा हुए दुरुपयोग की जांच कराने तथा जिम्मेदार अधिकारियों को दण्डित कराये जाने के सम्बन्ध में है, 6-श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह की जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत ट्रामा सेण्टर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 7-श्री अवस्थी बाला प्रसाद की जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लाक धौरहरा एवं ब्लाक रमिया बेहड़ में शुद्ध पेयजल हेतु नारखी ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना शीघ्र प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में है, 8-श्री शशांक त्रिवेदी की जनपद सीतापुर के विकास खण्ड पिसावां में ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के अन्तर्गत पानी टैंक लगवाये जाने के सम्बन्ध में है, 9-डॉ0 मन्जू शिवाज की जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर के अन्तर्गत तहसील मोदीनगर में ग्रामीण न्यायालय शुरू कराये जाने के सम्बन्ध में है, 10-श्री राम प्रताप सिंह की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के अन्तर्गत भू-माफियाओं द्वारा किये जा रहे अवैध कब्जों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, 11- डॉ0 संगीता बलवन्त की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र गाजीपुर सदर के अन्तर्गत नन्दगंज में चीनी मिल को पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, 12-श्री कारिन्दा सिंह की जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र गोवर्द्धन के अन्तर्गत माइनरों में हो रहे सीपेज के कारण टेल तक पानी न पहुंचने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, 13-श्री सीताराम वर्मा की जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत करिया बझना को धार्मिक पर्यटन स्थल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में है, 14-श्री मूलचन्द्र निरंजन की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ के अन्तर्गत प्रमुख मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 15-श्री कैलाश नाथ शुक्ल की जनपद बलरामपुर के तहसील बलरामपुर के अन्तर्गत राप्ती नदी के कटान से प्रभावित क्षेत्र में तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में है, 16-डॉ0 श्याम बिहारी लाल की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड भुता में आई0टी0आई0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 17-श्री चेतराम की जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायां के अन्तर्गत बस अड्डे का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 18- श्री विपिन कुमार डेविड की उ0प्र0 में जन स्वास्थ्य रक्षक की सेवाओं को बहाल किये जाने के सम्बन्ध में है, 19-श्री सत्यपाल सिंह राठौर की जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र अलीगंज के अन्तर्गत प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 20-श्री सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत गुरचाही सम्पर्क मार्ग से वनिया गांव तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 21-श्री मुकेश चन्द्र वर्मा की जनपद फिरोजाबाद के ग्राम सोफीपुर के गाटा संख्या 90 में ग्राम सभा की भूमि पर श्रमिकों के बच्चों हेतु अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, 22-श्री दलवीर सिंह की जनपद अलीगढ़ में बरौली-कटरा-चण्डौस-पिसावां मार्ग को प्रमुख जिला मार्ग घोषित एवं निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 23-श्री ज्ञान तिवारी की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सेवता के अन्तर्गत कतिपय विकास

खण्डों में महिला विद्यालयों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 24-श्री लाल बहादुर की जनपद कौशाम्बी के तहसील मंझनपुर स्थित महाकवि तुलसी दास प्रेरणा स्थलीय रत्नावली धाम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कराये जाने के सम्बन्ध में है, 25-श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया की प्रधानमंत्री कृषि सेवा योजनान्तर्गत खुदवाये गये तालाबों में पम्पसेट के अनुदान में वृद्धि के सम्बन्ध में है, 26-श्री प्रभात कुमार वर्मा की जनपद गोंडा में विश्वविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, 27-श्री प्रेमनारायण पाण्डेय की जनपद गोंडा के विधान सभा क्षेत्र तरबगंज के अन्तर्गत घाघरा नदी पर सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 28-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के अन्तर्गत कतिपय नगर पालिका एवं नगर पंचायत में पार्कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 29-डा0 अरुण कुमार की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बरेली शहर के अन्तर्गत महाराणा प्रताप जिला संयुक्त चिकित्सालय के पुरुष विभाग को स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में है, 30-श्री सत्यवीर त्यागी की जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र किठौर के अन्तर्गत ग्राम मवी से ग्राम एत्मादपुर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 31-श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बल्देव के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा ग्राम सूरज एवं डहरुआ फाटक पर किये गये सी0सी0 निर्माण में अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, 32-श्री राम चन्द्र यादव की प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2019-2020 में आयी बाढ़ से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के हुए नुकसान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, 33-श्री राजीव तरारा की जनपद अमरोहा के तहसील धनौरा अन्तर्गत एस0डी0एम0 धनौरा द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में है, 34-श्री भूपेश चौबे की जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र राबर्ट्सगंज के अन्तर्गत ब्लाक चतरा में मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 35-कुं0 सुशान्त सिंह की जनपद बिजनौर के हिन्दू शरणार्थियों को कृषि भूमि पर मालिकाना हक दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, 36-वीर विक्रम सिंह प्रिंस की जनपद शाहजहाँपुर में प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग उ0प्र0 शासन द्वारा जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई कराये जाने के सम्बन्ध में है, 37-श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया के रसड़ा तहसील में इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, 38-श्री उज्जवल रमण सिंह की जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र बांसगांव में इंटरलॉकिंग रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 39-श्री बम्बालाल की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर में सड़कों के निर्माण हेतु धन का आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में है, 40-श्री पंकज गुप्ता की जनपद अमेठी में तैनात लेखपाल श्री शहजाद अहमद द्वारा व्यापक रूप से अनियमितता किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, 41-श्री दयाराम चौधरी की जनपद बस्ती स्थित पालिटेक्निक चौराहे से संजय कालोनी मरोठिया तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 42-श्री जितेन्द्र वर्मा की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 43-श्री अजय कुमार सिंह 'अजय सिंह' की लघु सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित चेकडैमों के निर्माण में हुई अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, 44-श्री जवाहर

लाल राजपूत की झांसी के किले में रानी लक्ष्मी बाई के जन्मोत्सव पर दीपोत्सव मनाये जाने के सम्बन्ध में है, 45-श्रीमती अनीता की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर में व्याप्त जाम की समस्या का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 46-श्री सोवरन सिंह यादव की जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र करहल के कतिपय सम्पर्क मार्गों का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 47-श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के तहसील मुख्यालय में स्थित शौचालय की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, 48-श्री पारसनाथ यादव की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मल्हनी की कतिपय सड़कों का निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, 49-श्री गौरव कुमार की जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र जैदपुर स्थित हरक सतरिख-चिनहट बार्डर मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, 50-श्री प्रभुनारायण सिंह यादव की जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा स्थित कैलीमार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, 51-श्री संजय प्रताप जायसवाल की जनपद बस्ती के जिलाधिकारी द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने में पक्षपात किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, 52-श्री रजनीकांत मणि त्रिपाठी की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर ट्रामा सेण्टर एवं क्रिटिकल केयर सेण्टर बनाये जाने के सम्बन्ध में है, 53-श्री चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल की जनपद बस्ती के शहीद गांव कुसमौर में मूलभूत सुविधाएं प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है, 54-श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के विभिन्न गांवों में जल निकासी की व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने के सम्बन्ध में है, 55-श्री मसूद अख्तर की जनपद सहारनपुर की कतिपय नदियों पर रपटे का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 56-श्री नरेश सैनी की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट में व्याप्त पेयजल संकट के निराकरण हेतु पाइपलाइनों में हो रहे लीकेज को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में है, 57-श्री सोहिल अख्तर अंसारी की विधान सभा क्षेत्र कानपुर छावनी स्थित संकरे पुल से हो रही परेशानियों को दूर कराये जाने के सम्बन्ध में है, 58-डॉ0 हरगोविन्द भार्गव की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली स्थित एक निश्चित मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 59-श्री आजाद अरिमर्दन की जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड ठेकमा के अन्तर्गत ग्राम जमुआवां स्थित निश्चित पिच मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 60-श्री असलम अली की जनपद हापुड़ के विकास खण्ड धौलाना में अग्निशमन केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 61-श्री हाकिम लाल बिन्द की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हंडिया स्थित निश्चित सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 62-श्री मो0 मुजतबा सिद्दीकी की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा गढ़वा में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 63-श्री सुखदेव राजभर की जनपद प्रयागराज स्थित ग्राम रसपीपुर के भूमि नं0 458 घ एवं 485 पर अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, 64-श्री राम अचल राजभर की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के

अन्तर्गत प्रा0 विद्यालय के नजदीक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 65-कुंवर नरेन्द्र पाल सिंह की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र काल्पी के कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 66-श्री अमन मणि त्रिपाठी की प्रदेश में वन्य क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किये जाने के सम्बन्ध में है, 67-श्री बहोरन लाल मौर्य की जनपद बरेली में नवनिर्मित अस्पताल को संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में है, 68-श्री नाहिद हसन की सहारनपुर मण्डल की जेलों में व्याप्त अनियमितताओं को दूर किये जाने के सम्बन्ध में है, 69-श्री मनोज कुमार पाण्डेय की जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार में लोक निर्माण विभाग द्वारा अनियमित रूप से अतिक्रमण हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, 70-श्री पल्टूराम की जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र बलरामपुर में कतिपय सड़कों के निर्माण हेतु धन का आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में है, 71-श्रीमती जय देवी की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद की कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 72-डॉ0 डी0सी0 वर्मा की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र मीरगंज में राजकीय इंटर कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 73-श्री उमेश मलिक की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना के अन्तर्गत मंडी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 74-श्री बृजेश कुमार की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान में नहर पट्टी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 75-श्री सुरेन्द्र मैथानी की जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र गोविन्दनगर के अन्तर्गत सी0टी0आई0 पुल के समानान्तर पुल न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, 76-श्री प्रमोद उटवाल की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के अन्तर्गत ग्राम बधाई खुर्द में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 77-श्री राकेश प्रताप सिंह की जनपद अमेठी के विकास खण्ड गौरीगंज में कतिपय सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 78-श्री शैलेश कुमार सिंह 'शैलू' की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत मोहल्ला बंशीबाजार में 400 के0वी0 का ट्रांसफार्मर लगवाये जाने के सम्बन्ध में है, 79-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की जनपद सीतापुर के अन्तर्गत संचालित आश्रम पद्धति विद्यालय हाजीपुर व मुर्तजानगर में शिक्षकों की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा 80-श्रीमती सावित्री कठेरिया की जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना के अन्तर्गत चकरनगर में कन्या इंटर कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में है।

(सदन की सहमति से सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं)

जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र अजगरा के अन्तर्गत पुवारी कला से तिवारीपुर तक रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कैलाश नाथ सोनकर-

[मान्यवर, पुआरी कला से तिवारी पुर हरिजन बस्ती तक पिच रोड काफी जर्जर एवं जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, इस रास्ते पर कई गांव के लोगों का नियमित आना-जाना रहता है

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिसके कारण रात-दिन लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जनहित में इस रास्ते का निर्माण कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद लखनऊ के निशातगंज में गुड बेकरी चौराहे पर अवैध कब्जे एवं जाम से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती राजबाला-

[मान्यवर, कृपया आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि लखनऊ शहर के निशातगंज के गुड बेकरी/करामत मार्केट चौराहा जहाँ पर गोपाल पुरवा पुलिस चौकी स्थापित है से एक सड़क आई0टी0 कालेज की तरफ, एक सड़क इन्दिरानगर की तरफ एक सड़क गोल मार्केट की तरफ तथा एक सड़क निशातगंज होते हुए हजरतगंज की तरफ आती है, परन्तु गुड बेकरी/करामत मार्केट चौराहा जहाँ पर गोपाल पुरवा पुलिस चौकी स्थापित है वहाँ से गोल मार्केट, निशातगंज की तरफ तथा इन्दिरानगर की तरफ फ्लाईओवर के नीचे अवैध रूप से फल, सब्जी तथा अन्य प्रकार के बिकने वाले सामानों के ठेले व तख्त लगाकर पूरी तरह से कब्जा किया गया है। इसके अतिरिक्त करामत मार्केट के सामने सामान ढोने वाले डाला गाड़ी स्थाई रूप से खड़े रहते हैं तथा विक्रम टैम्पो/ई-रिक्शा जिसमें बहुत से अवैध रूप से बिना परमिट के विभिन्न स्थानों के लिये जाने हेतु यहाँ खड़े रहते हैं इनकी सबकी संख्या इतनी ज्यादा है कि आम नागरिकों को आने-जाने में आये दिन दुर्घटना होती रहती है। अतएव इनकी वहाँ खड़े रहने की संख्या निर्धारित किये जाने की आवश्यकता है।

अतः इस निश्चित विषय पर शीघ्र कार्रवाई कराये जाने हेतु सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें।]

जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र रसूलाबाद के अन्तर्गत ग्राम सभा जोत से आश्रम तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती निर्मला संखवार-

[मान्यवर, मैं सदन के संज्ञान में अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रकरण लाना चाहती हूँ।

कानपुर देहात के अन्तर्गत मेरी विधान सभा 205 रसूलाबाद के विकास खण्ड जगदम आश्रम है जोकि पौराणिक रूप से विख्यात परशुराम जी के पिता जी का आश्रम के रूप में विख्यात है वहाँ पर प्रतिवर्ष मेला लगता है क्षेत्र के लोगों को इस मन्दिर के प्रति काफी आस्था है, ग्राम सभा जोत से आश्रम जाने के लिये रास्ता है जिस पर 15 वर्ष पूर्व जिला परिषद्

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कानपुर देहात द्वारा सड़क पर खड़न्जे का निर्माण कराया गया उस रास्ते की हालत अत्यन्त दयनीय है।

अतः मैं सदन के माध्यम से उक्त समस्या की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य को सड़क के कार्य को सम्पादित कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।]

जनपद पीलीभीत के कतिपय स्थानों पर कूड़े से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय सिंह गंगवार-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नगर क्षेत्र पीलीभीत में शहर का ब्रह्मचारी घाट जनपद वासियों के लिये आस्था का केन्द्र है। इसी के बराबर में प्रसिद्ध शिवजी का गौरीशंकर मन्दिर स्थित है। ब्रह्मचारी घाट व गौरीशंकर मन्दिर देवा नदी के तट पर स्थित है। ब्रह्मचारी घाट पर नगर पालिका परिषद् पीलीभीत द्वारा शहर का अधिकांश कूड़ा कचरा डलवाया जा रहा है जिससे इस आस्था के स्थान पर बदबू के चलते नगर वासियों में आक्रोश व्याप्त है। इसके अतिरिक्त देवा नदी के किनारे शहर का एक मात्र रोडवेज बस स्टैण्ड एवं जहानाबाद बरेली तिराहे पर रोड के पूरब में भी कूड़ा-कचरा डाला जा रहा है जिसके कारण जनता में काफी रोष है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त स्थान पर डाले जा रहे कूड़े-कचरे को अविलम्ब रोकने एवं इसके लिये दोषी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद गोरखपुर में राजनगरी विकास प्राधिकरण द्वारा डूडा तथा कार्यदायी संस्था द्वारा हुए दुरुपयोग की जांच कराने तथा जिम्मेदार अधिकारियों को दण्डित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

[मान्यवर, उपरोक्त शासनादेश के द्वारा शासन के निर्देश पर सूडा, उत्तर प्रदेश ने डूडा गोरखपुर को रु0 1104.54 लाख वर्ष 2009-11 के बीच अवमुक्त किये थे। योजना अन्तर्गत कुल 433 आवास, 38.80 किलोमीटर सी0सी0 रोड, 6809 कि0मी0 स्टार्न वाटर ड्रेन, 551 मीटर के0सी0 ड्रेन, 3 ट्यूबवेल, 3 पम्प हाउस, 3 पम्पिंग प्लाण्ट इन्स्टालेशन, 3 इलेक्ट्रिक ट्रान्समीशन लाईन, 3 क्लोटिनेशन प्लाण्ट, 3 राइसिंग मैन, 3 ओवर हेड टैंक, 3 डिस्ट्रीव्यूशन लाईन, 433 सेप्टिक टैंक बनाये जाने थे। 9 फरवरी, 2020 को हमारे द्वारा किये गये निरीक्षण के दौरान कार्यदायी संस्था यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 गोरखपुर के द्वारा लिखित रूप से सूचित किया गया कि 433 आवास पूर्णतया, 320 सेप्टिक टैंक, 2 अदद नलकूप, 2 अदद ओवर हेड टैंक तथा सी0सी0 रोड का निर्माण पूर्ण कर लिया गया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लेकिन जब हमने स्थलीय निरीक्षण किया तो जंगरू मातादीन (निरीक्षण स्थल) के अधिकांश आवास पूरी तरह जर्जर हो चुके थे और रहने योग्य नहीं थे, ओवर हेड टैंक का निर्माण तो हुआ था लेकिन आज तक न तो उसे प्रारम्भ किया गया और न ही राइसिंग मेन/ डिस्ट्रीव्यूशन लाईन डाली गई थी। 2 नलकूप गाड़ने की बात कही गई लेकिन कोई नलकूप काम करता नहीं मिला। सी0सी0 रोड खोजने पर भी नहीं मिली। यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन, गोरखपुर के तत्कालीन परियोजना अधिकारी सुरेन्द्र कुमार त्रिपाठी तथा कार्यदायी संस्था के मिलीभगत से ऐसा महसूस होता है कि सारे निर्माण अधोमानक थे। इन सभी निर्माणों की उच्च स्तरीय जांच तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही अत्यन्त आवश्यक है।

आश्चर्य यह है कि बिना तथ्य जाने आदेश संख्या-534/2016/880/69-1-1626 (बजट)/09 टी0सी0, दिनांक 19 अगस्त, 2016 के द्वारा एस0पी0 सिंह, विशेष सचिव ने सूडा को पुनरीक्षित लागत के रु0 153.96 लाख और जारी कर दिये। यह पैसा कहाँ और किस लिये इस्तेमाल होगा, समझ से परे है।

अतः लोक महत्व के इस निश्चित तथा अविलम्बनीय विषय को नियम-301 के तहत उठाने तथा सरकार को जवाब देने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।]

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत ट्रामा सेण्टर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र 144-मोहम्मदी, जनपद लखीमपुर खीरी जो मुख्यालय से लगभग 70 से 100 कि0मी0 दूर है में स्वास्थ्य सेवा बेहतर करने के लिये ट्रामा सेण्टर की स्थापना अतिआवश्यक है। जिससे क्षेत्रीय जनता को स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा उपलब्ध हो सके।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लाक धौरहरा एवं ब्लाक रमिया बेहड़ में शुद्ध पेयजल हेतु नारखी ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना शीघ्र प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

[मान्यवर, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एवं अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मेरे विधान सभा क्षेत्र लखीमपुर खीरी अन्तर्गत ब्लाक ईसानगर व ब्लाक धौरहरा व ब्लाक रमिया बेहड़ में पीने के पानी में भारी मात्रा में शासन की जांचोपरान्त अर्सेनिक फ्लोराइड पाया गया है जिससे ग्रामीणों में काफी कठिनाई तथा बीमारी फैल रही है। जनहित में पेयजल की समुचित शुद्ध व्यवस्था हेतु नारखी ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना शीघ्र प्रारम्भ किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड पिसावां में ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के अन्तर्गत पानी टैंक लगवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शशांक त्रिवेदी-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 145-महोली, जनपद सीतापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड-पिसांवा में पानी में आर्सेनिक की मात्रा अधिक होने के कारण फायलेरिया एवं अन्य जलजनित रोग बढ़ रहे हैं जिसके कारण क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जनहित में ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के अन्तर्गत वाटर टैंक लगाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान अकर्षित करते हुए जनहित में ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के अन्तर्गत वाटर टैंक लगाये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर के अन्तर्गत तहसील मोदीनगर में ग्रामीण न्यायालय शुरू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 मंजू शिवाच-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र 57-मोदीनगर के अन्तर्गत तहसील मोदीनगर में ग्रामीण न्यायालय चलाने हेतु तहसील परिसर में ही कुछ कमरों की आवश्यकता है तथा तहसील के वकील भी पिछले 15 दिन से हड़ताल पर हैं। ग्रामीण न्यायालय ग्रामीणों को मुकदमों का हल करने के लिये अतिआवश्यक है। जनहित में स्थाई न्यायालय की स्थापना नहीं की जाती तब तक तहसील के प्रांगण में ही दो कक्ष न्यायालय के लिये देकर जल्द से जल्द ग्रामीण न्यायालय शुरू किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व एवं जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करती हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के अन्तर्गत भू-माफियाओं द्वारा किये जा रहे अवैध कब्जों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम प्रताप सिंह-

[मान्यवर, जनपद आगरा की एत्मादपुर विधान सभा में ग्राम सभा पोईया में गाटा संख्या-1981 जो कि एकड़ों में है उसको भू-माफियाओं द्वारा घेरा गया तथा घेरने का प्रयास किया जा रहा है। जिसमें कि तहसील के अधिकारी व कर्मचारी भी संलिप्त हैं तथा वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी में उक्त विषय है लेकिन प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है जो खेदजनक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र गाजीपुर सदर के अन्तर्गत नन्दगंज में चीनी मिल को पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 संगीता बलवन्त-

मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहती हूँ कि मेरी विधान सभा 357-सदर, गाजीपुर के नन्दगंज में चीनी मिल लगभग 25 वर्षों से बन्द है जिससे जनपद गाजीपुर में रोजगार के साधन एवं गन्ने की खेती लगभग विलुप्त होने के कगार पर है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए नन्दगंज चीनी मिल को पुनः चालू कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करती हूँ।]

जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र गोवर्द्धन के अन्तर्गत माइनरों में हो रहे सीपेज के कारण टेल तक पानी न पहुंचने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कारिन्दा सिंह-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र गोबर्धन जनपद मथुरा में बरारी माइन ऊंचाई पर बनी हुई है जिससे कि आस पास भैंसा, सेरसा, छड़गांव भूडरसू, खेरिया आदि गांवों की हजारों एकड़ फसल हर साल के खेती में सीपेज के कारण जहाँ एक तरफ जलभराव के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं वहीं दूसरी तरफ टेल तक पानी नहीं पहुंचने से भी सिंचाई के अभाव में फसल बर्बाद हो रही रही है। उक्त समस्या के निराकरण हेतु माइनर का पक्का कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए बसरी माइनर को पक्का कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत करिया बझना को धार्मिक पर्यटन स्थल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सीताराम वर्मा-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 189-सदर जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत करिया बझना प्रसिद्ध धार्मिक स्थल एवं प्राचीन मन्दिर है। यहाँ पर एक सिद्ध मन्दिर है, जहाँ पर दूर-दूर से दर्शन के लिये आते हैं। यह एक जन आस्था का केन्द्र है। जनहित में इसे धार्मिक पर्यटन स्थल घोषित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व एवं जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की माग करता हूँ।]

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ के अन्तर्गत प्रमुख मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मूलचन्द्र निरंजन-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र माधौगंज जनपद जालौन के बहुत से मार्ग कच्चे हैं जिससे आवागमन में कठिनाइयों के साथ आये दिन दुर्घटनायें भी हो रही है बरसात के दिनों में मार्ग के कच्चा होने के कारण जगह-जगह गड्ढा होने के कारण जल भराव होने से आवागमन बाधित होता है। जिसमें प्रमुख रूप से खैरी से सेता सम्पर्क मार्ग, अटागांव से कैलोर सम्पर्क मार्ग, गोपालपुरा से गढ़ा सम्पर्क मार्ग, छानी से ताहरपुरा सम्पर्क, निनावली से किशुनपुरा सम्पर्क मार्ग, देवरी से रानीपुरा सम्पर्क मार्ग, भोजापुरा से नकेलपुरा सम्पर्क का पक्का निर्माण कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त सम्पर्क मार्गों का पक्का निर्माण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद बलरामपुर के तहसील बलरामपुर के अन्तर्गत राप्ती नदी के कटान से प्रभावित क्षेत्र में तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कैलाश नाथ शुक्ल-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-201, तुलसीपुर के तहसील बलरामपुर, जनपद बलरामपुर में कोड़री-मथुरा मार्ग एवं ग्राम चौकाकलां, मधवापुर, हड़हा एवं सहिबानगर, राप्ती नदी के कटान क्षेत्र में स्थित होने के कारण आगामी बरसात एवं बाढ़ में कट जाने की पूरी सम्भावना है। उक्त महत्वपूर्ण मार्ग एवं ग्रामों को कटान से बचाने हेतु तटबन्ध बनवाया जाना जनहित में नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड भुता में आई0टी0आई0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 श्याम बिहारी लाल-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 122-फरीदपुर जनपद बरेली में विकास खण्ड भुता के अन्तर्गत ग्राम भुता में एक आई0टी0आई0 का स्थापित किया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए ग्राम भुता में एक आई0टी0आई0 को स्थापित किये जाने की कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायां के अन्तर्गत बस अड्डे का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चेतराम-

[मान्यवर, मेरे वि0स0-134, पुवायां अन्तर्गत संचालित बस अड्डे की काफी दयनीय दशा है। यात्रियों के बैठने एवं अन्य शहरी सुविधाओं का काफी अभाव है। भीषण गन्दगी रहती है जिस कारण रोडवेज की बस से यात्रा करने वाले लोगों को आवागमन एवं प्रतीक्षा हेतु बैठने में काफी समस्या होती है। जनहित में पुवायां बस अड्डे का सौन्दर्यीकरण होना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं इस लोक महत्व के प्रश्न के माध्यम से आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

उ0प्र0 में जन स्वास्थ्य रक्षक की सेवाओं को बहाल किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विपिन कुमार 'डेविड'-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा अक्टूबर, 1977 में शुभारम्भित जनस्वास्थ्य रक्षक योजना अर्थात् विलेज हेल्थ गाईड स्कीम के तहत प्रति हजार की ग्रामीण आबादी पर एक जनस्वास्थ्य रक्षक नियुक्त किया गया था, जो साधारण आम व मौसमी बीमारियों से पीड़ित ग्रामीणों को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने के अलावा स्वास्थ्य के सभी राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार का कार्य करता था। वर्ष 2002 में योजना आयोग की सिफारिशों पर भारत सरकार ने मानदेय आधारित वह योजना राज्य सरकारों को हस्तान्तरित कर दी। बाद में वित्तीय विवशताओं के कारण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को बन्द कर दिया गया। आल इण्डिया कम्युनिटी हेल्थ वर्कर एसोशिएशन नामक जनस्वास्थ्य रक्षकों के राष्ट्रव्यापी संगठनकी मांगों पर तत्कालीन परिवार कल्याण मंत्री डा0 रीता

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बहुगुणा जोशी की सैद्धान्तिक सहमति के उपरान्त प्रदेश शासन के आदेशानुसार परिवार कल्याण महानिदेशालय ने जनपदीय सूचनाओं को संकलित कर इनकी बहाली का प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत कर दिया है। ऐसे में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जनस्वास्थ्य रक्षकों के पूर्ववर्ती उत्कृष्ट कार्यों से अर्जित उनकी क्षमताओं तथा प्रदेश के ग्रामीणों को घर-घर पहुंचकर प्राथमिक चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाने तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में नये रोजगार का सृजन किये जाने आदि सहित विभिन्न संचारी रोगों की रोकथाम के सरकारी अभियान को मजबूत बनाने और राज्य की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने में उनकी भावी सम्भावनाओं के दृष्टिगत ग्रामीण स्तर पर पूर्व की भांति विभाग के सम्बन्धित स्वास्थ्य कार्यक्रमों में इनकी कार्य बहाली/ प्रतिनियुक्ति जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने हेतु सदन में यह मामला उठाये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र अलीगंज के अन्तर्गत प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्यपाल सिंह राठौर-

[मान्यवर, जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र अलीगंज के विकास खण्ड अलीगंज के अन्तर्गत ग्राम पोस्ट उभई असद नगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र न होने से क्षेत्रवासियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तथा क्षेत्रीय जनता को अपने इलाज के लिये दूर जाना पड़ता है। जनहित में उक्त प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत गुरचाही सम्पर्क मार्ग से वनिया गांव तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुभाष त्रिपाठी-

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत गुरचाही सम्पर्क मार्ग के रोहनीभारी ठाकुर पुरवा होते हुए वनिया गांव तक सम्पर्क मार्ग की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ।

उक्त मार्ग दर्जनों गांवों के लोगों के आवागमन का साधन है। मार्ग की स्थिति ठीक न होने से लोगों को इस मार्ग पर आने-जाने में काफी कठिनाई होती है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए गुरचाही सम्पर्क मार्ग से रोहनी भाटी ठाकुर पुरवा होते हुए वनिया गांव तक पेन्टिंग सड़क बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद फिरोजाबाद के ग्राम सोफीपुर के गाटा संख्या-90 में ग्राम सभा की भूमि पर श्रमिकों के बच्चों हेतु अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुकेश चन्द्र वर्मा-

[आगरा मण्डल में प्रस्तावित अटल आवासीय विद्यालय जो कि सरकार द्वारा आगरा शहर से कईयों कि0मी0 दूर चयनित किया जा रहा है जबकि वहाँ दूर-दूर तक कोई श्रमिक निवास नहीं करते हैं। उसी क्रम में जनपद फिरोजाबाद के ग्राम सोफीपुर के गाटा संख्या-90 में ग्राम सभा की भूमि खाली पड़ी है। इस स्थान के 03 कि0मी0 के दायरे में मलिन बस्ती जैसे- आजाद नगर, संत नगर, नगला विष्णु, राम नगर, छारबाग, दतौजी, प्रेमपुर रेपरा, फुलवाड़ी, बासठ, मुस्ताबाद, रसूलपुर, पैमेश्वर गेट आदि मलिन बस्तियां आती हैं, जहाँ बड़ी संख्या में श्रमिक लोग निवास करते हैं। यदि सोफीपुर में उक्त अटल आवासीय विद्यालय स्थपित होगा तो इन क्षेत्रों में निवास कर रहे श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा का लाभ मिल सकेगा।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त समस्याओं के निदान की मांग करता हूँ।]

जनपद अलीगढ़ में बरौली-कटरा-चण्डौस-पिसावां मार्ग को प्रमुख जिला मार्ग घोषित एवं निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दलवीर सिंह-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र बरौली जनपद अलीगढ़ का मुख्य मार्ग अलीगढ़-बरौली-कटरा-चण्डौस-पिसावा मार्ग है। यह मार्ग जिला मुख्यालय से आगरा-मुरादाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 508 को मेरे विधान सभा क्षेत्र बरौली में जोड़ते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-91) होते हुए पलवल-टप्पल-अलीगढ़ मार्ग से निकलता हुआ प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डा जेवर व यमुना एक्सप्रेस-वे को जोड़ता है। इस मार्ग के प्रमुख जिला मार्ग बनाये जाने से यातायात सुगम होगा जिससे लाखों लोगों को फायदा होगा।

क्षेत्रीय जनता अलीगढ़-बरौली-कटरा-चण्डौस-पिसावा मार्ग को प्रमुख जिला मार्ग घोषित कर मार्ग के सुदृढ़ीकरण एवं उच्चीकरण कराने की मांग वर्षों से कर रही है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में अलीगढ़-बरौली-कटरा-चण्डौस-पिसावा मार्ग को ''प्रमुख जिला मार्ग'' घोषित कर मार्ग का सुदृढ़ीकरण एवं उच्चीकरण कराने की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सेवता के अन्तर्गत कतिपय विकास खण्डों में महिला विद्यालयों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ज्ञान तिवारी-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद सीतापुर के मेरे विधान सभा क्षेत्र-150, सेवता में तीन विकास खण्ड रामपुर मथुरा, रेउसा तथा सकरन आते हैं तीन नदियों के बीच में है, परन्तु दुख की बात है। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना एवं महिला की सुरक्षा तथा सम्मान के लिये निरन्तर कार्य कर रही सरकार में भी एक भी इण्टर कालेज एवं एक भी डिग्री कालेज नहीं है। जनहित एवं छात्रहित में विकास खण्ड-रेउसा में एक महिला इण्टर कालेज तथा विकास खण्ड रामपुर मथुरा में डिग्री कालेज एवं विकास खण्ड सकरन में महिला इण्टर कालेज की स्थापना किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद कौशाम्बी के तहसील मंझनपुर स्थित महाकवि तुलसी दास प्रेरणा स्थलीय रत्नावली धाम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लाल बहादुर-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र मंझनपुर जनपद कौशाम्बी अन्तर्गत ग्राम सभा अढ़ौली के अनन्दी माता मन्दिर एवं ग्राम सभा अगियौना में शीतला माता मन्दिर का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। उक्त मन्दिरों का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण कराकर मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने से यहाँ पूजा पाठ करने हेतु आने वाले श्रद्धालुओं को काफी सुविधा मिल जायेगी। जनहित में उपरोक्त मन्दिरों का जीर्णोद्धार कराया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त मन्दिरों का सौन्दर्यीकरण करके पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किये जाने की कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

प्रधानमंत्री कृषि सेवा योजनान्तर्गत खुदवाये गये तालाबों में पम्पसेट के अनुदान में वृद्धि के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत भूमि संरक्षण द्वारा चार वर्षों से वर्षा जल संरक्षण हेतु तालाबों का निर्माण कराया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत सन् 2017-18 में तालाबों में 50 प्रतिशत अनुदान एवं तालाबों से सिंचाई के लिये स्प्रिंकलर सेट जो कि लघु एवं सीमान्त कृषकों को क्रमशः 90 प्रतिशत एवं 80 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था थी। विगत दो वर्षों में स्प्रिंकलर सेट के लिये कोई बजट आवंटन नहीं किया गया

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है। जबकि इस वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति के लिये बजट आवंटित हुआ है उसमें 50 प्रतिशत ही अनुदान दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत स्प्रिंकलर सेट में 90 प्रतिशत एवं 80 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद गोण्डा में विश्वविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभात कुमार वर्मा-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि देवीपाटन मण्डल के जनपद गोण्डा मुख्यालय में कोई विश्वविद्यालय न होने के कारण छात्र/छात्राओं को शिक्षा के लिये दूर-दूर जाना पड़ता है, जिससे छात्र/छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जनहित एवं छात्र/छात्राओं के हित में जनपद गोण्डा में विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व/जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए ग्राम जनपद गोण्डा में विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र तरबगंज के अन्तर्गत घाघरा नदी पर सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रेम नारायण पाण्डेय-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र-299, तरबगंज, जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विकास खण्ड बेलसर के ग्राम पंचायत ऐली परसौली के सरयू/घाघरा नदी पर पीपे का पुल बना है। उक्त पीपे के पुल पर कई बार नाव टकराकर डूब जाने से जनहानि हुई तथा लाखों लोगों के आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जनहित में इस ग्राम पंचायत ऐली परसौली के सरयू/घाटरा नदी पर सेतु का निर्माण कराया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए ग्राम पंचायत ऐली परसौली के सरयू/घाघरा नदी पर सेतु का निर्माण किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद के अन्तर्गत कतिपय नगर पालिका एवं नगर पंचायत में पार्कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत आने वाले नगर पालिका परिषद् गुलावठी तथा नगर पंचायत ककोड़ में एक भी सार्वजनिक पार्क नहीं है

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिसके कारण वहाँ के निवासियों को सुबह-सुबह घूमने की सुविधा नहीं मिल पाती है। पार्क न होने के कारण यहाँ के बच्चे भी खेल नहीं पाते हैं जिसके कारण उनको स्वास्थ्य सम्बन्धी परेशानियों होती है। जनहित में नगर पालिका परिषद् गुलावठी तथा नगर पंचायत ककोड़ जनपद बुलन्दशहर में सार्वजनिक पार्क का निर्माण अति आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बरेली शहर के अन्तर्गत महाराणा प्रताप जिला संयुक्त चिकित्सालय के पुरुष विभाग को स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 अरुण कुमार-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि बरेली जो कि मण्डल मुख्यालय है में एक 300 शैय्याओं वाले चिकित्सालय का भवन लम्बे समय से निर्माणोपरान्त खाली पड़ा है। इस भवन का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। आने वाली ग्रीष्म ऋतु में जब बीमारियां चरम पर होती हैं एवं चिकित्सालयों में शैय्याओं की कमी से 1-1 शैय्या पर 2 से 3 रोगी उपचार ग्रहण करते हैं एवं यह भवन निष्प्रयोज्य रहता है। इस भवन को सुरक्षित कर प्रयोग किया जाये एवं महाराणा प्रताप जिला संयुक्त चिकित्सालय के पुरुष विभाग को इस चिकित्सालय भवन में स्थानान्तरित किया जाये ताकिरोगियों को चिकित्सा के दौरान मानकों के अनुरूप सेवायें प्राप्त हो सके।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व एवं जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र किठौर के अन्तर्गत ग्राम मवी से ग्राम एत्मादपुर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्यवीर त्यागी-

मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र-46, किठौर, जनपद मेरठ के अन्तर्गत ग्राम मवी से ग्राम दबथला होते हुए ग्राम एत्मादपुर तक लगभग 2.5 कि0मी0 सड़क अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। ग्रामवासियों को आने-जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जनहित में इस मार्ग का डामरीकरण कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बल्देव के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा ग्राम सूरज एवं डहरुआ फाटक पर किये गये सी0सी0 निर्माण में अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूरन प्रकाश 'एडवोकेट'-

[मान्यवर, जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बल्देव के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के निर्माण खण्ड-प्रथम, मथुरा द्वारा ग्राम सूरज एवं डहरुआ फाटक पर किये गये सी0सी0

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

निर्माण में भारी अनियमितताएं बरती गई हैं जिसके सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश को दिनांक 09-02-2020 को मेरे द्वारा पत्र भी प्रेषित किये गये हैं, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई है जबकि इन सड़कों को अत्यन्त घटिया सामग्री का इस्तेमाल करके मानक का पालन नहीं किया गया है जिसमें अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता तथा सम्बन्धित ठेकेदार पूर्णरूप से जिम्मेदार हैं। इनके इस कार्य से राजस्व को भारी क्षति पहुंची है। जनहित में इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अतः आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2019-2020 में आयी बाढ़ से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के हुए नुकसान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम चन्द्र यादव-

[मान्यवर, वर्ष 2019-20 में प्रदेश में आई बाढ़ से जनपद अयोध्या विधान सभा क्षेत्र रुदौली में क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों को पूर्व दशा में लाये जाने हेतु कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, अयोध्या द्वारा प्रस्ताव अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), अयोध्या को भेजा गया है जिसमें सुजागंज-कैथी सम्पर्क मार्ग, बरई सम्पर्क मार्ग, अशरफपुर गंगरैला सम्पर्क मार्ग से शंकरपुर सम्पर्क मार्ग पर किमी0 1 में आर0सी0सी0 कल्वर्ट का निर्माण (मी0 स्पान), कुढ़सादात से याकूबपुर सम्पर्क, मां कामाख्या भवानी मन्दिर बाईपास मार्ग को पूर्व दशा में लाया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदेश में आयी बाढ़ से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों को पूर्व दशा में लाये जाने हेतु कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद अमरोहा के तहसील धनौरा अन्तर्गत एस0डी0एम0 धनौरा द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव तरारा-

[मान्यवर, जनपद अमरोहा की तहसील धनौरा में तहसील की मरम्मत हेतु कोई धन सरकार अथवा शासन से आवंटित नहीं किया है फिर धनौरा तहसील के मरम्मत का कार्य एस0डी0एम0 धनौरा तहसील पर आने वाले प्रत्येक फरियादियों से अवैध रूप से मरम्मत के नाम पर धन उगाही की जा रही है जिसमें कुछ पैसा मरम्मत में लगाने में और अधिक पैसा अपने हित में लिया जा रहा है। इससे तहसील मे अपने कार्य के वास्ते आने वाले फरियादियों का दोहन किया जा रहा है। जिसकी उच्च स्तरीय टी0एस0सी0 द्वारा बिना धन आवंटन के कराये जा रहे कार्य की जांच कराकर विभागीय कार्यवाही किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त प्रकरण की टी0ए0सी0 द्वारा जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग करता हूँ।]

जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र राबर्ट्सगंज के अन्तर्गत ब्लाक चतरा में मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भूपेश चौबे-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र के ब्लाक चतरा में चतरा बजरिया मार्ग के रामलखन के घर से निर्भय शंकर पाण्डेय के घर तक 800 मीटर तथा राम विलास के घर से सण्डा प्राथमिक विद्यालय तक 1300 मीटर मार्ग का नव निर्माण कराया जाना जनहित में आवश्यक है। उक्त मार्ग का निर्माण न होने से इस क्षेत्र के निवासियों को आवागमन में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। काफी समय से उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग की जा रही है परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही न होने से जनमानस में निराशा एवं आक्रोश है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त मार्ग का नव निर्माण कराये जाने की कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद बिजनौर के हिन्दू शरणार्थियों को कृषि भूमि पर मालिकाना हक दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

कुँ0 सुशान्त सिंह-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र-19, बढापुर बिजनौर, हिन्दू शरणार्थियों को मालिकाना हक दिलाने अति आवश्यक है जो निम्नवत् है :-1-मदपुरी, 2-चम्पतपुर चकला, 3-भोगपुर, 4-प्रेमपुरी, 5-कुआखेड़ा, 6-चकफोरी, 7-रसूलाबाद, 8-हरेवली, 9-हरेवला, 10-खजरपुर, 11-नवाबपुरा, 12-कटारमल, 13-शाहनगर कुराली में सन् 1947 के विभाजन के समय पाकिस्तान से भगाये गये हिन्दू शरणार्थियों को बसाया गया था जिनकी जीविका चलाने हेतु उन्हें कृषि भूमि उपलब्ध कराई गई थी जिस पर वो आज तक कृषि करते चले आ रहे हैं। कृषि ही उनकी जीविका का एकमात्र स्रोत है परन्तु उन हिन्दू शरणार्थियों को आज तक मालिकाना हक नहीं मिला है। जनहित में उक्त हिन्दू शरणार्थियों को मालिकाना हक दिलाने की कृपा करें।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद शाहजहाँपुर में प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग उ0प्र0 शासन द्वारा जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद् शाहजहाँपुर में वैज्ञानिकों की भर्ती दिनांक 12-11-2015 या इसके आस पास निदेशक, गन्ना शोध परिषद् शाहजहाँपुर द्वारा

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

की गई है। उपरोक्त भर्ती की जांच प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग-1, उ0प्र0 शसन द्वारा आयुक्त सहारनपुर मण्डल से कराई गई, जिसकी रिपोर्ट शासन को दिनांक 09-03-2018 को प्रस्तुत की गई थी, परन्तु आज तक प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग, उ0प्र0 शासन द्वारा जांच रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही की गई है और न ही जांच रिपोर्ट में दोषी पाये गये प्रभारी निदेशक, गन्ना शोध संस्थान शाहजहाँपुर के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है जो अपने आप में एक भ्रष्टाचार का ज्वलंत उदाहरण है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनता की लोक महत्व के इस प्रकरण पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए उक्त प्रकरण में शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद बलिया के रसड़ा तहसील में इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमाशंकर सिंह-

[मान्यवर, मैं एक अत्यन्त ज्वलंत एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सदन को यह अवगत कराना चहता हूँ कि जनपद बलिया एक बड़ी आबादी और बड़े क्षेत्रफल व जिला है परन्तु यहाँ पर कोई भी इंजीनियरिंग कालेज स्थापित नहीं है जिससे यहाँ के गरीब मेधावी छात्र/छात्रायें पैसे के अभाव में दूरस्थ स्थानों पर इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाये और कुंठा का शिकार हो रहे हैं। यही नहीं कोई भी इंजीनियरिंग कालेज जनपद बलिया में 200 से 250 कि0मी0 से अधिक दूरी पर स्थित है।

मान्यवर, **जनपद बलिया की रसड़ा तहसील में कताई मिल की 50 एकड़ से ज्यादा जमीन वर्षों से खाली पड़ी हुई है तथा इस कताई मिल के आस-पास की काफी जमीन उपलब्ध है यदि यहाँ पर मेधावी छात्र/छात्राओं हेतु एक इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना कर दी जाती है तो जनपद बलिया के साथ ही साथ इससे सटे जनपदों के छात्र/छात्राओं को भी इसका सीधा लाभ मिल सकेगा।**

अतः जनहित एवं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर **जनपद बलिया की रसड़ा तहसील में स्थित कताई मिल की खाली पड़ी 50 एकड़ से अधिक जमीन पर एक इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना किये जाने हेतु** शासन से कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र बांसगांव में इंटरलॉकिंग रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उज्जवल रमण सिंह-

[मान्यवर, आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र बासगांव के अन्तर्गत भुसवल नगरीय कालिका जी मार्ग खड़न्जा रोड है व भुसवल अम्बेडकर मूर्ति से गोरसैरा (उनवल) कच्ची सड़क है जिस पर 8-10 गांव के लोग 10-12 हजार जनसंख्या का आना जाना होता है रोड न बनी होने के कारण लोगों को आने-जाने में काफी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जनहित में इसका निर्माण कार्य कराया जाना अति आवश्यक है, जो निम्नवत् है :-

1-नगरीय कालिका स्थान से भुसवल शंकर जी मन्दिर जी दूरी लगभग 3.00 कि0मी0 व अम्बेडकर मूर्ति भुसवल से ग्राम गोरसैरा (उनवल) की दूरी लगभग 4.50 कि0मी0 है।

2-ग्राम-भुसवल से हटवार तक पक्की सड़क है सकरी मार्ग होने के कारण आने जाने में बहुत ही असुविधा होती है जिसका चौड़ीकरण कराया जाना आवश्यक है क्योंकि भुसवल गांव, बांसगांव ब्लाक का सबसे बड़ी ग्राम सभा है।

ग्रामवासियों की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त दोनों सड़कों का निर्माण जनहित में कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं इसे अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए सदन में इस लोक महत्वपूर्ण विषय की गम्भीर स्थिति पर अविलम्बनीय चर्चा कराने की कृपा करें।]

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर में सड़कों के निर्माण हेतु धन का आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बम्बा लाल-

[मान्यवर, सादर अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र सफीपुर जनपद उन्नाव में वित्तीय वर्ष 2018-19 में मेरे द्वारा प्रस्तावित आर्थिक विकास योजना से सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु माननीय मुख्य मंत्री आर्थिक विकास योजना, उ0प्र0 सरकार को घोषणा सं0-124-663 चौतिस/घोषणा 12018 (7) में देवगांव सम्पर्क मार्ग से आबादी भाग में ठाकुर द्वारा मन्दिर तक सी0सी0 रोड तथा नाली निर्माण के निर्माण कार्य हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी परन्तु अधिशाषी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उन्नाव के द्वारा अभी तक उक्त वांछित स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया है। ग्राम सभा की आबादी 4000 के ऊपर है इंगित स्थल पर सड़क अत्यन्त खराब है उस क्षेत्र में जनता को आने-जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस सड़क के निर्माण कार्य से उस क्षेत्र के लगभग पचास गांव की जनता को आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी। यह कार्य कराया जाना नितान्त आवश्यक है। यह लोक महत्व का विषय है।

अतः आपसे अनुरोध है कि लोक महत्व के प्रश्न को स्वीकार करते हुए प्राथमिकता के आधार पर **विधान सभा क्षेत्र सफीपुर जनपद उन्नाव के अन्तर्गत प्रस्तावित आर्थिक विकास योजना, उ0प्र0 सरकार की घोषणा अन्तर्गत देवगांव सम्पर्क मार्ग से आबादी भाग में ठाकुर द्वारा मन्दिर तक शासन द्वारा धन आवंटन के साथ स्वीकृत सी0सी0 रोड तथा नाली निर्माण के निर्माण कार्य कराये जाने हेतु आदेश देने का कष्ट करें।**]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद अमेठी में तैनात लेखपाल श्री शहजाद अहमद द्वारा व्यापक रूप से अनियमितता किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंकज गुप्ता-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जनपद अमेठी में ग्राम-मीरापुर, पोस्ट-मंगोली में लेखपाल द्वारा श्री रामजस पाल पुत्र श्री बदल पाल उम्र लगभग 65 वर्ष है जिनकी वार्षिक आय प्रमाण-पत्र अधिक बनने से वृद्धा पेंशन न मिलने से और अन्य क्षेत्रवासियों की बिना जांच किये ही रिपोर्ट देने से मा0 प्रधानमंत्री/मुख्य मंत्री जी द्वारा चलाये गये अन्य योजनाओं के लाभ से वंचित से क्षेत्र के सभी लोग बहुत दुखी हैं।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय जी से अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सदन में जनपद अमेठी में ग्राम मंगोली, जगदीशपुर समस्त ग्रामवासियों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए समस्त ग्रामवासियों मा0 प्रधानमंत्री/मुख्य मंत्री जी द्वारा चलाये गये सभी योजनाओं का लाभ मिल सके और इस सम्बन्ध में लेखपाल श्री शहजाद अहमद के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद बस्ती स्थित पालीटेक्निक चौराहे से संजय कालोनी मरोठिया तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दयाराम चौधरी-

[मान्यवर, जनपद बरेली के 310, बस्ती सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत एन0एच0-28 पालीटेक्निक चौराहे से संजय कालोनी मरवटिया होते हुए बरदहिया चौराहे तक सड़क बनाना अत्यन्त आवश्यकय है जो जिला पंचायत बस्ती के स्वामित्व की सड़क है जिसे चौड़ीकरण व उच्चीकरण करने में असमर्थ है तथ एन0ओ0सी0 भी देने के लिये तैयार है। जनहित में लोक निर्माण विभाग जिला पंचायत से सहमति लेकर निर्माण के लिये आवश्यक कार्यवाही करें जिससे क्षेत्रवासियों को हो रही कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जितेन्द्र वर्मा-

[मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में गढ़ी परसा रोड से ग्राम बासमहुआ तक लगभग दूरी 200 मीटर कच्चा रास्ता पड़ा हुआ है जो कि ग्राम का मुख्य मार्ग है। बरसात के

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

समस्त ग्रामवासियों का रास्ता पूर्णतया बन्द हो जाता है। जिससे ग्रामवासियों को आने-जाने में काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। जनहित में उक्त मार्ग का नवनिर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूँ।]

लघु सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित चेकडैमों के निर्माण में हुई अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह''-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि तत्कालीन प्राविधिक शिक्षा मंत्री श्री शिवाकान्त ओझा के शिकायती पत्र जिसमें प्रतापगढ़ में 46 करोड़ व इलाहाबाद मण्डल में 200 करोड़ के चेकडैमों के निर्माण में की गई अनियमितताओं की जांच कराये जाने का अनुरोध किया गया था।

उक्त के सम्बन्ध में मुख्य सचिव द्वारा प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई विभाग को जांच के आदेश दिये जाने के सम्बन्ध में आदेशित किया था। प्रमुख सचिव द्वारा टी0ए0सी0 जांच के आदेश प्रदान किये गये थे किन्तु हजारों करोड़ की जांच प्रक्रिया में शामिल तत्कालीन प्रमुख सचिव को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया था।

उक्त घटना से यह प्रतीत होता है कि हजारों करोड़ के इस घोटाले की जांच की लीपापोती हो गई है।

मैं सदन के माध्यम से उक्त प्रकरण में **पूरे प्रदेश में 2012 से 2017 तक लघु सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित सभी चेकडैमों की लोक निर्माण विभाग की एजेन्सी टी0ए0सी0 से पुनः जांच कराये जाने एवं निर्मित सभी चेकडैमों की सार्थकता एवं भौतिक सत्यापन कराकर उसमें लिप्त लोगों के विरुद्ध कार्रवाई कराये जाने** हेतु सदन के माध्यम से कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

झांसी के किले में रानी लक्ष्मी बाई के जन्मोत्सव पर दीपोत्सव मनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जवाहर लाल राजपूत-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन में एक अविलम्बनीय, लोक महत्व का विषय लाना चाहता हूँ।

झांसी एक ऐतिहासिक नगर है। यहाँ का किला रानी लक्ष्मीबाई की वीरता एवं स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को बयां करता है। किन्तु सरकार की उपेक्षा से यह किला क्षीणता को प्राप्त हो रहा है। वीरांगना झांसी की रानी का कोई उत्सव या सांस्कृतिक समारोह प्रशासन द्वारा आयोजित नहीं होते हैं। फलस्वरूप उक्त किला पर्यटन की दृष्टि से पिछड़ा है। यहाँ की महत्ता एवं गौरवगाथा को देखते हुए एवं पर्यटन का बढ़ावा देने के लिये झांसी के किले में रानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिन 19 नवम्बर को दीप प्रज्वलित कर एक महोत्सव का आयोजन जिला प्रशासन/सरकार द्वारा कराया जाना आवश्यक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर 19 नवम्बर को दीप प्रज्वलित कर झांसी के किले में महोत्सव का आयोजन कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर में व्याप्त जाम की समस्या का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती अनीता-

[मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र आलापुर जनपद अम्बेडकरनगर में रामनगर एवं जहाँगीरगंज प्रमुख बाजार व्यापारिक एवं शिक्षा का केन्द्र है। बाजार बहुत पुराने हैं तथा बसाव बहुत घना है। जिसके कारण विद्यालय के छूटने के समय सामान्य दिनों जाम की समस्या बनी रहती है यहाँ तक कि छुट्टी के बाद बच्चों को घर पहुंचने में 4 घण्टे से अधिक समय लग जाता है, जिससे उन्हें परेशानी उठानी पड़ी है। जनहित में यातायात के दबाव एवं जाम की समस्या को देखते हुए बाईपास बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए समस्या के निदान हेतु बाई पास बनाये जाने की कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र करहल के कतिपय सम्पर्क मार्गों का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सोबरन सिंह यादव-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र करहल जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत विकास खण्ड घिरौर के ग्राम धीप से नं0 भागीरथ होते हुए अतरौली मार्ग दूरी लगभग 1.00 कि0मी0 जो केरावली माइनर तक जाता है। उपरोक्त दोनों ग्राम सम्पर्क मार्ग विहीन है, लगभग 1.00 कि0मी0 के इस कच्चे मार्ग पर आवागमन में काफी कठिनाई होती है। छोटे-छोटे बच्चों की शिक्षा, महिला एवं बीमार लोगों के लिये कष्टप्रद है। उक्त मार्ग को डामर रोड न बनाये जाने के कारण स्थानीय लोगों में काफी रोष एवं आक्रोश की भावना व्याप्त है। जनहित में उपरोक्त मार्ग का डामर रोड बनाया जाना अति आवश्यक है।

अतः जनहित एवं लोक महत्व के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल उक्त मार्ग को डामर रोड बनाये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के तहसील मुख्यालय में स्थित शौचालय की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अम्ब्रीश सिंह पुष्कर एडवोकेट-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र मोहनलालागंज, जनपद लखनऊ में स्थित तहसील मुख्यालय में शौंचालय की हालत बहुत ही खराब है। आमजनों हेत एक भी महिला शौचालय

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नहीं है और जो एक शौचालय है भी उसकी साफ-सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने इसके पूर्व भी मामला सदन में प्रश्न के माध्यम से उठाया था जिसमें गलत सूचना प्रशासन द्वारा दी गई थी। मौके पर एक भी महिला शौचालय नहीं है। जनहित में एक महिला शौचालय का निर्माण एवं साफ-सफाई के लिये सफाई कर्मी की तैनाती किया जाना अति आवश्यक है।

अतः इस जनहित के गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए एक महिला शौचालय का निर्माण कराने एवं साफ-सफाई हेतु सफाई कर्मी की तैनाती किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मल्हनी की कतिपय सड़कों का निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पारस नाथ यादव-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। पिछले वर्ष हम विधायकों से सड़कों के निर्माण/मरम्मत हेतु प्रस्ताव मांगा गया था। मैंने अपने विधान सभा क्षेत्र मल्हनी जनपद जौनपुर की सड़कों के निर्माण हेतु प्रस्ताव दिया था, उस प्रस्ताव पर आगणन भी आ गया, परन्तु लोक निर्माण विभाग द्वारा धनराशि भी कुछ जारी की गई। परन्तु सत्ता दल के विधायकों का प्रस्ताव तो स्वीकृत हो गया। मेरा प्रस्ताव आज तक स्वीकृत नहीं हुआ और न ही धन आवंटित किया गया। ऐसे पक्षपात पूर्ण रवैया से स्थानीय लोगों में रोष की भावना पैदा हो गयी है। तत्काल मेरे प्रस्ताव पर धन आवंटित कराकर सड़कों का निर्माण कराया जाये।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए धन आवंटित कर सड़कों का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र जैदपुर स्थित हरक सतरिख-चिनहट बार्डर मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गौरव कुमार-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत जैदपुर पानी टंकी से हरख सतरिख होते हुए चिनहट वार्डर तक पिच रोड बहुत ही जर्जर अवस्था में हो गई है। इस मार्ग पर अत्यधिक आवागमन होने के कारण सड़क की हालत बहुत खराब है। उक्त सड़क के जर्जर होने के कारण आने जाने में क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानी होती है। ऐसे स्थिति में इस जर्जर सड़क को बनवाये जाने की आवश्यकता है।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उक्त प्रकरण पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा स्थित कैली मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जनपद चन्दौली के अन्तर्गत सकलडीहा के कैली मार्ग बहुत ही खराब हो गया है। यह मार्ग बहुत ही पतला होने के कारण आने-जाने में क्षेत्र की जनता को काफी परेशानी हो रही है। इस मार्ग पर आवागमन अत्यधिक रहता है। ऐसे स्थिति में उक्त मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए कैली मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद बस्ती के जिलाधिकारी द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने में पक्षपात किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि दिनांक 25-02-2020 को जिला प्रशासन की टीम नजूल भूमि के कब्जेदारी को हटाने के लिये पाण्डेय बाजार के बांसी रोड चुंगी पर पहुंची नजूल की भूमि न मिलने पर पुनः दिनांक 20-02-2020 को सुबह सात बजे राजस्व टीम के साथ नायब तहसीलदार, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, सम्पत्ति बाबू नगर पालिका, जे0ई0 नगर पालिका, इन्स्पेक्टर रेवन्यू नगरपालिका की जे0सी0बी0 पुलिस बल सहित इकट्ठा होकर पुरानी बस्ती के पाण्डेय बाजार में आये और 1359 फसली नक्शे के आधार पर पैमाइस का कार्य शुरू किया जबकि बस्ती शहर नगर पालिका बन चुकी है। वर्तमान में विकास प्राधिकरण का भी गठन हो गया है पाण्डेय बाजार सड़क की पैमाइस में रोड की चौड़ाई कहीं-कहीं 24 फुट कहीं 20 फुट तो कहीं 22 फुट कहीं 18 फुट राजस्व टीम द्वारा बताकर पैमाइस का कार्य कराकर पाण्डेय बाजार स्थित व्यापारियों के मकान कहीं 2 कहीं 4 कहीं 8 मीटर घरों से घुस कर तोड़ने के लिये निशान लगाने लगे जिला प्रशासन के इस कार्यवाही से पूरे बाजार से भय का माहौल व्याप्त हो गया बाजार बन्द कराके विरोध भी दर्ज कराया गया। वर्ष 1952 में बस्ती नगर की नोटीफाइड ऐरिया घोषित किया गया एवं वार्डों का गठन व विस्तारीकरण दो बार में किया गया उसके लिये नियम व नीति व नक्शा भी बनाया होगा जिस प्रकार पाण्डेय बाजार में पैमाइस के दौरान सड़कों की चौड़ाई में भिन्नता बताई जा रही है। उससे यह विदित होता है कि नगर पालिका अथवा विकास प्राधिकरण के अभिलेखों में सड़कों की चौड़ाई गलत दर्ज की गई है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उक्त के सम्बन्ध में आज तक मेरे समझ में नहीं आया कि विगत 60-70 वर्ष पहले से स्थापित मकान व दुकान व सड़क के अतिक्रमण को आज तक जिला प्रशासन द्वारा संज्ञान में क्यों नहीं लिया गया यही नहीं बस्ती विकास प्राधिकरण की स्थापना आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-10 संख्या-275, दिनांक 28 अक्टूबर, 2016 में हुआ था लेकिन आज तक अधिसूचना के अनुसार न तो क्रम संख्या-3,4,5,6 एवं 9 में दिये गये प्राविधान के अनुसार सचिव, पदेन सदस्य अथवा सदस्य की ही नाम-निर्दिष्ट किये गये। जबकि राज्य सरकार द्वारा 3 नामित सदस्यों के पदों के लिये आज तक न तो शासन से पत्र व्यवहाँर किया गया और न ही उन्हें नियुक्त किया गया विकास प्राधिकरण बस्ती के गठन के बाद आज तक मात्र 4 ही बैठक प्राधिकरण बोर्ड की कराई गई है।

उक्त पैमाइस के क्रम में मेरे पाण्डेय बाजार के बांसी रोड पर करीब 70 वर्षों की बनी पुरानी बाउण्डरी व गेट तोड़ने या कुत्सित प्रयास किया गया जिस पर मेरे भाई तथा मौके पर वहाँ एकत्रित भीड़ के द्वारा अधिकारियों कर्मचारियों से पूछा गया कि किसके आदेश पर अथवा किस नियम के तहत हमारी बाउण्डरी बिना किसी पूर्व नोटिस के तोड़ा जा रहा है जब तक कोई सक्षम अधिकारी जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी अथवा अपर जिलाधिकारी नहीं आते तब तक कोई कार्यवाही न की जाये। उपस्थित अधिकारियों ने कहा कि जिलाधिकारी साहब का आदेश है। जबकि इस सम्बन्ध में पूर्व में कोई नोटिस मुझे अथवा मेरे परिवार को नहीं दी गई थी। उक्त गोदाम को भूमि गाटा संख्या-125 व 126 मेरे माता जी के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है उसके बावजूद भी जिला प्रशासन लगातार 3 दिनों से उत्पीड़नात्मक कार्यवाही से लगा हुआ है।

उक्त प्रकरण में मैं जानना चाहता हूँ कि इस प्रकार की अतिक्रमण की कार्यवाही गरीबों के विरुद्ध ही क्यों चलाई जा रही है जबकि मजबूत व सरकारी विभाग के द्वारा किये गये निर्माण जैसे-पुलिस चौकी, सरकारी दफ्तर, पराग की डेरी व अन्य संस्थानों को कार्यवाही से मुक्त क्यों रखा जा रहा है। जिला प्रशासन इस अवैधानिक आचरण एवं दोहरी नीति से न बदले की भावना से की जा रही कार्यवाही से स्थिति गम्भीर हो सकती है जिला प्रशासन से उक्त कार्यवाही के विरुद्ध शासन स्तर से टीम गठित कर जांच कराया जाना अति आवश्यक है, प्रकरण जनहित से जुड़ा महत्व का है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर ट्रामा सेण्टर एवं क्रिटिकल केयर सेण्टर बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर ट्रामा सेन्टर व क्रिटिकल केयर सेन्टर बनाया जाना जनहित में अत्यन्त ही आवश्यक है। उक्त सेन्टर का निर्माण कतिपय कारणों से नहीं हो पा रहा है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनहित एवं लोक महत्व के इस प्रश्न पर आप के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूँ।]

जनपद बस्ती के शहीद गांव कुसमौर में मूलभूत सुविधाएं प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चन्द्र प्रकाश उर्फ (सी0ए0) चन्द्र प्रकाश शुक्ल-

[मान्यवर, जनपद बस्ती के विधान सभा-क्षेत्र 308, कप्तानगंज के अन्तर्गत शहीद गांव कुसमौर में मूलभूत सुविधायें न होने के कारण वहाँ के ग्रामवासियों को काफी कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है।

ग्राम कुसमौर के शौर्य चक्र विजेता स्व0 सिपाही रघुनाथ सिंह जो 15 कुमायूं रेजीमेंट में सीमाओं की रक्षा करते हुए दिनांक 07 जून, 1984 को आपरेशन ब्लू स्टार में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। 25 वर्ष बीत जाने के बाद भी शहीद गांव सामान्य मूलभूत जनसुविधाओं से वंचित है। ऐसे वीर सपूत की स्मृति में गांव कुसमौर को शहीद गांव घोषित करना, तथा गांव को जाने वाली सड़क को शहीद के नाम से घोषित करना, गांव में तोरण द्वार बनाना, शहीद के नाम पर पंचायत घर/बारात घर, आई0टी0आई0 कालेज/डिग्री कालेज/कन्या इण्टर कालेज, सोलर लाइट जैसी मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराना परम आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के विभिन्न गांवों में जल निकासी की व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया-

[मान्यवर, जनपद कुशीनगर के हाटा विधान सभा क्षेत्र के मोतीचक, हाटा और सुकरौली के विभिन्न गांवों में जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से लोग परेशान हैं। जल भराव होने से असुविधा व तद्जन्य बीमारियां हो रही हैं। मनरेगा के अन्तर्गत विभिन्न गांवों में पोखरों की सफाई के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। कराये जा रहे कार्यों का फर्जी तरीके से भुगतान भी हो रहा है। इन कार्यों के भौतिक सत्यापन के साथ ही गांवों में अभियान चलाकर पोखरों की सफाई व जल निकासी की समुचित व्यवस्था किया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में कई बार कहने के बाद भी प्रशासनिक लापरवाही व उदासीनता निरन्तर बनी हुई है। जनता में असन्तोष व्याप्त है। प्रकरण गम्भीर है तथा इसी प्रकार योजनाओं को पलीता लगाकर सरकार की छवि को प्रभावित किया जा रहा है।

अतः नियम-301 के तहत लोक महत्व के इस विषय पर सम्मानित सदन का ध्यानाकर्षण कराते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सहारनपुर की कतिपय नदियों पर रपटे का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मसूद अख्तर-

[मान्यवर, जनहित में अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-4, सहारनपुर में **निम्न स्थानों पर नदी पर रपटा का निर्माण** न होने से यहाँ के क्षेत्रवासियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। बरसात के दिनों में क्षेत्र के लोगों को अन्य रास्ते से काफी घूमकर आना-जाना होता है। क्षेत्रवासियों को बरसात के दिनों में आकस्मिक चिकित्सा हेतु काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एवं सदैव जन-जीवन का भय बना रहता है। बच्चों का शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। ऐसे में यहाँ के निवासियों का जन-जीवन काफी प्रभावित होता है :-

1-ब्लाक पुवाँरका के ग्राम ढमोला से जनता रोड के बीच ढमोला नदी पर रपटा का निर्माण कार्य।

2-ब्लाक बलियाखेड़ी के ग्राम खनपुरा से ग्राम उगाहू के बीच हिंडन नदी पर रपटा का निर्माण कार्य।

3-ब्लाक बलियाखेड़ी के ग्राम खजूरी अकबरपुर से ग्राम उगाहु के बीच हिंडन नदी पर रपटा का निर्माण कार्य।

जनहित में उक्त कार्य को कराया जाना अति महत्वपूर्ण है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट में व्याप्त पेयजल संकट के निराकरण हेतु पाइपलाइनों में हो रहे लीकेज को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेश सैनी-

[मान्यवर, अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराया है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र शिवालिक की पहाड़ियों से जुड़ा हुआ क्षेत्र है जिसका वाटर लेबल लगभग 400 से 500 फीट जमीन के अन्दर तक है। गर्मियों में विशेष रूप से पेयजल की समस्या रहती है जिसका एक कारण यह भी है कि इस क्षेत्र की पेयजल इकाइयां (पानी की टंकी) जो लगभग 40 से 50 साल पुरानी है जिसकी पाइप लाइनों में लीकेज हो रहा है। यह अति जर्जर अवस्था में हो गई है जैसे ग्राम हिन्दुवाला, ख्वासपुर, भगनपुरा, बादशाहीबाग, खेरी, खेड़ी, कुरडीखेड़ा आदि गांवों में पेयजल की व्यवस्था हेतु पुनः पाइप लाइन डालकर नव-निर्मित किया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए पेयजल की व्यवस्था किये जाने हेतु शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

विधान सभा क्षेत्र कानपुर छावनी स्थित संकरे पुल से हो रही परेशानियों को दूर कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सोहिल अख्तर अंसारी-

[मान्यवर, लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि हमारे विधान सभा क्षेत्र 216 कैण्टोनमेण्ट कानपुर नगर में वार्ड 24 पी0ए0सी0 मोड़ से लेकर श्याम नगर तकएक संकरा पुल है। इस पुल से प्रतिदिन लगभग दो से ढाई लाख लोगों का आवागमन है। संकरा पुल होने के कारण यहाँ पर आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती है, जिससे जीवन भय भी बना रहता है। ऐसी स्थिति में उक्त स्थान पर अतिशीघ्र दूसरा समान पुल का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

इसी प्रकार वार्ड नं0-46, 47 व 74 के वार्डों की गलियों की सड़कें अति जर्जर हो गई हैं जिसमें काफी गड्ढे भी हो गये हैं। सड़कें अति जीर्ण-शीर्ण होने के कारण क्षेत्रवासियों को आवागमन में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बरसात के दिनों में गड्ढों में पानी भर जाने की वजह से रास्ते का सही अनुमान न होने के कारण दुर्घटनाएं होती रहती हैं, यहाँ के निवासियों का निकलना दूभर हो जाता है। बच्चों को स्कूल आने-जाने में असुविधा होती है। जनहित में उक्त वार्डों के गलियों की सड़कों की मरम्मत/निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली स्थित एक निश्चित मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 हरगोविन्द भार्गव-

[मान्यवर, आपके माध्यम से इन सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली के वि0ख0-सिधौली के अन्तर्गत सिधौली महमूदाबाद मार्ग पर बन्दरियाबाग चौराहे से ग्राम हैदरगढ़ होते हुए मुनव्वर के घर तक ग्राम टेढई तक (लगभग 2 कि0मी0) कच्चा है जिससे स्थानीय लोगों को आवागमन में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त मार्ग के निर्माण हेतु मेरे द्वारा सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को कई बार मौखिक तथा पत्राचार के माध्यम से अवगत कराया गया लेकिन

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अभी तक उक्त कच्चे मार्ग का निर्माण नहीं कराया गया है। जिससे स्थानीय निवासियों का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उक्त कच्चे मार्ग का पिच मार्ग (डामर रोड) बनाये जाने की कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड ठेकमा के अन्तर्गत ग्राम जमुआवां स्थित निश्चित पिच मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आजाद अरिमर्दन-

[मान्यवर, आपके माध्यम से इन सम्मानित सदन का ध्यान अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

जिला आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के वि0ख0-ठेकमा के ग्राम-जमुआवां में फौजदार यादव के मकान से नहर के पुल से होते हुए देवराज सोनकर के घर तक पिच मार्ग का निर्माण अति आवश्यक है। उक्त पिच मार्ग का निर्माण न होने से स्थानीय निवासियों को आवागमन में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिसके कारण आम जनता में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उक्त पिच मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने की कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद हापुड़ के विकास खण्ड धौलाना में अग्निशमन केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री असलम अली-

[मान्यवर, जनपद हापुड़ के विकास खण्ड-धौलाना के ग्राम-शेखपुर खिचरा में स्थित यू0पी0एस0आई0डी0सी0 इण्डस्ट्रीज एरिया में आये दिन फैक्ट्रियों में आग लगती रहती है। इस इण्डस्ट्रीज एरिया में अभी तक फायर ब्रिगेड स्टेशन नहीं बना है। जिसकी वजह से आये दिन फैक्ट्रियों में आग लगने के कारण फैक्ट्री स्वामी को भारी नुकसान होता है। उक्त क्षेत्र में फायर सब स्टेशन बनवाये जाने हेतु क्षेत्रीय जनता द्वारा कई बार स्थानीय उच्चाधिकारियों एवं शासन तथा सरकार से अनुरोध किया गया परन्तु अभी तक उपरोक्त इण्डस्ट्रीज एरिया में फायर सब-स्टेशन नहीं बन पाया है। जिससे स्थानीय निवासियों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया स्थित निश्चित सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हाकिम लाल बिन्द-

[मान्यवर, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के वि0ख0 हण्डिया के अन्तर्गत ग्राम सभा झिरिहिरी के चन्द्रलोक बिन्द के घर पर शंकर लाल बिन्द के घर तक लगभग 500 मीटर पक्की सड़क न होने से स्थानीय निवासियों को आवागमन में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त सड़क के नव निर्माण के सम्बन्ध में क्षेत्रीय जनता के अनेकों बार उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उक्त सड़क का निर्माण कार्य न होने से क्षेत्रीय जनता को आवागमन में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिससे क्षेत्रीय जनता से सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उक्त मार्ग का नव निर्माण कार्य कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा गढ़वा में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मो0 मुजतबा सिद्दीकी-

[मान्यवर, आपके माध्यम से इन सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत वि0ख0 सैदाबाद ग्राम सभा गढ़वा बसागित राकेश पासी के घर से प्रधानमंत्री सड़क ग्राम घूरेपुर तक मार्ग (लम्बाई लगभग 1.5 कि0मी0) बहुत ही जर्जर है। जिससे लोगों को आवागमन में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

उक्त सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों से पत्राचार तथा अनुरोध किया गया। लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जिससे आम जनमानस में आक्रोश व्याप्त है, स्थिति विस्फोटक है।

अतः इस लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उक्त सड़क का निर्माण/मरम्मत कार्य कराये जाने की कार्रवाई/वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद प्रयागराज स्थित ग्राम रसपीपुर के भूमि नं0-458 घ एवं 485 पर अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुखदेव राजभर-

[मान्यवर, ग्राम रस्तीपुर, तहसील हण्डिया, थाना सराय ममरेज, जनपद इलाहाबाद में भूमि नम्बर-458घ एवं 485 के भूमिधर एवं मालिक छोटेलाल पुत्र स्व0 जयकरन एवं सुनील कुमार पुत्र विजय आदि का बतौर मालिकाना हक है, एवं उक्त नम्बरों के जुज रकबों पर गांव के ही जीतलाल यादव पुत्र राम नाथ यादव जबरदस्ती अवैध ढंग से कब्जा किये हुए हैं। इस अवैध कब्जा के सम्बन्ध में श्री छोटे लाल सम्बन्धित सक्षम अधिकारियों के यहाँ शिकायत करते रहे हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। आज भी अवैध कब्जा किये हुए हैं, अवैध कब्जा न हटने से लोगों में काफी असन्तोष एवं आक्रोश व्याप्त हो गया है, स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, किसी क्षण विस्फोटक हो सकता है।

अस्तु इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के अन्तर्गत प्रा0 विद्यालय के नजदीक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम अचल राजभर-

[मान्यवर, जिला अम्बेडकरनगर की विधान सभा क्षेत्र-281, अकबरपुर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत नसीरपुर कैथी प्राथमिक विद्यालय के बगल से होते हुए ग्राम उसकी की दलित बस्ती तक (ल0 लगभग 1.0 कि0मी0) सम्पर्क मार्ग अत्यन्त जर्जर एवं क्षतिग्रस्त है। जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता द्वारा उक्त क्षतिग्रस्त जर्जर मार्ग का पिच निर्माण कराये जाने हेतु कई बार अनुरोध किया गया है, परन्तु अभी तक क्षतिग्रस्त जर्जर सड़क का पिच निर्माण नहीं हो सका है, जिससे क्षेत्रीय जनमानस में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अस्तु इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।]

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र काल्पी के कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेन्द्र पाल सिंह-

[मान्यवर, विधान सभा कालपी जनपद जालौन के विकास खण्ड कदौरा में निम्न मार्ग बहुत खराब है बनवाने की आवश्यकता है।

1-लोदीपुर से जकसिया 2 कि0मी0 वन क्षेत्र।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2-सुनैहटा सेरिरुवा 6 कि0मी0।

3-काना खेड़ा से चदरंसी 01 कि0मी0।

4-बड़ागांव से चतेला रोड तक 04 कि0मी0।

5-क्योटरा से पथरेहटा रोड निरंजन ढाबा तक 1½ कि0मी0।

उक्त मार्ग बहुत खराब है, कृपया बनवाने का कष्ट करें।]

प्रदेश में वन्य क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमन मणि त्रिपाठी-

[मान्यवर, हमारा क्षेत्र सघन वन क्षेत्र है हमारा वन सोहगी बरवा वन्य जीव क्षेत्र है जिसमें प्राचीनकाल से ही वनों का संरक्षण होता रहा है हमारे यहाँ से वन में ट्राम वे के माध्यम से वन उत्पादों की ढुलाई होती रही है तमाम अंग्रेजों द्वारा निर्मित फारेस्ट गेस्ट हाउस है जो अद्भुत तरीके से निर्मित हुए जिनमें पर्यटन की अपार सम्भावनायें हैं जंगल के बीचो बीच सिंगरहना ताल जो अलौकिक सौन्दर्य संजोये हुए हैं इतना मनोहारी मनोरम स्थान होने के पश्चात् भी हम अपने क्षेत्र में पर्यटन को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं जबकि हमे छोटे वन अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति मिली हुई है परन्तु हम कहीं ना कहीं पर्यटन को बढ़ावा देने में असमर्थ हैं मैं इस लोक महत्व के प्रश्न को आपके संज्ञान में ला रहा हूँ यह मुख्य मंत्री जी की प्राथमिकताओं में है सोहगी बरवा वन्य जीव क्षेत्र का समन्वित विकास कराने की मांग करता हूँ।]

जनपद बरेली में नवनिर्मित अस्पताल को संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बहोरन लाल मौर्य-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद बरेली में नवनिर्मित 300 शैय्या वाला अस्पताल बन चुका है, लेकिन अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है। जनहित में नवनिर्मित 300 शैय्या वाला अस्पताल को शीघ्र प्रारम्भ किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व एवं जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए नवनिर्मित 300 शैय्या वाला अस्पताल को शीघ्र प्रारम्भ कराने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

सहारनपुर मण्डल की जेलों में व्याप्त अनियमितताओं को दूर किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नाहिद हसन-

[महोदय, सहारनपुर मण्डल की जेलों में बन्द बन्दियों के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि बहुत सारे बन्दी गम्भीर रोगों से पीड़ित है तथा उनका इलाज/आपरेशन कारागार से बाहर

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के अस्पतालों में होना है। परन्तु पुलिस सुरक्षा के अभाव में उनका इलाज नहीं हो पाता है और गम्भीर रोगों से पीड़ित बन्दी बेहद परेशान रहते हैं। गम्भीर रोग से पीड़ित बन्दियों का समुचित इलाज तत्काल होना अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस विषय की ओर शासन का ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा।]

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार में लोक निर्माण विभाग द्वारा अनियमित रूप से अतिक्रमण हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

[महोदय, अवगत कराना है कि हमारी विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार, जनपद रायबरेली के विकास खण्ड ऊंचाहार के जमुनापुर चौराहा पर दिनांक 05-02-2020 को अचानक अपराह्न 11 बजे लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी एवं अन्य अधिकारीगण द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस, मुनादी के बिना जे0सी0बी0 लेकर आये और चौराहे के चारों तरफ स्थिति गुमटी, पटरी दुकानदार एवं अन्य पक्के निर्माण को तोड़ दिया गया जिससे जहाँ गरीब पटरी दुकानदारों एवं अस्थाई रूप से रखे गये ठेले, गुमटी आदि को हटाने का अवसर नहीं मिला वही बिना सूचना के किये गये अतिक्रमण हटाओ के द्वारा जे0सी0बी0 के प्रयोग से लोगों के अतिक्रमण हटाओ अभियान को भी भारी क्षति पहुंची है। जबकि नियमानुसार अतिक्रमण हटाओ अभियान के पूर्व अतिक्रमणकारियों को सूचना व नोटिस दिया जाना अपरिहार्य है इससे गरीब दुकानदारों एवं आम जनता को भारी क्षति पहुंची है।

कृपया इसकी जांच कराकर नियमों का पालन न किये जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध कार्रवाई करने की कृपा करें।]

जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र बलरामपुर में कतिपय सड़कों के निर्माण हेतु धन का आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पल्टूराम-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद बलरामपुर की विधान सभा क्षेत्र के बलरामपुर सदर के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्वांचल विकास योजना (राज्यांश) के अन्तर्गत विगत वित्तीय वर्ष में सड़कों के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी। जिस पर विभाग द्वारा कार्य भी कराया जा चुका है। अधिकांश सड़कों पर द्वितीय किस्त का धन न जारी होने के कारण कार्य अधूरा पड़ा है। क्षेत्रीय जनता में अधूरे कार्य को लेकर आक्रोश व्याप्त है। विभाग द्वारा बताया जा रहा है कि शासन से दूसरे की मांग की गई है। शासन स्तर पर धन आवंटन होना है। उक्त कार्य को पूर्ण किया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनता की लोक महत्व जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद की कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती जय देवी-

[मान्यवर, सदन के माध्यम से अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न सड़क मार्गों की टूटी हुई पुलिया और नवीन पुलिया का निर्माण कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

सड़क निर्माण कार्य का विवरण :-

1-शाहपुर गोहवा से रघुनाथपुर के लिये खड़न्जा मार्ग का डामरीकरण।

2-बक्खा खेड़ा से सहजनवां निवारी तक नया सड़क मार्ग दूरी लगभग 2 किलोमीटर।

3-माल भरावन रोड से शाहमऊ की पुलिया तक मण्डी होते हुए सड़क मार्ग का निर्माण कार्य।

4-अटरिया से चकाई होते हुए सैदापुर रोड तक सड़क मार्ग का निर्माण कार्य दूरी लगभग 2 किलोमीटर।

5-उदय सिंह के घर के पास से गागन रोड तक सड़क मार्ग का निर्माण कार्य दूरी लगभग 750 मीटर।

6-लतीफपुर रोड से सम्पर्क मार्ग बीरपुर में चन्दर के घर तक सड़क मार्ग का निर्माण कार्य दूरी लगभग 2 किलोमीटर।

7-जब्बा खेड़ा से खबहा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य दूरी लगभग 1 किलोमीटर।

8-खड़सरा नहर पुलिया से जगनी खेड़ा तक सड़क मार्ग का निर्माण दूरी लगभग 3 किलोमीटर।

9-बनौर मोड़ से लतीफपुर नरवा तक सड़क मार्ग का निर्माण कार्य दूरी लगभग 800 मीटर।

10-माल दुबग्गा रोड से जंगी खेड़ा तक सड़क मार्ग का निर्माण कार्य दूरी लगभग 1500 मीटर।

11-तकिया से बेल बेरवा तक सड़क मार्ग का निर्माण कार्य दूरी लगभग 1 किलोमीटर।

12-बेलहर से गुरेरा तक तक सड़क मार्ग का निर्माण कार्य दूरी लगभग 1 किलोमीटर।

13-माल भरावन रोड से अगर हार तक तक सड़क मार्ग का निर्माण कार्य दूरी लगभग 100 मीटर।

14-ढकवा पुलिया से दाऊदपुर तक सड़क मार्ग का निर्माण कार्य दूरी लगभग 1500 किलोमीटर।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

15-माल की सी0एच0सी0 से मुन्नू खेड़ा रोड तक सड़क मार्ग का निर्माण कार्य दूरी लगभग 300 मीटर।

16-मुड़ियारा रोड से भिरहिया रोड तक सड़क मार्ग का निर्माण कार्य दूरी लगभग 2 किलोमीटर।

17-बहिर डामर रोड से गुलेल खेड़ा रोड तक सड़क मार्ग का निर्माण कार्य दूरी लगभग 1500 मीटर।

18-केसरी पुर रोड से मुन्नू खेड़ा रोड तक सड़क मार्ग का निर्माण कार्य।

19-हसनापुर रोड से गुरथनिया रोड तक तक सड़क मार्ग का निर्माण कार्य दूरी लगभग 500 मीटर।

20-बाबर रोड से माल मलिहाबाद रोड तक सड़क मार्ग का निर्माण कार्य दूरी लगभग 3 किलोमीटर।

21-सरथरा डामर रोड से पड़रा डामर रोड तक सड़क मार्ग का निर्माण कार्य दूरी लगभग 1 किलोमीटर।

22-ऊंचा खेड़ा मोड़ से बांझी पुलिया तक सड़क मार्ग का निर्माण कार्य दूरी लगभग 1500 मीटर।

23-माल भरावन रोड से बरगदिया के पास सांवरा तक सड़क मार्ग का निर्माण कार्य दूरी लगभग 1 किलोमीटर।

24-माल बस स्टाप की पुरानी पुलिया उमाशंकर त्रिपाठी के मकान के सामने के गांगन बरौली मुख्य मार्ग तक सड़क मार्ग का निर्माण कार्य दूरी लगभग 500 मीटर बगल में नाले पर कवर ढक्कन।

25-ग्राम-मुजासा में राजकुमार के घर से हरी के घर तक आर0सी0सी0 का 70 मीटर का निर्माण कार्य।

पुलिया निर्माण कार्य का विवरण :-

1-ग्राम पंचायत रमगड़ा का मजरा मऊ विकास खण्ड मलिहाबाद में पुलिया का निर्माण कार्य।

2-गोपालपुर युसुफ खेड़ा से नहर पर बड़ी पुलिया का निर्माण कार्य।

3-भवानीपुर मजरा करेंदि पर झिनगी नाला का निर्माण कार्य।

4-गड़ोवा बरौकी की नहर पर टूटी पुलिया का निर्माण कार्य।

5-सुरती खेड़ा मजरा पारा भदराही टूटी पुलिया का निर्माण कार्य।

6-बिशनपुर के नाम झिनगी नाला पर टूटी पुलिया का निर्माण कार्य।

7-गहदौ से पवाया रोड खगेश्वर खेड़ा पर टूटी पुलिया का निर्माण कार्य।

8-शाहमऊ नहर पर टूटी पुलिया का निर्माण कार्य।

9-नबी पनाह से बांसी पर झिनगी नाला पर पुल का निर्माण कार्य।

10-रनीपारा से देवरी भारत को जोड़ने वाली झिनगी नाला पर पुलिया का निर्माण कार्य।]

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र मीरगंज में राजकीय इण्टर कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 डी0सी0 वर्मा-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-119, मीरगंज जनपद बरेली के अन्तर्गत ग्राम-बहरौली में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना किया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व एवं जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए ग्राम बहरौली से राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना के अन्तर्गत मंडी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमेश मलिक-

[मान्यवर, जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत मेरी विधान सभा क्षेत्र बुढाना क्षेत्र के बुढाना नगर पंचायत तहसील होने के बावजूद मण्डी न होने से किसानों को गेहूँ, आलू, धान, प्याज आदि बेचने में बहुत असुविधा होती है तथा किसानों को कम मूल्य मिल पाता है जबकि शासनादेश के अनुसार तहसील में मण्डी होना अनिवार्य है। जनहित में मण्डी का होना आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान में नहर पट्टी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बृजेश कुमार-

[महोदय, निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मोहान, जनपद उन्नाव में ग्राम रामपुर अखौली जूनियर स्कूल से बारा खेड़ा तक लगभग 02 कि0मी0 का मार्ग व जय गोविन्द खेड़ा से भटपुरा नहर पट्टी तक के मार्ग अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। उक्त मार्ग पर बड़े-बड़े गड्ढे होने के साथ-साथ कच्चा मार्ग है। बरसात के दिनों में उक्त तीनों मार्गों पर जल भराव

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे आवागमन में स्थानीय जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त उक्त जल भराव से उक्त मार्ग पर दुर्घटनायें भी होती रहती है जिससे स्थानीय जनता में सरकार के प्रति काफी रोष व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न पर जनहित में विधान सभा क्षेत्र मोहन जनपद उन्नाव में होने वाले जल भराव की भयावह स्थिति से निजात दिलाये जाने हेतु ग्राम रामपुर अखौली जूनियर स्कूल से बारा खेड़ा तक लगभग 02 कि0मी0 का मार्ग व जय गोविन्द खेड़ा से भटपुरा नहर पट्टी तक के मार्ग निर्माण कार्य व चौड़ीकरण का कार्य कराये जाने हेतु मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ।]

जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र गोविन्दनगर के अन्तर्गत सी0टी0आई0 पुल के समानान्तर पुल न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र मैथानी-

[मान्यवर, आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित सी0टी0आई0 पुल के समानान्तर पुल बनवाया जाना अतिआवश्यक है। सामान्तर पुल न होने के कारण क्षेत्रीय लोगों के लिये भीषण संकट व्याप्त है। इस पुल के न होने की वजह से लोगों के पुल के नीचे से होकर गुजरना पड़ता है जिससे बहुत लम्बा जाम लग जाता है। और यह जाम कभी-कभी कई घण्टों तक बना रहता है। जिससे एम्बुलेंस जैसी गाड़ियां फंस जाती हैं और उसमें फंसी रहती हैं। शासन स्तर पर भी इस पुल को बनाये जाने हेतु कई प्रयास किये गये हैं, परन्तु अभी तक कुल नहीं हो पाया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के अन्तर्गत ग्राम बधाई खुर्द में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रमोद उटवाल-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा पुरकाजी जनपद मुजफ्फरनगर में स्थित ग्राम बधाई खुर्द में पानी की टंकी का निर्माण कराया जाना जनहित में नितान्त आवश्यक है, क्योंकि गांव के आस-पास का पानी दूषित हो रहा है, जिससे स्वच्छ पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है और लोग गम्भीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद अमेठी के विकास खण्ड गौरीगंज में कतिपय सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राकेश प्रताप सिंह-

[मान्यवर, विकास खण्ड गौरीगंज, जिला अमेठी के अन्तर्गत निम्न सम्पर्क मार्ग मनीपुर-पडरी मार्ग का नवीनीकरण एवं विकास खण्ड जामो के अन्तर्गत गोगमऊ रामबक्सगढ़ बरौलिया मार्ग का नवीनीकरण का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है ग्रामीणों को बरसात में इस लोक निर्माण विभाग के मार्ग पर निकलना दूभर हो जाता है, जिससे ग्रामीणों में काफी रोष व्याप्त है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए सम्बन्धित विकास खण्ड गौरीगंज एवं जामो जिला अमेठी के अन्तर्गत निम्न सम्पर्क मार्गों के मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत मोहल्ला बंशीबाजार में 400 के0वी0 का ट्रांसफार्मर लगवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शैलेश कुमार सिंह ''शैलू''-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर गाजीपुर में श्रीमती सुमन देवी के घर से स्व0 श्री अली हुसैन के घर के आस पास अन्य लोगों के घर तक विद्युत की आपूर्ति न होने से काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। मेरे द्वारा शासन प्रशासन को लिखित एवं मौखिक शिकयत की है लेकिन अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हो सकी है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जनपद गाजीपुर के विधान सभा सदर गाजीपुर में श्रीमती सुमन देवी के घर में स्व0 श्री अलीहुसैन के घर तक पोल, तार व 400 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर लगाने की मांग करता हूँ।]

जनपद सीतापुर के अन्तर्गत संचालित आश्रम पद्धति विद्यालय हाजीपुर व मुर्तजानगर में शिक्षकों की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जनपद सीतपुर में संचालित आश्रम पद्धति विद्यालय हाजीपुर व मुर्तजानगर जो कि तहसील महमूदाबाद में स्थित है में छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की काफी कमी है जिससे छात्र छात्रायें गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा से वंचित हो रही हैं। उपरोक्त दोनों विद्यालयों में अन्य स्टाफ का भी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वेतन व मानदेय काफी दिनों से बाकी है। शिक्षकों की नियुक्ति के साथ अन्य स्टाफ के वेतन आदि का भुगतान कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना के अन्तर्गत चकरनगर में कन्या इण्टर कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सावित्री कठेरिया-

मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र भरथना, जनपद इटावा के चकरनगर क्षेत्र में एक भी बालिका इण्टर कालेज नहीं है। जिससे इस क्षेत्र गरीब एवं निर्धन छात्रायें इण्टर की शिक्षा से वंचित हो रही हैं। सरकार की मंशा सभी को शिक्षा देने की है, परन्तु दस्यु प्रभावित मेरे विधान सभा क्षेत्र चकरनगर में एक भी कन्या इण्टर कालेज न होने से छात्रायें शिक्षा से वंचित हो रही हैं जिससे उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है। जनहित में चकरनगर में एक कन्या इण्टर कालेज खोला जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए चकरनगर में एक कन्या इण्टर कालेज खोले जाने हेतु कार्रवाई की मांग करती हूँ।]

नेता सदन द्वारा आज सदन के प्रत्येक सदस्य के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की सूचना

श्री अध्यक्ष-

दूसरी सूचना यह है कि मा0 नेता सदन, मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा आज अपनी कैंटीन में इस आदरणीय सदन के प्रत्येक सदस्य के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की है। मुझे उनकी तरफ से यह सूचना आप सभी को देनी थी।

नियम-103 के अन्तर्गत जनगणना हेतु एन0पी0आर0 में पिछड़ी जातियों का कालम भी जोड़ने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश का प्रस्ताव लाकर चर्चा कराये जाने की मांग

***श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने भी नियम-103 की एक सूचना के माध्यम से आपसे अनुरोध किया था कि जिस तरह से पिछड़ी जाति का कालम।

श्री अध्यक्ष-

नियम-103 तो चर्चा का होता है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मा0 अध्यक्ष जी, यह महत्वपूर्ण है। कल ही बिहार विधान सभा में प्रस्ताव पास हुआ है, यहाँ से भी एक प्रस्ताव पारित कराकर केन्द्र सरकार को भेज दीजिये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

***नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने भी नियम 103 में कल क्या परसों एक सूचना दी थी।

श्री अध्यक्ष-

नियम 103 में चर्चा होती है।

***श्री लाल जी वर्मा-**

मा0 अध्यक्ष जी, अभी बिहार विधान सभा ने प्रस्ताव पास किया है तो उसी तरह से मान्यवर आपसे भी निवेदन है कि आज असरकारी दिवस भी है। इसको आप अपने अधिकार का प्रयोग करके आज ही चर्चा के लिए ले लें।

श्री अध्यक्ष-

यही तो मैं कह रहा हूँ कि नियम-103 में चर्चा की माँग होती है, पत्रावली बनती है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसे आज ही चर्चा के लिए ले लें और आज ही यह प्रस्ताव पास हो जाये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है इसलिए उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-103 में मैंने परसों भी एक सूचना दी थी। आपने कई बार इस बात का जिक्र किया कि यह केन्द्र सरकार का मामला है। अभी-अभी पूरे देश के पीठासीन अधिकारियों की आपकी अध्यक्षता में बैठक हुई। बिहार विधान सभा ने दो प्रस्ताव पास किये। एक तो हम एन.आर.सी. लागू नहीं करेंगे। दूसरा एन.पी.आर. को लेकर प्रस्ताव पास किया। जब बिहार विधान सभा में यह मामला आ सकता है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आ सकता ? माननीय अध्यक्ष जी, एन.पी.आर. में पिछड़ी जाति का कॉलम ही नहीं है। बराबर हम लोग माँग करते हैं कि जातीय जनगणना हो। मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि मैंने इसको एक दिन नियम-56 में भी उठाया था, फिर मा0 लालजी वर्मा जी ने कहा कि इसे नियम-103 में दे दीजिए, तो नियम-103 में भी दिया। शायद नेता कॉग्रेस ने भी दिया है, वर्मा जी ने भी दिया होगा अगर नहीं दिये हैं तो भी पूरे विपक्ष का मान लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

कल दिये थे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आप कृपया इस पर चर्चा करा दें ताकि मालूम तो हो जाये कि जातीय जनगणना सरकार क्यों नहीं करा रही है, क्यों भग रही है ? विधान सभा में चर्चा हो सकती है क्योंकि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बिहार, विधान सभा ने भी चर्चा की, राजस्थान विधान सभा ने भी चर्चा की, कई राज्यों में इस पर चर्चा हुई है तो यहाँ भी चर्चा हो जाये।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, आप नियम-103 देख लें। नियम-103 में है कि प्रस्ताव की ग्राह्यता की शर्तें-कोई प्रस्ताव ग्राह्य हो सके इसके लिए निम्न शर्तें हैं, वह शर्तें पूरी होती हैं। कोई प्रस्ताव 6 महीने पहले इस पर डिस्कसन हुआ नहीं, लिखित रूप से माननीया मोना जी प्रस्ताव दे चुकी हैं। जब लिखित रूप से प्रस्ताव आ गया तो आज असरकारी दिवस भी है तो मैं चाहूँगा कि इस पर आप चर्चा करा दें और चर्चा के बाद सर्व-सम्मति से यह पास हो सकता है। अगर सरकार की मंशा होगी तो चर्चा के बाद यह सर्व-सम्मति से पास हो जायेगा। इसलिए आज चर्चा करा दें, हमारा आपसे केवल इतना ही निवेदन है। मान्यवर, यह महत्वपूर्ण विषय है। पिछड़ी जातियों की जातिवार जनगणना के पूरे प्रदेश के आंकड़े आने चाहिए। जब जातियाँ बनी हैं तो जातिवार जनगणना भी आनी चाहिए कि कौन कितनी संख्या में है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज ही इस प्रस्ताव को ले लें और इसको ग्राह्य करके इस पर चर्चा करा दें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपको याद होगा जिस दिन हमने इसको उठाया था।

श्री अध्यक्ष-

हाँ, याद है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

तो उस दिन यह बात आयी कि नियम-56 में चर्चा कभी स्वीकार नहीं की गयी। इसलिए हमने इसे नियम-103 में दिया और इसको दिये हुये 03 दिन हो गया। उसके बाद मा0 आराधना मिश्रा जी ने भी दिया। तीन दिन पहले मैंने नियम-103 में दिया है तो कृपा कर आप आज उस पर चर्चा करा दें। सभी जातियों की जनगणना हो। एन0पी0आर0 में पिछड़ी जातियों का कॉलम छोड़ दिया गया है उसमें पिछड़ी जातियों को भी जोड़ा जाये। श्रीमन्, इस पर चर्चा करा दें।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग पहले बोलकर फिर चर्चा की माँग कर रहे हैं। आपका (श्री लाल जी वर्मा), कॉग्रेस का और माननीय राम गोविन्द चौधरी जी ने हमको सूचित किया था और फोन करके भी आग्रह किया था इस विषय को नियम-56 में लेने के लिए। हमारी बात दो खण्डों में है। पहले मैंने कहा था कि यह विषय केन्द्रीय सूची का विषय है, ऐसा मैंने कहा था और इसे मैं स्वीकार करता हूँ। हम सदन में उन्हीं-उन्हीं विषयों पर चर्चा कराते हैं, सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं जिन मामलों में राज्य की सरकार जिम्मेदार हो तो इसलिये नियम-56 मे दिया गया नोटिस राज्य सरकार को जिम्मेदार कराने का ही नोटिस होता है। माननीय सदस्यों की तरफ से

कार्य स्थगन का नोटिस दिया जाता है इस बात पर कि सरकार जिम्मेदार है और यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न अर्न्तग्रस्त है इसमें। अब आपने दिया है प्रस्ताव में, जैसा बिहार का उल्लेख किया माननीय नेता प्रतिपक्ष ने। तो प्रस्ताव के अन्तर्गत चर्चा होती है। कार्य स्थगन में चर्चा संभव नहीं थी। अब आपने प्रस्ताव में दिया। प्रस्ताव के बारे में जो आपने हमको पढ़ने के लिये कहा है तो 103, 104 में दिया है कि यह प्रमुख सचिव को दी जायेगी। यह सब शर्तें ठीक हैं। 105 भी ठीक हे। 106 में है कि अध्यक्ष प्रस्ताव की ग्राह्यता का विनिश्चय करेंगें, यह भी ठीक है। अध्यक्ष को करना है, यह भी ठीक है। अब 108 आप देखें। समय नियतन और प्रस्तावों पर चर्चा, अध्यक्ष सदन में कार्य की स्थिति पर विचार करने के बाद ऐसे किसी प्रस्ताव पर चर्चा के लिये कोई एक दिन या किसी दिन का भाग नियत कर सकेंगें। इस पर कोई परामर्श नहीं हो पाया। कार्य-मंत्रणा पर भी नहीं हो पाया तो यह जो दिन है माननीय संसदीय कार्य मंत्री और आप तैयार हो जाइये अध्यक्ष को कोई परेशानी नहीं है। अब मैं इनका मंतव्य ले लूं।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपको पूरा अधिकार है। अगर आप आज ले लेंगें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यह सदन का अधिकार है और मान्यवर, आप इस सदन में सबका विश्वास प्राप्त करके अध्यक्ष की कुर्सी पर हैं।तो इसलिये आपको अधिकार है और हम सब चाहते हैं कि इस पर आज ही चर्चा हो जाय जिससे यह महत्वपूर्ण विषय पर हम सिफारिश कर सकें। इसलिये आपको पूरा अधिकार है। इसमें कहीं यह नियमावली कोई बाधित नहीं करती।

श्री अध्यक्ष-

हम कहाँ कहते हैं कि बाधित करती है। आपने ध्यानाकर्षण किया नहीं। नियमावली तो हम प्रायः उठाते नहीं हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

मैंने देख लिया है और आपको सुन भी लिया है। इसलिये मैं चाहूँगा कि आपका अधिकार है, आज आप ले लें और आप कह दें कि हम ग्राह्य करते हैं जो इस पर चर्चा हो जायेगी। कोई समय आप नियत कर दें आज ही के दिन का।

श्री अध्यक्ष-

हम लोग तो कोई भी विषय लेते हैं चर्चा के लिये या कोई अधिनियम लेते हैं या कुछ भी लेते हैं तो सरकार का पक्ष सुनते हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अध्यक्ष जी, निर्णय देने से पहले।

श्री अध्यक्ष-

अभी हम निर्णय नहीं देने जा रहे। हम सरकार को सुनेंगें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

एक मिनट। 103 में नियमों के अनुसार हमने दिया और बाद में कॉग्रेस के नेता ने भी दिया। मैंने तो 3 दिन पहले से दिया और हम सोच रहे थे कि आप उसको पढ़ेंगें। हम सोच रहे थे कि बाद में पढ़ेंगें तब तक उन्होंने याद भी दिला दिया और यह हम लोगों के लिये, देश के लिये, समाज के लिये सबसे महत्वपूर्ण चीज है आज की तारीख में। क्योंकि देश इसी में उद्वेलित है। चाहे गलत हो, सही हो यह अलग प्रक्रिया है। तो इस पर आप चर्चा करा दें कि जातिवार गणना तो हो ही रही है वह हो और जो एन0पी0आर0 में पिछड़े वर्ग का कालम गिनती न हो छोड़ दिया गया है। एन0पी0आर0 में पिछड़े वर्ग का भी कॉलम जोड़ा जाय और पिछड़े वर्ग के लोगों की भी गिनती हो कि इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप तो अपनी बात कह ही गये। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप कुछ कहेंगें।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

अध्यक्ष जी, मैं भी इसी में एक बात जोड़ना चाहती हूँ कि पहले यह जो जनगणना होती थी उसमें यह कॉलम था। अब जो भी वजह रही हो इसको अब समाप्त कर दिया गया। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ही सरकार चल रही है। अगर वहाँ इच्छाशक्ति के माध्यम से दिया प्रस्ताव दिया जा सकता है तो यहाँ भी दे सकें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करेंगें कि प्रस्ताव सबका स्वीकृत करें।

श्री अध्यक्ष-

प्रस्ताव पर समय आपके पास, सरकार के पास, सबके पास है कि नहीं यह देखना है।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, हम पिछड़े वर्गों का मन वचन कर्म व हृदय से सम्मान करते हैं। (मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, यह तो केवल अखबारों में सुर्खियां लूटने का काम करते हैं। इसको संवैधानिक दर्जा हमने दिया लेकिन यहाँ पर जब कभी हाई कोर्ट की बेंच की बात आई तब यहाँ पर बैठे हुए समाजवादी पार्टी के लोग यह कहते थे कि इसकी क्या जरूरत है प्रस्ताव की। यह तो केन्द्र सरकार को करना है। केन्द्र सरकार जब चाहेगी तब कर देगी। मान्यवर, जो विषय इस विधान सभा से सम्बन्धित नहीं है उसका बेवजह। मान्यवर, बिहार की एसेम्बली हमारे लिये कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है।

माननीय अध्यक्ष जी, बिहार की असेम्बली हमारे लिए कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है, कोई रोल मॉडल नहीं है कि हम उसकी असेम्बली का यहाँ पर संज्ञान लें। जहाँ तक सम्मान की बात है तो पिछड़े वर्गों का सम्मान पूरे तरीके से है, हर कदम पर है, लेकिन वह केन्द्र सरकार के हाथ में है, यह मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हर स्तर पर न्याय ज्यादा जरूरी है, सस्ता न्याय,

सुलभ न्याय ज्यादा जरूरी है। हमने कई बार इस बात को विधान सभा में कहा कि हाईकोर्ट की बेंच से प्रस्ताव पास कर दें तब हमेशा यह कहा जाता रहा कि अरे इसकी क्या जरूरत है ? इस प्रस्ताव का कोई महत्व नहीं है। सवाल यह है कि जो विषय इस विधान सभा से सम्बन्धित नहीं है, उस पर निर्णय लेना मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हम तो पिछड़े वर्ग का मन से सम्मान करते हैं, करते थे और करते भी रहेंगे, लेकिन जो विषय केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, उस पर उनको निर्णय लेने दें, उनसे बात करके निर्णय लिया जाए, वह करेंगे। यह बिल्कुल निरर्थक बहस है, इस बहस का कोई अन्त नहीं है। हमने कल भी कहा था कि हम पूरी सोसाइटी को समग्रता में देखना चाहते हैं। हम समग्रता में बात करना चाहते हैं, आप खण्डों में बात करते हैं। आप बांटना चाहते हो, बांटने का काम आप करते हो, हम कभी नहीं करते हैं। हमारे लिए पूरी सोसाइटी, पूरा संसार, पूरी दुनिया एक है। हम वसुधैव कुटुम्बकं की बात करते हैं। आप बार-बार उसी चीज को रिपीट करते हैं। सवाल यह है कि यह इस विधान सभा के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता, उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यक्षेत्र में नहीं आता, इसलिए हम पिछड़े वर्गों का सम्मान करते हुए इसकी आवश्यकता नहीं समझते हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में क्यों जरूरी है, यह मैं कहना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश की विभिन्न पंचायतों में पिछड़े वर्गों का रिजर्वेशन है।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग जो कहना चाहते हैं, वह पहले कह चुके हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, सुन लें। अगर पिछड़े वर्गों की संख्या नहीं आयेगी तो किस आधार पर रिजर्वेशन देने का काम करेंगे ? किन पंचायतों में देने का काम करेंगे ? नगर पालिकाओं में उनके वार्ड का रिजर्वेशन है। अगर पिछड़े वर्गों की संख्या नहीं आयेगी तो रिजर्वेशन कैसे देने का काम करेंगे ? हमारे लिए यह अति आवश्यक है कि हम जातिगत जनगणना करायें, इसलिए इस प्रस्ताव के लिए हम केन्द्र सरकार से मांग करें कि उत्तर प्रदेश में जातिवार जनगणना सभी जातियों की करायी जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आपका विषय हो गया। अब हम अगला विषय ले लें।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए हम चाहते हैं कि इस पर यह सरकार माने और इस प्रस्ताव को केन्द्र सरकार के पास भेजने का काम करे। अगर यह सरकार प्रस्ताव नहीं भेजती है तो इसका तात्पर्य है कि जो यह पिछड़े वर्गों को केवल संवैधानिक दर्जा देने की बात कर रहे हैं, उस संवैधानिक दर्जे का तात्पर्य रद्दी की टोकरी के बराबर होगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, जब पिछड़े वर्ग आयोग का गठन हुआ तो इसी सदन में मेज थपथपाकर के उसका स्वागत किया गया। उस समय मा0 प्रधानमंत्री जी ने इस बात को भी कहा था कि हम जातिगत जनगणना करायेंगे। जातिगत जनगणना कई बार हुई भी है, लेकिन मा0 प्रधानमंत्री जी के कहने के बावजूद भी इस बार जातिगत जनगणना क्यों नहीं हो रही है ? कहते हैं कि पिछड़े का सम्मान है, हम कहाँ कहते हैं कि पिछड़े का सम्मान नहीं है। पिछड़े ने यही तो जानकर के आपको वोट दिया है और अब वह ठगा महसूस कर रहा है। पिछड़े की जनगणना करने में आपको क्या कठिनाई है ? कई अवसरों पर जो चीजें केन्द्र की हैं, यहाँ विधान सभा से पास हुई हैं जैसे मा0 मुलायम सिंह यादव जी मुख्य मंत्री थे तो सारी जातियों के रिजर्वेशन के लिए इसी विधान सभा से प्रस्ताव पास होकर गया चूंकि वह केन्द्र का मामला था फिर मा0 अखिलेश यादव जी की सरकार थी मा0 मौर्या जी उस समय मा0 नेता विरोधी दल थे फिर 17 जातियों का प्रस्ताव इसी सदन में पास हुआ और केन्द्र सरकार को भेजा गया। हम लोग आपके माध्यम से केवल इतनी ही प्रार्थना कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश सदन भी यह चाहता है कि प्रस्ताव पास हो जाए कि जातिगत जनगणना हो और जो एन0पी0आर0 में पिछड़ी जाति का खाना छोड़ दिया गया है, उसमें सब जातियों के साथ-साथ पिछड़ी जाति की भी जातिगत जनगणना करायी जाए। इस प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश विधान सभा पास करके केन्द्र सरकार को भेजे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब आपका विषय आ गया है।

***श्री ओम प्रकाश राजभर-**

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि मैं समग्र लोगों को एक साथ रखना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूँ कि तहसीलदार तो सरकार के अधीन होता है, जो प्रदेश में तहसीलदार होते हैं, वह सरकार के अधीन होते हैं। तहसीलों में प्रमाण पत्र जाति का मोहर मानकर देते हैं कि यह नाई है, गोड़ है, पाल है, प्रजापति है, कुम्हार है, चौहान है, बिन्द है, केवट है, मल्लाह है, राजभर है, राजपूत है, ब्राह्मण है, भूमिहार है, धोबी है, धनगर है, पासी है, खटिक है, कुंजड़ा है यह मोहर मारकर देते हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। इस विषय को समाप्त करते हैं। आपकी बात आ गई ।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

जातिगत जनगणना कराइए सदन से भागने का काम न हो। अभी कार्यमंत्रणा समिति में तय हुआ कि 6 तारीख तक चलेगा तो आज बन्द नहीं होना चाहिए नहीं तो यहीं धरना

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूंगा। यहीं हम लोग धरना देंगे। जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहाँ से प्रस्ताव पास किया है।

श्री अध्यक्ष-

अब हम आगे बढ़ गए हैं।

श्री रामगोबिन्द चौधरी-

अध्यक्ष जी अभी हमारे प्रस्ताव का उत्तर तो आया नहीं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, चर्चा का आपको अधिकार है आप चर्चा करा दें।

श्री अध्यक्ष-

हमने इस पर चर्चा स्वीकृत नहीं की है।

श्री लाल जी वर्मा-

चर्चा स्वीकार कर लें यही आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष-

इसमें तो सभी पक्ष मिलकर समय तय करते हैं।

श्री रामगोबिन्द चौधरी-

भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इस उत्तर प्रदेश की सरकार जातिगत जनगणना करने से भाग रही है पिछड़ों की जनगणना नहीं कराना चाहती है यह पिछड़ों की विरोधी है इसलिए हम सदन का त्याग करते हैं।

(नेता प्रतिपक्ष अपने दल के साथ सदन त्यागकर चले गए)

(इस दौरान विपक्ष के सदस्य पिछड़ा विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी का नारा लगाते रहे।)

श्री लाल जी वर्मा-

सरकार पिछड़ों की गणना नहीं करा रही है इसके विरोध में मैं अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूँ।

(श्री लालजी वर्मा अपने दल के साथ सदन त्यागकर चले गए)

[12:42] लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या 05-2017 (लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)†

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-05-2017(लो0आ0)(स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप

† छापी नहीं गयी।

लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (बत्तीसवां संशोधन) नियमावली, 2019 †

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1555/ग्यारह-2-9-(42)-17-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (74)-2019, दिनांक 11 दिसम्बर, 2019 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (बत्तीसवां संशोधन) नियमावली, 2019 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1524/ ग्यारह-2-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(76)-2019, दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 †

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1524/ग्यारह-2-9-(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(76)-2019, दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1526/ग्यारह-2-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(83)-2019, दिनांक 23 दिसम्बर, 20190 †

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1526/ग्यारह-2-9-(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(83)-2019, दिनांक 23 दिसम्बर, 2019 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 77/ग्यारह-2-9(42)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(85)-2020, दिनांक 14 जनवरी, 2020 †

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-77/ग्यारह-2-9(42)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(85)-2020 दिनांक 14 जनवरी

† छापी नहीं गयी।

2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 79/ग्यारह-2-9(42)-17- उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(87)-2020, दिनांक 14 जनवरी, 2020 †

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-79/ग्यारह-2-9(42)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(87)-2020 दिनांक 14 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 80/ग्यारह-2-9(42)-17- उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(88)-2020, दिनांक 14 जनवरी, 2020 †

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 80/ग्यारह-2-9(42)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(88)-2020, दिनांक 14 जनवरी, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सख्या 1 सन् 2017) की धारा 166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 83/ग्यारह-2-9(47)-17- उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(89)-2020, दिनांक 28 जनवरी, 2020 †

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 83/ग्यारह-2-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(89)-2020, दिनांक 28 जनवरी, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सख्या 1 सन् 2017) की धारा 166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 84/ग्यारह-2-9(47)-17- उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(90)-2020, दिनांक 28 जनवरी, 2020 †

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 84/ग्यारह-2-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(90)-2020, दिनांक 28 जनवरी, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सख्या 1 सन् 2017) की धारा 166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

† छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (पैंतीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2020 †

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 82/ग्यारह-2-9(42)-17-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (93)- 2020, दिनांक 05 फरवरी, 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (पैंतीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

मद संख्या-12, माननीय सहकारिता मंत्री जी।

उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकपैड) वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सरकारी संध लि0, लखनऊ के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 †

सहकारिता मंत्री (श्री मुकुट बिहारी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकपैड) वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सरकारी संघ लि0, लखनऊ के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 को उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, 1965 यथासंशोधित वर्ष 2013 की धारा 64 की उपधारा 6 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

मद संख्या-13 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या-14

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2019-2020) का प्रथम् प्रतिवेदन †

श्री रामचन्द्र यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, (2019-2020) का प्रथम् प्रतिवेदन जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1993-1994 (वाणिज्यिक) एवं 1999-2000 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि0 से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, को प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, (2019-2020) का द्वितीय प्रतिवेदन †

श्री रामचन्द्र यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, (2019-2020) का द्वितीय प्रतिवेदन, जो भारत के

† छापी नहीं गयी।

नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2007-2008, 2009-2010 (वाणिज्यिक) एवं 2010-2011 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, को प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, (2019-2020) का तृतीय प्रतिवेदन †

श्री रामचन्द्र यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, (2019-2020) का तृतीय प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2005-2006 (वाणिज्यिक), 2010-2011 (वाणिज्यिक) एवं 2014-2015 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, को प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, (2019-2020) का चतुर्थ प्रतिवेदन†

श्री राम चन्द्र यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, (2019-2020) का चतुर्थ प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2003-2004 (वाणिज्यिक), 2004-2005 (वाणिज्यिक), 2005-2006 (वाणिज्यिक), 2006-2007 (वाणिज्यिक), 2009-2010 (वाणिज्यिक) एवं 2014-2015 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश दक्षिणांचल एवं पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, को प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, (2019-2020) का पंचम् प्रतिवेदन †

श्री राम चन्द्र यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, (2019-2020) का पंचम् प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2015-2016 (वाणिज्यिक) एवं 2016-2017 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम लि0 से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, को प्रस्तुत करता हूँ।

---

† छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, (2019-2020) का षष्ठम् प्रतिवेदन†

श्री राम चन्द्र यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, (2019-2020) का षष्ठम् प्रतिवेदन जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1998-1999 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, को प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, (2019-2020) का सप्तम् प्रतिवेदन†

श्री राम चन्द्र यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, (2019-2020) का सप्तम् प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1992-1993 (वाणिज्यिक), 1997-1998 (वाणिज्यिक) एवं 2006-2007 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम लि0 से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, को प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, (2019-2020) का अष्टम् प्रतिवेदन †

श्री राम चन्द्र यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, (2019-2020) का अष्टम् प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2003-2004 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश चीनी निगम लि0 से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, को प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, (2019-2020) का नवम् प्रतिवेदन †

श्री राम चन्द्र यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त

† छापी नहीं गयी।

समिति, (2019-2020) का नवम् प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2015-2016 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, को प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, (2019-2020) का दशम् प्रतिवेदन †

श्री राम चन्द्र यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, (2019-2020) का दशम् प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2012-2013 (वाणिज्यिक) एवं 2016-2017 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, को प्रस्तुत करता हूँ।

श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बाराबंकी से सम्बन्धित तीन याचिकाएं †

श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

1-मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बाराबंकी शहर लेपोरेसी मिशन अस्पताल निकट नहर की पटरी से देवा रोड तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वसीम अहमद व अन्य निवासीगण जनपद बाराबंकी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

2-मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बाराबंकी शहर के छाया सिनेमा हॉल स्टेशन मार्ग पर जमुरिया पर बने पुल की जर्जर हालत को ठीक कराने हेतु नये पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री परवेज अहमद व अन्य निवासीगण जनपद बाराबंकी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ तथा

3-मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बाराबंकी शहर से बंकी टाउन एरिया को जोड़ने हेतु उपरिगामी सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय बाजपेयी व अन्य निवासीगण जनपद बाराबंकी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

श्री बृजेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बधित याचिका †

श्री बृजेश कुमार-

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव में प्रमुख मार्गों पर चलने वाली परिवहन निगम की बन्द बस सेवाओं के सम्बन्ध में श्री संजय शुक्ला निवासी जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री बहोरन लाल मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित दस याचिकाएं †

श्री बहोरन लाल मौर्य-

1-मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली के अन्तर्गत दौली रघुवर दयाल में शुद्ध पेयजल हेतु ओवर हेड टेंक बनाये जाने के सम्बन्ध श्री मुरेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

2-मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील बरेली के अन्तर्गत अभयपुर रिठौरा मार्ग से लाडपुर होते हुए जटउपट्टी तक सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुभाष चन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

3-मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील बरेली के अन्तर्गत बरेली नैनीताल मार्ग से पिपरिया तक पक्की सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र कश्यप व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

4-मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली के अन्तर्गत जोगीठेर में राजकीय इण्टर कालेज स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री तेजपाल कश्यप व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

5-मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली के अन्तर्गत शरीफनगर में शीतल पेयजल हेतु ओवर हैड टेंक स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

6-मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली के अन्तर्गत जादोपुर सेंथल मार्ग से गोंटिया तक पक्की सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रपाल व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

7-मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली के अन्तर्गत बल्लाकोठा में शीतल पेयजल हेतु ओवर हैड टेंक स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोहर लाल व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

8-मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली के अन्तर्गत बरेली-नैनीताल मार्ग से सागलपुर तक सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम औतार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

9-मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली के अन्तर्गत खितौसा से खानपुर तक पक्की सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री शंकर लाल व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ तथा

10-मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली के अन्तर्गत ग्राम बुझिया में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

श्री वीरेन्द्र सिंह राणा जी उपस्थित हैं ?

(माननीय सदस्य के अनुपस्थित रहने पर)

श्री अधिष्ठाता-

इनकी याचिका भी प्रस्तुत मानी गयी।

श्री बीरेन्द्र सिंह राणा, सदस्य, विधान सभा की जनपद हाथरस से सम्बन्धित आठ याचिकाएं †

श्री बीरेन्द्र सिंह राणा सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकायें उपस्थित की हुयी मानी गयीं-

1-जनपद हाथरस के विकास खण्ड हाथरस के कैलोरा से जलेसर मार्ग के जर्जर मार्ग का चौड़ीकरण किये जाने के संबंध में श्री टरमेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

2-जनपद हाथरस के विकास खण्ड हसायन के मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराने के सम्बन्ध में श्री दीपक उपाध्याय व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

3-जनपद हाथरस के विकास खण्ड हसायन के ग्राम भरतपुर में स्वीकृत खेल मैदान क्रीड़ा स्थल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मिथुन शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

4-जनपद हाथरस के विकास खण्ड हसायन के ग्राम लोधीपुर किरार मई में अधिग्रहीत भूमि पर पॉलीटेक्निक कालेज का शीध्र निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकेश प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

5-जनपद हाथरस के विकास खण्ड मुरसान के ग्राम बिसाना में परिषद्रीय जू0हा0 को उ0मा0 विद्यालय स्वीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजीव राणा व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

6-जनपद हाथरस के विकास खण्ड सिकन्दराराऊ के ग्राम चिरायल में स्वीकृत पं0 दीनदयाल उपाध्याय आश्रम पद्वति विद्यालय का शीर्घ निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्तोष पुण्डीर व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

7-जनपद हाथरस के विकास खण्ड मुरसान के ग्राम जिन्द पट्टी में जल निगम द्वारा अधिग्रहीत भूमि पर पानी की टंकी बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री मुन्ना सिंह व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

8-जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराराऊ के 49 गाँवों में भू-जल खारा होने के कारण शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में श्री किसान सेंगर व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री अवस्थी बाला प्रसाद, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर से सम्बन्धित चार याचिकाएं †

श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

1-मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद लखीमपुर खीरी तहसील धौरहरा में ग्राम पंगवापुर सेमराना ईसानगर रोड से ग्राम अदलीसपुर होते हुए एन0एच0 रोड ग्राम भरेहटा तक सड़क का निर्माण करवाने के सम्बन्ध में श्री गया प्रसाद लोधी व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर खीरी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

2-मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद लखीमपुर खीरी तहसील धौरहरा के ब्लाक ईसानगर के ग्राम सिंगावर रोड से ग्राम सरपतहा से राजापुर बाजार से ग्राम सुर्जनपुर तक सड़क का निर्माण करवाने के सम्बन्ध में श्री गोपाली चौहान व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर खीरी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

3-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम मंगरौली से लहबड़ी ग्राम सुजई पं0 पुरवा तथा नाला पर से होकर धौरहर रोड तक के सम्बन्ध में श्री भगौती प्रसाद शुक्ल व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर खीरी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ तथा

4-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम रायपुर बन्धा रोड से टॉड़ा ग्राम तक सड़क व रपटा बनवाने के सम्बन्ध में श्री राजा राम गौतम व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर खीरी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

श्री काली प्रसाद, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित याचिका †

श्री काली प्रसाद-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद देवरिया में शिवानी बालिका जूनियर हाई स्कूल बांकी देवरिया को अनुदान दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र कुशवाहा निवासी जनपद देवरिया द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

श्री कैलाश नाथ शुक्ल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर से सम्बन्धित तीन याचिकाएं †

श्री कैलाश नाथ शुक्ल-

1-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत ब्लाक-हरैया सतघरवा में मथुरा बाजार में पानी की टंकी के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रताप नारायण सैनी व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ,

---

† छापी नहीं गयी।

2-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत ब्लाक-हरैया सतघरवा में पशु चिकित्सालय के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ तथा

3-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत ब्लाक-हरैया सतघरवा में सिकटिहवा मोड़ चौधरी डीह मार्ग से सुगा नगर लहेरी जाने वाले मार्ग को गड्ढा मुक्त/पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बुद्धसागर मिश्र व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

श्री कल्पनाथ पासवान, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित तीन याचिकाएं †

श्री कल्पनाथ पासवान-

1-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड तरवां ग्राम सभा नारायनपुर कंचनपुर मार्केट से नारायनपुर होते हुए जगदीशपुर सरहद तक 1300 मी0 पिच रोड निर्माण के सम्बन्ध में श्री केदार यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित करता हूँ,

2-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड तरवां ग्राम कंचनपुर मार्केट से होते हुए माखनपुर सरहद तक 600 मी0 पिच रोड निर्माण के सम्बन्ध में श्री गुडडू यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ तथा

3-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड तरवां ग्राम सभा जीयापुर स्कूल से जगदीशपुर सरहद तक 600 मी0 पिच रोड निर्माण के सम्बन्ध में श्री सुरजू सरोज व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

श्री महेश त्रिवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित नौ याचिकाएं च कानपुर देहात से सम्बन्धित एक याचिका †

श्री अधिष्ठाता-

श्री महेश त्रिवेदी जी उपस्थित हैं ?

(सदस्य के अनुपस्थित रहने पर)

श्री ओम प्रकाश राजभर-

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि श्री महेश त्रिवेदी जी की सभी याचिकाओं को उपस्थित मान लिया जाये।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है। प्रश्नगत याचिकायें उपस्थित मानी जाती हैं।

श्री महेश त्रिवेदी सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकायें उपस्थित की हुयी मानी गयीं-

1-जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र किदवई नगर के अन्तर्गत पानी की टंकियों को चालू कराने के सम्बन्ध में श्री रवि पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

2-जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत किदवई नगर के सभी 18 वार्डों की डिसलिंटग (चेम्बरों से मलवा निकासी) के सम्बन्ध में श्री वेद निवासीगण जनपद कानपुर नगर व अन्य की याचिका,

3-जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र किदवई नगर के विभिन्न मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में श्री रमेश अग्निहोत्री व अन्य निवासीगण कानपुर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

4-जनपद कानपुर नगर के क्षेत्र किदवई नगर के अन्तर्गत छोटे व बड़े नालों की सफाई व सीमेंन्ट सी0सी0 चादरों से ढकाने के सम्बन्ध में श्री पंकज द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

5-जनपद कानपुर नगर के क्षेत्र किदवई नगर के वार्ड न07 से वार्ड न0 88 तक नाली व सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गोविन्द मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

6-जनपद कानपुर नगर के क्षेत्र किदवई नगर के विभिन्न वार्डों में नाली व सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुराग पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

7-जनपद कानपुर नगर के क्षेत्र किदवई नगर अलंकार गेस्ट हाउस से विभिन्न वार्डों में नाली व सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बाबू पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

8-जनपद कानपुर नगर के क्षेत्र किदवई नगर के अन्तर्गत जलभराव दूर करने हेतु जोन 2 में सी0ओ0डी0 नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजू शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

9-जनपद कानपुर नगर के क्षेत्र किदवई नगर के अन्तर्गत 100 शैय्या सयुंक्त चिकित्सालय भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवाकान्त मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

10-जनपद कानपुर देहात में विधान सभा क्षेत्र भोगनीपुर के अन्तर्गत ग्राम गुजराई ब्लाक सरवन खेड़ा व ग्राम कछगांव ब्लाक मलासा में सिंचाई के लिये राजकीय नलकूप लगाये

जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार त्रिवेदी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री महबूब अली, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा से सम्बन्धित पांच याचिकाएं †

श्री अधिष्ठाता-

श्री महबूब अली जी उपस्थित हैं ?

(सदस्य के अनुपस्थित रहने पर)

श्री ओम प्रकाश राजभर-

मान्यवर, इन याचिकाओं को भी उपस्थित मान लिया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है। यह याचिकायें उपस्थित मानी जाती हैं।

श्री महबूब अली सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकायें उपस्थित की हुयी मानी गयीं-

1-जनपद अमरोहा के शहर अमरोहा में पशु चिकित्सालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रिहान व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

2-जनपद अमरोहा के शहर अमरोहा में सरकारी गर्ल्स डिग्री कॉलेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सादिक पहलवान व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

3-जनपद अमरोहा के शहर अमरोहा में बनाई गयी जल निकासी व्यवस्था को कनेक्टिंग की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आरिफ व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

4-जनपद अमरोहा में स्थित शाह विलायत की प्राचीन दरगाह एवं वासुदेव तीर्थ का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजीम एडवोकेट व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

5-जनपद अमरोहा में स्थापित मदरसों में कार्यरत शिक्षकों के कई वर्षों से लम्बित वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में श्री मास्टर नौसाब सलीम व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री मो0 फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका †

श्री अधिष्ठाता-

श्री मो0 फहीम इरफान जी उपस्थित हैं ?

(सदस्य के अनुपस्थित रहने पर)

श्री ओम प्रकाश राजभर-

मान्यवर, इस याचिका को भी उपस्थित मान लिया जाये।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है। यह याचिका उपस्थित मानी जाती हैं।

श्री मो0 फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की मोटर परिवहन शाखा में परीक्षा व्यवस्था द्वारा पदोन्नति देने के बजाय विभाग के अन्य पदों की तरह ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति देने सम्बन्ध में श्री लक्ष्मी प्रसाद गोस्वामी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुयी मानी गई।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित अट्ठारह याचिकाएं व जनपद वाराणसी से संबंधित एक याचिका †

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

1-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद रायबरेली के विकास खण्ड ऊँचाहार में ग्राम पंचायत जलालपुर धई से मुन्ना सिंह के पुरवा में सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक मिश्रा निवासी जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ,

2-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद रायबरेली के विकास खण्ड ऊँचाहार में ग्राम पंचायत निगोहा से अकोडिहा व अरखा तक इलाहाबाद मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आशीष तिवारी निवासी जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ,

3-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद रायबरेली के विकास खण्ड रोहनियां के ग्राम पंचायत बसवई से सलोन ऊँचाहार मार्ग के 13 कि0मी0 सम्पर्क मार्ग के पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री केशव यादव निवासी जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ,

4-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद रायबरेली के विकास खण्ड डलमऊ के ग्राम पंचायत सेहमदा हजियाबाद सम्पर्क मार्ग व विभिन्न सम्पर्क मार्ग के मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवराम यादव निवासी जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ,

5-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद रायबरेली के विकास खण्ड डलमऊ के पम्प नहर परियोजना में एन0टी0पी0सी0 ऊँचाहार द्वारा धनराशि में कार्यदायी संस्था यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा कराये गये कार्यों में अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनय शुक्ला निवासी जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ,

6-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद रायबरेली के विकास खण्ड ऊँचाहार में कतिपय मार्गों के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देशराज यादव व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ,

---

† छापी नहीं गयी।

7-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद रायबरेली के मध्य क्षेत्र डिग्री कालेज चौराहे पर स्थित सिंचाई विभाग की रजबहा पर बिल्डरों द्वारा अवैध कब्जा कर व्यवसायिक बिल्डिंग के निर्माण को हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीश शुक्ला निवासी जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ,

8-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद रायबरेली के विकास खण्ड दीनशाह गौरा में ग्राम कल्यानपुर बेंती से एकडला होते हुये रसूलपुर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पुत्तू यादव निवासी जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ,

9-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद रायबरेली के विकास खण्ड दीनशाह गौरा में ग्राम सभा मेंलखा साहब सम्पर्क मार्ग से पूरे समदा तक पक्का मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कल्लू यादव निवासी जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ,

10-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद रायबरेली के नगर पालिका क्षेत्र में सी0एन0डी0एस0 व जल निगम व अन्य संस्थाओं द्वार सरकारी धन के हो रहे दुरुपयोग की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपू पाण्डेय निवासी जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ,

11-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद रायबरेली के विकास खण्ड दीनशाह गौरा में ग्राम पंचायत गोविन्दपुर माधव में वन विभाग द्वारा ग्रामवासियों को बेघर होने से बचाये जाने के सम्बन्ध में श्री विजयकान्त व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ,

12-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद रायबरेली के विकास खण्ड ऊँचाहार में कतिपय मार्गों की मरम्मत एवं निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देव मोहन निवासी जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ,

13-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद रायबरेली के विकास खण्ड ऊँचाहार की श्रीमती रमा भार्गव एवं श्रीमती ओमवीरी देवी सहा0 अध्यापक प्राइमरी की नियुक्ति बहाल किये जाने के सम्बन्ध में सुश्री रमा भार्गव निवासी जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ,

14-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद रायबरेली के ग्राम पंचायत ऊँचाहार देहात में आवास आवंटन शौचालय निर्माण में अनियमितता, सरकारी भूमि पर कब्जा कराने और प्रधान एवं कर्मचारियों को बचाये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 हामिद व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ,

15-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद रायबरेली के ग्राम ओसहा विकास खण्ड शिवगढ़ विधान सभा क्षेत्र बछरावाँ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश कुमार त्रिवेदी, निवासी जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ,

16-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद रायबरेली में विधान सभा क्षेत्र ऊँचाहार में सड़कों के मरम्मत/नवीनीकरण के सम्बन्ध में श्री पंकज सिंह निवासी जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ,

17-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद रायबरेली में डलमऊ पम्प कैनाल में नहरों को सिंचाई हेतु पम्पों का संचालन के सम्बन्ध में श्री संतोष कुमार त्रिवेदी निवासी रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ,

18-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद वाराणसी में स्वामी गोविन्दा आश्रम विद्या मंदिर देउरा, काशीपुर में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ के आदेश करने के बावजूद भुगतान न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री रविन्द्र नारायण सिंह निवासी जनपद वाराणसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ तथा

19-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद रायबरेली में किसानों के सिंचाई के लिए नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री पुत्तू यादव व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

श्री मनोज कुमार पारस, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित आठ याचिकाएं †

श्री अधिष्ठाता-

श्री मनोज कुमार पारस, नहीं हैं ?

(सदस्य के अनुपस्थित रहने पर)

श्री अधिष्ठाता-

श्री मनोज कुमार पारस, की याचिका प्रस्तुत की हुई मानी गई।

श्री मनोज कुमार पारस, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकायें उपस्थित की हुयी मानी **गयी-**

1-जनपद बिजनौर विधान सभा क्षेत्र नगीना विकास खण्ड किरतपुर ग्राम खटाई में ओवर हैड टेंक बनवाने के सम्बन्ध में श्री मो0 आजम व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

2-जनपद बिजनौर विधान सभा क्षेत्र नगीना विकास खण्ड किरतपुर ग्राम अकबराबाद में राजकीय नलकूप सं0 209 रि-बोर के सम्बन्ध में श्री कलीम अख्तर व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

† छापी नहीं गयी।

3-जनपद बिजनौर विधान सभा क्षेत्र नगीना विकास खण्ड कोतवाली ग्राम बेगमपुर चायमल-नरैनी मार्ग एवं गंगा नदी का पुल निर्माण के सम्बन्ध में श्री दयाराम सैनी व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

4-जनपद बिजनौर विधान सभा क्षेत्र नगीना विकास खण्ड किरतपुर, किथौडा में ओवर हैड टैंक बनवाने के सम्बन्ध में श्री मो0 शहजाद व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

5-जनपद बिजनौर विधान सभा क्षेत्र नगीना वि0ख0 कोतवाली तह0 नगीना मोजा सईद नगर (हल्दूवाला) में राजकीय नलकूप बनवाने के सम्बन्ध में श्री धर्मेन्द्र पारस व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

6-जनपद बिजनौर विधान सभा क्षेत्र नगीना वि0ख0 किरतपुर नंगला इस्लाम में ओवर हैड टैंक (पानी की टंकी) बनवाने के सम्बन्ध में श्री मौ0 जाहिद व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

7-जनपद बिजनौर विधान सभा क्षेत्र नगीना वि0ख0 किरतपुर मुबारकपुर खोसा में ओवर हैड टैंक (पानी की टंकी) बनवाने के सम्बन्ध में श्री शरफराज व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

8-जनपद बिजनौर विधान सभा क्षेत्र नगीना वि0ख0 किरतपुर के ग्राम-शाहलीपुर अ0 सत्तार से ग्राम अमान नगर नहर के पुल तक सम्पर्क मार्ग लो0नि0वि0 या पंचायती राज विभाग द्वारा बनवाने के सम्बन्ध में श्री रघुनाथ सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री त्रिवेणीराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित आठ याचिकायें व लखनऊ से सम्बन्धित एक याचिका †

श्री त्रिवेणीराम-

1-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड जखनियाँ के ग्राम सभा कृतसिंह पुर प्रधानमंत्री सड़क से पनिक्सा बुल्लू यादव के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बुल्लू यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

2-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड जखनियाँ के ग्राम सभा अलीपुर मदरा, में पिच रोड से हरिजन बस्ती तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने

† छापी नहीं गयी।

के सम्बन्ध में राजेश प्रसाद उर्फ पप्पू व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

3-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड जखनियाँ के ग्राम सभा अलीपुर मदरा, में राजीव गाँधी इण्टर कालेज से हरिजन बस्ती तक पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद कुमार व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

4-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद लखनऊ के विकास खण्ड चिनहट के ग्राम सभा धावाँ में राय इन्क्लेव गेट से श्री रोजली के घर तक सी0सी0रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रोजली व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

5-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड जखनियाँ के ग्राम सभा जोहरपुर नहर से शमशेर सिंह के खेत से पक्खनपुर हरिजन बस्ती तक 1.5 कि0मी0 का निर्माण के सम्बन्ध में श्री अभय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

6-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड जखनियाँ के जगदीशपुर महावीर मौर्य के ट्यूबवेल से ताजपुर प्राइमरी स्कूल तक पिच रोड 1 कि0मी0 के सम्बन्ध में श्री काशीनाथ मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

7-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड जखनियाँ के ग्राम सभा सौना सगड़ा से मस्तीपुर पावर हाउस तक 2 कि0मी0 निर्माण के सम्बन्ध में श्री टिप्पू पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

8-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड जखनियाँ के ग्राम सभा जगदीशपुर अनुज कुमार के खेत से सुबेदार सरोज के घर तक सी0सी0 रोड 250 मी0 निर्माण के सम्बन्ध में श्री राम केवल व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

9-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड जखनियाँ के ग्राम सभा जगदीशपुर सरहद से जगदीशपुर पोखरी से जियापुर सरहद तक पिच रोड 2 कि0मी0 निर्माण के सम्बन्ध में श्री कल्पनाथ मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

श्री विजय राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद मऊ से सम्बन्धित याचिका †

श्री विजय राजभर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मऊ के तहसील सदर थाना कोतवाली के अन्तर्गत अ0सं0-272/2000 में फर्जी तरीके से फंसाये गये लोगों का मुकदमा समाप्ति के

† छापी नहीं गयी।

सम्बन्ध में श्री रामनरेश राजभर व अन्य निवासीगण जनपद मऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

श्री विनोद कुमार कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर देहात से सम्बन्धित दो याचिकाएं †

श्री अधिष्ठाता-

श्री विनोद कटियार जी नहीं हैं। उनकी याचिका-

श्री विनोद कुमार कटियार-

(1)जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत निम्न ग्रामों में राजकीय चिकित्सालय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री विद्यानाथ कटियार व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(2)जनपद कानपुर देहात में सरवन खेड़ा ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम कर्मा बहेरी, नेरा कृपालपुर और मलाशा में बारातशाला स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय सचान व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी जाती हैं।

श्री भूपेश चौबे, सदस्य, विधान सभा की जनपद सोनभद्र से सम्बन्धित छः याचिकाएं †

श्री भूपेश चौबे-

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सोनभद्र में विकास खण्ड नगवा के अन्तर्गत रा0 गंज खलियारी मेन रोड से ज्योतिराव फूले इण्टर कालेज से पौनी होते हुए चन्दौली वार्ड तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण के सम्बन्ध में श्री सूर्य प्रकाश व अन्य निवासीगण जनपद सोनभद्र द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सोनभद्र में विकास खण्ड नगवा के अन्तर्गत रा0 गंज खलियारी मेन रोड से पटवध कन्हौरा से नगॉव मोड़ तक सम्पर्क मार्ग का निर्माणा के सम्बन्ध में श्री मनोज दूबे व अन्य निवासीगण जनपद सोनभद्र द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सोनभद्र में विकास खण्ड चोपन के अन्तर्गत कोन विण्ढमगंज मेंन मार्ग से गौर सिंह स्टैण्ड से गड़रिया दहर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद सोनभद्र द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सोनभद्र में विकास खण्ड चोपन के अन्तर्गत पिपरखाड़ सम्पर्क मार्ग से प्रधानमंत्री सम्पर्क मार्ग से गड़ेरिया दज तक निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद सोनभद्र द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

---

† छापी नहीं गयी।

(5) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सोनभद्र में विकास खण्ड चोपन के अन्तर्गत पं0 मिश्री मेन सड़क बउहरा कमलेश कुशवाहा के घर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरि शंकर व अन्य निवासीगण जनपद सोनभद्र द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(6) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सोनभद्र में विकास खण्ड चोपन के अन्तर्गत तुमिया मेन रोड रहरिया खाड़ी पुल से बच्चा यादव के घर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महिपत गोड़ व अन्य निवासीगण जनपद सोनभद्र द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

श्री पंकज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद नोएडा से सम्बन्धित दो याचिकाएं †

श्री पंकज सिंह-

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से नोएडा विधान सभा के मोहिद्दीनपुर कनावनी गांव में मूलभूत सुविधाओं की समस्या के सम्बन्ध में श्री देवेन्द शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से नोएडा में गावों के आस-पास अविकसित कॉलोनियों में विकास कार्य के सम्बन्ध में श्री आलोक कुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गौतमबुद्ध नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

अब हम अगली मद लेते हैं।

श्री प्रमोद उटवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित नौ याचिकाएं †

(श्री अधिष्ठाता द्वारा श्री प्रमोद उटवाल का नाम पुकारा गया लेकिन वह अनुपस्थित थे)

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य की याचिका प्रस्तुत की हुई मानी गई।

श्री प्रमोद उटवाल सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकायें उपस्थित की हुयी मानी गयीं :-

1-जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम मेंघाखेड़ी से दतियाना की ओर राजवाहे की पटरी कच्चे रास्ते को पी0सी0सी0/डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

2-जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम सिमर्थी से बरला बसेड़ा मार्ग तक कच्चे लिंक रोड का पी0सी0सी0/डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जोगेन्द्र गुर्जर व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

---

† छापी नहीं गयी।

3-जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम छपरा से सिमर्थी-खिन्दड़ियां मार्ग तक पी0सी0सी0/ डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

4-जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम खिन्दड़ियां से ग्राम बसेड़ा की ओर कच्चे लिंक मार्ग के पी0सी0सी0/डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

5-जनपद मुजफ्फरनगर के गांव बसेड़ा में कुटी वाले पुल से राजवाहे की पटरी पर खाईखेड़ी के पुल तक पटरी का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री (डॉ0) दिनेश व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

6-जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम छपरा में शमशान घाट एवं चारदीवारी के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

7-जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम रजकल्लापुर रामनगर में धू-धू नदी/सोलानी नदी पर पुल के निर्माण के सम्बन्ध में श्री प्रमोद व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

8-जनपद मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में डिग्री कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री (डॉ0) संदीप वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

9-जनपद मुजफ्फरनगर के नये भोपा अड्डे से गांव नसीरपुर की ओर नाला अंडरग्राउण्ड कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय पाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली से सम्बन्धित पांच याचिकाएं †

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से-

1-जनपद चन्दौली के अन्तर्गत ग्राम मुगल सराय भुपौली मार्ग से सी0एच0सी0 भुपौली चकिया तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शीतला निषाद व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

2-जनपद चन्दौली के अन्तर्गत ग्राम कैली के पास गंगा नदी के किनारे कैली घाट पर सीढ़ी निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बबलू यादव व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

---

† छापी नहीं गयी।

3-जनपद चन्दौली के अन्तर्गत ग्राम भुपौली मुख्य नहर की हेड से लाइनिंग कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजमोहन मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

4-जनपद चन्दौली के अन्तर्गत ग्राम बीसूपुर में गंगा नदी के किनारे श्री विदण्डी स्वामी जी आश्रम के पास गंगा नदी में सीढ़ी निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लल्लन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

5-जनपद चन्दौली के अन्तर्गत ग्राम कॉवर में कबीर मठ के सुदृढ़ीकरण एवं जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आशुतोष पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

श्री प्रेम सागर पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित एक व जनपद महराजगंज से सम्बन्धित दो याचिकाएं †

श्री प्रेम सागर पटेल-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से-

1-जनपद प्रयागराज तहसील फूलपुर के अन्तर्गत ग्राम उधौपुर खगिया में खसरा सं0 71-ख मिनजुमला रकबा-0.457 हेक्टेयर में सरकारी आबादी की जमीन पर श्री कृष्णपाल यादव व रामकृपाल यादव द्वारा अपने पिता के नाम पर फर्जी पट्टा करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

2-जनपद महराजगंज के अन्तर्गत निचलौल में राजकीय मेंडिकल कालेज बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अन्नू पटेल व अन्य निवासीगण जनपद महराजगंज द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

3-जनपद महराजगंज के अन्तर्गत सिसवां को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र पाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद महराजगंज द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

श्री रवि कुमार सोनकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित पांच याचिकाएं †

श्री रवि सोनकर-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से-

1-जनपद बस्ती के नगर बाजार में शहीद राजा उदय प्रताप सिंह जी की विशाल प्रतिमा लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री विमल गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

---

† छापी नहीं गयी।

2-जनपद बस्ती में श्री लक्ष्मीनारायण लाल जी की विशाल प्रतिमा बहादुरपुर ब्लाक मुख्यालय में लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरती अग्रहरि व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

3-जनपद बस्ती में देईसाड़ बानपुर मार्ग का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बाबू राम चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

4-जनपद बस्ती में आचार्य रामचन्द्र शुक्ला जी की प्रतिमा कलवारी चौराहे पर लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री अभिषेक सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

5-जनपद बस्ती के कुआनु नदी के गोनार घाट पर पक्के पुल के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजयपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

श्री राकेश प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमेठी से सम्बन्धित दो याचिकाएं †

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से-

1-जनपद अमेठी के विधान सभा क्षेत्र गौरीगंज के अन्तर्गत जामो भादर मार्ग जिसकी लम्बाई लगभग 42 कि0मी0 का चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने के संबंध में श्री नीरज मिश्रा निवासीगण जनपद अमेठी व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

2-जनपद अमेठी के विधान सभा क्षेत्र गौरीगंज व अमेठी के अन्तर्गत रामगंज-शाहगढ़-भुसियावां मार्ग का चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने के संबंध में श्री दिनेश श्रीवास्तव निवासीगण जनपद अमेठी व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

श्री श्रीराम सोनकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद मऊ से सम्बन्धित तीन याचिकाएं †

श्री श्रीराम सोनकर-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से-

1-जनपद मऊ में मोहम्मदाबाद गोहाना विधान सभा में 300 शैय्यायुक्त महिला अस्पताल खुलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद मऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

2-जनपद मऊ में मोहम्मदाबाद गोहाना विधान सभा में बन्दीघाट तमसा नदी पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री जीवन मौल व अन्य निवासीगण जनपद मऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

---

† छापी नहीं गयी।

3-जनपद मऊ में मोहम्मदाबाद गोहाना विधान सभा में पड़री से सरौदा भैंसही नदी के ब्रह्मघाट पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री योगेश व अन्य निवासीगण जनपद मऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

श्री राजीव कुमार उर्फ बब्बू भैय्या, सदस्य, विधान सभा की जनपद बदायूं से सम्बन्धित छः याचिकाएं †

श्री राजीव कुमार सिंह, ''बब्बू भैया''-

1-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बदायूँ की तहसील दातागंज के अन्तर्गत विकास खण्ड समरेर के अन्तर्गत सिरसा से गौटिया के मध्य लघु सेतु का निर्माण के सम्बन्ध में श्री बृज मोहन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बदायूँ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

2-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बदायूँ की तहसील दातागंज के अन्तर्गत विकास खण्ड म्याऊ के अन्तर्गत ग्राम कलाइयाखेड़ा उर्फ शहगाई से रिठिया ग्राम के मध्य पुलिया एवं 2 किमी0 सड़क का निर्माण के सम्बन्ध में श्री हवलदार कश्यप व अन्य निवासीगण जनपद बदायूँ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

3-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बदायूँ की तहसील दातागंज के अन्तर्गत विकास खण्ड म्याऊ के अन्तर्गत ग्राम सुकटिया से नरोशक्ति देवी मंदिर तक 3 किमी0 सड़क एवं पुलिया का निर्माण के सम्बन्ध में श्री राम बहादुर राजवीर व अन्य निवासीगण जनपद बदायूँ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूँ।

4-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बदायूँ की तहसील दातागंज के अन्तर्गत विकास खण्ड समरेर के अन्तर्गत टिकलापुर से पचभईया महराज तक 1 किमी0 सड़क का डामरीकरण एवं पुलिया का निर्माण के सम्बन्ध में श्री सेवाराम व अन्य निवासीगण जनपद बदायूँ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूँ।

5-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बदायूँ की तहसील दातागंज के अन्तर्गत विकास खण्ड म्याऊ के अन्तर्गत आनन्दपुर से करौरी सैदपुर के मध्य पुलिया का निर्माण के सम्बन्ध में श्री रामनरेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बदायूँ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

6-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बदायूँ की तहसील दातागंज के अन्तर्गत विकास खण्ड दातागंज के अन्तर्गत ग्राम सेंजनी में खाली पड़ी जमीन पर चीनी मिल का निर्माण के सम्बन्ध में श्री रवेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बदायूँ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री ज्ञानेन्द्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद महराजगंज से सम्बन्धित पांच याचिकाएं †

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह-

1-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र 319 पनियरा में डोमरा जर्दी बांध का डामरीकरण कार्य के सम्बन्ध में श्री सुभाष विश्वकर्मा निवासीगण जनपद महराजगंज व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूँ।

2-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र 319 पनियरा के विकास खण्ड पनियरा स्थित भटहर घोडहवा पिच मार्ग बभनौली चौराहा तक एवं बभरौली चौराहे से वन क्षेत्र होते हुए लखराव सराय खुटहा मार्ग तक पिच कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भरम मुखिया निवासीगण जनपद महाराजगंज व अन्य द्वारा हस्तक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूँ।

3-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र 319 पनियरा के विकास खण्ड पनियरा तथा विकास खण्ड परतावल के मध्य तहसील मुख्यालय बनाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार द्विवेदी निवासीगण जनपद महराजगंज व अन्य द्वारा हस्तक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूँ।

4-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र 319 पनियरा के विकास खण्ड परतावल के अन्तर्गत पचदेवरी नहर पटरी पिच शाहपुर पिच से नहर पटरी नन्दना पिच मार्ग बनाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार सिंह निवासीगण जनपद महराजगंज व अन्य द्वारा हस्तक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

5-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र 319 पनियरा के विकास खण्ड पनियरा के अन्तर्गत नरकटहा पिच सड़क पर साइफन बनाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र जायसवाल निवासीगण जनपद महराजगंज व अन्य द्वारा हस्तक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

श्री संजय प्रताप जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित दो याचिकाएं †

श्री अधिष्ठाता-

श्री संजय प्रताप जायसवाल उपस्थित नहीं है इसलिए इनकी याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी जाती हैं।

1-जनपद बस्ती में स्थित रूधौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड रूधौली में बस्ती रूधौली मार्ग पर करमहिया से पचारीकला पिपरपाती होते हुए भितेहरा पिच मार्ग 5.00 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

---

† छापी नहीं गयी।

2-जनपद बस्ती में स्थित रूधौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड रूधौली सेमरा से ठोठिया बजरा से केवटहिया तक सम्पर्क मार्ग 4.00 कि0मी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजीत कुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री संजय गर्ग, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर से सम्बन्धित तीन याचिकाएं †

श्री संजय गर्ग-

1-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत दामोदरपुरी व कपिल विहॉर कालोनियों में सीवर लाइन की सफाई व पानी की निकासी को स्थानान्तरित कराके विश्व कर्मा चौक के पास ढमोला नदी में डाले जाने के सम्बन्ध में श्री शिव कुमार सैना निवासीगण जनपद सहारनपुर व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

2-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सहारनपुर में रेंच के पुल से रायवाला तक सड़क का सुदृढ़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री शहजाद अहमद व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

3-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सहारनपुर में ढमोला नदी की आंशिक पिचिंग एवं मरम्मत कार्य वित्त पोषण नगर विकास विभाग द्वारा न किये जाने के सम्बन्ध में श्री ठाकुर शिवकुमार व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

श्री सीताराम वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर से सम्बन्धित एक याचिका †

श्री सीताराम वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सुल्तानपुर की तहसील जयसिंहपुर स्तर पर या कूड़ेभार में एक कृषि विपण मण्डी के सम्बन्ध में श्री काली सहाय वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

श्री सुभाष पासी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित एक व जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित चार याचिकाएं †

(श्री अधिष्ठाता द्वारा श्री सुभाष पासी का नाम पुकारा गया, लेकिन वह अनुपस्थित थे)

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य की याचिकाएं प्रस्तुत मान लेते हैं।

श्री सुभाष पासी सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकायें उपस्थित की हुयी मानी गयी :-

(1) जनपद लखनऊ के आवास विकास कालोनी सेक्टर-ए इन्दिरानगर लखनऊ के भवन संख्या 1103 से 1103/15 तक के सामने बने पार्क के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में श्री कैलाश प्रसाद गौतम निवासीगण जनपद लखनऊ व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

---

† छापी नहीं गयी।

(2) जनपद गाजीपुर के सैदपुर नगर पंचायत में चल रहे सीवर व पाइप लाइन के कार्य में अनियमितता हो रही है पूरा सैदपुर नगर पंचायत के सभी व्यापारी परेशान हैं। कृपया इसकी जांच कराकर कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दरोगा व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(3) जनपद गाजीपुर के बूढ़ेनाथ महादेव वार्ड नं0-14 सैदपुर नगर पंचायत में गंगा घाट की सीढ़ी व मंदिर का सौंदर्यीकरण कराये जानेग के सम्बन्ध में श्री आकाश पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(4) जनपद गाजीपुर के सजय वन पार्क जो नगर पंचायत सैदपुर का एक मात्र पार्क है, गर्मी के समय लोग यहाँ भारी तादाद में आराम करते हैं, हालत बहुत ही जर्जर हो गई है, जिसका सौंदर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सैयद जफर व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(5) जनपद गाजीपुर के वार्ड-6 में नगर पंचायत सैदपुर में स्थित बालिका इण्टर कालेज के शीशे टूटे हैं, पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है, को तत्काल ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री सुभाष राय, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित चार याचिकाएं †

श्री सुभाष राय-

1-माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के अन्तर्गत मालीपुर नेमपुर सम्पर्क मार्ग से गुवावांजमालपुर कबूलपुर तक जर्जर मार्ग को बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री गुड्डू यादव व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

2-माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के अन्तर्गत जलालपुर रामगढ़ मार्ग पर लल्लू मौर्य के घर से प्रा0पा0 रामगढ़ तक जर्जर मार्ग को बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सतिराम मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

3-माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड भियांव के ग्राम भुजगी से सरखूपुर निजामपुर लगभग 3 कि0मी0 सड़क जो क्षतिग्रस्त है, का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमेश तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

4-माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड भियांव के ग्राम लहिया (सेहरी) में राजकीय

† छापी नहीं गयी।

नलकूप लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मंगला यादव व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

श्री सुरेश राही, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित तीन याचिकाएं †

श्री सुरेश राही-

1-माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सीतापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड हरगांव के ग्राम लंधनिया खेदरापुर सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अरूण निवासीगण जनपद सीतापुर व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

2-माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सीतापुर के विकास खण्ड हरगांव के ग्राम नेवादा पकरिया सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री रोहित निवासीगण जनपद सीतापुर व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

3-माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सीतापुर के विकास खण्ड हरगांव के ग्राम विशुनूपुर में प्राथमिक व जूनियर विद्यालय तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अभय प्रताप सिंह निवासीगण जनपद सीतापुर व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित दो याचिकाएं †

श्री सुरेन्द्र मैथानी-

1-माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कानपुर के अन्तर्गत निम्न अत्यन्त जीर्णक्षीण अवस्था में पड़े पार्कों का जीर्णोधार किये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष अवस्थी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

2-माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कानपुर में विधान सभा गोविन्द नगर के अन्तर्गत निम्न स्थलों पर नलकूप/ट्यूबवेल के सम्बन्ध में श्री घनश्याम गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

श्री छत्रपाल सिंह गंगवार सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित अट्ठारह याचिकाएं †

श्री छत्रपाल सिंह गंगवार-

1-माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली के तहसील बहेड़ी में ग्राम धिमरी रोड से पुन्नापुर पुनई तक के रास्ते को पक्का रोड कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय पाल व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

2-माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली के तहसील बहेड़ी, विकास खण्सड दमखोदा के रिछा जहानाबाद मार्ग पर स्थित मण्डी समिति के सामने भैरपुरा की

† छापी नहीं गयी।

ओर नहर पर लगभग 1.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

3-माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली के तहसील बहेड़ी में ग्राम खतोला से जवाहरपुर मुख्य मार्ग तक को पक्का मार्ग कराये जाने के सम्बन्ध में श्री खेमकरन लाल व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

4-माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली के तहसील बहेड़ी में ग्राम नौगवां गुरबोझ से जहाँनगंज होते हुए वईपुर तक के मार्ग को पक्का मार्ग कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्येन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

5-माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली के तहसील बहेड़ी में ग्राम चराईडाडी से दीननगर तक के मार्ग को पक्का मार्ग कराये जाने के सम्बन्ध में श्री टण्डन कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

6-माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली के तहसील बहेड़ी में ग्राम राईनवादा से बर बरौर मुख्य मार्ग को पक्का रोड कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गिरीश चन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

7-माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली के तहसील बहेड़ी में ग्राम मिन्तरपुर से तेजनगर होते हुए भैरपुरा तक पक्का रोड कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

8-माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली के तहसील बहेड़ी में ग्राम बौण्डा मन्दिर से घाटगांव तक पक्का रोड कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम पाल व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

9-मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बरेली के तहसील बहेड़ी में ग्राम चका चौडेरा से सुकटिया याकूबगंज मार्ग को पक्का रोड कराये जाने के सम्बन्ध में श्री यामीन उर रहमान व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

10-मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बरेली के तहसील बहेड़ी में ग्राम टाडा छंगा के मुख्य मार्ग से शमशान भूमि तक का पक्की रोड के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मंगल सेन व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

11-मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बरेली के तहसील बहेड़ी में ग्राम रजपुरा के कताई मिल मुख्य मार्ग से प्राथमिक विद्यालय तक के रास्ते को पक्का रोड कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम पाल व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

12-मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बरेली के तहसील बहेड़ी में ग्राम जसाई नगर से मौर्य वाली गौटिया का मुख्य मार्ग को पक्का रोड कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगदीश सरन व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

13-मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बरेली के तहसील बहेड़ी में ग्राम दमखोदा में भानुप्रताप, कृपाल सिंह के मकान से मुख्य मार्ग से श्मशान भूमि तक पक्का रोड कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम गोपाल व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

14-मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बरेली के तहसील बहेड़ी में नगर पालिका परिषद् बहेड़ी के मोहल्ला कानूनगोयान स्थित सरोजनी नायडू जूनियर हाई स्कूल के जर्जर भवन की मरम्मत व सौन्दर्यीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री ललित चन्द्रा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

15-मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बरेली के तहसील बहेड़ी में नगर पालिका परिषद् बहेड़ी के मोहल्ला कानूनगोयान स्थित सरोजनी नायडू प्राथमिक विद्यालय सराय के जर्जर भवन की मरम्मत व सौन्दर्यीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री सचिन अग्रवाल व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

16-मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बरेली के तहसील बहेड़ी में नगर पालिका परिषद् बहेड़ी के मोहल्लाकानूनगोयान स्थित सरोजनी नायडू प्राथमिक विद्यालय रामलीला नं0 1 के जर्जर भवन की मरम्मत व सौन्दर्यीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री गौरव मित्तल व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

17-मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बरेली के तहसील बहेड़ी में ग्राम शाहपुर डॉडी में तेज सिंह के घर से प्राथमिक विद्यालय तक 150 मी0 तक रास्ते को सी0सी0 रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री राम आसरे कश्यप व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

18-मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बरेली के तहसील बहेड़ी में ग्राम तिलमाची में अमरपाल के मकान से राजवीर सिंह के मकान तक के कच्चे खड़ंजा को सी0सी0 सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

श्री विरेन्द्र कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित छः याचिकाएं †

श्री वीरेन्द्र यादव-

1-मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद गाजीपुर कहौतरी चट्टी से मानपुर तक सड़क निर्माण कार्य का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रबली यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

---

† छापी नहीं गयी।

2-मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद गाजीपुर के बाबूरायपुर में पंचायत भवन बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री विसर्जन यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

3-मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद गाजीपुर विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के जयन्तीदासपुर में पंचायत भवन बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री वासुदेव यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

4-मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद गाजीपुर विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के रमवल में पंचायत भवन बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री इकराम खान व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

5-मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद गाजीपुर कासीमाबाद मुख्य मार्ग से बौरी होते हुए श्रवरण्डी तक विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवप्रसन्न निवासीगण जनपद गाजीपुर व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

6-मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद गाजीपुर में विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के ग्राम चौराबोझ में नहर की पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लालू यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(इसी मध्य अपराह्न 01 बजकर 35 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री अध्यक्ष-

हम यह समझते हैं कि अब शेष सभी याचिकाओं को उपस्थित किया हुआ मान लिया जाए।

(उपस्थित हुई मानी गईं शेष सभी याचिकाएं संलग्न हैं)

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित दस याचिकाएं †

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकायें उपस्थित की हुयी मानी गयीं :-

1-जनपद सीतापुर में महमूदाबाद के अन्तर्गत मुर्तजानगर डामर रोड से आश्रम पद्धति विद्यालय मुर्तजानगर व प्रा0 स्वा0 केन्द्र मुर्तजानगर तक लगभग 500 मीटर लेपन स्तर की सड़क के बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजा राम व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

† छापी नहीं गयी।

2-जनपद सीतापुर में महमूदाबाद के अन्तर्गत अगइया डामर रोड से मुर्तजानगर डामर रोड के बीच में सोलिंग पर डामर रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अहमद अली व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

3-जनपद सीतापुर में महमूदाबाद के अन्तर्गत ग्राम सभा बिलासपुर के राजस्व गांव शिकारपुर जिसकी आबादी 500 के ऊपर है और बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव है। उक्त ग्राम में डामर रोड व पुलिया निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पं0 मिश्रीलाल व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

4-जनपद सीतापुर में महमूदाबाद के अन्तर्गत पैतेपुर पुल से केशवारा डामर रोड जो कि पूर्व में त्वरित योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016 में स्वीकृत हुई थी, के अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अभय राज व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

5-जनपद सीतापुर में महमूदाबाद के अन्तर्गत बांकानगर डामर रोड से ग्राम सभा उमरिया जिसकी आबादी एक हजार के ऊपर है, को आज तक डामर रोड से नहीं जोड़ा गया है, उक्त मार्ग को डामर रोड से जोड़ने के सम्बन्ध में श्री शहाबुद्दीन व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

6-जनपद सीतापुर में महमूदाबाद के अन्तर्गत अगइया डामर रोड से राजकीय इण्टर कालेज लैलखुर्द के गेट तक लेपन स्तर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपू वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

7-जनपद सीतापुर में महमूदाबाद के अन्तर्गत शारदा सहायक पुल जोड़ौरा डामर रोड से राजकीय माडल स्कूल जोड़ौरा/फखरूद्दीन राजकीय महाविद्यालय जोड़ौरा तक लेपन स्तर की सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री त्रिभुवन वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

8-जनपद सीतापुर में महमूदाबाद के अन्तर्गत पड़रिया डामर रोड से राजकीय माडल स्कूल अकबापुर तक लेपन स्तर की सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री रामधार रावत व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

9-जनपद सीतापुर में महमूदाबाद के अन्तर्गत पैतुपुर चांदपुर डामर रोड से शहरा गांव में स्थित राजकीय माडल स्कूल तक लेपन स्तर की सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री विमल वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

10-जनपद सीतापुर में महमूदाबाद के अन्तर्गत दि किसान सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद के अन्दर मिल गेट से गन्ना तौल सेन्टर तक जर्जर सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कुँवर प्रताप व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री नफीस अहमद, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित पांच याचिकाएं †

श्री नफीस अहमद, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकायें उपस्थित की हुयी मानी गयी :-

1-जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र महराजगंज में ग्रामसभा नेतानगरी तहसील सगड़ी में पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमरजीत व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

2-जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज में शारदा सहायक खण्ड-32 से जुड़े 10-12 गांव नहर के उत्तरी पटरी पर ईस्माईलपुर गोंरिया पुल से मसीरपुर तक जाने वाले मार्ग के सम्बन्ध में श्री अखिलेश व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

3-जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड महराजगंज तहसील सगड़ी में ग्रामसभा देवारा कदमी खन्जरपुर में सरयू नदी पर लघु सेतु का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रणविजय व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

4-जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज तहसील सगड़ी में ग्रामसभा तुर्क परड़ी से देवरिया तक पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उदसभान व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

5-जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज तहसील सगड़ी में ग्राम सभा इमलीपुर में पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री अमन मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोरखपुर से एक व जनपद लखनऊ से एक तथा जनपद महराजगंज से सम्बन्धित दो याचिकाएं †

श्री अमन मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकायें उपस्थित की हुयी मानी गयीं :-

1-जनपद गोरखपुर का बाबा राघव दास कुष्ठ आश्रम के सम्बन्ध में श्री माया शंकर सिंह निवासी गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

2-जनपद लखनऊ में आवास 159/पी-2, सेक्टर-एल खजाना मार्केट चौराहा, एल0डी0ए0 कालोनी, आशियाना की भवन निर्माण हेतु एन0ओ0सी0 के सम्बन्ध में श्री महेश प्रताप सिंह निवासी जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

3-जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र फरेंदा में नौतनवा तहसील को फरेंदा में स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम नारायण तिवारी निवासी फरेंदा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

† छापी नहीं गयी।

4-जनपद महाराजगंज के पशु पालन विश्वविद्यालय अथवा पशु विज्ञान विद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में श्री राजन पांडे निवासी जनपद महाराजगंज द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री अनिल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित चार याचिकाएं †

श्री अनिल सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकायें उपस्थित की हुयी मानी गयीं :-

1-जनपद उन्नाव में विधान सभा क्षेत्र पुरवा विकास खण्ड हिलौली के अन्तर्गत ग्राम असरी खेड़ा में पंचायत घर बनवायें जाने के सम्बन्ध में श्री मुकेश त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

2-जनपद उन्नाव में विधान सभा क्षेत्र पुरवा विकास खण्ड हिलौली के अन्तर्गत ग्राम असरी खेड़ा में किसानों की फसल सिंचाई हेतु राजकीय नलकूप लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकेश त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

3-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा, विकास खण्ड हिलौली अन्तर्गत कतिपय मार्गों का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

4-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा, विकास खण्ड हिलौली के अन्तर्गत ग्राम बछौरा को आयुष्मान योजना के सम्बन्ध में श्री बृजेश शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री अरविन्द गिरि, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर खीरी से सम्बन्धित चार याचिकाएं †

श्री अरविन्द गिरि, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकायें उपस्थित की हुयी मानी गयीं :-

1-जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील गोला गोकरननाथ के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् गोला के रिंग रोड के शेष भाग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मेन्द्र गिरि व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर खीरी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

2-जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील गोला गोकरननाथ के अन्तर्गत विकास खण्ड बिजुआ के ग्राम बेलहा सिकटिहा के निकट शारदा नदी की सुतिया बन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुरदीप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर खीरी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

3-जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील गोला गोकरननाथ के अन्तर्गत विकास खण्ड बिजुआ की ग्राम सभा मालपुर में एक 33/11 के0वी0 विद्युत उप-केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महन्त सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर खीरी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

---

† छापी नहीं गयी।

4-जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील गोला गोकरननाथ के विकास खण्ड गोला के ग्राम सभा के अन्तर्गत कंधरापुर में गोमती नदी पर ककरहा घाट पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर खीरी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री ओम प्रकाश राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित तीन याचिकाएं †

श्री ओम प्रकाश राजभर, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकायें उपस्थित की हुयी मानी गयीं :-

1-जनपद गाजीपुर के कासिमाबाद सिधागर रोड से धरवार खुर्द होते हुए स्कूल तक जनपद गाजीपुर के लगभग 1.5 कि0मी0 जर्जर रोड के निर्माण के सम्बन्ध में श्री हीरामन व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

2-जनपद गाजीपुर के शहबाजपुर विशुनपुर कासिमाबाद पो0 व ब्लाक कासिमाबाद ओम प्रकाश के घर तक रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामआसरे चौहान व अन्य निवासीगण गाजीपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

3-जनपद गाजीपुर के कासिमाबाद रोड परजीह से नहर होते हुए ग्राम टोड़ार पो0 व ब्लाक कासिमाबाद नागेन्द्र मिश्रा के स्कूल तक रोड निर्माण के सम्बन्ध में श्री नागेन्द्र मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर हस्ताक्षरित याचिका,

4-जनपद गाजीपुर के ग्राम पाली, पोस्ट ब्लाक तहसील जनपद गाजीपुर के लगभग 2.5 कि0मी0 जर्जर रोड के निर्माण के सम्बन्ध में श्री सीताराम राजभर व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

5-जनपद गाजीपुर के ग्राम कासिमाबाद पोस्ट ब्लाक तहसील जनपद गाजीपुर के लगभग 600 कि0मी0 जर्जर रोड के निर्माण के सम्बन्ध में श्री राम भुवन चौहान व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

6-जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड मरदह के अन्तर्गत सिंगेरा मुख्य मार्ग से प्रधानमंत्री सड़क तक जोड़े जाने के सम्बन्ध में श्री केशव राजभर व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

7-जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड मरदह के अन्तर्गत इन्दौर ग्राम पंचायत के उत्तरी छोर पर स्थित राजभर बस्ती के पास गोधनी नाले पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री भिखारी राजभर व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री असलम अली, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजियाबाद से सम्बन्धित दो याचिकाएं †

श्री असलम अली, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकायें उपस्थित की हुयी मानी गयीं :-

1-जनपद गाजियाबाद के विकास खण्ड रजापुरा के ग्राम मंसूरी में सरकारी स्कूल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री जुल्फकार व अन्य निवासीगण जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

2-जनपद गाजियाबाद के विकास खण्ड ग्राम मंसूरी में महिला डिग्री कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में श्री फरियाद पूर्व प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री अनूप प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद अलीगढ़ से सम्बन्धित पांच याचिकाएं †

श्री अनूप प्रधान, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकायें उपस्थित की हुयी मानी गयीं :-

1-जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत ब्लाक खैर के ग्राम भानौली से ग्राम बसई तक सड़क का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भागेन्द्र पाठक व अन्य निवासीगण जनपद अलीगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

2-जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत ब्लाक टप्पल में ग्राम पखौदना से ग्राम राया मथुरा सीमा तक नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राज कुमार शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद अलीगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

3-जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत ब्लाक चण्डौस के नगर पंचायत पिसावां में प्रा0 स्वास्थ केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री हरीश शर्मा निवासीगण जनपद अलीगढ़ व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

4-जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत ब्लाक टप्पल में युवाओं के लिये मिनी स्टेडियम बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अलीगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

5-जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत ब्लाक चण्डौस में जलालपुर पिसावां से राऊपुर तक नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार राठी व अन्य निवासीगण जनपद अलीगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री गौरी शंकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित दस याचिकाएं †

श्री गौरी शंकर, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकायें उपस्थित की हुयी मानी गयीं :-

1-जनपद जालौन के अन्तर्गत तहसील उरई विकास खण्ड डकोर में ग्राम मडोरा उसरगांव गढर में पेयजल के सम्बन्ध में श्री उत्तर निरंजन व अन्य निवासीगण जनपद जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

---

† छापी नहीं गयी।

2-जनपद जालौन के अन्तर्गत तहसील उरई विकास खण्ड जालौन, उरई जालौन फोर लेन से ग्राम शाहजादपुरा डामरीकरण पर क्षतिग्रस्त पुल को बनवाने के सम्बन्ध में श्री ऋषि श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

3-जनपद जालौन के अन्तर्गत तहसील उरई में झांसी पुल से शान्ति नगर तक जर्जर सड़क का पुनः निर्माण एवं दोनों ओर चौड़ीकरण डिवाइडर, बिजली पोल बनवाने के सम्बन्ध में डा0 गिरीश चतुर्वेदी व अन्य निवासीगण जनपद जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

4-जनपद जालौन के अन्तर्गत तहसील उरई में ग्राम चमारी से पिरौना रेलवे स्टेशन पहुंचने हेतु सड़क निर्माण के सम्बन्ध में डा0 गिरीश महराज व अन्य निवासीगण जनपद जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

5-जनपद जालौन के विकास खण्ड जालौन के अन्तर्गत माडरी तक सड़क की पुनर्निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजू दादा पटेल व अन्य निवासीगण जनपद जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

6-जनपद जालौन के विकास खण्ड जालौन के अन्तर्गत ग्राम नरायनपुरा के माइनर से ग्राम लोना की माइनर के नालों की सफाई एवं चौड़ीकरण के सम्बन्ध में श्री उपेन्द्र गुर्जर व अन्य निवासीगण जनपद जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

7-जनपद जालौन के तहसील उरई के विकास खण्ड डकोर के अन्तर्गत हमीरशाख से गोरा माइनर की सिंचाई हेतु करमेंर नाला से बम्हौरी तक नाला का चौड़ीकरण के सम्बन्ध में श्री शंकर राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

8-जनपद जालौन के तहसील उरई के विकास खण्ड डकोर के अन्तर्गत ग्राम अजनारा मिनौरा कालपी के बीच नाले पर पुलिया बनवाने के सम्बन्ध में श्री महेश चन्द्र पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

9-जनपद जालौन के विकास खण्ड कोंच के अन्तर्गत ग्राम छिरावली के दलित बस्ती में बहने वाले नाले से मकानों की कटान रोकने तथा पिचिंग बनवाने के सम्बन्ध में श्री रिक्कू व अन्य निवासीगण जनपद जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

10-जनपद जालौन के विकास खण्ड डकोर के अन्तर्गत ग्रामपुर में अनुसूचित जाति की बस्ती में कच्चे नाले को पक्का कराने के सम्बन्ध में श्री अनिल वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री लाल बहादुर, सदस्य, विधान सभा की जनपद कौशाम्बी से सम्बन्धित चौदह याचिकाएं †

श्री लाल बहादुर, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकायें उपस्थित की हुयी मानी गयीं :-

1-जनपद कौशाम्बी के विकास खण्ड कौशाम्बी के ग्राम भखन्दा में शवदाह गृह की स्थापना के सम्बन्ध में श्री मान सिंह निषाद व अन्य निवासीगण जनपद कौशाम्बी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

2-जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र-252, मंझनपुर के ग्राम सरसवां के अन्तर्गत ग्राम इसहाकपुर पथरा में सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री बेचू लाल व अन्य निवासीगण जनपद कौशाम्बी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

3-जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र-252, मंझनपुर के ग्राम हिमांचल के पुरवा कुटीपर में पुल निर्माण के सम्बन्ध में श्री मुकेश कुमार मिश्र व अन्य निवासीगण जनपद कौशाम्बी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

4-जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र-252, मंझनपुर विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम अर्कामहमदपुर में प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में श्री प्रेम कुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कौशाम्बी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

5-जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र-252, मंझनपुर विकास खण्ड के सरसवां के अन्तर्गत ग्राम धर्मपुर में 33 के0वी0ए0 का विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण के सम्बन्ध में श्री साधू शरण करवरिया व अन्य निवासीगण जनपद कौशाम्बी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

6-जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र-252, मंझनपुर विकास खण्ड के ग्राम पंचायत विदांव में ओवर हेड टैंक के निर्माण के सम्बन्ध में श्री अमित कुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कौशाम्बी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

7-जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र-252, मंझनपुर विकास खंड के ग्राम इब्राहिमपुर में विवाह गृह की स्थापना के सम्बन्ध में श्री ओम नारायण त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद कौशाम्बी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

8-जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र-252, मंझनपुर विकास खण्ड कौशाम्बी के ग्राम महिला में विवाह गृह की स्थापना के सम्बन्ध में श्री पिन्टू द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद कौशाम्बी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

9-जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र-252, मंझनपुर विकास खण्ड कौशाम्बी के ग्राम महिला में शवदाह गृह की स्थापना के सम्बन्ध में श्री पिन्टू द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद कौशाम्बी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

10-जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र-252, मंझनपुर विकास खण्ड सरसवां के ग्राम कटरी में शवदाह गृह की स्थापना के सम्बन्ध में श्री अनिल द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद कौशाम्बी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

11-जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र-252, मंझनपुर विकास खण्ड सरसवां के अन्तर्गत ग्राम पभोषा में नाले के निर्माण के सम्बन्ध में श्री सुनील त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद कौशाम्बी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

12-जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र-252, मंझनपुर विकास खण्ड मंझनपुर के अन्तर्गत ग्राम अगियौना में धार्मिक स्थल का जीर्णोद्धार कराने के सम्बन्ध में श्री मान सिंह दिवाकर व अन्य निवासीगण जनपद कौशाम्बी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

13-जनपद कौशाम्बी के विकास खण्ड सरसवां के अन्तर्गत ग्राम अढ़ौली में धार्मिक स्थल का जीर्णोद्धार कराने के सम्बन्ध में श्री संतोष सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कौशाम्बी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

14-जनपद कौशाम्बी के विकास खण्ड सरसवां के अन्तर्गत ग्राम बैरागीपुर में पशु चिकित्सालय की स्थापना के सम्बन्ध में श्री भूपेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कौशाम्बी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्रीमती निर्मला संखवार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर देहात से सम्बन्धित तीन याचिकाएं †

श्रीमती निर्मला संखवार, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकायें उपस्थित की हुयी मानी गयीं :-

1-जनपद कानपुर देहात तहसील रसूलाबाद के ग्राम डूडा महुवा से रसूलाबाद बेला मार्ग सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कमलेश राठौर व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

2-जनपद कानपुर देहात के ग्राम सभा तिसती विकास खंड रसूलाबाद तहसील रसूलाबाद में सड़क की लम्बाई लगभग 1.5 कि0मी0 तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

3-जनपद कानपुर देहात के ग्राम सभा कनपटियापुर व मल्लपुर विकास खंड रसूलाबाद तहसील में बस स्टॉप से कनपटियापुर तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्रीमती राजबाला, सदस्य, विधान सभा की जनपद रामपुर से सम्बन्धित छः याचिकाएं †

श्रीमती राजबाला, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकायें उपस्थित की हुयी मानी गयीं :-

1-जनपद रामपुर के शाहबाद मुख्य मार्ग से मझरा भगवन्तपुर तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री कमल सिंह निवासी जनपद रामपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

2-जनपद रामपुर में ग्राम गौसमपुर के स्कूल सरकारी पुलिया होते हुए कोसी नदी तक सड़क का निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री रामदीन व अन्य निवासीगण जनपद रामपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

---

† छापी नहीं गयी।

3-जनपद रामपुर के ग्राम सहबिया कलां से ग्राम भूड़पुर तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री वीरपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद रामपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

4-जनपद रामपुर ग्राम निस्वा से ग्राम जिबाई तक डामर रोड के निर्माण के सम्बन्ध में श्री दिनेश चन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद रामपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

5-जनपद रामपुर ग्राम पटवाई जौलपुर से ग्राम सोहना तक डामर रोड के निर्माण के सम्बन्ध में श्री विश्वास सागर व अन्य निवासीगण जनपद रामपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

6-जनपद रामपुर के ग्राम कमालपुर से ग्राम जनकपुर तक डामर रोड/सी0सी0 रोड का निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री मो0 सोहेल व अन्य निवासीगण जनपद रामपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्रीमती संगीता यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोरखपुर से सम्बन्धित दो याचिकाएं †

श्रीमती संगीता यादव, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकायें उपस्थित की हुयी मानी गयीं :-

1-जनपद गोरखपुर के चौरी-चौरा विकास खण्ड सरदारनगर अन्तर्गत ग्राम सभा छबैला (मोहम्मदपुर) चौराहे से मझले नाल तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुभाष सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

2-जनपद गोरखपुर के चौरी-चौरा विकास खण्ड ब्रम्हपुर अन्तर्गत ग्राम सभा जंगल रसूलपुर नं0-2 फरेन नाले पर बने घटुघाट पुल के एप्रोच मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्द्रपाल मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्रीमती सरोज सोनकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित तीन याचिकाएं †

श्रीमती सरोज सोनकर, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकायें उपस्थित की हुयी मानी गयीं :-

1-जनपद बहराइच की तहसील मिहींपुरवा के अन्तर्गत विकास खण्ड मिहींपुरवा में मटेही मंदिर से सुजौली मार्ग तक सड़क का डामरीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जसवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

2-जनपद बहराइच की तहसील मिहींपुरवा के अन्तर्गत विकास खण्ड मिहींपुरवा में ग्राम सभा चहलवा के दूधनान पुरवा में विजयनगर वाली सड़क के डामरीकरण के कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

3-जनपद बहराइच की तहसील मिहींपुरवा के अन्तर्गत विकास खण्ड मिहींपुरवा में ग्राम विशुनापुर में राधेश्याम के घर से रामहित के घर तक आर0सी0सी0 सड़क डामरीकरण का

† छापी नहीं गयी।

कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामशंकर व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित दस याचिकाएं ।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकायें उपस्थित की हुयी मानी गयीं :-

1-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र सदर में विकास खण्ड चित्तौरा के अन्तर्गत ग्राम फकीरचक टेड़िया में प्रा0 विद्यालय से डामर रोड तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

2-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र जाने वाली मेन रोड जयराम पाण्डेय के मकान से होते हुए एस0एन0 शुक्ला के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जयराम पाण्डेय व अन्य द्वारा निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

3-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र सदर में विकास खण्ड हुजूरपुर के अन्तर्गत ग्राम चाकूजोत में सुशान्त चन्द्र स्वाराजचन्द्र इ0 कालेज से शन्ति देवी सुभाषचन्द्र सुशान्त डिग्री कालेज सुभाष नगर होते हुए दराबचक देवी स्थान तक डामर रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुभाष चन्द्र जायसवाल व अन्य द्वारा निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

4-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र सदर में विकास खण्ड हुजूरपुर के अन्तर्गत ग्राम अरकापुर मन्दिर से लेंगड़ महराज के घर तक इन्टरलाकिंग व नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

5-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र सदर में विकास खण्ड हुजूरपुर के अन्तर्गत ग्राम मलवा में बहराइच रोड से मलावा ग्राम चौराहा पकडिया से रामसूरत के व लखन यादव के घर होते हुए बहराइच बलरामपुर रोड तक डामर रोड के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री केदार नाथ शुक्ल व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

6-जनपद बहराइच के ग्राम पंचायत कल्पीपारा में पहाड़ा पक्कण में भोला साहू के घर से नहर कालोनी के सामने श्याम लाल इण्टर कालेज तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण के सम्बन्ध में श्री सरदार चीमा सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

7-जनपद बहराइच के ग्राम तिवारीपुरवा में संजीव तिवारी के घर तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण के सम्बन्ध में श्री संजीव तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

8-जनपद बहराइच के ग्राम सरसा पंडितपुरवा में शिव मंदिर में चारों तरफ इण्टरलाकिंग निर्माण के सम्बन्ध में श्री हनुमान प्रसाद शुक्ल व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

9-जनपद बहराइच के मोहल्ला सरस्वती नगर नई बस्ती, सेखदहीर ओझा कार्यालय तक इण्टरलाकिंग व नाली का निर्माण के सम्बन्ध में श्री हरीश श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

10-जनपद बहराइच के विकास खण्ड चित्तौरा के ग्राम कमोलिया में मेन रोड से सूर्यमन तिवारी के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली का निर्माण के सम्बन्ध में श्री संतोष तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्रीमती गरिमा सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमेठी से सम्बन्धित याचिका †

श्रीमती गरिमा सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमेठी के विकास खण्ड भादर में असल दव पब्लिक स्कूल से घोरहवा गांव तक नाघर की पटरी पर काली सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अमेठी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित सात याचिकाएं †

श्री चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकायें उपस्थित की हुयी मानी गयी :-

1-जनपद बस्ती के राजस्व ग्राम सुबिखाबाबू में प्रकाश के घर के पास नाला पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में सुश्री जय देवी सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

2-जनपद बस्ती के ग्राम कटइंया में रोहित तिवारी के घर से विश्राम प्रजापति के घर तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रोहित तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

3-जनपद बस्ती के तहसील हरैया के अन्तर्गत विकास खण्ड गौर के ग्राम पंचायत चेतरा में प्रधानपुरवा मुख्य मार्ग से शिवकुमार वर्मा के घर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मंशाराम गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

4-जनपद बस्ती के तहसील हरैया के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अक्षतपुर में शिवदास चौधरी के घर से मनोरमा नदी पर बना हुआ हड़ही घाट पर बने श्मशान घाट तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरी प्रकाश व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

---

† छापी नहीं गयी।

5-जनपद बस्ती के तहसील हरैया के अन्तर्गत विकास खण्ड कप्तानगंज के ग्राम रमवापुर में खजुहा-माझा मार्ग पर रमवापुर मोड से घूरे प्रसाद के घर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री घूरे प्रसाद व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

6-जनपद बस्ती में विकास खण्ड कप्तानगंज के अन्तर्गत ग्राम ककुआ राउत में फोर लेन ककुआ राउत से पुरवा ककरहवा तक सड़क को डामरीकरण/पिच रोड के सम्बन्ध में श्री घनश्याम वर्मा व अन्य निवासी जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

7-जनपद बस्ती के तहसील हरैया के अन्तर्गत ग्राम सभा कटास में बारात घर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 रणधीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

डॉ0 डी0सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित नौ याचिकाएं †

डा0 डी0सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकायें उपस्थित की हुयी मानी गयीं :-

1-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम खिरका कावरिया मंदिर से सतुइया तक सड़क का निर्माण करने के सम्बन्ध में श्री हरीश गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

2-जनपद बरेली के तहसील मीरगंज के ग्राम कुरतरा से पटवइया तक सड़क का निर्माण करने के सम्बन्ध में श्री खेमपाल गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

3-जनपद बरेली के तहसील मीरगंज के ग्राम कपूरपुर की गौटिया होते हुए मुख्य मार्ग तक रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजू बाल्मीकि व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

4-जनपद बरेली के तहसील मीरगंज के ग्राम मकड़ी खोह से वाया बीथम, बहादुरपुर होते हुए ग्राम मिर्जापुर मुख्य मार्ग तक रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम दयाल वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

5-जनपद बरेली के तहसील मीरगंज के ग्राम रामगंगा के गोराघाट को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में श्री बाबूराम कश्यप व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

---

† छापी नहीं गयी।

6-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के सोरहरा मंदिर से सोरहरा गौटिया तक सड़क का निर्माण करने के सम्बन्ध में श्री धमेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

7-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम विक्रमपुर में दक्षिण की ओर से मुख्य मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वेदपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

8-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम मनकरी से सिसरा जागीर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नन्हूकी सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

9-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के बैकेनिया चम्मपतपुर से सतुइया तक सड़क का निर्माण के सम्बन्ध में श्री महेश चौहान व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित तीन याचिकाएं †

डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकायें उपस्थित की हुयी मानी गयीं :-

1-जनपद लखनऊ के सेक्टर एफ,डी-1 जानकीपुरम् में रैन बसेरा के पीछे पेयजल हेतु ट्यबवेल लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ व हस्ताक्षरित याचिका,

2-जनपद लखनऊ के सेक्टर एन-2 अलीगंज में इन्दु नर्सिंग पार्क में पेयजल हेतु ट्यूबवेल लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री राघव राम तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

3-जनपद लखनऊ शिवलोक त्रिवेणीनगर तृतीय में भुइयन देवी मन्दिर में पेयजल हेतु ट्यूबवेल लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री लवकुश त्रिवेदी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

डॉ0 संगीता बलवन्त, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित दो याचिकाएं †

डॉ0 संगीता बलवन्त, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकायें उपस्थित की हुयी मानी गयीं :-

1-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर अन्तर्गत ग्राम सौरी में राजनाथ यादव के घर से सियाराम बिन्द के घर होते हुए खरारी नदी तक पक्का नाला निर्माण के सम्बन्ध में श्री पारसनाथ बिन्द व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

---

† छापी नहीं गयी।

2-जनपद गाजीपुर के सदर अन्तर्गत सहेड़ी रेलवे क्रासिंग से चिलार पुलिया तक सड़क मरम्मत कार्य के सम्बन्ध में श्री दिनेश बिन्द व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित पांच याचिकाएं †

श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकायें उपस्थित की हुयी मानी गयीं :-

1-जनपद उन्नाव में विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित मार्ग बिरसिंगरपुर से अजगैन उन्नाव मार्ग का सुदृढ़ीकरण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पृथ्वीपाल सिंह निवासी जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

2-जनपद उन्नाव में विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत मियाँगंज में आई0टी0आई0 केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रवीन कुमार रावत निवासी जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

3-जनपद उन्नाव से अजगैन रायपुरगढ़ी परेन्दा जरेलिया मुशीगंज मार्ग पर बस नियमित तथा समय से चलाये जाने के सम्बन्ध में श्री विशाल विमल निवासी जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

4-जनपद उन्नाव विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा मियाँगंज की सीमा का विस्तार करके मियाँगंज नगर पंचायत का गठन करने के सम्बन्ध में श्री प्रवीन कुमार रावत निवासी जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

5-जनपद उन्नाव विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत सफीपुर नगर पंचायत की सीमा का विस्तार करके सफीपुर नगर पालिका परिषद् का गठन करने के सम्बन्ध में श्री अन्नू निवासी जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री विकास गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित याचिका †

श्री विकास गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर के कस्बा असोथर में एक अग्निशमन केन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री सीताराम वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर से सम्बन्धित पांच याचिकाएं †

श्री सीताराम वर्मा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकायें उपस्थित की हुयी मानी गयीं :-

1-जनपद सुल्तानपुर के तहसील जयसिंहपुर विकास खण्ड मोतिगरपुर के अन्तर्गत राईबीगो निषाद बस्ती से महमूद जंगल तक मार्ग निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

---

† छापी नहीं गयी।

2-जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड जयसिंहपुर के अन्तर्गत ग्राम गोरेगांव निषाद बस्ती से बरूई तक सड़क का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री रमन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

3-जनपद सुल्तानपुर के तहसील सदर विकास खण्ड कूड़ेभार के अन्तर्गत ग्राम कटाटा पुरूषोत्तमपुर से डढ़वा निषाद बस्ती तक सड़क का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित कुमार वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

4-जनपद सुल्तानपुर के तहसील जयसिंहपुर विकास खण्ड मोतिगरपुर के अन्तर्गत मोतिगरपुर-दोसपुर सम्पर्क मार्ग से मुड़हा रजवाहा सम्पर्क मार्ग पर ढेमा से इमली गांव तक चौड़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री हरिश्चन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

5-जनपद सुल्तानपुर के तहसील जयसिंहपुर विकास खण्ड कूड़ेभार के अन्तर्गत ग्राम बुआपुर भटवा के पुरवा से माडल स्कूल तक सड़क का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री जर्नादन तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री उमेश मलिक, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित सात याचिकाएं †

श्री उमेश मलिक, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकायें उपस्थित की हुयी मानी गयीं :-

1-जनपद मुजफ्फरनगर के ब्लाक बुढ़ाना के गांव बड़ौदा में तालाब खुदवाने के सम्बन्ध में श्री महेश प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

2-जनपद मुजफ्फरनगर के ब्लाक शाहपुर के गांव भूराखुर्द में तालाब खुदवाने के सम्बन्ध में श्री अनिल व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

3-जनपद मुजफ्फरनगर के नगर पंचायत सिसौली में तहसील की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओमेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

4-जनपद मुजफ्फरनगर के नगर पंचायत शाहपुर में स्थित गेस्ट हाउस का जीर्णोद्वार के सम्बन्ध में श्री विनोद व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

5-जनपद मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना नगर पंचायत में मण्डी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हिमांशु व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

6-जनपद मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना तहसील के अन्तर्गत कृष्णा एवं हिंडन नदी के किनारे बसे गांवों में सोलर पम्प तथा आर0ओ0 लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री विजेन्द्र प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

7-जनपद मुजफ्फरनगर के हिण्डन नदी पर हडौली गांव से ढिंडावली गांव को जोड़ने वाला पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुज व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-83 में कुछ नहीं है। कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों को कार्य-स्थगन के बाद लेंगे। मद संख्या-85 में कुछ नहीं है। अब मद सं0 86।

[01:35] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

***नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-**

मान्यवर, हमने नियम-56 के अन्तर्गत जो सूचना आपको दी है वह अविलंबनीय है, निश्चित है और जनहित से जुड़ा हुआ है और किसानों के मन में सरकार के प्रति विक्षोभ उत्पन्न हो गया है इसीलिए मैंने आपको यह सूचना नियम-56 में दी है कि अभी हाल ही में भारी वर्षा, ओलावृष्टि तथा तेज आंधी के कारण किसानों की गेहूँ की फसल गिर गई, जितनी भी दलहन फसलें हैं वह 70 से 100 प्रतिशत बर्बाद हो गईं। मटर 70 से 80 प्रतिशत बर्बाद हो गया। आलू 70 से 100 प्रतिशत तक किसानों का बर्बाद हो गया लेकिन सरकार ने उनकी मदद करने के विषय में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। माननीय अध्यक्ष जी, आपको याद होगा कि इसी विधान सभा में पिछले सत्र में मैंने एक सवाल उठाया था कि नदियों के द्वारा भारी बाढ़ के कारण प्रदेश के किसानों की हालत खराब हो गई तथा उनकी खरीफ की फसल का नुकसान हो गया, फसल समाप्त हो गई। नदियों में भारी बाढ़, अतिवृष्टि, भारी वृष्टि भयंकर वृष्टि के कारण खरीफ की फसल भी बर्बाद हो गई है और ओला, आंधी और अतिवृष्टि के कारण रवी की फसल का भी नुकसान हो गया। आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि पूरे प्रदेश के किसान की खरीफ की फसल चौपट हो गई। सरकार उसका मुआवजा दे और हमारा बलिया जनपद दो नदियों से घिरा हुआ है गंगा और घाघरा। गंगा में जबरदस्त बाढ़ आई है और घाघरा में भी बाढ़ आई है और बलिया के इतिहास में लोगों का कहना है 100 वर्ष के अन्दर इतनी भयंकर बारिश कभी नहीं हुई थी। बलिया के बुजुर्ग लोगों का कहना था कि 100 वर्ष में इतनी भारी वर्षा नहीं हुई एक सप्ताह तक बलिया के लोग घर से नहीं निकल पाये, नुकसान तो प्रदेश भर में खरीफ की फसल का हुआ लेकिन बलिया जनपद एकदम चौपट हो गया। मा0 संसदीय कार्य राज्य मंत्री, इनका क्षेत्र भी बलिया है। बाढ़ से इनका क्षेत्र तबाह हुआ है। एक हम दोनों के सांझे क्षेत्र में सुरहा ताल है, बहुत बड़ा ताल है, 16 कोस में उसका एरिया है। भारी वर्षा के कारण सुरहा इतना लबालब भर गया कि उसके दोनों किनारे के सैकड़ों गांव दोनों तरफ के चाहे इनके विधान सभा क्षेत्र में हों या हमारे विधान सभा क्षेत्र में हो गांव डूब गये। फसल की तो बात छोड़िये गांव भी डूब गये। फसल तो नष्ट हो ही गई गांव भी डूब

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गये। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बता रहा हूँ कि वहाँ पर लाखों सागौन के पौधे सूख गये। धान नहीं हुआ, उसके पौधे तक सूख गये, मक्का नहीं हुआ, ज्वार नहीं हुआ, बाजरा नहीं हुआ, खरीफ की फसल कुछ हुई ही नहीं, एक पैसे का मुआवजा अभी तक सरकार ने किसानों को नहीं दिया और दूसरी यह मार रवी की फसल में पड़ गई। दलहन फसलें जितनी हैं उसमें 70 से 100 प्रतिशत नुकसान हो गया है। आलू में 70 से 100 प्रतिशत का नुकसान हो गया। मटर, चना, जौ, गेहूँ जो भी खरीफ की फसलें थीं सब बर्बाद हो गईं किसान असहाय है क्या करें। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से चाहता हूँ कि इतनी महत्वपूर्ण जो किसानों की समस्या है उसको हल करें। श्रीमन् कहेंगे कि आपकी सरकार ने क्या किया ? एक जवाब तो उनका यही रहता है कि आपकी सरकार ने क्या किया।

श्री अध्यक्ष-

हम तो ऐसा नहीं कहते।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, आप नहीं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हर बात में कहते हैं कि आपने क्या किया हमने तो ये किया, तो एक झलक मैं भी दे दे रहा हूँ। जब हमारी सरकार यहाँ पर थी माननीय अखिलेश यादव जी की तो ऐसे ही अति ओलावृष्टि, चक्रवात, तूफान आदि से 12 मौतें हो गई थीं, उन सबको 24-24 लाख रुपये मुआवजा मिला। अध्यक्ष जी, जितनी फसलें बर्बाद हुईं हैं, उसमें अधिकारियों ने चौपाल लगाकर एक-एक किसान को फसल के पूरे पैसे की भरपाई की है। जहाँ किसान चौपाल में नहीं आ पाए तो उनके खाते में एक-एक पैसा भेजा गया है लेकिन यह किसान की झूठी हिमायती बनने वाली सरकार है। आज तक न तो खरीफ की फसल में बर्बाद हुए किसानों का एक भी पैसा मुआवजा दिया है और न ही रबी की फसल जो बर्बाद हो गयी जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर, तिलहन, सरसों, तिल्ली, आलू का दिया है। सब चीजें बर्बाद हो गयी। किसान खरीफ में भी लुट गया और रबी में भी लुट गया। श्रीमन्, किसान आत्महत्या न करे तो क्या करे ? सरकार की इन्हीं सब नीतियों के कारण हजारों किसानों ने आत्महत्या कर ली। अकेले मथुरा में, अकेले महोबा में सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या की है। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार तत्काल किसानों की 70 से 100 प्रतिशत फसलों का जो नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा दे, किसानों को राहत दे, उनका कर्जा माफ करे, उनको सस्ती खाद की व्यवस्था कराये, उनको निःशुल्क बिजली दे और तत्काल पूरी फसल का मुआवजा दे। यह बहुत अविलम्बनीय विषय है इसलिए मैं आपसे चाहता हूँ कि सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करा ली जाये।

***कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-**

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बहुत गम्भीरता के साथ किसानों की समस्या को यहाँ पर रखा है। उन्हें ऐसा आभास हो रहा है और जो बात उन्होंने अपने मुँह से कह दी कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जितनी इनके जमाने में किसानों की अनदेखी होती थी, मुझे मालूम है और उस समय 2200 करोड़ रुपये की धनराशि की भारत सरकार ने आपको मदद की थी। जहाँ तक अभी बाढ़ का प्रश्न आपने किया है तो इस बाढ़ की स्थिति में जो हमारे पास सूचना है उसमें 27 जनपदों के 2,22,112 किसान प्रभावित हुए थे। इसमें 78,550 हेक्टेअर जमीन प्रभावित हुई और उन सभी जनपदों के भीतर 64 करोड़ 36 लाख रुपये की धनराशि बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी हीलाहवाली के बाढ़ के समय वितरित की गयी। अभी भारत सरकार से हमारी धनराशि आने वाली है और जिन जनपदों के भीतर बकाया है उसका भी भुगतान करेंगे। बलिया की बाढ़ की जो आपने चर्चा की है उसमें मैं कहना चाहूँगा कि बलिया के भीतर 10,028 हेक्टेअर कृषि भूमि प्रभावित हुई थी। इसमें 13,292 किसान प्रभावित थे, 6 करोड़ 22 लाख रुपये का जिला प्रशासन ने दैवीय आपदा के कारण हुई क्षतिपूर्ति के लिए मांग की थी और 6 करोड़ 22 लाख का भुगतान बहुत पहले किया जा चुका है और शत-प्रतिशत इसका भुगतान हो चुका है। अभी जो आपने हाल की बरसात में ओले और बाढ़ के सन्दर्भ में चर्चा की है, उस सन्दर्भ में भी मैं आपसे निवेदन कर दूं कि अभी तक जो जनपदों से सूचना आयी है उसमें 7 जनपदों के भीतर से यह सूचना प्राप्त हुई। 7 जनपदों से बारिश और ओलावृष्टि से क्षति की सूचना पायी गयी है जिसमें 33 प्रतिशत से ज्यादा की क्षति बतायी गयी है। इसमें सरसों, गेहूँ, चना, मसूर, आलू इन सबके सापेक्ष 15 करोड़ 88 लाख 33 हजार रुपये की स्वीकृति को हमने बहुत पहले ही 21 जनवरी, 2020 को जारी कर दिया है। दूसरी बात जो अभी हाल में हुआ है उसके लिए हमने 19 फरवरी को हापुड़, चन्दौली और फिरोजाबाद के लिए अतिरिक्त शासनादेश जारी करके 15 करोड़ 88 लाख रुपये दे दिये हैं। 75 जनपदों के जिलाधिकारियों के पास 10-10 लाख रुपये इसलिए भेज दिये गये हैं कि यदि कहीं पर इस तरह की दैवीय आपदा आती है तो जिला प्रशासन अपने स्तर से उस पर विचार करके और उनका भुगतान किसानों के बीच में कर दें। इस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार किसानों के प्रति बहुत हमदर्दी और संवेदनशीलता के साथ, जनवरी और फरवरी महीने में जैसे-जैसे बरसात और ओला पड़ा है तद्नुरूप हम लोगों ने उन्हें मुआवजा जारी कर दिया है। हम विलम्ब नहीं लगाते, यदि आप कहेंगे तो मैं उसका ब्रेकअप भी आपको बता सकता हूँ। बाढ़ के समय का भी ब्रेकअप हमारे पास है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अध्यक्ष जी, इन्होंने जो कहा हमने उसे मान लिया है। इन्होंने जो बात कही उसमें बाढ़ और अतिवृष्टि में जो लोग डूबे रहते हैं, उनको तात्कालिक राहत दी जाती है, वह राहत अलग है। दो राहत होती है, एक तात्कालिक राहत होती है और एक फसलों का सर्वे करके फसलों का मुआयना किया जाता है कि किसानों की कितनी फसल बर्बाद हुई। अगर 50 प्रतिशत से कम फसल बर्बाद होती है तो किसान के फसल का मुआवजा देने का प्राविधान नहीं है और बरसात के दिनों में बाढ़, अतिवृष्टि और भयंकर वृष्टि में किसानों की शत्-प्रतिशत फसलों का नुकसान हो गया, उसके मुआवजे की बात मैंने उठायी है, तात्कालिक राहत की बात नहीं उठायी

है। आप बैठ जाईये, पूरी बात सुन लीजिये, इसी में तो काम गड़बड़ा जा रहा है। मेरे क्षेत्र में तो एक पैसा किसी को मुआवजा नहीं मिला। हमको लगता है कि फसलों के नुकसान का मुआवजा पूरे बलिया जनपद और पूरे प्रदेश में कहीं नहीं मिला है। हमने मुआवजे की बात की और आपने बाढ़ में तत्काल प्रभाव से पीड़ित लोगों की मदद की बात की। फसलों की बर्बादी का मुआवजा तत्काल सरकार दें इसी बात के लिए हम अपने प्रस्ताव पर बल दे रहे हैं।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, मैंनें आपको जो जानकारी दी है वह तात्कालिक सहायता की जानकारी नहीं है। मैंने जिन जनपदों में फसलों की क्षति 33 प्रतिशत से ऊपर रही है, उनकी सूचना आपको दी है 27 जिलों को रू0 64,31,96,000 और 4 जनपदों को जिसमें गाजीपुर भी शामिल है रू0 96,10,09,000 की हम लोगों ने दैवीय आपदा में हुई फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु सहायता दे दी है और कुछ जनपदों की धनराशि अभी शेष है, जिसका पुनर्विनियोग के माध्यम से हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। आप निश्चिन्त रहिये, आपको चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बाढ़ पीड़ितों के प्रति, ओलावृष्टि से पीड़ितों के प्रति, अति वर्षा से जो फसलों का नुकसान हुआ है, किसानों के लिए यह सरकार हर समय मददगार के रूप में खड़ी है और बिना विलम्ब किये हुए जिसकी आपने चर्चा की है अहेतुक सहायता की और तात्कालिक सहायता की। हम लोगों ने बिना एक भी दिन विलम्ब किये हुए दूसरे दिन ही सभी जनपदों को जो बाढ़ से प्रभावित थे, उनको आवश्यक राशन, मिट्टी का तेल, चीनी आदि की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था करके उनको वहाँ पर उपलब्ध करा दिया था और मुख्य मंत्री जी स्वयं सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के भीतर गये थे और बाढ़ पीड़ितों से मिले थे, और राहत की खुद उन्होंने समीक्षा की थी।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मंत्री जी विद्यार्थी जीवन के हम लोग साथी रहे हैं। हम तो कह ही दिये कि तत्काल राहत आपने दी। बाढ़ पीड़ितों को जो तत्काल राहत होती है, वह तो मिली, यह तो मैंनें भी स्वीकार किया। एक पहलू जो असली है कि किसानों की जो 70 से 100 प्रतिशत और शत-प्रतिशत फसल बर्बाद हुई, उन फसलों का सर्वे करके किसानों को मुआवजा नहीं मिला। बाढ़ में तत्काल राहत मिली, तेल मिला, नमक मिला, गेहूँ मिला और भी जो मिलना हो मिला, कहीं-कहीं कपड़ा भी दिया गया, यह बात तो मैं मान ले रहा हूँ लेकिन फसलों की बर्बादी का जो मुआवजा मिलना चाहिए वह प्रदेश के किसानों को नहीं मिला। बलिया में तो एकदम नहीं मिला। माननीय अध्यक्ष जी मैं अपने कार्यस्थगन के प्रस्ताव पर जो किसानों की फसलों के नुकसान का मुआवजा देने के लिए है, उस पर बल देता हूँ।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, 150 करोड़ 41 लाख 96 हजार रुपये फसलों के मुआवजा के रूप में 31 जनपदों के भीतर वितरित किया गया है। 151 करोड़ 46 लाख 96 हजार है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, यह कब दिये हैं।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, यह धनराशि 14-02-2020 को ही जारी कर दी गई है और जारी करके इसका वितरण किया जा रहा है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, लेकिन किसानों को नहीं मिला है।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, आप बात तो सुनिये। 151 करोड़ 4 लाख 94 हजार जो किसानों की क्षतिपूर्ति है, उसकी भरपाई किये जाने के लिए पुनर्विनियोग के भीतर व्यवस्था की जा रही है। जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के भीतर अपने को बीमित कराया था, उन किसानों को 146 करोड़ रूपया बीमा की धनराशि अतिरिक्त भुगतान किया गया है। (सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं) आप आज जिस बात को कह रहे है, वह बात पूर्णतया निराधार है। इस सरकार ने संवेदना के साथ उसमें कार्यवाही की है। किसानों की प्रतिपूर्ति के लिए और उनकी फसलों की क्षति के लिए जो शासनादेशों के मुताबिक बन सकता था, उतना हम लोगों ने ठीक प्रकार से उसका परिपालन किया है और इसलिए यह कोई कार्य-स्थगन का विषय नहीं है, न ही अविलम्बनीय लोकमहत्व का विषय है। ओलावृष्टि की दृष्टि से भी और बरसात से हुई क्षति का ऑकलन करके 9 जनपदों को धनराशि दे दी गई है, जो और आवश्यकता होगी, वहाँ के जिलाधिकारी को दी जायेगी। मान्यवर, किसी भी प्रकार की कोताही सरकार किसानों की फसलों के नुकसान की भरपाई करने में नहीं करेगी, यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस सूचना को मैं अग्राह्य करता हूँ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर नहीं आया। यह मैं भी बढ़िया से जानता हूँ कि किसानों का मुआवजा नहीं मिला है, हम लोग क्षेत्र में रहते हैं।

(सत्तापक्ष के किसी सदस्य द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

ठीक है, आप बैठिये, आपको मिल गया होगा। हम अपनी बात कह रहे हैं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो गांव बाढ़ से, अतिवृष्टि से प्रभावित हुए हैं, सैकड़ों गांव प्रभावित हुए हैं। अध्यक्ष जी, बलिया में ऐसा था कि गंगा और घाघरा में भारी बाढ़ के कारण रेगुरेटर बन्द

कर दिये गये थे, जिसके कारण पानी बाहर नहीं निकला और गांव डूब गये, फसल बर्बाद हो गई। अभी तक एक पैसा मुआवजा नहीं मिला और यह सरकार कह रही है कि मुआवजा दिये हैं। अभी खरीफ का ही नहीं, जो रबी की मैंने बात उठाई, उसकी बात ही छोड़ दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार की गलत बयानी के कारण अब हम वॉकआउट नहीं करेंगे। सरकार के किसान विरोधी रवैये के कारण और अभी तक फसलों की बर्बादी का मुआवजा न मिलने के कारण पूरी समाजवादी पार्टी के सारे लोग एक मिनट अपनी सीट पर खड़े रहेंगे, हम वॉकआउट नहीं करेंगे।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गये)

श्री अध्यक्ष-

तब तक हम आगे वाली सूचना लेते हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, यह तो आपकी मर्जी है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय आराधना मिश्रा जी, आपको कुछ कहना है ?

(श्री लाल जी वर्मा के अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी, आप बैठिये।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

माननीय अध्यक्ष जी, यह पूरी बात को सुनने के लिए एकदम तत्पर नहीं हैं। यह समझते हैं कि जिस तरीके की इनकी सरकार असंवेदनशील थी और जिस तरीके से यह किसानों की उपेक्षा किया करते थे, यह लोग उसी पैरामीटर पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को भी देख रहे हैं। इस बात को मैंने आपको बार-बार बताया कि 31 जनपदों को 150 करोड़ 41 लाख 96 हजार रुपये फसलों की क्षति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सभी जिला मेजिस्ट्रेटों को दे दिए गए हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अभी कल या परसों ही विधान सभा में कहा था कि इन्होंने जो अनुपूरक बजट लिया।

श्री अध्यक्ष-

आपने तो कहा था कि एक मिनट मौन रहेंगे ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, एक पैसा खर्च नहीं हुआ, आपने एलॉट किया, वह पैसा खर्च हुआ कि नहीं हुआ, क्या वह आपने जांचा ? आपने एलॉट किया है, लेकिन बॅटा नहीं है। फसलों का मुआवजा किसी को मिला नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको देख लेंगे। यह सूचना अग्राह्य की जाती है।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, मैंने आपको यह जानकारी दी है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, आप बैठिये, आप जानकारी क्या देंगे ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, बैठ जाइये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आप मंत्री जी को ही भेज दीजिए। यह देखें कि हमारी सरकार ने बलिया में कितना मुआवजा दिया था और आपकी सरकार ने कितना मुआवजा दिया। अध्यक्ष जी, आप इनको नियुक्त कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

उसकी जांच करा लेंगे।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, हमने आपको कहा कि 14 फरवरी को जारी की गई है। लेकिन आप सुन नहीं रहे हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

हमने आपकी हर बात सुनी। आपने 10 दिन पहले एलॉट किया है।

श्री अध्यक्ष-

आपको क्या कहना है ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

इसको आपने अभी 10 दिन पहले, जब ओलावृष्टि पड़ा है। आपके कहने के अनुसार अभी 14 दिन हुए आपको एलॉट किये हुए। मैंने दोनों की बात कही है, जो खरीफ में नुकसान हुआ है उसका मुआवजा नहीं मिला है और जो रवि की फसल में नुकसान हुआ उसका भी मुआवजा नहीं मिला है।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

आपने सबसे पहले खरीफ की बात की, मैंने खरीफ के बारे में आपको जानकारी दी कि 150 करोड़ 91 लाख 96 हजार रुपए 31 जिलों के लिए जारी कर दिये गये हैं। दूसरी बात मैंने आपको बतायी।

श्री अध्यक्ष-

अब उत्तर तो आ गया है।

(नेता प्रतिपक्ष श्री राम गोविन्द चौधरी एवं कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

सब असत्य प्रलाप है श्रीमन्, एक पैसा किसानों को मुआवजे के रूप में नहीं मिला है। बाढ़ में राहत मिली है लेकिन फसल का मुआवजा नहीं मिला।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

अभी जनवरी और फरवरी में उसके लिए 15 करोड़ ....

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, सब असत्य प्रलाप है, असल में मुआवजा नहीं मिला है, बाढ़ में राहत मिली।

संसदीय कार्य एवं ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं नेता प्रतिपक्ष को अवगत कराना चाहूँगा, फसल का मुआवजा तो मिला, आप जिस सुरहाताल की बात कह रहे हैं, चूँकि हमारा क्षेत्र और नेता प्रतिपक्ष का क्षेत्र लगा हुआ है। उस सुरहाताल से मेरे भी क्षेत्र के कई गांव वर्ष भर जल प्लावन से प्रभावित रहते हैं। पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया मैं अपने जल शक्ति मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा, सुरहाताल में एक गड़ारी नाला है जिसकी सफाई नहीं होने से वर्ष भर जल प्लावन रहता है। हमारे जल शक्ति मंत्री जी ने एक करोड़ रुपया उसके लिए दिया है और विभाग उसकी सफाई में लगा है, हम लोग हमेशा के लिए उसके समाधान में लगे हुए हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 मंत्री जी ने दूसरी बात कही, आपने पानी निकासी की बात कही है, मैं तो उसकी बात ही नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि जो किसानों की फसल बरबाद हुई उसका मुआवजा नहीं मिला इसीलिए हम अपनी सीट पर खड़े हैं।

श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल-

उसका अब समाधान हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप लोग अपनी सीट पर बैठ जाएं, इस पर चर्चा से ज्यादा समय हो गया है, अब हम आगे वाला विषय ले रहे हैं। जो खड़े होने का आपने संकल्प लिया था वह एक मिनट से ज्यादा हो गया है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

एक मिनट से ज्यादा हो गया है, आप कहेंगे तो हम लोग बैठ जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

एक मिनट से ज्यादा हो गया है, कृपया बैठ जाएं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

ठीक है, हम लोग बैठ जाते हैं।

***श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-**

माननीय अध्यक्ष जी, जो विषय आज आपके माध्यम से मैं सदन के सामने रखना चाहती हूँ वह अति लोकमहत्व का है, अविलम्बनीय है और तात्कालिक भी है। मान्यवर, प्रदेश के हर व्यक्ति की सुरक्षा और पालन-पोषण की जिम्मेदारी सरकार की होती है। मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, जिसका मुख्य कार्य है जलपान गृह के माध्यम से माननीय मंत्री और सदस्यों के स्वच्छ जलपान की व्यवस्था करना तथा निगम के डिपो के माध्यम से राज्य कर्मचारियों, पेंशनरों व मृतक आश्रितों को सस्ते दरों पर दैनिक उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध कराना। आज लगभग सात सौ कर्मचारी हड़ताल पर हैं। पिछले तीन सालों से एक भी पैसे का वेतन इन सात सौ कर्मचारियों को नहीं मिला है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विभाग माननीय मुख्य मंत्री जी के अधीन है। इसी विभाग से तीन सौ कर्मचारियों का एक अंग अलग से बना दिया गया था, उत्तर प्रदेश सचिवालय सत्कार सेवा संस्थान। इन तीन सौ कर्मचारियों को वेतन भी मिल रहा है और सभी सुविधाएं भी मिल रही हैं परन्तु इन सात सौ कर्मचारियों को नहीं मिल रही हैं। लगभग 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, परसों अभी कैंसर से पीड़ित कर्मचारी की मृत्यु हो गई। लगभग 50 बेटियों की शादियॉ टूट गई हैं, तीन सौ से ज्यादा बच्चों को शिक्षा उनके परिवार के लोग नहीं उपलब्ध करा पाये। आज वह सारे लोग आन्दोलित भी हैं और लगातार हड़ताल पर हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि दिनॉक 26.10.2019 को माननीय कैबिनेट का डिसीजन हुआ और माननीय सुरेश खन्ना जी के निर्देश पर एक कमेटी बनी, जिसकी अध्यक्षता स्वयं आप कर रहे हैं, उसमें यह तय हुआ था कि अगले 15 दिनों के अन्दर इसकी जो भी समस्याएं हैं उनका निस्तारण करके सूचित कराया जाय लेकिन आज चार महीने बीत चुके हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

अब मा0 मंत्री जी का वक्तव्य आने दीजिए।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मैं अनुरोध करूंगी कि इस पर संवेदनापूर्वक उत्तर भी आये और आश्वासन भी आये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, कर्मचारी कल्याण निगम के कर्मचारियों को पिछले लगभग तीन साल से वेतन नहीं मिल रहा है। होली भी आ गयी है, अब उनके बच्चे क्या करेंगे ? उनकी संख्या लगभग 500 से 1000 के बीच है। जिसने हमको इस सम्बन्ध में कागज दिया है, उसमें लिखा है कि कुछ अधिकारी/कर्मचारी इसमें गड़बड़ कर रहे है। मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों के विषय में भी दिखवा लें कि उनका इसमें क्या कारनामा है ? हमको मालूम नहीं है कि उनका क्या कारनामा है, लेकिन कुछ कर्मचारियों ने उन पर शंका जाहिर की है। आप इस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। हमारा आपके माध्यम से अनुरोध है कि उनको शीघ्रातिशीघ्र तनख्वाह/वेतन दिलवा दीजिये और नहीं तो इस पर चर्चा करा दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मौर्या जी।

***श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-**

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य आराधना मिश्रा 'मोना' जी ने उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के कर्मियों की समस्या को यहाँ पर प्रस्तुत किया है और उन्होंने अपेक्षा की है कि इनकी समस्याओं का यथाशीघ्र समाधान किया जाये। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि सरकार ने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ इस पर निर्णय लिया है। इस प्रश्न को उठाने में आप लोगों ने थोड़ा विलम्ब कर दिया। हमारी सरकार पहले से ही इस पर अतिगम्भीर/संवेदनशील है, इसीलिये इस पूरे मामले को निस्तारित करने के लिए कैबिनेट की बैठक में दि0 22 अक्टूबर, 2019 को निर्णय लिया गया। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के सभी कर्मियों का समुचित वेतन जाए। उनके समायोजन, प्रतिनियुक्ति व स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आदि सभी विषयों पर विस्तार से और गम्भीरता से काम हो, इसके लिए कैबिनेट के माध्यम से एक उपसमिति बनाने का निर्णय लिया गया है। मान्यवर, हमारे मा0 वित्त मंत्री, संसदीय व चिकित्सा शिक्षा मंत्री, मा0 खन्ना जी इस समिति के अध्यक्ष है और इनके ही नेतृत्व में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है। मान्यवर, यही नहीं, यह निर्णय 22 अक्टूबर, 2019 में हुआ और 25 अक्टूबर, 2019 को कमेटी गठित कर दी गयी। मा0 खन्ना जी के नेतृत्व में तीन सदस्यीय कमेटी की बैठक भी हुई। आपने उस पर सकारात्मक नोट तैयार करके उसको आगे भी भेज

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिया और वह कार्यवाही अभी भी प्रचलित है, उस पर हम सकारात्मक निर्णय लेने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आपकी जो समस्या है, उस समस्या के निस्तारण के लिए हम पहले से ही प्रभावी कार्यवाही कर रहे हैं, इसकी चिन्ता की जरूरत नहीं है, इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मा0 मंत्री जी ने स्वयं ही यह स्वीकारा की दि0 22-10-2019 को इस पर निर्णय हुआ और दि0 25-10-2019 को कमेटी का गठन भी हो गया। मा0 मंत्री जी उसके अध्यक्ष भी हैं और वित्त विभाग भी इन्हीं के पास है, तो चार माह का विलम्ब क्यों ? अब तो होली भी आने वाली है, तो कम से कम यह तो तय कर दें कि उन कर्मचारियों को कब तक तनख्वाह/वेतन मिल जायेगी और जो तनख्वाह/वेतन मिलेगा, वह पिछले समय से जो तनख्वाह/वेतन नहीं मिला हुआ है, उसको मिलाकर मिलेगा, या नहीं मिलेगा, यह भी आपकी तरफ से आश्वासन आ जाये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, हम अपनी बात कह दें, उसी विषय से सम्बन्धित है। आपको ही इसका उत्तर देना है। कर्मचारी कल्याण निगम के कमेटी का जो मामला चल रहा है, उसके अध्यक्ष आप ही हैं। यह अधिकारियों/कर्मचारियों का मामला है, इस पर थोड़ा गम्भीरता से विचार करना होगा। मा0 अध्यक्ष जी, अगर आप अनुमति दें, तो यह नियमावली में नहीं है, लेकिन व्यवहारिकता के तौर पर हम एक सेकेन्ड में एक बात दूसरी भी कहना चाहते हैं। केवल सुनने का है। उत्तर प्रदेश सचिवालय में एक अपर निजी सचिव हैं अमरसिंह द्वितीय। श्रीमन् मोबाइल में एक न्यूज आ गयी कि किसी विश्वविद्यालय में नियुक्ति हुई तो उसमें केवल सवर्णों की ही नियुक्ति हो गयी। चूँकि यह पिछड़े वर्ग में कुर्मी जाति के हैं और गलती से इनसे शेयर हो गया और वह अखबारों में आ गया। सरकार ने उस पर एक्शन ले लिया। उन्होंने सरकार से क्षमा भी माँग लिया कि हाँ, हमसे गलती हो गयी, फिर कभी ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन अब कोई किसी को तमाचा मार दे तो उसकी फांसी की सजा नहीं होती है।

श्री अध्यक्ष-

यह कर्मचारी कल्याण निगम का विषय तो है नहीं ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

श्रीमन्, वह निलंबित हो सकता है लेकिन अध्यक्ष जी, उसको सर्विस से बर्खास्त करके लोक सेवा आयोग को अप्रूवल के लिए भेजा गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि हम किसी को रोटी दे नहीं रहे हैं तो कम से कम रोटी न छीनें। 'क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात।' अगर किसी ने गलती कर दी तो उसको इतना बड़ा दण्ड न मिले कि उसके बाल-बच्चे, बीबी बिलबिला कर मर के रह जांय। आप दण्ड

दीजिए लेकिन बर्खास्तगी का मत दीजिए, उसको सस्पैंड कर दीजिए, थोड़े दिन बाद बहाल करिये। जो आपने लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा है, हम आपसे आग्रह करते हैं कि मानवता के आधार पर उसको वापस ले लें और उसकी नौकरी बरकरार रखें।

(श्री लाल जी वर्मा जी के खड़े होने पर)

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, पहले मंत्री जी का जवाब आ जाये।

श्री अध्यक्ष-

लालजी वर्मा जी की भी बात आ जाये, इनका भी उसी के साथ संसदीय कार्य मंत्री जी उत्तर दे देंगे।

***श्री लाल जी वर्मा-**

मान्यवर, यह मेरा विषय था जो अभी माननीय नेता विरोधी दल ने रखा। इसे माननीया सुषमा पटेल जी ने लगाया था, महत्वपूर्ण विषय है। वह अधिकारी अपर निजी सचिव संघ का अध्यक्ष भी रह चुका है।

श्री अध्यक्ष-

जो मा0 नेता विरोधी दल ने कहा हो वह आप कह दीजिए।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, एक जांच अधिकारी ने उसको निर्दोष भी कहा, जांच अधिकारी के निर्दोष मानने के बावजूद भी अगर इस तरह से किया जायेगा। आप बार-बार कहते हैं कि हम पिछड़े वर्ग के हिमायती हैं और वह कुर्मी समाज का एक अधिकारी है।

श्री अध्यक्ष-

क्या अधिकारियों में भी इस तरह जाचेंगे कि कौन कुर्मी, तेली, तमोली, बढ़ई, नाई व लुहार है ? अधिकारी तो अधिकारी होता है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, सारे कर्मचारी उसके पक्ष में आंदोलित हैं और सारे कर्मचारी घेराव कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से पूरे कर्मचारियों से सम्बन्धित मामला है। (सत्तापक्ष के एक माननीय सदस्य द्वारा खड़े होकर कुछ कहने का प्रयास किया गया।) अब ऐसे थोड़े ही कि फॉसी दे देंगे। आप बार-बार कहते हैं हम पिछड़े वर्ग के हिमायती हैं, क्या पिछड़े वर्ग की हिमायत यही है कि अगर वह फॉरवर्ड हो गया तो उसकी इतनी बड़ी सजा ? 'कांकर के चोर को तलवार से मारेंगे'। मैं चाहूँगा कि संसदीय कार्य मंत्री जी इस पर विचार कर लें।

(सत्तापक्ष के एक सदस्य द्वारा कुछ कहने का प्रयास करने पर।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

नन्द किशोर जी आप बैठिये।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, कर्मचारी कल्याण निगम का जो मामला है यह व्यवस्था काफी दिनों से डि-रेल हुई। कैबिनेट के सामने यह प्रस्ताव आया था कि इसका समाधान किया जाये। तो मेरी अध्यक्षता में कैबिनेट की एक सब-कमेटी बनी, माननीय सिद्धार्थ नाथ सिंह, राज्य मंत्री कृषि श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह (धुन्नी सिंह) जी उसके सदस्य हैं। हमने चार बैठकें करके उसे निस्तारण की स्थिति तक पहुँचा दिया। लगभग 200 लोगों का समायोजन उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में हो गया, ये स्वेच्छा से प्रतिनियुक्ति पर चले गये। लगभग इतने ही लोग, आप जो 700 की फीगर दे रहे हैं, कम से कम इस बात के लिए क्षमा करेंगे कि विधान सभा में जो भी चाहें कह दें। मान्यवर, 700 की संख्या नहीं है लेकिन 700 लिखी गयी। कुछ लोगों ने वी.आर. एस. ले लिया, एग्जेक्ट संख्या याद नहीं है लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसमें वी0आर0एस0 ले लिया और उत्तर प्रदेश कर्मचारी कल्याण निगम के 200 लोगों को यू0पी0एस0आर0टी0सी0 में समायोजित करने के लिये उन्होंने माँग लिया। हमने बात-चीत कराकर दो चार बैठकें करके इसको निस्तारण की स्थिति तक अपनी तरफ से पहुंचा दिया। बाकी जो डिपो बचे हैं जो वर्तमान कर्मचारी इस समय हैं वह बाकी डिपो चला लें। डिपो लगभग 120 थे और उसको समाप्त करने से यह हुआ कि उनके अधिकारियों ने जो उनके प्रतिनिधि थे उनसे वह मिले और यह कहा कि 60-61 हम चला लेंगें और इतने हम कर्मचारी जितने हैं हम समायोजित हो जायेंगें डिपो में। कुछ ने वी0आर0एस0 ले लिया और कुछ यू0पी0एस0आर0टी0सी0 में समायोजित हो गये। कुल मिलाकर इसका समाधान हो गया है लेकिन मान्यवर, पुराने वेतन का मामला है जरूर। अब निगमों की जो स्थिति है मान्यवर, वह हमसे ज्यादा जानकारी आपको भी है और पूरे सदन को है कि निगमों में जिस प्रकार की अव्यवस्था की वजह से डि-रेल हुआ मामला उस वजह से यह रूका। लेकिन फिर भी हमारी सहानुभूति उनके साथ में है। उनको वेतन मिलना चाहिए यह भी सही है और उसकी व्यवस्था जैसा कि माननीय मौर्या जी ने अपने उत्तर में कहा कि हम सकारात्मक की तरफ बढ़ रहे हैं। मान्यवर, कोई न कोई रास्ता उसके लिये निकाला जायेगा। इस वक्त की व्यवस्था तो उनके लिये हो गई, हो रही हैं लेकिन जो पुराना वेतन है वह चल रहा है। रही बात उसकी जो माननीय नेता विपक्ष ने कहाँ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

कल्याण निगम वाले में आपने कहा उसके लिये आपको धन्यवाद जितना जल्दी उसका निपटारा कर लें इसके लिये धन्यवाद।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

यह बार बार अनावश्यक खड़े होने का क्या मतलब है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

दूसरा जो विषय है आपका। उसको दिखवा लेंगें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मानवता के आधार पर सही कहा है लोगों ने कि ककड़ी का चोर एक थप्पड़ और फांसी। सुन लीजिये आप मेरी बात।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अभी तो सुन चुके हैं आपकी बात।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

नौकरी देने में तो आप दोनों हाथ फैला दे रहे हैं। नौकरी मत लीजिये। कृपा करके उसको लोक सेवा आयोग से वापस मँगवा लीजिये फिर उसको दिखवा लीजिये। उसको क्षमा कर दीजिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

यह मामला पुराना है तुरन्त का तो है नहीं। साल डेढ़ साल का हो गया।

***श्रीमती सुषमा पटेल-**

तुरन्त अभी बर्खास्त किया गया है सेवा से। कल परसों का मामला है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

हमारे पास रिपोर्ट है नहीं। रिपोर्ट आई होती तो हम बताते। हम उसको दिखवा लेंगें मान्यवर। अभी बिना रिपोर्ट के कुछ कहने की स्थिति में हैं नहीं मान्यवर। इसको जैसा आपने बताया है उसको दिखवाकर ही हम कुछ कह सकते हैं। हमारा यह उद्देश्य नहीं है कि हम किसी की नौकरी ले लें। लेकिन मान्यवर, बिना दिखलाये हम कुछ कह नहीं सकते।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

***श्री सुखदेव राजभर-**

माननीय अध्यक्ष जी, राम अचल जी पहली बार लिखकर दिये हैं इनकी दो मिनट सुन लीजिये। ज्यादा बोलेंगें नहीं।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया। मौर्य जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

निगम वाले के बारे में कह रहा हूँ कि मंत्री जी से बात भी करूँगा यद्यपि उसमें गुमराह करके कुछ गलत सूचना दी गई है उस भ्रम को दूर करने के लिये मैं निवेदन करूँगा।

श्री अध्यक्ष-

अब तो विषय हो गया। मैं अगली मद ले रहा हूँ।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, दूसरा विषय है। राम अचल जी का सुन लीजिये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

हमने हर पार्टी का एक एक स्वीकार किया और शेष सूचनाएं सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु ध्यानाकर्षण के लिये कह दीं। अब मैं कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश की सूचना देता हूँ।

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, केवल दो सूचनायें लेने का जो आपका निर्णय है, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सूचनायें होती हैं। यह एकदम ब्रेक लग गया कि दो के अलावा हम सुनेंगे ही नहीं। कुछ माननीय सदस्यों ने बहुत महत्वपूर्ण सूचनायें दी हैं, उन्होंने पहली बार सूचना दी है। आप दो मिनट इनको बोल लेने दीजिए। आपकी व्यवस्था का हम लोग सम्मान करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय राजभर जी, आप हमारे लिए बहुत आदरणीय हैं। हमारा कहना यह है कि यह नियम-56 में कैसे आता है ? आप यही ग्राह्यता बता दीजिए। आप हमारे लिए बहुत वरिष्ठ हैं।

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, ग्राह्यता पर एक मिनट बोल लेने दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप वरिष्ठ हैं। हम आपको कहाँ मना कर सकते हैं।

***श्री राम अचल राजभर-**

माननीय अध्यक्ष जी, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन में मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। भर और राजभर जाति उत्तर प्रदेश में एक बड़ी आबादी के रूप में रहती है, जिसकी आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं शौक्षणिक स्थिति आजादी के 72 साल बाद भी उनका उत्थान नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

अब भाषण मत दीजिए, विषय पर आइये, मैं आदरपूर्वक कह रहा हूँ कि आप नियम-56 पर आइये।

श्री राम अचल राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, अंग्रेजों के समय से उन्हें काफी प्रताड़ित एवं जरायम पेशे की जाति में रखा गया था। जिन्हें क्रिमिनल ट्राइब कहा जाता था, जिन्हें बाद में डिनोटीफाइड ट्राइबल घोषित किया गया।

श्री अध्यक्ष-

आपका कहना क्या है ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम अचल राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रकार इस जाति को जनजाति की जातियों के समकक्ष माना गया, जिन्हें जनजाति तथा घुमन्तू जाति भी कहा गया, इस जाति के तमाम लोग संगठन शासन से बराबर मांग करते रहे कि इन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित कर इनका उत्थान किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जाइये। आपका पूरा विषय आ गया है।

श्री राम अचल राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, जिस सन्दर्भ में निदेशक अनु0जाति जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण अनुभाग-2 के पत्र दिनांक 06-01-2018 आई0जी0आर0एस0। मू0 नं0 सन्दर्भ शो0 प्रशा0। लखनऊ दि0-04-04-2019 के सन्दर्भित प्रकरण के सन्दर्भ में आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ 11157180243614 दि0-24-12-2018 के क्रम में संस्था के पत्रांक सं0-10671-28 2018-19 आई0जी0आर0एस0 मू0न0 सन्दर्भ शोध प्रशि0 लखनऊ दि0 18 फरवरी, 2019 उ0प्र0 समाज कल्याण विभाग को भेजा गया है। किन्तु अब तक कोई निर्णय नहीं किया गया है। इस प्रकार पूरे समाज में असंतोष व्याप्त है। जगह-जगह पर धरना-प्रदर्शन भी हो रहे हैं। स्थिति किसी भी क्षण विस्फोटक हो सकती है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन की समस्त कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूँ।

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं ग्राह्यता पर दो मिनट बोलूंगा। एक शासनादेश का उल्लेख इन्होंने किया, वह 2019 में गया है और समाज कल्याण विभाग के अनुभाग से डायरेक्टर को सन्दर्भित हुआ। इस पर हम लोग बल दे रहे हैं, इसमें इसकी ग्राह्यता है। जिस शासनादेश का उल्लेख किया गया इस समाज के तमाम संगठनों ने मांग की और मांग के बाद यह निदेशक, समाज कल्याण को सन्दर्भित हुआ। उसी पर हम लोग कह रहे हैं कि कम्प्लायंस अब तक नहीं हुयी, इससे लोगों में असंतोष है। हम कहानी नहीं बताना चाहते हैं। जिस विषय को मैंने आज यहाँ पर रखा है इस पर तो एक-दो घण्टे वास्तव में चर्चा कर लेनी चाहिए। अंग्रेजों ने देश में इस समाज के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया कि पूरी जाति को क्रिमिनल ट्राइब घोषित कर दिया। एक समाज में, एक जाति में एक व्यक्ति क्रिमिनल हो सकता है पूरा समाज क्रिमिनल नहीं हो सकता है। पार्लियामेन्ट ने बाद में विचार किया और कहा कि अंग्रेजों ने बहुत गलत निर्णय किया है, क्योंकि यह अंग्रेजों से पूरा संघर्ष करते रहे। अंग्रेजों के दुश्मन रेस मार्शल ने इसको डिफाइन किया। आज जब उस जाति की स्थिति क्रिमिनल इतिहास के बाद डिनोटिफाइड हो गयी तो भी वह शब्दों से आज जनजाति में हैं, इनकी जो आर्थिक, सामाजिक स्थिति है, वह भी जनजाति की तरह है। एक पैकेज में हैं। पूरे प्रदेश और देश में उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में

पैकेज में हैं जनजाति की डिफनीशन होती है कि अगर कोई पैकेज में होता है चाहे राजस्थान में हो चाहे हमारा विन्ध्याचल मण्डल में हौं यह लोग एक पैकेज में हैं इसमें हम चाहते हैं कि इसे आप भारत सरकार को सन्दर्भित करें। इनका इतिहास अगर बताएंगे तो आपका दिल जरूर पिघल जाएगा कि इस जाति की मदद कर देनी चाहिए। सम्मान देना चाहिए आजादी के 70-72 साल बाद एक भी इनका पी0सी0एस0नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी आई0ए0एस0 नहीं है मुश्किल से चतुर्थ श्रेणी के एक आध कर्मचारी मिल जाएंगे। शिक्षा के मामले में भी पिछड़े हैं इनकी हालत बहुत खराब है। ऐसे समाज के लिए अगर सदन में प्रस्ताव लाते हैं तो कम से कम ऐसे समाज का बैकग्राउण्ड देख लें आज इनकी पोजीशन क्या है इसी सदन से दो बार भारत सरकार को सन्दर्भित किया था। एक बार माननीय मुलायम सिंह यादव जी दूसरी बार बहन कुमारी मायावती जी ने कि यह जाति सुविधा देने लायक है। यह रजिस्ट्रार जनरल के यहाँ दिल्ली में भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। श्री राम अचल राजभर जी ने एक शासनादेश का उल्लेख किया जो 19 में जारी हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

इसकी ग्राह्यता बताइए।

श्री सुखदेव राजभर-

ग्राह्यता तो है ही कोई शासनादेश जारी हो और उसका कम्प्लायंस न हो जो विमुक्त जाति में रखने का क्राइटेरिया है वह इसे पूरा कम्प्लीट करते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप घोषित तो नहीं करेंगे लेकिन कम से कम इतना तो आश्वस्त करें कि इस समाज के कल्याण के लिए भलाई के लिए जिस समाज का आजादी के 70 साल बाद भी राजनीति में शिक्षा में आर्थिक स्थिति में जो स्टेटस है उस आधार पर अगर इस समाज के बारे में आप निर्णय लेंगे तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी खड़े हैं। राजभर जी आप बैठ जाएं।

श्री सुखदेव राजभर-

मंत्री जी खड़े हैं तो उनका और स्वागत है । यह बल दे रहे हैं कि जवाब दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

जब आप बैठेंगे तभी तो वह जवाब देंगे।

आपको जानकारी है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में बड़ा स्पष्ट प्राविधान है कि किसी भी वर्ग को समूह को ग्रुप को क्षेत्र विशेष में रहने वाले किसी समूह को अनुसूचित जाति में शामिल करने का अधिकार केन्द्र की संसद को है। यहाँ पर इस विषय को हम लोग टेक अप कर लिए आपकी कृपा के कारण ।

श्री सुखदेव राजभर-

यहाँ से तीन बार प्रस्ताव गया है। जनजाति में शामिल करने के लिए प्रदेश सरकार सदन से प्रस्ताव पारित करती है । पार्लियामेंट में कुछ भी हो सकता है। पार्लियामेंट को बहुत पावर है बहुत संशोधन पार्लियामेंट ने किए हैं। जैसे गोंड़ जाति को उत्तर प्रदेश सरकार ने भेजा था ।

श्री अध्यक्ष-

यह अधिकार केवल पार्लियामेंट को ही है।

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसी सदन मे घोषणा भी की थी कि इनको अनुसूचित जनजाति में रखा जाएगा और उसका पालन होने लगा था उत्तर प्रदेश में वह तो किन्हीं परिस्थितियों में रूक गया। मैं तो इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि आप माने या न माने लेकिन उत्तर प्रदेश की विधान सभा इस समाज के प्रति कहीं न कहीं एक सद्भाव पैदा कर दे कि हम इस कम्युनिटी को उठाना चाहते हैं जब सबका साथ सबका विकास है तो इनका भी थोड़ा विकास कर दीजिए।

***पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री (श्री अनिल राजभर)**-

माननीय अध्यक्ष जी मैं माननीय सुखदेव राजभर जी का बहुत ही आदर करता हूँ माननीय राम अचल जी का भी हम से यह लोग बड़े हैं, वरिष्ठ भी हैं, आदरणीय भी हैं। आज मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य हो रहा है। इस विधान सभा का इतिहास और इसके इतिहास के पन्नों को आप पलटकर देखें तो इस आदरणीय सदन में जब कभी भी राजभर समाज को, भर समाज को विशेष अवसर देने की बात आई है, तो सबसे पहला विरोध अगर किसी की तरफ से हुआ है, तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हुआ है।

***श्री ओम प्रकाश राजभर**-

मान्यवर, जब सपा और बसपा ने रिपोर्ट भेजी है तो गलत बयानबाजी क्यों ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय ओम प्रकाश जी, पूरी बात तो आने दीजिये। माननीय सुखदेव जी, पूरी बात आ जाये।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, इनको इतिहास नहीं मालूम है तो यह हम लोगों को ज्ञान देंगे। जब हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे तब आपका जन्म भी नहीं हुआ था। आपको कुछ नहीं मालूम है।

श्री अनिल राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने इन लोगों की पूरी बात सुनी और बीच में एक शब्द भी नहीं बोला।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग कृपया शान्त रहिये, शान्त रहिये। जब माननीय राम अचल जी ने अपनी बात रखी तब इधर की तरफ से कोई आवाज नहीं आयी, जब माननीय सुखदेव जी ने अपनी बात रखी तब इधर शान्त रहे तो फिर जब मा0 मंत्री, श्री अनिल जी खड़े हुए तो उसमें इतने शोर की क्या आवश्यकता थी ? अगर वह कोई बात कहना चाहते हैं तो क्या आप लोग उनको बोलने नहीं देंगे ?

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, अगर वह बिना तथ्यों के गलत आरोप लगायेंगे तो क्या हम उसको सुनेंगे और उस पर सहमति देंगे ? जब यह विधान सभा में रहे ही नहीं, पहली बार विधान सभा में आये हैं और कह रहे हैं कि विधान सभा में जब-जब सवाल उठा तो विरोध किया। यह पहली बार तो विधान सभा में आये हैं और यह आरोप लगा रहे हैं।

श्री अनिल राजभर-

मान्यवर, मैं प्रमाण दे दूंगा। मेरी बात आ जाने दीजिये।

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय मंत्री जी, आप एक मिनट बैठ जायें। आप जो प्रमाण देंगे वह हमको मालूम है। मैं एक मिनट में अपनी बात कह रहा हूँ। हम लोग उत्तेजित नहीं होते हैं।

श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल-

माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने कहा कि यह पहली बार आये हैं तो यह पहली बार आने वाले लोगों का अपमान है। दूसरी बात यह है कि माननीय लालजी वर्मा जी हमेशा बाबा साहब की बात करते हैं तो क्या बाबा साहब के साथ आप रहे हैं ? आपको पहले से जानकारी है। माननीय अनिल राजभर जी ने पढ़ा है, वह विधान सभा की लाईब्रेरी में जाकर पढ़ते हैं इसीलिये उनको जानकारी है।

(सत्तापक्ष द्वारा मेजों की थपथपाहट)

श्री सुखदेव राजभर-

आप कृपया बैठें। माननीय अध्यक्ष जी, हम पहली बार नहीं कहते, सभी जो पहली बार माननीय सदस्य हैं उनके प्रति हमारी शुभकामनाएं हैं और वह भाग्यशाली हैं कि इस मण्डप में आए हैं और मैं तो कह रहा हूँ कि बराबर आते रहें। इस पर हमको कहीं कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति इस पर है कि जब इन्होंने सीधे कह दिया कि सुखदेव राजभर के खड़ा होने का मतलब केवल आपने बहुजन समाज पार्टी से मापदण्ड किया। मैं तो समाज की पीड़ा रख रहा था, लेकिन उन्होंने सीधे आरोप लगा दिया कि बहुजन समाज पार्टी ने बराबर विरोध किया है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा सुश्री बहन कुमारी मायावती दो घंटा राज्यसभा में बोलीं थी, उन्हीं के कारण तो शामिल किया गया और शामिल करने के साथ-साथ थोड़ा कोटा भी बढ़ा दिया गया। फिर परिषद् में आया और जब हम परिषद् में थे तो पूर्व गवर्नमेंट ने समर्थन

दिया कि भेज दिया जाए, अब सेन्ट्रल गवर्नमेंट जो चाहेगी वह निर्णय लेगी, रजिस्ट्रार जनरल पार्लियामेंट के अन्दर भेजेगा और वहाँ जो निर्णय हो। आज हम लोग इस शासनादेश जो आपकी ही सरकार में जारी हुआ है, चलिये मैं इतना भी आपको पुरस्कृत करता हूँ आपको सम्मानित करता हूँ, उस पर हम लोग बल दे रहे हैं कि इसकी तात्कालिकता है। यहाँ पर केवल कोई एक मंच नहीं है कि राजभर वोट किधर जायेगा, किधर नहीं जायेगा, वह सब जा रहा है जिधर जाना है। यहाँ पर खड़े होकर इसे एक पॉलिटिकल फोरम न बनाया जाए, मैं केवल मानवता के आधार पर बहस कर रहा हूँ, इसको राजनीतिक मंच न बनाया जाये। उस समाज में आप भी हैं और इसी समाज के समकक्ष तमाम जातियां भी हैं उनके अन्दर भी पीड़ा है वह भी चाह रही हैं चाहे वह लोधी हो अथवा कोई भी हो। आज हम लोगों ने इसलिए नोटिस दी है, आप जवाब देने के लिए खड़े हुए हैं। आप जरा बैठ जायें। अगर आप इतनी जल्दी-जल्दी खड़े होंगे तो फिर हम बैठेंगे ही नहीं।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायें, आप बैठ तो जाइये।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूँ। माननीय मंत्री जी आप आरोप-प्रत्यारोप मत लगायें। हम लोगों ने जो सूचना दी है उसमें किसी की नेतागीरी न घटेगी न बढ़ेगी। इसमें न हमारी नेतागीरी चमक जायेगी और न आपकी नेतागीरी चमक जायेगी। हम चाहते हैं कि बस समाज चमक जाये।

श्री अध्यक्ष-

आप कितनी देर बोलेंगे ?

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय मंत्री जी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि अगर आपको कुछ कहना है, भारत सरकार को सन्दर्भित करना चाहते हैं तो इस सदन में कह दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

अब आप उनको अपनी बात कहने दीजिए।

श्री अनिल राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, बड़े स्पष्ट तौर पर तमाम मर्यादित चीजों का उल्लेख माननीय सुखदेव राजभर जी ने किया है और आपने भी पीठ से समझाने का प्रयास किया कि यह उत्तर प्रदेश के इस सदन का विषय नहीं है, उत्तर प्रदेश की सरकार का विषय नहीं है। मैं जो जवाब लेकर आया हूँ एक-एक लाईन पढ़ रहा हूँ उससे जो सरकार के लोग हैं, जो हमारी पार्टी के लोग हैं इस विषय के प्रति कितना संवेदनशील हैं, यह अंदाजा आपको लग जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप पढ़िये।

श्री अनिल राजभर-

उक्त के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि भर/राजभर को (सत्ता पक्ष के किसी सदस्य द्वारा कहा गया कि मोबाइल से रिकॉर्डिंग की जा रही है)

(सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, इनको रोक दीजिए, इनका जवाब आ जाने दीजिए।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

माननीय अध्यक्ष जी, यह व्यवस्था का प्रश्न है। अभी सदन के भीतर दो ऐसी घटनायें हुई हैं जिसके ऊपर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ। किसी माननीय मंत्री को, किसी माननीय सदस्य को यह कहा गया कि आप चलिये तो वहाँ पर आपकी कटाई-दवाई होती है। यह दवाई और कटाई किस संसदीय भाषा का शब्द है, यह कितना मर्यादित है, क्या इस सदन के भीतर इस भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए ? क्या एक मंत्री के साथ इस तरीके का बर्ताव किया जाना चाहिए ? और तकलीफ तो इस बात की है कि एक युवा राजनेता श्री अनिल राजभर को मंत्री परिषद् में कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल गया, इससे लोगों को परेशानी हो रही है और दूसरा विषय है कि क्या सदन के भीतर कोई भी माननीय सदस्य अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर सकता है ? वीडियोग्राफी या रिकॉर्डिग कर सकता है ? और यदि नहीं कर सकता है, तो माननीय अध्यक्ष जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके लिए प्रताड़ना किया जाना चाहिए। मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

हमारे कार्यालय द्वारा, प्रमुख सचिव, विधान सभा द्वारा तथा मेरी तरफ से यह बार-बार कहा गया है कि यहाँ पर मोबाइल नहीं चलाया जाना चाहिए और यदि कोई चला रहा था मेरी जानकारी में नहीं है तो मैं उससे अनुरोध करता हूँ कि बाहर जाकर अपना मोबाइल रख आयें। यहाँ पर इस तरह की कोई रिकॉर्डिंग, फोटो और मोबाइल से वार्ता न करें, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, अभी जिस बात का जिक्र किया गया है उसको कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, उसको निकाल देंगे।

श्री अनिल राजभर-

मा0 अध्यक्ष जी मैंने कल कहा कि एक अजब तरीके की प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश में चल रही है। नियम-56 में एक ही विषय से सम्बन्धित कई सूचनायें आपके पास रोज आ रही

हैं। अब मैं जवाब पर आ रहा हूँ। उक्त के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि भर/राजभर को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित करने हेतु परीक्षण कराकर आवश्यक कार्यवाही करने के सन्दर्भ में श्री मुकुट बिहारी वर्मा जी जो सहकारिता के माननीय मंत्री हैं, के पत्र दिनांक 24-12-2018 के साथ श्री अशोक राजभर जी जो आम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं, हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं और अखिल भारतीय राजभर महासभा के वह प्रदेश के महामंत्री भी हैं। अखिल भारतीय संगठन के भी पदाधिकारी हैं, के पत्र की प्रति संलग्न कर आई0जी0आर0एस0 के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध किया, जिसके क्रम में निदेशक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा दिनांक 18-02-2019 को उपलब्ध करायी गयी आख्या में यह उल्लेख किया गया कि सम्प्रति व्यवस्था अनुसार संविधान के अनुच्छेद-342(1) तथा 341(1) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति की घोषणाओं के बारे में अधिसूचना भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति के आदेश से ही जारी हो सकती है। अर्थात राज्य स्तर पर जनजाति/जाति सम्बन्धी किसी भी प्रकार की अधिसूचना नहीं की जा सकती है। इस सम्बन्ध में किसी कार्यवाही/आदेश को भी मान्यता नहीं होगी। यह हमारा स्पष्ट उत्तर है और इसमें यह कहा गया है कि लोग धरनारत मान्यवर, मैं कल की बात परसों की बात नरसों की बात इस महीने की बात पिछले छः महीने में अगर इस विषय पर पूरे उत्तर प्रदेश में कहां धरना हुआ होगा, आप दिखवा लें। हाँ जब हम लोगों को विमुक्ति जाति का प्रमाण पत्र जिसकी चर्चा कर रहे हैं ये जब हम लोगों को जारी हुआ करता था, आज फिर से जारी हुआ है हमारी सरकार में लेकिन हमारे माननीय सुखदेव राजभर जी की जब सरकार चल रही थी उस समय रोक दिया गया था। उस समय के मेरे पास प्रमाण हैं जब राजभर समाज के नौजवान तमाम तहसीलों पर अपना प्रमाण पत्र बनवाने के लिए धरना दे रहे थे इसलिए कहीं से भी ग्राह्यता की इस पर बात नहीं है और मैं बहुत अदब के साथ सम्मान के साथ और एक चीज मुझे थोड़ा तकलीफ है उस बात को आपके सामने कहना चाहता हूँ। मान्यवर, आप हमारे अभिभावक हैं असली नकली की बात चलाई 2019 बीत गया लोकसभा का चुनाव मान्यवर, कुछ नेता शपथ खाते हैं मीडिया के सामने की भाजपा एक भी सीट पूर्वान्चल में जीत जायेगी तो हम राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। 2019 बीत गया और पता नहीं कि कौन असली है कौन नकली है और अभी उत्तर प्रदेश की धरती पर उप चुनाव हुए विधानसभाओं के विजय राजभर हमारा छोटा भाई जीता और अभी पता नहीं लग रहा है कि कौन असली है कौन नकली है। इसलिए हम लोग मर्यादा में रहकर हम लोग बात करना चाहते हैं, हमारे संस्कार ऐसे हैं। इसलिए बहुत सम्मान पूर्वक मैं निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, विमुक्ति जाति का प्रमाण पत्र जारी करने में तीन बार शासनादेश हम लोग लेकर आये समाज कल्याण में। हम तो जन-जाति की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि विमुक्ति जाति हमारे हैं और प्रमाण पत्र तीन बार मिला है, इनकी सरकार में देखा गया

है इसलिए मान्यवर, यह पूरा सिद्ध हो गया कि यह सरकार राजभर विरोधी है और एक मंत्री को खड़ा कर राजभरों का और विरोध करा दिया इसके लिए हम सदन से बहिष्कार करते हैं।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

मैं और मेरा दल भी इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री सुखदेव राजभर एवं श्री ओम प्रकाश राजभर ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन किया।)

[02:16] कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन की कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

अब हम कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशें लेते हैं। उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 27 फरवरी, 2020 की बैठक में विधानसभा के दिनांक 28 फरवरी, 2020 से दिनांक 07 मार्च 2020 तक सदन के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं-

1-दिनांक 28 फरवरी, 2020 को उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020 के विचार एवं पारण सम्बन्धी मदें ले ली जायें।

2-शेष कार्यक्रम यथावत् रहेगा।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से सदन सहमत हैं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मत स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

अब मैं अनुपूरक कार्य सूची लेता हूँ।

उत्तर प्रदेश पुलिस और फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय विधेयक, 2020 †

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश पुलिस और फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

---

† दिनांक 12 मार्च, 2020 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस और फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश पुलिस और फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 †

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2020 †

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करता हूँ।

---

† दिनांक 12 मार्च, 2020 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

व्यवसाय संघ (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 †

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से व्यवसाय संघ (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि व्यवसाय संघ (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से व्यवसाय संघ (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करता हूँ।

राज्य आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2020 †

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि राज्य आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करता हूँ।

सदन में आज पुरःस्थापित हुए विधेयकों के विचार एवं पारण सम्बन्धी मदें आज ही लिये जाने विषयक का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

सदन यदि सहमत हो तो निम्नलिखित विधेयक जो सदन में आज पुरःस्थापित हुए हैं उनके विचार एवं पारण सम्बन्धी मदें आज ही ले ली जायं :-

1-व्यवसाय संघ (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020,

2-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020,

3-राज्य आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2020,

4-उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2020,

5-उत्तर प्रदेश पुलिस और फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय विधेयक, 2020 ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, हमने तो कुछ सुना नहीं जो आपने कहा है।

श्री अध्यक्ष-

यह पांच विधेयक हैं जो अभी पुरःस्थापित हुये हैं और अभी इनको ले रहे हैं।

***श्री राम गोविन्द चौधरी**-

मान्यवर, यह सब इतना जल्दी क्यों हो रहा है और हम लोगों ने प्रवर समिति का प्रस्ताव भी नहीं दिया है। इसमें क्या जल्दी है। जब 7 मार्च तक सदन चलना है और कानून बनाने के लिए हम लोग चुनकर आते हैं तथा कानून पर यहाँ बहस न हो और बिना बहस के यह पास हो जाए तो फिर हम लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं ? कानून पर ही जब चर्चा न हो तो किस पर चर्चा हो ? मान्यवर, इस पर हम लोगों का विरोध है इस पर प्रवर समिति का प्रस्ताव हम लोग दे देंगे। प्रवर समिति के प्रस्ताव पर आप चर्चा कराइए। उसके बाद आगे इस पर विचार होगा। यह अभी पेश हुआ है और पास, यह तो कभी हुआ ही नहीं।

***वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)**-

मान्यवर, जैसा कि माननीय नेता विपक्ष को, माननीय नेता बसपा को, माननीय नेता कांग्रेस को, माननीय नेता सुहेलदेव राजभर जी को सभी लोगों को इस बात के लिए बता भी दिया है कि आज सभी मदें एक साथ लेना चाहते हैं। मान्यवर, पूरा एजेण्डा, सारी अनुदान की मांगे, सारे विधेयक माननीय नेता विरोधी दल बहुत पुराने सदस्य हैं और इन्होंने बहुत सी बढ़ियां-बढ़ियां परम्पराएं डाली हैं। मान्यवर, हम उन परम्पराओं का कोई जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि उससे सदन का समय और ज्यादा खराब होगा इसलिए मेरा आपसे प्रस्ताव है और मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि बिल चाहे बाद में ले लिया जाए और मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि- दिनांक 28 फरवरी, 2020 से 7 मार्च, 2020 तक की जो अनुदान मागें हैं उनको समेकित रूप से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 के संगत प्रावधानों को शिथिल करते हुए समस्त मदें विचार एवं मतदान हेतु आज ही ले ली जाएं।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजें थपथपाई गईं।)

मान्यवर, मेरा जो प्रस्ताव है आप चाहें तो मतदान करवा लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, कुछ हम गरीबों की भी सुन लीजिए। आपकी हर बात मान्य है और आप जो कहते हैं उस बात पर अड़े क्यों नहीं रहते हैं। आपने जो-जो कहा विपक्ष ने मान लिया, लेकिन आप अपनी बात को क्यों पलट दे रहे है ? मान्यवर, कल आपके सामने इस बात की चर्चा हो रही थी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने हंसकर ही कहा हमको और वर्मा जी को सम्बोधित करके कि आप लोगों के विरोध के कारण हम गृह विभाग कल नहीं ला रहे हैं तो हम लोगों को आशा हो गई कि गृह विभाग अन्तिम बजट होता है इसलिए 7 मार्च तक सदन चलेगा। मैंने आपके सामने पूछा भी कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री सदन चलेगा कि नहीं चलेगा ? फिर मैंने कहा कि 28 फरवरी को सदन बन्द करेंगे क्या ?

श्री अध्यक्ष-

आपकी और इनकी कुछ अलग बातें भी होती हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

हाँ-हाँ, ना-ना । अध्यक्ष जी, हम तो मान लेते हैं लेकिन खुद जो कहते हैं उसी को पलट जाते हैं। हम लोग सदन चलाना चाहते हैं। श्रीमन् आप भी चाहते हैं और हमको यह भी उम्मीद है कि अन्दर से संसदीय कार्य मंत्री भी चलाना चाहते हैं। आप चाहते हैं, आप चाहते हैं, हम चाहते हैं तो फिर अध्यक्ष जी, किसके कारण से नहीं चल रही है। मा0 अध्यक्ष जी, जो-जो सरकार ने कहा विपक्ष ने उसको माना, लेकिन सरकार जो कही वह खुद नहीं मानी। संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि कल गृह मंत्रालय का नहीं रहेगा। गृह मंत्रालय पर हम ही को संशोधन देना था। हम नहीं दिये। और एजेण्डे में गृह मंत्रालय का आ गया है। तो अध्यक्ष जी, आप चाहते हैं कि सदन चले, हम चाहते हैं कि सदन चले, बहुजन समाज पार्टी चाहती है कि सदन चले, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सदन चले, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चाहती है कि सदन चले। और सत्तापक्ष के 99 प्रतिशत सदस्य चाहते हैं कि सदन चले। संसदीय कार्य मंत्री खुद चाहते हैं कि सदन चले। तो मैं जानना चाहता हूँ कि किसके कारण से सदन नहीं चल रहा है। कौन वह व्यक्ति है जो सब पर भारी है।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ। प्रश्न यह है कि दिनांक 28 फरवरी, 2020 से दिनांक 07 मार्च, 2020 तक की जो अनुदान मांगें हैं उनको (समेकित रूप से) उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958, के संगत प्राविधानों को शिथिल करते हुए समस्त मदें विचार एवं मतदान हेतु आज ही ले ली जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, हम लोग सदन चलाना चाहते हैं। और विपक्ष के एक भी सवाल का जवाब सरकार के पास नहीं है। उसके बावजूद भी हम लोग चाहते हैं कि सदन चले। हम लोग

कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन सदन चले। हम लोग मुँह पट्टी से बन्द करे ले रहे हैं। लेकिन सदन सात तारीख तक चले। हम लोग हंगामा नहीं करेंगे केवल समस्या रखेंगे, लेकिन सदन चले।

(समाजवादी पार्टी के सभी मा0 सदस्यों ने अपने-अपने मुँह पर मास्क पहन लिया)

वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर अनुदान संख्या-01 लगायत 12, 15 लगायत 31, 33 लगायत 34, 37 लगायत 53, 59 लगायत 63, 65 लगायत 87, 89, 91 लगायत 92 तथा 94 लगायत 95

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 01 लगायत 12, 15 लगायत 31, 33 लगायत 34, 37 लगायत 53, 59 लगायत 63, 65 लगायत 87, 89, 91 लगायत 92 तथा 94 लगायत 95 के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये तीन लाख बासठ हजार एक सौ उनहत्तर करोड़ तिरपन लाख बत्तीस हजार (रुपये-3,62,169,53,32,000) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-01-आबकारी विभाग

अनुदान संख्या-01-आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 3201024000 रुपये (तीन सौ बीस करोड़ दस लाख चौबीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-02-आवास विभाग

अनुदान संख्या-02-आवास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 23866415000 रुपये (दो हजार तीन सौ छियासी करोड़ चौंसठ लाख पन्द्रह हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)

अनुदान संख्या-03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 6438482000 रुपये (छः सौ तैंतालीस करोड़ चौरासी लाख बयासी हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-04-उद्योग विभाग (खानें और खनिज)

अनुदान संख्या-04-उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 568498000 रुपये (छप्पन करोड़ चौरासी लाख अट्ठानवे हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-05-उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)

अनुदान संख्या-05-उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 1079851000 रुपये (एक सौ सात करोड़ अट्ठानवे लाख इक्यावन हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-06-उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

अनुदान संख्या-06-उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 2465427000 रुपये (दो सौ छियालीस करोड़ चौवन लाख सत्ताइस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 74769875000 रुपये (सात हजार चार सौ छियत्तर करोड़ अट्ठानवे लाख पचहत्तर हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-08-उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन-सामग्री)

अनुदान संख्या-08-उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन-सामग्री) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 2270570000 रुपये (दो सौ सत्ताईस करोड़ पाँच लाख सत्तर हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-09-ऊर्जा विभाग

अनुदान संख्या-09-ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 250419040000 रुपये (पच्चीस हजार इकतालीस करोड़ नब्बे लाख चालीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)

अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 7902908000 रुपये (सात सौ नब्बे करोड़ उन्तीस लाख आठ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 61760700000 रुपये (छः हजार एक सौ छिहत्तर करोड़ सात लाख रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)

अनुदान संख्या-12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 7912204000 रुपये (सात सौ इक्यान्वे करोड़ बाइस लाख चार हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

अनुदान संख्या-15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 20107984000 रुपये (दो हजार दस करोड़ उन्यासी लाख चौरासी हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)

अनुदान संख्या-16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 2028758000 रुपये (दो सौ दो करोड़ सत्तासी लाख अट्ठावन हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)

अनुदान संख्या-17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 1922734000 रुपये (एक सौ बानवे करोड़ सत्ताईस लाख चौंतीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

अनुदान संख्या-18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 8210581000 रुपये (आठ सौ इक्कीस करोड़ पांच लाख इक्यासी हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-19-कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)

अनुदान संख्या-19-कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 107013000 रुपये (दस करोड़ सत्तर लाख तेरह हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-20-कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)

अनुदान संख्या-20-कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 1171835000 रुपये (एक सौ सत्रह करोड़ अठारह लाख पैंतीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-21-खाद्य तथा रसद विभाग

अनुदान संख्या-21-खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 163771883000 रुपये (सोलह हजार तीन सौ सतहत्तर करोड़ अठारह लाख तिरासी हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-22-खेल विभाग

अनुदान संख्या-22-खेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 2161004000 रुपये (दो सौ सोलह करोड़ दस लाख चार हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-23-गन्ना विकास विभाग (गन्ना)

अनुदान संख्या-23-गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 2909639000 रुपये (दो सौ नब्बे करोड़ छियान्नवे लाख उन्तालीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

अनुदान संख्या-24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 7010108000 रुपये (सात सौ एक करोड़ एक लाख आठ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-25-गृह विभाग (कारागार)

अनुदान संख्या-25-गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 11255109000 रुपये (एक हजार एक सौ पच्चीस करोड़ इक्यावन लाख नौ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस)

अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 272857419000 रुपये (सत्ताईस हजार दो सौ पचासी करोड़ चौहत्तर लाख उन्नीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)

अनुदान संख्या-27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 215543000 रुपये (इक्कीस करोड़ पचपन लाख तैंतालीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-28-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)

अनुदान संख्या-28-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 3649177000 रुपये (तीन सौ चौंसठ करोड़ इक्यानवे लाख सतहत्तर हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-30-गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)

अनुदान संख्या-30-गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए,

67745000 रुपये (छः करोड़ सतहत्तर लाख पैंतालीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 64602168000 रुपये (छः हजार चार सौ साठ करोड़ इक्कीस लाख अड़सठ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-33-चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)

अनुदान संख्या-33-चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 12719262000 रुपये (एक हजार दो सौ इकहत्तर करोड़ बानवे लाख बासठ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)

अनुदान संख्या-34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 5466552000 रुपये (पांच सौ छियालीस करोड़ पैंसठ लाख बावन हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग

अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए लिए, 182114045000 रुपये (अठारह हजार दो सौ ग्यारह करोड़ चालीस लाख पैंतालीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-38-नागरिक उड्डयन विभाग

अनुदान संख्या-38-नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 27516574000 रुपये (दो हजार सात सौ इक्यावन करोड़ पैंसठ लाख चौहत्तर हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-39-भाषा विभाग

अनुदान संख्या-39-भाषा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 466457000 रुपये (छियालीस करोड़ चौसठ लाख सत्तावन हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-40-नियोजन विभाग

अनुदान संख्या-40-नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 18466877000 रुपये (एक हजार आठ सौ छियालीस करोड़ अड़सठ लाख सतहत्तर हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-41-निर्वाचन विभाग

अनुदान संख्या-41-निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 1954239000 रुपये (एक सौ पंचानवे करोड़ बयालीस लाख उन्तालीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-42-न्याय विभाग

अनुदान संख्या-42-न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 47372772000 रुपये (चार हजार सात सौ सैंतीस करोड़ सत्ताईस लाख बहत्तर हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-43-परिवहन विभाग

अनुदान संख्या-43-परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 3717466000 रुपये (तीन सौ इकहत्तर करोड़ चौहत्तर लाख छियासठ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-44-पर्यटन विभाग

अनुदान संख्या-44-पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 10382037000 रुपये (एक हजार अड़तीस करोड़ बीस लाख सैंतीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-45-पर्यावरण विभाग

अनुदान संख्या-45-पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 141596000 रुपये (चौदह करोड़ पन्द्रह लाख छियानवे हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-46-प्रशासानिक सुधार विभाग

अनुदान संख्या-46-प्रशासानिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 224811000 रुपये (बाईस करोड़ अड़तालीस लाख ग्यारह हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-47-प्राविधिक शिक्षा विभाग

अनुदान संख्या-47-प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 6746030000 रुपये (छः सौ चौहत्तर करोड़ साठ लाख तीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-48-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

अनुदान संख्या-48-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 31592489000 रुपये (तीन हजार एक सौ उनसठ करोड़ चौबीस लाख नवासी हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग

अनुदान संख्या-49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 96909408000 रुपये (नौ हजार छः सौ नब्बे करोड़ चौरानवे लाख आठ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-50-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)

अनुदान संख्या-50-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 12946391000 रुपये (एक हजार दो सौ चौरानवे करोड़ तिरसठ लाख इक्यानवे हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-51-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)

अनुदान संख्या-51-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 36259162000 रुपये (तीन हजार छः सौ पच्चीस करोड़ इक्यानवे लाख बासठ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)

अनुदान संख्या-52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 44635203000रुपये (चार हजार चार सौ तिरसठ करोड़ बावन लाख तीन हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-53-राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

अनुदान संख्या-53-राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 16840000 रुपये (एक करोड़ अड़सठ लाख चालीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

अनुदान संख्या-59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 4122011000 रुपये (चार सौ बारह करोड़ बीस लाख ग्यारह हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-60-वन विभाग

अनुदान संख्या-60-वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 13697470000 रुपये (एक हजार तीन सौ उनहत्तर करोड़ चौहत्तर लाख सत्तर हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-61-वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

अनुदान संख्या-61-वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 162392467000 रुपये

(सोलह हजार दो सौ उनतालीस करोड़ चौबीस लाख सड़सठ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-62-वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)

अनुदान संख्या-62-वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 565551106000 रुपये (छप्पन हजार पांच सौ पचपन करोड़ ग्यारह लाख छः हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-63-वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

अनुदान संख्या-63-वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 3044913000 रुपये (तीन सौ चार करोड़ उनचास लाख तेरह हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-65-वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)

अनुदान संख्या-65-वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 3482337000 रुपये (तीन सौ अड़तालीस करोड़ तेईस लाख सैंतीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-66-वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)

अनुदान संख्या-66-वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 271196000 रुपये (सत्ताईस करोड़ ग्यारह लाख छियानवे हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-67-विधान परिषद् सचिवालय

अनुदान संख्या-67-विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 795968000 रुपये (उन्यासी करोड़ उनसठ लाख अड़सठ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-68-विधान सभा सचिवालय

अनुदान संख्या-68-विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 2211921000 रुपये (दो सौ इक्कीस करोड़ उन्नीस लाख इक्कीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-69-व्यावसायिक शिक्षा विभाग

अनुदान संख्या-69-व्यावसायिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 10835557000 रुपये (एक हजार तिरासी करोड़ पचपन लाख सत्तावन हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

अनुदान संख्या-70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 5381361000 रुपये (पांच सौ अड़तीस करोड़ तेरह लाख इकसठ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)

अनुदान संख्या-71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 550645519000 रुपये (पचपन हजार चौसठ करोड़ पचपन लाख उन्नीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

अनुदान संख्या-72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 129889053000 रुपये (बारह हजार नौ सौ अट्ठासी करोड़ नब्बे लाख तिरपन हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-73-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

अनुदान संख्या-73-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 36516693000 रुपये (तीन हजार छः सौ इक्यावन करोड़ छियासठ लाख तिरानवे हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-74-गृह विभाग (होमगार्ड्स)

अनुदान संख्या-74-गृह विभाग (होमगार्ड्स) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 22136039000 रुपये (दो हजार दो सौ तेरह करोड़ साठ लाख उनतालीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)

अनुदान संख्या-75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 2202118000 रुपये (दो सौ बीस करोड़ इक्कीस लाख अट्ठारह हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-76-श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

अनुदान संख्या-76-श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 6617843000 रुपये (छः सौ इकसठ करोड़ अठहत्तर लाख तैंतालीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-77-श्रम विभाग (सेवायोजन)

अनुदान संख्या-77-श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 1231214000 रुपये (एक सौ तेईस करोड़ बारह लाख चौदह हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-78-सचिवालय प्रशासन विभाग

अनुदान संख्या-78-सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 11665872000 रुपये (एक हजार एक सौ छियासठ करोड़ अट्ठावन लाख बहत्तर हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-79-समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)

अनुदान संख्या-79-समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 26710804000 रुपये (दो हजार छः सौ इकहत्तर करोड़ आठ लाख चार हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-80-समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)

अनुदान संख्या-80-समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 48461442000 रुपये (चार हजार आठ सौ छियालीस करोड़ चौदह लाख बयालीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

अनुदान संख्या-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 11959715000 रुपये (एक हजार एक सौ पंचानवे करोड़ सत्तानवे लाख पन्द्रह हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-82-सतर्कता विभाग

अनुदान संख्या-82-सतर्कता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 814814000 रुपये (इक्यासी करोड़ अड़तालीस लाख चौदह हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)

अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 261639458000 रुपये (छब्बीस हजार एक सौ तिरसठ करोड़ चौरानवे लाख अट्ठावन हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग

अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 2928512000 रुपये (दो सौ बानवे करोड़ पचासी लाख बारह हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-85-सार्वजनिक उद्यम विभाग

अनुदान संख्या-85-सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 68102000 रुपये (छः करोड़ इक्यासी लाख दो हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग

अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 4737116000 रुपये (चार सौ तिहत्तर करोड़ इकहत्तर लाख सोलह हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-87-सैनिक कल्याण विभाग

अनुदान संख्या-87-सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 746933000 रुपये (चौहत्तर करोड़ उनहत्तर लाख तैंतीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-89-संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)

अनुदान संख्या-89-संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 11140317000 रुपये (एक हजार एक सौ चौदह करोड़ तीन लाख सत्रह हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-91-संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

अनुदान संख्या-91-संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 4039588000 रुपये (चार सौ तीन करोड़ पंचानवे लाख अट्ठासी हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-92-संस्कृति विभाग

अनुदान संख्या-92-संस्कृति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 1730575000 रुपये (एक सौ तिहत्तर करोड़ पांच लाख पचहत्तर हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

अनुदान संख्या-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 117863838000 रुपये (ग्यारह हजार सात सौ छियासी करोड़ अड़तीस लाख अड़तीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-95-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)

अनुदान संख्या-95-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, 51811555000 रुपये (पांच हजार एक सौ इक्यासी करोड़ पन्द्रह लाख पचपन हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदानों की समेकित मांग का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(श्री लाल जी वर्मा के अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर।)

श्री अध्यक्ष-

अब मैं यह पढ़ लूं।

***श्री लाल जी वर्मा-**

मान्यवर, हम चर्चा करना चाहें तो कैसे रोक देंगे ?

श्री अध्यक्ष-

इसको पढ़ लें ताकि प्रस्ताव आ जाए।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मेरा कटौती का प्रस्ताव आ जाए।

***श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

मान्यवर, हमने प्रस्ताव रखा है, आप चाहें तो मतदान करा लें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-01 लगायत 12, 15 लगायत 31, 33 लगायत 34, 37 लगायत 53, 59 लगायत 63, 65 लगायत 87, 89, 91 लगायत 92 तथा 94 लगायत 95 के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये तीन लाख बासठ हजार एक सौ उनहत्तर करोड़ तिरपन लाख बत्तीस हजार (रुपये 3,62,169,53,32,000) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

***श्री लाल जी वर्मा-**

मान्यवर, यहाँ पर मा0 मुख्य मंत्री जी ने चर्चा की थी और मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा था हम चाहते हैं कि सदन में चर्चा हो और एक-एक बिन्दु पर चर्चा हो। हम चर्चा से भाग नहीं रहे हैं, हम चर्चा करना चाहते हैं। आप तमाम वर्षों के सदन का इतिहास उठाकर देख लें कि जितना इस बार विपक्ष का सहयोग हुआ है शायद ही आपको कभी दिखाई पड़ेगा। उसके बाद कल कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक हुई और उसमें कहा गया कि सदन 07 मार्च तक चलेगा। एक साथ सभी विभागों के बजट को लाकर, हमारा जो कटौती का अधिकर है उसको भी पूरा नहीं करने दिया गया, उस पर भी चर्चा नहीं करने दी गयी। सरकार जनता के प्रति जवाबदेही से भागना चाहती है, सरकार लोकतांत्रिक मर्यादा का पालन नहीं कर रही है। मा0 मुख्य मंत्री जी ने सदन में बार-बार कहा है कि हम एक-एक बिन्दु पर व्यवस्थित ढंग से, मर्यादित ढंग से और संविधान के नियमों के तहत चर्चा कराने को तैयार हैं। हमारी नियमावली

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में है कि 24 दिन से कम अनुदान मांगों पर चर्चा नहीं करेंगे। एक-एक अनुदान पर चर्चा करने के लिए कम-से-कम 24 दिन का समय होना चाहिए और ऐसी कौन-सी आकस्मिक परिस्थितियां आ गई, ऐसी कौन-सी आपातकालीन स्थिति आ गई जिसके कारण यह सरकार इस चर्चा से भागना चाह रही है, सरकार जनता को वास्तविक जवाब नही देना चाहती है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, हम उन बातों को दोहराना नहीं चाहते हैं जो सदन में पहले आ चुकी हैं। दोनों लोगों का इतिहास है। आप इतिहस बनाने वाले हैं और इतिहास का अनुकरण करने वाले हैं। दिनांक 11 मार्च, 1990 एवं 12 मार्च, 1990 की कार्यवाही देख ली जाए। मान्यवर, वर्ष 2009 में बसपा सरकार ने इतिहास बनाया कि मात्र 13 दिनों में पूरा साल गवां दिया।

(संसदीय कार्य मंत्री, श्री लाल जी वर्मा एवं श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, हम खड़े हैं और मा0 मंत्री जी खड़े हो गये हैं, इस तरह से चलेगा तो यह उचित नहीं है। आपने मुझे खड़ा किया और मैं अपनी बात रख रहा हूँ और बीच में मा0 मंत्री जी का खड़ा हो जाना वाजिब नहीं है। बहुमत के अहंकार में संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा को धूमिल किया जा रहा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आपने यहीं खड़े होकर एक से लेकर सारी अनुदान मदों का बजट पास करवाया था। यह इतिहास को स्थापित करने वाले हैं और यह उस इतिहास का अनुकरण करने वाले हैं। आज तो अनवरत रूप से बहुत तरीके का वायरस फैल रहा है। खुद समाजवादी पार्टी वायरस फैला रही है, इनसे पूरे समाज के लोगों को खतरा है और मुँह पर पट्टी बांध रखी है।

[2:59] उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2020

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2020, पर विचार किया जाय।

***श्री लाल जी वर्मा-**

मान्यवर, सरकार के इस अलोकतांत्रिक कदम के खिलाफ मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करता है।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गये)

***श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-**

माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से सदन की कार्यवाही को गलत तरीके से रोककर मदें लाई जा रही हैं, बजट को जबरदस्ती संख्याबल के आधार पर पास कराया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी इसका घोर विरोध करती है और सदन से बहिर्गमन करती है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता ने अपने सदस्यों के दल सहित सदन से बहिर्गमन कर गयी)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2020, पर विचार किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक अनुसूची खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2020

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

31 मार्च, 2021 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2020 कहा जायेगा। — संक्षिप्त नाम

2-ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग 544571,19,89,000 रुपये (रुपये पांच लाख चौवालीस हजार पांच सौ इकहत्तर करोड़ उन्नीस लाख नवासी हजार मात्र) होता है, अधिक न हो। — उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 2020-2021 के लिए 544571,19,89,000 रुपये का निकाला जाना

3-इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्ही सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये गये हैं। — विनियोग

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3		
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
क्रम. संख्या			(लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
01	आबकारी विभाग	राजस्व : पूंजी :	31860.24 150.00	... ...	31860.24 150.00
02	आवास विभाग	राजस्व : पूंजी :	45712.15 192952.00	*24.67* *153.84*	45736.82 193105.84
03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व : पूंजी :	61597.21 2787.61	*6.00* ...	61603.21 2787.61
04	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व : पूंजी :	5279.98 405.00	... ...	5279.98 405.00
05	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	राजस्व :	10798.51	...	10798.51
06	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व : पूंजी :	24544.27 110.00	... ...	24544.27 110.00
07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व : पूंजी :	187197.68 560501.07	... ...	187197.68 560501.07
08	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन.सामग्री)	राजस्व : पूंजी :	20121.75 2583.95	... ...	20121.75 2583.95
09	ऊर्जा विभाग	राजस्व : पूंजी :	1471981.03 1032209.37	433167.79 438089.43	1905148.82 1470298.80
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	राजस्व : पूंजी :	77177.64 1851.44	219.36 ...	77397.00 1851.44
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व : पूंजी :	564334.00 53273.00	20.05 ...	564354.05 53273.00
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	राजस्व :	79122.04	...	79122.04

1	2		3		
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्व : पूंजी :	388466.22 1643149.58	17.50 ...	388483.72 1643149.58
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व : पूंजी :	1811994.19 34093.59	... ...	1811994.19 34093.59
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व : पूंजी :	174969.87 26109.97	13.79 ...	174983.66 26109.97
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व : पूंजी :	12287.58 8000.00	... ...	12287.58 8000.00
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व : पूंजी :	19219.34 8.00	9.50 ...	19228.84 8.00
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व : पूंजी :	75312.80 6793.01	1451.75 2990.34	76764.55 9783.35
19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	1070.13	...	1070.13
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व : पूंजी :	11718.35 ...	8389.87 227.12	20108.22 227.12
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व : पूंजी :	45372.19 1592346.64	6.00 0.50	45378.19 1592347.14
22	खेल विभाग	राजस्व : पूंजी	13299.22 8310.82	... ...	13299.22 8310.82
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व : पूंजी :	23471.39 5625.00	2.00 ...	23473.39 5625.00
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व : पूंजी :	8576.08 61525.00	... ...	8576.08 61525.00
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व : पूंजी :	82368.62 30182.47	10.00 ...	82378.62 30182.47
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व : पूंजी :	2498187.09 230387.10	95.00 ...	2498282.09 230387.10
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व :	215543	...	215543
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व : पूंजी :	36441.77 50.00	... ...	36441.77 50.00

1	2		3		
*29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व :	...	2118.72	2118.72
30	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व : पूंजी	677.44 0.10	... ...	677.44 0.10
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व : पूंजी :	387085.42 258936.26	... ...	387085.42 258936.26
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व : पूंजी :	860907.78 62126.57	20.00 ...	860927.78 62126.57
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व : पूंजी :	122894.19 4298.43	... ...	122894.19 4298.43
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व : पूंजी :	51753.11 2912.41	... ...	51753.11 2912.41
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व : पूंजी :	642660.24 20283.21	35.00 ...	642695.24 20283.21
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व : पूंजी :	87305.63 2181.25	2.00 ...	87307.63 2181.25
37	नगर विकास विभाग	राजस्व : पूंजी :	1792563.45 28577.00	... ...	1792563.45 28577.00
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व : पूंजी :	14690.74 260475.00	... ...	14690.74 260475.00
39	भाषा विभाग	राजस्व :	4664.57	...	4664.57
40	नियोजन विभाग	राजस्व : पूंजी :	35248.77 149420.00	... ...	35248.77 149420.00
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व : पूंजी :	19542.37 0.02	... ...	19542.37 0.02
42	न्याय विभाग	राजस्व : पूंजी :	280282.77 193444.95	62493.34 650.00	342776.11 194094.95
43	परिवहन विभाग	राजस्व : पूंजी :	30906.44 6268.22	0.01 ...	30906.45 6268.22

* भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या।

1	2		3		
44	पर्यटन विभाग	राजस्व : पूंजी :	11649.99 92170.38	... ...	11649.99 92170.38
45	पर्यावरण विभाग	राजस्व :	1415.96	...	1415.96
46	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व : पूंजी :	2239.61 8.50	...	2239.61 8.50
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व : पूंजी :	49061.27 18399.03	... ...	49061.27 18399.03
48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व : पूंजी :	235144.18 80780.71	1.80 ...	235145.18 80780.71
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व : पूंजी :	953647.75 15446.33	5.00 ...	953652.75 15446.33
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व : पूंजी :	112711.55 16752.36	17.00 ...	112728.55 16752.36
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	राजस्व : पूंजी :	359591.62 4000.00	... ...	359591.62 4000.00
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व : पूंजी :	439780.38 6471.65	22.50 7.88	439802.88 6579.53
53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व :	168.40	...	168.40
54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व : पूंजी :	286289.85 54.48	4.00 ...	286293.85 54.48
55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	राजस्व : पूंजी :	10702.12 5214.04	673.76 70.00	11375.88 5284.04
56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	पूंजी :	35000.00	...	35000.00
57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	राजस्व : पूंजी :	57531.00 202200.00	... ...	57531.00 202200.00
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	राजस्व : पूंजी :	940718.50 1242826.00	5.00 2500.00	940723.50 1245326.00
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व : पूंजी :	29191.02 12029.09	... ...	29191.02 12029.09
60	वन विभाग	राजस्व :	90155.27 46819.43	13.70 ...	90168.27 46819.43

1	2		3		
		पूंजी :			
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व : पूंजी :	1603424.67 20500.00	5873066.00 3048501.23	7476490.67 3069001.23
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	राजस्व : पूंजी :	5645511.06 10000.00	238.31 ...	5645749.37 10000.00
63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व : पूंजी :	30279.13 170.00	... ...	30279.13 170.00
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)	राजस्व : पूंजी :	34308.37 515.00	... ...	34308.37 515.00
66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व :	*2711.96*	22910.15	25622.11
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व : पूंजी :	6607.99 1351.69	99.55 ...	6707.54 1351.69
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व : पूंजी :	21304.11 815.10	168.20 40.00	21472.31 855.10
69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	राजस्व : पूंजी :	90035.57 18320.00	... ...	90035.57 18320.00
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व : पूंजी :	52313.61 1500.00	... ...	52313.61 1500.00
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व : पूंजी :	5492910.07 13545.12	... ...	5492910.07 13545.12
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व : पूंजी :	1279582.03 19308.50	0.50 ...	1279582.53 19308.50
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व : पूंजी :	335142.41 30024.52	... ...	335142.41 30024.52
74	गृह विभाग (होमगार्ड्स)	राजस्व : पूंजी :	221139.78 220.61	... ...	221139.78 220.61
75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	राजस्व : पूंजी :	20561.95 1459.23	... ...	20561.95 1459.23
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व : पूंजी :	39145.43 27033.00	... ...	39145.43 27033.00
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व : पूंजी :	12282.69 29.45	... ...	12282.69 29.45

1	2		3		
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व : पूंजी :	115839.72 819.00	... ...	115839.72 819.00
79	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण) एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	राजस्व : पूंजी :	248678.50 18429.54	... ...	248678.50 18429.54
80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	राजस्व :	484614.42	...	484614.42
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व : पूंजी :	97068.73 22528.42	... ...	97068.73 22528.42
82	सतर्कता विभाग	राजस्व :	8148.14	808.59	8956.73
83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	राजस्व :	1774187.00	...	1774187.00
84	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व : पूंजी :	7279.12 22006.00	... ...	7279.12 22006.00
85	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व :	681.02	...	681.02
86	सूचना विभाग	राजस्व : पूंजी :	45270.16 2101.00	... ...	45270.16 2101.00
87	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व : पूंजी :	6889.33 580.00	... ...	6889.33 580.00
89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	राजस्व : पूंजी :	107803.17 3600.00	6545.50 ...	114348.67 3600.00
91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व : पूंजी :	40286.88 109.00	0.02 ...	40286.90 109.00
92	संस्कृति विभाग	राजस्व : पूंजी :	7423.01 9882.74	0.05 ...	7423.06 9882.74
94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व : पूंजी :	465641.99 712996.39	... 500.00	465641.99 713496.39

1	2		3		
95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	518115.55	50.00 ...	518165.55
	योग	राजस्व : पूंजी :	34510005.73 10040651.84	6412731.98 3493730.34	40922737.71 13534382.18
	महायोग :		**44550657.57**	**9906462.32**	**54457119.89**

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2020 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2020 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020

उद्यान, कृषि विपणन एवं कृषि निर्यात राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री श्रीराम चौहान)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-25 सन् 1964 की धारा-17क का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा-17क में, उपधारा (1) में खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिाित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

''(क) जहां राज्य सरकार अथवा यथाविहित प्राधिकारी की यह राय हो कि राज्य में औद्योगिक या कृषि प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहित करने और उक्त इकाइयों द्वारा कच्चे माल के रूप में प्रयोग किये जाने वार विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों के विपणन को

सम्प्रवर्तित करने के लिये लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, वहां वह ऐसे प्रपत्र में, जैसा कि विहित किया जाये, आवेदन करने पर अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, के अध्यधीन ऐसे विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद या उपायों पर अनधिक पांच वर्षों की अवधि, जैसा कि अधिसूचना में निनिर्दिष्ट की जाये, के लिये मण्डल शुल्क (विकास उपकर को छोड़कर) से छूट प्रदान कर सकती है जिन्हं ऐसी नवस्थापित कृषि प्रसंस्करण इकाइयों द्वारा उपयोग किया जा सकता है जो इस शर्त को पूरा करती हो कि उनके संयंत्र और मशीनरी की लागत पांच करोड़ रुपये से कम नहीं है।''

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, औद्योगिक या कृषि प्रसंस्करण इकाइयों के तैयार उत्पाद, जो कोई विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद हो और उसमें प्रयुक्त सामग्री कोई विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद न हो, पर मण्डी शुल्क (विकास उपकरण को छोड़कर) से छूट प्रदान कर सकती है।

धारा-19 का संशोधन

मूल अधिनियम की धारा-19 में, उपधारा (3) में, खण्ड (ग्यारह-क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

''(11-क) परिषद् द्वारा अनुमोदित पूर्व संस्थाओं या मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं को, पूर्व वित्तीय वर्ष में धारा-17 के खण्ड (5) के अधीन जुटाई गई धनराशि और सरकार द्वारा दिये गये अनुदानों को छोड़कर कुल प्राप्तियों के अधिकतम चार प्रतिशत तक वित्तीय सहायता।''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री श्रीराम चौहान-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक सांइस विश्वविद्यालय विधेयक, 2020

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक सांइस विश्वविद्यालय विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक सांइस विश्वविद्यालय विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-44 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइन्स विश्वविद्यालय विधेयक, 2020

उत्तर प्रदेश राज्य में उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइन्स विश्वविद्यालय नामक एक राज्य विश्वविद्यालय स्थापित एवं निगमित करने और उसमें सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय-1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

परिभाषायें

2–जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,-

(एक) ''**विद्या** परिषद'' का तात्पर्य धारा 24 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की विद्या परिषद से है;

(दो) "बोर्ड" का तात्पर्य धारा 20 के अधीन गठित विश्वविद्यालय के संचालक बोर्ड से है;

(तीन) "कुलाधिपति" का तात्पर्य धारा 9 में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय के कुलाधिपति से है;

(चार) "संकायाध्यक्ष" का तात्पर्य धारा 13 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष से है;

(**पाँच**) "निदेशक, अनुसंधान एवम् विकास" का तात्पर्य धारा 28 के उपबन्धों के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय के निदेशक, अनुसंधान एवम् विकास से है;

(छः) "महा-परिषद" का तात्पर्य धारा 16 के अधीन गठित विश्वविद्यालय का महापरिषद से है।

(सात)"निदेशक" का तात्पर्य धारा 29 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय के संस्थानों या केन्द्रों के निदेशकों से है;

(आठ) "कुलपति" का तात्पर्य धारा 10 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति से है;

(नौ) "वित्त समिति" का तात्पर्य धारा 26 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की वित्त समिति से है;

(दस) "विहित" का तात्पर्य विनियमावली द्वारा विहित से है;

(ग्यारह) "कुल सचिव" का तात्पर्य धारा 12 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय के कुल सचिव से है;

(बारह) वित्त अधिकारी का तात्पर्य धारा 14 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी से है;

(तेरह) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित एवम् निगमित उत्तर प्रदेश पुलिस और फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय से है।

अध्याय-दो

विश्वविद्यालय की स्थापना

विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन

3–(1) "उत्तर प्रदेश पुलिस और फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय" नामक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी;

(2) कुलपति, बोर्ड, विद्या परिषद, निदेशकगण, अनुसंधान एवं विकास का निदेशक, संकायाध्यक्ष, कुल सचिव, वित्त अधिकारी और अन्य समस्त व्यक्तियों, जो एतद्पश्चात पद या सदस्यता धारण किये जाने तक ऐसे अधिकारी तथा सदस्य होंगे, से उत्तर प्रदेश पुलिस और फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय नामक एक निकाय गठित किया जायेगा।

(3) उक्त विश्वविद्यालय पूर्वोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा।

विश्वविद्यालय का मुख्यालय

4–विश्वविद्यालय का मुख्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश में होगा।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

5–विश्वविद्यालय के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे:-

(एक) फोरेंसिक साइंस तथा आचार विज्ञान से सम्बन्धित विभिन्न **प्रौद्योगिकियों और** पुलिस व्यवस्था एवं फोरेंसिक साइंस तथा आचार विज्ञान के विकसित प्रौद्योगिकियों में विशेष रूप से अभिकल्पित शैक्षणिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, जिनमें फोरेंसिक साइंस सम्बन्धी तथा अन्य अनुप्रयोगों हेतु दोनों सैद्धान्तिक निवेश तथा व्यवहारिक प्रशिक्षण सम्मिलित हैं, का उपबन्ध करते हुए विज्ञान प्रौद्योगिकी का ज्ञान विकसित करना, अनुसंधान में तथा अपराधिक मामलों को सम्भालने में अपेक्षित विकसित प्रौद्योगिकियों में विशेषज्ञता उत्पन्न करना;

(दो) पुलिस व्यवस्था एवं फोरेंसिक साइंस, आचार विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन के क्षेत्रों में अभिनव शैक्षिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान प्रदान करने हेतु उत्कृष्ट केंद्रों तथा संस्थाओं का निर्माण करना;

(तीन) पुलिस व्यवस्था एवम् फोरेंसिक साइंस के क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर ज्ञान, कौशल तथा योग्यताओं को विकसित करने हेतु क्षमता सृजित करना;

(चार) पुलिस व्यवस्था एवम् फोरेंसिक साइंस, प्रौद्योगिकी, अपराध-विज्ञान एवम् अनुप्रयुक्त आचार विज्ञान से सम्बन्धित क्षेत्रों में शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान हेतु वैश्विक मानकों की अवसंरचना के उन्नयन हेतु क्षमता सृजित करना;

(पाँच) विभिन्न प्रकार की फोरेंसिक साइंस सम्बन्धी प्रौद्योगिकियों यथा डीएनए फ़िन्गरप्रिंट, मस्तिष्क फ़िन्गर प्रिंटिंग, दस्तावेज एवम् फ़ोटोग्राफ़ी, प्राक्षेपिकी, साइबर अपराध, स्वापक विश्लेषण पुलिस व्यवस्था,परीक्षण इत्यादि से सम्बंधित शैक्षिक उपलब्धि के विभिन्न स्तरों पर अध्यापन एवं प्रशिक्षण पद्धति विकसित करना;

(छः) सिविल एवं दण्ड विधियों से सम्बन्धित फोरेंसिक साइंस, आचार विज्ञान के क्षेत्रों में एक अग्रणी ज्ञान एवं विकास संसाधन केन्द्र के रूप में कृत्य करना;

(सात) समस्त दाण्डिक न्याय प्रणाली में सुधार के उद्देश्य से अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के साथ साझेदारी निर्मित करना।

(आठ) पुलिस व्यवस्था एवं फोरेंसिक साइंस में अध्यापन, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान को सुसंगत बनाने हेतु विभिन्न फोरेंसिक साइंस प्रयोगशालाओं अथवा संस्थानों एवं विधि प्रवर्तन प्राधिकरणों से घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित करना;

(नौ) इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत ऐसे अन्य उद्देश्य, जिन्हें राज्य सरकार इस निमित्त विश्वविद्यालय द्वारा संस्तुति किये जाने पर गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

विश्वविद्यालय लिंग, धर्म, वर्ग, पंथ अथवा मत पर ध्यान दिये बिना सभी के लिए होगा

6–(1) किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी पद से अथवा उसके किसी प्राधिकरण, निकाय अथवा समिति की सदस्यता से अथवा किसी उपाधि, डिप्लोमा अथवा अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्ट उपाधियों अथवा पाठ्यक्रम में प्रवेश से मात्र लिंग, वंश, पंथ, जाति,वर्ग, जन्मस्थान, धार्मिक आस्था अथवा राजनीतिक अथवा अन्य मत के आधार पर बहिष्कृत नहीं किया जायेगा।

(2) अध्यापक अथवा छात्र के रूप में प्रवेश किये जाने अथवा विश्वविद्यालय में कोई पदवी अथवा पद धारण करने या किसी उपाधि डिप्लोमा अथवा अन्य विशिष्ट विद्या सम्बन्धी उपाधि हेतु अर्हता प्राप्त करने अथवा विश्वविद्यालय के किसी विशेषाधिकार अथवा उसकी किसी उपकृति का उपभोग करने पर प्रयोग करने के लिए हकदार बनाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय के लिये यह विधिसम्मत नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति पर लिंग, वंश, पंथ, जाति, वर्ग, जन्मस्थान, धार्मिक आस्था, राजनीतिक व्यवसाय अथवा अन्य मत से सम्बंधित कोई परीक्षण अधिरोपित करे।

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ और उसके कृत्य

7–इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा कर्तव्यों का निष्पादन करेगा; अर्थात:-

(एक) विश्वविद्यालय का प्रशासन एवम् प्रबन्धन करना और अनुसंधान, शिक्षा तथा अनुदेशों हेतु ऐसे संस्थानों तथा केन्द्रों को स्थापित करना, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक हों;

(दो) सिविल एवं दण्ड विधियों, सहबद्ध क्षेत्रों, अपराध निवारण तथा पीड़ित पुनर्वासन के सम्बन्ध में पुलिस व्यवस्था तथा फोरेंसिक साइंस, आचार विज्ञान, प्रोद्यौगिकी एवं प्रबंधन से सम्बन्धित ज्ञान तथा विद्या की ऐसी शाखाओं में अनुदेश, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान का उपबन्ध करना;

(तीन) ऐसी शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के अन्तर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने के उद्देश्य से अपराध अनुसंधान, निवारण तथा जांच करने और दाण्डिक न्याय प्रणाली के हेतुक को पूरा करने के सम्बन्ध में विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन के क्षेत्र में नई पद्धतियों तथा प्रौद्योगिकियों में अभिनव प्रयोग करना;

(चार) पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या विहित करता और शिक्षण प्रणालियों तथा परिदान पद्धतियों, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक तथा दूरस्थ शिक्षण सम्मिलित हैं, में लचीलापन का उपबन्ध करना;

(पाँच) विश्वविद्यालय द्वारा यथा अवधारित शर्तों के अध्यधीन परीक्षाऐं आयोजित करना तथा व्यक्तियों को उपाधियां, डिप्लोमा प्रदान करना अथवा प्रमाण-पत्र और विद्या सम्बन्धी अन्य विशिष्ट उपाधियां या अभिधान प्रदान करना और ऐसी किन्हीं उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाण-पत्रों या अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्ट उपाधियां या अभिधानों को वापस लेना या रद्द करना;

(छः) यथा विहित रीति से मानद उपाधियां या अन्य विशिष्ट उपाधियां प्रदान करना;

(सात) विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक अनुसंधान एवं विकास हेतु विशिष्ट केन्द्र, विशिष्टीकृत अध्ययन केन्द्र तथा अन्य इकाईयां स्थापित करना;

(आठ) अनुसंधान एवं अन्य कार्य का मुद्रण, प्रत्युत्पादन तथा प्रकाशन का उपबन्ध करना और प्रदर्शनियां, कार्यशालाएं, संगोष्ठियां सम्मेलन आदि आयोजित करना;

(नौ) अपराधों की जाँच करने, पता लगाने तथा रोकथाम करने और पीड़ितों को अपराधों से पुनर्वासित करने के सम्बन्ध में पुलिस व्यवस्था, फोरेंसिक साइंस, आचार विज्ञान, प्रौधोगिकी तथा सम्बद्ध क्षेत्रों के समस्त पहलुओं में अनुसंधान प्रायोजित करना तथा उसका दायित्व ग्रहण करना;

(दस) समान अथवा समरूप उद्देश्यों वाले किसी शैक्षिक संस्था का सहयोग करना अथवा उससे सम्बद्ध होना;

(ग्यारह) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के समान पूर्णत: या आंशिक रूप से उद्देश्य वाली विश्व के किसी भाग की शैक्षिक या अन्य संस्थाओं के साथ सामान्यत: ऐसी रीति से जो उनके सामान्य उद्देश्यों के अनुकूल हो, अध्यापकों, छात्रों तथा विद्वानों के माध्यम से जुड़ाव विकसित करना तथा उसे अनुरक्षित रखना;

(बारह) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपराधों की जाँच करने तथा पता लगाने और दाण्डिक न्याय प्रणाली के हेतुक को अग्रसर करने के क्षेत्र में अध्यापकों, अनुसंधानकर्ताओं तथा विशेषज्ञों के साथ सम्बन्ध विकसित एवं अनुरक्षित करना;

(तेरह) विश्वविद्यालय के व्ययों को विनियमित करना, वित्त व्यवस्था का प्रबन्ध करना और उसके लेखाओं को अनुरक्षित करना;

(चौदह) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए तथा ऐसे उद्देश्यों, जिसके लिए विश्वविद्यालय स्थापित हो, के अनुरूप अनुदान, आर्थिक सहायता, अभिदान, दान एवं उपहार प्राप्त करना और केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा कोई अनुदान प्राप्त करने हेतु अन्य प्राधिकरणों या निकायों के साथ कोई करार करना;

(पन्द्रह) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों एवम् उद्देश्यों हेतु उपहारों, दानों, उपकृतियों अथवा वसीयतों के रूप में उद्योगों या किसी अन्य स्रोतों से और चल तथा अचल सम्पतियों के अन्तरण के माध्यम से निधियां प्राप्त करना;

(सोलह) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास हेतु हालों तथा छात्रावासों और प्राध्यापक वर्ग अधिकारियों तथा कर्मचारियों हेतु आवासों के साथ अतिथिगृह स्थापित करना, अनुरक्षित करना तथा प्रबन्ध करना;

(सत्रह) विश्वविद्यालय के छात्रों के आवासों का पर्यवेक्षण करना तथा नियंत्रण रखना और उनके अनुशासन को विनियमित करना तथा उनके स्वास्थ्य एवं सामान्य कल्याण तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु व्यवस्थायें करना;

(अठारह) मांग नियत करना और फीस तथा यथा विहित अन्य प्रभारों को प्राप्त करना तथा उनकी वसूली करना;

(उन्नीस) अध्येतावृतियां, छात्रवृतियां, पारितोषक, पदक तथा अन्य पुरस्कार संस्थित करना तथा उन्हें प्रदान करना;

(बीस) विश्वविद्यालय के प्रयोजन हेतु आवश्यक या सुविधाजनक किसी भूमि अथवा भवन अथवा संकर्म का ऐसे निर्बन्धन और शर्तों जैसा कि वह उचित तथा उपयुक्त समझे, पर क्रय करना अथवा पट्टे पर लेना और ऐसे भवनो अथवा संकर्मों का निर्माण करना, उनमें परिवर्तन करना तथा उन्हें अनुरक्षित रखना;

(इक्कीस) विश्वविद्यालय की समस्त चल या अचल सम्पतियो अथवा उसके किसी आंशिक भाग का ऐसे निबन्धनों पर, जैसा कि वह उचित समझे, राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् विश्वविद्यालय के हितों, क्रिया कलापों तथा उद्देश्यों के अनुरूप विक्रय करना, विनिमय करना, पट्टे पर देना या अन्यथा निस्तारण करना;

(बाइस) सरकारी वचन-पत्रों अथवा अन्य वचन-पत्रों, विनिमय देयकों, चेकों अथवा अन्य परक्राम्य लिखतों को आहरित करना तथा स्वीकार करना, बनाना तथा पृष्ठांकित करना एवं उन पर छूट देना तथा परक्रामण करना;

(तेईस) विश्वविद्यालय की समस्त अथवा किसी परिसम्पत्ति पर सूत्रपातित तथा अधारित बन्ध-पत्रों, बन्धकों, वचन-पत्रों अथवा अन्य दायित्वों अथवा प्रतिभूतियों पर या किन्ही प्रतिभूतियों के बिना तथा ऐसे निबन्धन एवं शर्तो पर, जैसा कि वह उचित समझे धन अर्जित करना और विश्वविद्यालय की निधियों में से धनार्जन करने से अनुषांगिक समस्त व्ययों को संदाय करना, राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात उधार ली गयी किसी धनराशि का पुनर्संदाय या मोचन करना;

(चौबीस) विश्वविद्यालय की निधियों का ऐसी प्रतिभूतियों में विनिधान करना और विश्वविद्यालय के हित में समय समय पर ऐसी रीति में जैसा कि वह उचित समझे, किसी विनिधान का अन्तर्विनिमय करना;

(पच्चीस) विश्वविद्यालय से सम्बन्धित सरकारी प्रतिभूतियों सहित चल या अचल सम्पत्ति के संदर्भमें अन्तरणों, बन्धकों, पट्टों, लाइसेंसों, करारों से सम्बन्धित हस्तांतरणपत्र या अन्य हस्तांतरणपत्र निष्पादित करना या राज्य सरकार से पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् विश्वविद्यालय के प्रयोजनार्थ उनका अर्जन करना;

(छब्बीस) विहित रीति से विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश देना;

(सत्ताईस) शैक्षणिक, तकनीकी, प्रशासनिक, लिपिक वर्गीय तथा अन्य पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियाँ करना;

(अटठाईस) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के मध्य अनुशासन विनियमित करना तथा प्रवर्तित करना और ऐसे अनुशासनिक उपायों का उपबन्ध करना जैसा कि विहित किया जाय;

(उन्नतीस) आचार्य पद, सह आचार्य पद, सहायक आचार्य पद, उपाचार्य पद, प्राध्यापक पद, विन्यासित आचार्य पद, अवैतनिक आचार्य पद, अनुबन्ध आचार्य पद, मानद आचार्य तथा कोई अन्य अध्यापन शैक्षणिक या अनुसंधान सम्बन्धी पद संस्थित करना और उनकी अर्हताऐं विहित करना;

(तीस) व्यक्तियों को निदेशकों, अनुसंधान एवम् विकास के निदेशक, संकायाध्यक्षों, आचार्यों, सह आचार्यों, सहायक आचार्यों, उपाचार्यों, प्राध्यापकों, मानद आचार्यों, कुल सचिव, वित्त अधिकारी अथवा अन्यथा विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा अनुसंधानकर्ताओं के रूप में नियुक्त करना;

(इकतीस) इस अधिनियम और विनियमावली के उपबन्धों के अध्यधीन विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी अथवा प्राधिकरण, आदेश द्वारा, अपनी शक्तियों (विनियमावली बनाने की शक्ति को छोड़ कर), अपने नियन्त्रणाधीन किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकरण को इस शर्त के अध्यधीन प्रतिनिधानित कर सकता है कि इस प्रकार प्रतिनिधानित की गयी शक्ति का प्रयोग करने का अन्तिम उत्तरदायित्व उन्हें प्रतिनिधानित करने वाले अधिकारी या प्राधिकरण में निरन्तर बना रहेगा;

(बत्तीस) ऐसे अन्य कार्य और बाते करना जैसा कि विश्वविद्यालय अपने समस्त या किसी उद्देश्य को प्राप्त करने या उनको विस्तार करने के लिए आवश्यक, अनुकूल या आनुषांगिक समझे।

अध्याय-तीन

विश्वविद्यालय के अधिकारी तथा प्राधिकरण

विश्वविद्यालय के अधिकारी

8–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात् :-

(एक) कुलाधिपति,

(दो) कुलपति,

(तीन) संकायाध्यक्ष,

(चार) कुल सचिव,

(पांच) वित्त अधिकारी।

कुलाधिपति

9–(1)उत्तर प्रदेश के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे।

(2) कुलाधिपति अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय के प्रधान होंगे/होंगी और यदि उपस्थित हों तो विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह के समय अध्यक्षता करेंगे/करेंगी।

(3)कोई मानद उपाधि प्रदत्त किये जाने हेतु प्रत्येक प्रस्ताव पर कुलाधिपति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित होगा।

(4) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियां होगी जैसा कि विहित किया जाय।

कुलपति

10–(1) विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा महापरिषद की ही संस्तुति पर की जायेगी।

(2) कुलपति नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति-

(एक) पुलिस और कानून एवं व्यवस्था प्रशासन से जुड़े ऐसा अधिकारी होना चाहिए जो कि फोरेंसिक साइंस या आन्तरिक सुरक्षा में वांछनीय विशेषज्ञता रखता हो अथवा जो पुलिस महानिदेशक अथवा उसके समकक्ष स्तर का अधिकारी हो तथा कुल 30 वर्ष की सेवा की हो।

(दो) उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित होगा और राज्य में विकास, शिक्षा, परोपकार औद्योगिक अथवा व्यापार सम्बन्धी विकास अथवा राज्य सेवाओं, निगमों अथवा स्थानीय निकायों में अनुकरणीय प्रशासन के निबंधन स्वरूप कार्य कर चुका हो;

(तीन) नाम निर्देशन अथवा पुनर्नामनिर्देशन के दिनांक को पैंसठ वर्ष की आयु पूर्ण न किया हो।

(3) कुलपति तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा तथा अग्रतर तीन वर्ष की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होगा।

(4) कुलपति की अन्य निबंधन और शर्तें,वही होंगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाय;

(5) कुलपति, कुलाधिपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है और ऐसा त्याग-पत्र, कुलाधिपति की स्वीकृति के दिनांक से प्रभावी होगा।

कुलपति की शक्तियाँ तथा कर्तव्य

11–(1) कुलपति के पास इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों जैसा कि वह निदेश दे, द्वारा विश्वविद्यालय, उसके भवनों, छात्रावासों, पुस्तकालयों, उपकरणों तथा प्रणालियों एवम् प्रक्रियाओं तथा विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी संस्था अथवा केन्द्र और परीक्षाओं, अध्यापन, अनुसंधान तथा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अथवा कृत अन्य कार्य का निरीक्षण अथवा समीक्षा करवाने, तथा विश्वविद्यालय के प्रशासन, शैक्षणिक मामलों तथा वित्त व्यवस्था से सम्बंधित किसी मामले की समान रूप से जाँच करवाने की शक्ति होगी।

(2) पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कुलपति-

(एक) विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यपालक तथा शैक्षणिक अधिकारी होगा। वह बोर्ड, विद्या परिषद तथा वित्त समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा;

(दो) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के विनिश्चयों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा;

(तीन) विश्वविद्यालय में अनुदेश प्रदान करने तथा अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा; तथा

(चार) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का निष्पादन करेगा, जो इस अधिनियम अथवा विनियमावली द्वारा या उसके अधीन उसे समनुदेशित किया जाय अथवा जैसा कि उसे बोर्ड द्वारा या महापरिषद द्वारा प्रतिनिधानित किया जाय।

(3) जहाँ कोई मामला आत्ययिक प्रकृति का हो जिसमें तत्काल कार्यवाही की जानी अपेक्षित हो तथा उसे व्यवहृत करने हेतु इस अधिनियम के अधीन सशक्त विश्वविद्यालय के प्राधिकरण अथवा निकाय द्वारा तत्काल व्यवहृत न किया जा सके तो कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे और वह अपने द्वारा कृत कार्यवाही की सूचना तत्काल विश्वविद्यालय के प्राधिकरण या निकाय को देगा जो सामान्य प्रक्रम में उक्त मामले को व्यवहृत कर लेता परन्तु यह कि यदि ऐसे प्राधिकरण या अन्य निकाय की यह राय हो कि ऐसी कार्यवाही कुलपति द्वारा नहीं की जानी चाहिए थी तो वह उस मामले को बोर्ड को संदर्भित कर सकता है जो या तो कुलपति द्वारा की गई कार्यवाही की पुष्टि कर सकता है या उसे रद्द कर सकता है या उसे इस रीति से उपान्तरित कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे और तदोपरान्त यथास्थिति उक्त कार्यवाही प्रभावहीन हो जाएगी या ऐसे उपान्तरित प्ररूप में प्रभावी होगी जिससे कि ऐसे उपान्तरण या रद्दकरण से कुलपति के आदेशों द्वारा या तद्धीन पूर्व में कृत किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

(4) जहाँ उप धारा (3) के अधीन कुलपति की शक्ति के प्रयोग में किसी व्यक्ति की नियुक्ति की जानी सम्मिलित हो ऐसी नियुक्त की पुष्टि,इस अधिनियम तथा विनियमावली के उपबन्धों के अनुसार ऐसी नियुक्ति को अनुमोदित करने के लिए सशक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा कुलपति के आदेश के दिनांक से छः माह के अपश्चात् नहीं की जाएगी अन्यथा ऐसी नियुक्ति कुलपति के आदेश के दिनांक से छः माह की अवधि की समाप्ति पर प्रभावहीन हो जाएगी।

कुल सचिव

12–(1) कुल सचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

(2) कुल सचिव की नियुक्ति महापरिषद द्वारा ऐसी रीति से और ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर की जायेगी जैसा कि विहित किया जाय।

(3) कुलसचिव निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा निम्नलिखित कर्तव्यों का निष्पादन करेगा, अर्थात-

(एक) वह विश्वविद्यालय के अभिलेखों, सामान्य मुहर, निधियों तथा विश्वविद्यालय की ऐसी अन्य सम्पत्तियों की अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा;

(दो) वह बोर्ड तथा विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों के समक्ष ऐसी समस्त सूचना तथा दस्तावेजों को रखेगा, जो कारबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक हो;

(तीन) वह अपने कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा;

(चार) वह विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा और वह परीक्षाओं का संचालन करेगा और उसके लिए आवश्यक समस्त अन्य व्यवस्थाएँ करेगा तथा उनसे सम्बन्धित समस्त प्रक्रियाओं के निष्पादन करने हेतु उत्तरदायी होगा;

(पाँच) वह विश्वविद्यालय की ओर से समस्त दस्तावेजों को अनुप्रमाणित और निष्पादित करेगा;

(छः)वह विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरूद्ध कृत समस्त वादों तथा अन्य विधिक कार्यवाहियों के अभिवचनों को सत्यापित करेगा तथा उन पर हस्ताक्षर करेगा और ऐसे वादों तथा ऐसी कार्यवाहियों में समस्त प्रक्रियायें कुलसचिव के निमित्त जारी की जायेंगी और उसे तामील करायी जायेंगी; और

(सात) वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का निष्पादन करेगा, जैसाकि उसे इस अधिनियम एवं विनियमावली द्वारा तद्धीन समनुदेशित किया जाय अथवा जैसा कि उसे बोर्ड या कुलपति द्वारा प्रतिनिधानित किया जाय।

संकायाध्यक्ष

13–(1) संकायाध्यक्षों की नियुक्ति कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के संकायों के मध्य से की जायेगी।

(2) संकायाध्यक्ष की शक्तियां एवं उनके कृत्य यथा विहित रूप में होंगे।

वित्त अधिकारी

14–(1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ऐसे निबन्धनों एवं शर्तों पर की जायेगी, जैसा कि विहित किया जाय।

(2) वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सचिव होगा।

(3) वित्त अधिकारी बोर्ड को बजट (वार्षिक प्राकलन) और लेखा विवरण प्रस्तुत करने तथा विश्वविद्यालय की ओर से निधियों का आहरण और वितरण करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(4) वित्त अधिकारी को बोर्ड की कार्यवाहियों में बोलने और उनमें अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु वह मत देने का हकदार नहीं होगा।

(5) वित्त अधिकारी निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा-

(क) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय द्वारा (विनिधान से भिन्न) बजट में अप्राधिकृत कोई व्यय उपगत न किया जाय।

(ख) किसी ऐसे प्रस्तावित व्यय को अस्वीकार करना, जो इस अधिनियम के उपबन्धों या किसी परिनियमों या अधिनियमों के निबन्धनों का उल्लंघन करता हो।

(ग) यह सुनिश्चित करना कि अन्य वित्तीय अनियमितता न की जाय और लेखा परीक्षा के दौरान उपदर्शित किन्हीं अनियमितताओं को ठीक करने के लिए कदम उठाए जायें।

(घ) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा उसके विनिधानों का सम्यक रूप से संरक्षण और प्रबन्ध किया जाय।

(6) वित्त अधिकारी की पहुँच, विश्वविद्यालय के ऐसे अभिलेखों और दस्तावेजों तक होगी तथा वह उन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है और उसकी राय में उसके कार्यों से सम्बन्धित ऐसी सूचना का प्रस्तुत किया जाना उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो सकता है।

(7) वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय की ओर से समस्त संविदायें करेगा और उन पर हस्ताक्षर करेगा।

(8) वित्त अधिकारी की अन्य शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जैसा कि विहित किया जाय।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

15–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात-

(एक) महापरिषद

(दो) संचालक बोर्ड

(तीन) विद्या परिषद

(चार) वित्त समिति तथा

(पाँच) ऐसे अन्य प्राधिकरण, जिन्हें विनियमावली द्वारा प्राधिकरण घोषित किया जाय।

महापरिषद्

16–(1) विश्वविद्यालय की एक महापरिषद होगी, जिसका गठन निम्नानुसार किया जायेगा:-

(एक)	मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष
(दो)	मंत्री, गृह, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य
(तीन)	मंत्री, न्याय, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य
(चार)	मंत्री, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य
(पाँच)	महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश	सदस्य
(छः)	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य
(सात)	प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य
(आठ)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य
(नौ)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार...	सदस्य सचिव महापरिषद,

महापरिषद् के सदस्यों की पदावधि

17–(1). महापरिषद का कोई सदस्य, सदस्य नहीं रह जाएगा यदि वह त्यागपत्र दे दे या विकृत मस्तिष्क का हो जाय या दिवालिया हो जाय, या ऐसे दाण्डिक अपराध जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो, के लिये दोष सिद्ध ठहराया जाय या यदि वह अध्यक्ष (चेयर परसन) द्वारा स्वीकृत अवकाश के बिना महापरिषद की तीन लगातार बैठकों में उपस्थित रहने में विफल हो या विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल कार्य करे।

(2). महापरिषद का कोई सदस्य, अध्यक्ष (चेयर परसन) को सम्बोधित एक पत्र द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है और अध्यक्ष (चेयर परसन) द्वारा ऐसा त्यागपत्र स्वीकृत किये जाते ही शीघ्र प्रभावी हो जायेगा।

महापरिषद की शक्तियाँ

18. महापरिषद की निम्नलिखित शक्तियाँ होगीं:-

(एक). इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कुलपति की नियुक्ति के लिए संस्तुति करना और विश्वविद्यालय के कुल सचिव और वित्त अधिकारी की नियुक्ति करना;

(दो). इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन धारा (5) में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय की शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग, ऐसी शक्तियों को छोड़कर करना, जहाँ विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकारी को ऐसी शक्तियाँ प्रदान की गयी हों;

(तीन). विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और उसके कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिये उपाय करना;

(चार). वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय प्राक्कलनों, वार्षिक लेखाओं और ऐसे लेखाओं की लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर विचार करना और ऐसे संकल्प पारित करना जैसे उचित समझे जायें;

(**पाँच**). खण्ड (एक) में निर्दिष्ट शक्तियों को छोड़कर अपनी समस्त या किन्हीं शक्तियों को कुलपति को या किसी समिति को या किसी उप समिति को या अपने किसी एक या उससे अधिक सदस्यों को प्रत्यायोजित करना, और

(छः). ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना जिन्हें वह विश्वविद्यालय के दक्षतापूर्ण क्रियान्वयन और प्रशासन के लिये आवश्यक समझे;

महापरिषद् की बैठक

19–(1). महापरिषद की बैठक अध्यक्ष (चेयर परसन) द्वारा बुलायी जायेगी और समस्त कार्यवाहियां महापरिषद के सदस्य सचिव द्वारा की जायेगी।

(2). अध्यक्ष (चेयर परसन) तथा उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई सदस्य महापरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3). महापरिषद की कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई भाग से किसी बैठक की गणपूर्ति की जायेगी।

(4). यदि महापरिषद द्वारा आत्ययिक कार्यवाही की जानी आवश्यक हो जाय, तो अध्यक्ष (चेयर परसन) महापरिषद के सदस्यों को पत्रजात परिचालित करके संव्यवहृत किये जाने वाले कार्य की अनुज्ञा प्रदान कर सकता है। की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि महापरिषद के कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों द्वारा सहमति न हो जाय। इस प्रकार की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में महापरिषद के समस्त सदस्यों को तत्काल संसूचित किया जायेगा और पत्रजातों को महापरिषद की आगामी बैठक के समक्ष रखा जायेगा।

(5). पूर्ववती वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के कार्य-कलापों की रिपोर्ट एवं साथ में प्राप्तियों और व्यय का विवरण, यथा लेखा परीक्षित तुलन-पत्र और वित्तीय प्राक्कलन, कुलपति द्वारा महापरिषद के समक्ष उसकी वार्षिक बैठक में प्रस्तुत किये जायेंगे।

संचालक बोर्ड

20–विश्वविद्यालय के संचालक बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे; अर्थात:-

(एक) कुलपति, जो बोर्ड का अध्यक्ष होंगे/होंगी;

(दो) गृह विभाग उत्तर प्रदेश शासन का विशेष सचिव श्रेणी से अनिम्न एक ऐसा अधिकारी, जो अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा

(तीन) वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन का विशेष सचिव श्रेणी से अनिम्न एक ऐसा अधिकारी, जो अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;

(चार) उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन का विशेष सचिव श्रेणी से अनिम्न एक ऐसा अधिकारी, जो अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;

(पाँच) निदेशक अनुसंधान एवं विकास;

(छः) विश्वविद्यालय का एक निदेशक, जो चक्रानुक्रम में कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा;

(सात) अपर पुलिस महानिदेशक की श्रेणी से अनिम्न एक पुलिस अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(आठ) विधि विज्ञान के क्षेत्र से तीन शिक्षाविद अथवा वृतिक जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे।

(2) कुलसचिव बोर्ड का सचिव होगा।

बोर्ड के अध्यक्ष की शक्तियाँ

21–(1) अध्यक्ष बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(2) अध्यक्ष, ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करेगा जैसा कि उसे इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी विनियमावली द्वारा समनुदेशित किया जाए।

बोर्ड की शक्तियाँ तथा कृत्य

22–(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन बोर्ड, विश्वविद्यालय के मामलों का सामान्य अधीक्षण, निदेश तथा नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगा और विश्वविद्यालय की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा उसे विश्वविद्यालय के विद्या परिषद, वित समिति तथा अन्य समितियों अथवा प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा करने की शक्ति होगी।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बोर्ड के पास निम्नलिखित शक्तियाँ तथा कृत्य होंगे, अर्थात:-

(एक) विश्वविद्यालय के प्रशासन तथा उसकी कार्य प्रणाली से संबंधित नीति के प्रश्न पर विनिश्चय करना;

(दो) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रम संस्थित करना;

(तीन) विनियमावली बनाना;

(चार) प्रत्येक वितीय वर्ष हेतु विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट तथा वार्षिक आय-व्ययक पर विचार करके अनुमोदन करना;

(पाँच) विश्वविद्यालय की धनराशियों तथा निधियों का विनिधान करना तथा वित्त समिति की संस्तुतियों पर विनिश्चय करना;

(छः) अध्ययन सामग्रियों, संधियों, पुस्तकों, पत्रिकाओं, रिपोर्टों तथा अन्य साहित्य को समय-समय पर प्रकाशित करना अथवा प्रकाशित करने हेतु वित व्यवस्था करना और विक्रय करना या विक्रय का प्रबंध करना जैसा कि वह उचित समझें;

(सात) विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों का सृजन करना अथवा उन्हें समाप्त करना;

(आठ) इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने तथा अपने कर्तव्यों के निष्पादन करने हेतु ऐसी समितियों को नियुक्त करना जैसा कि वह उचित समझे;

(नौ) विश्वविद्यालय के निदेशकों की नियुक्त करना;

(दस) विश्वविद्यालय के निदेशकों, संकायाध्यक्षों, कुलाध्यक्ष या किसी अन्य अधिकारी, कर्मचारी अथवा किसी प्राधिकरण अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति को अपनी कोई शक्ति प्रतिनिधानित करना; तथा

(ग्यारह) इस अधिनियम अथवा तद्धीन बनायी गयी विनियमावली के द्वारा तद्धीन प्रदत्त की जाने वाली अथवा अधिरोपित की जाने वाली अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा अन्य कृत्यों का निष्पादन करना तथा विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु अन्य शक्तियों का प्रयोग करना।

बोर्ड के सदस्यों की पदावधि तथा उनकी रिक्तियां

23–(1) इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय धारा 20 की उप-धारा (1) के खण्ड(छः) तथा खण्ड(आठ) के अधीन बोर्ड के नामनिर्दिष्ट सदस्य की पदावधि उसका नामनिर्देशन किए जाने के दिनांक से तीन वर्ष होगी;

(2) कोई सदस्य अगली पदावधि हेतु पुनः नाम निर्देशन के लिए पात्र होगा।

(3) धारा 20 की उप धारा (1) के खण्ड (आठ) के अधीन नाम निर्दिष्ट कोई सदस्य बोर्ड के अध्यक्ष को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर द्वारा अपना पदत्याग कर सकता है और उसका त्यागपत्र बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किए जाने के दिनांक से प्रभावी होगा;

विद्या परिषद्

24–(1) विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् में निम्नलिखित होंगे:-

(एक) कुलपति, जो विद्या परिषद् का अध्यक्ष होगा;

(दो) दो शिक्षाविद अथवा वृत्तिक का, जो बोर्ड द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे;

(तीन) विधि विज्ञान के क्षेत्र से दो शिक्षाविद अथवा वृत्तिक, जो बोर्ड द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे;

(चार) निदेशक, अनुसंधान एवं विकास;

(पॉच) विश्वविद्यालय के निदेशक;

(छः) विश्वविद्यालय के प्रत्येक शाखा से एक आचार्य, जो चक्रानुक्रम में कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(2) कुलसचिव विद्या परिषद् का सचिव होगा;

(3) उप धारा (1) के खंड (दो) (तीन) और (छः) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष की होगी:-

विद्या परिषद् की शक्तियां और कृत्य

25–इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी विनियमावली के उपबन्धों के अध्यधीन विद्या परिषद की शक्तियां एवं कृत्य निम्नलिखित होंगे-

(क) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों पर नियंत्रण का प्रयोग करना तथा वह विश्वविद्यालय के अनुदेश, शिक्षा और मूल्यांकन के मानकों के अनुरक्षण तथा सुधार हेतु उत्तरदायी होगा;

(ख) अपने स्वयं के पहल पर या विश्वविद्यालय के संकाय अथवा बोर्ड के निर्देश पर सामान्य शैक्षणिक हित के मामलों में विचार करना तथा उस पर समुचित कार्यवाही करना;

(ग) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक कार्य प्रणाली, जिसमें छात्रों का अनुशासन सम्मिलित है, के सम्बन्ध में बोर्ड को ऐसी विनियमावली के लिए संस्तुति करना जो इस अधिनियम के अनुरूप हो और;

(घ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निष्पादन करना जैसा कि विनियमावली द्वारा उसे **प्रदत्त** किया जाए अथवा उस पर अधिरोपित किया जाए।

वित्त समिति

26–(1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे-

(एक) कुलपति- समिति का अध्यक्ष;

(दो) निदेशक, अनुसंधान और विकास- सदस्य

(तीन) विश्वविद्यालय के निदेशकगण- सदस्य

(चार) वित्त अधिकारी- सदस्य सचिव

(पॉच) बोर्ड के दो सदस्य (जिनमें से एक राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट होगा)

(छः) एक आचार्य, जो बोर्ड द्वारा चक्रानुक्रम के माध्यम से नाम निर्दिष्ट किया जाएगा;

(2) वित्त अधिकारी, समिति का सचिव होगा।

(3) खण्ड(छः) के अधीन नाम निर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी।

वित्त समिति की शक्तियां और कृत्य

27–इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, **वित्त** समिति की शक्तियां तथा कृत्य निम्नलिखित होंगे-

(एक) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं तथा वार्षिक आय-व्ययक प्राक्कलनों का परीक्षण करना और उस पर बोर्ड को सलाह देना;

(दो) विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति की समय-समय पर समीक्षा करना;

(तीन) विश्वविद्यालय की समस्त वित्तीय नीति संबंधी मामलों में बोर्ड से संस्तुति करना;

(चार) निधियां बनाये जाने, प्राप्तियों और व्ययों सहित समस्त प्रस्तावों पर बोर्ड से संस्तुति करना;

(पॉच) अधिशेष निधियों के विनिधान के लिए मार्गदर्शन का उपबंध करना;

(छः) ऐसे व्यय जिसके लिए आय व्ययक में कोई उपबंध न किया गया हो या जिसके लिए आय व्ययक में उपबन्धित धनराशि से अधिक व्यय उपगत किया जाना आवश्यक हो, सहित समस्त प्रस्तावों पर बोर्ड से संस्तुति करना;

(सात) वेतनमान पुनरीक्षण, वेतनमान उच्चीकरण और उन मदों जो आय व्ययक में उसे बोर्ड के समक्ष रखे जाने के पूर्व सम्मिलित न किये गये हों,से संबंधित समस्त प्रस्तावों का परीक्षण करना; और

(आठ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना जैसा कि विनियमावली द्वारा प्रदत्त किया जाये अथवा उस पर अधिरोपित किया जाय;

निदेशक, अनुसंधान और विकास

28–निदेशक, अनुसंधान एवं विकास की नियुक्ति तथा उसकी शक्तियां एवं कृत्य यथा विहित रूप में होंगे।

निदेशक

29–निदेशकों की नियुक्ति तथा उनकी शक्तियां एवं कृत्य यथा विहित रूप में होंगे।

अध्याय-चार

वित्त

राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को संदाय किया जाना

30–राज्य सरकार इस अधिनियम द्वारा या तद्धीन विश्वविद्यालय द्वारा शक्तियों का प्रयोग करने तथा अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए विश्वविद्यालय को समय-समय पर ऐसी धनराशि का, ऐसी रीति से जैसा कि वह आवश्यक समझे जाय, संदाय करेगी।

विश्वविद्यालय की निधियां

31–(1) विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा, जिसे विश्वविद्यालय निधि कहा जायेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशियां होंगी:-

(एक) राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा कोई अंशदान या अनुदान या ऋण;

(दो) फीस तथा प्रभारों से आय सहित समस्त स्रोतों से विश्वविद्यालय की आय;

(तीन) विश्वविद्यालय द्वारा अनुदानों, ऋणों, उपहारों, दानों, उपकृतियों, वसीयतों अथवा अन्तरण, विन्यासों अन्य अनुदानों, यदि कोई हों, के माध्यम से प्राप्त धनराशियां;

(चार) विश्वविद्यालय तथा उद्योग के मध्य हुए समझौता ज्ञापन के उपबन्धों के निबन्धनों के अनुसार, विश्वविद्यालय के प्रायोजित पदों, अध्येयतावृत्तियों या अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना हेतु सहयोगी उद्योगों से विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त धनराशि; और

(पॉच) विश्वविद्यालय द्वारा किसी अन्य रीति से अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त धनराशियां।

(2) विश्वविद्यालय की समस्त निधियां ऐसे बैंको में जमा की जायेंगी अथवा ऐसे रूप में विनिधानित की जायेंगी, जैसा कि बोर्ड वित्त समिति की संस्तुति पर विनिश्चित करे:

(3) विश्वविद्यालय की निधियां, इस अधिनियम द्वारा या तद्धीन विश्वविद्यालय की शक्तियों का प्रयोग करके या उसके कृत्यों का निर्वहन करके उपगत किये गये व्ययों सहित विश्वविद्यालय के व्ययों के निमित्त प्रयुक्त की जायेगी।

लेखा और लेखा परीक्षा

32–(1) विश्वविद्यालय समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख अनुरक्षित करेगा और आय तथा व्यय सम्बन्धी लेखा एवं तुलन-पत्र सहित वार्षिक लेखा विवरण यथाविहित प्ररूप में तथा रीति से तैयार करेगा।

(2) विश्वविद्यालय विनियमावली द्वारा यथाविहित रूप में अपने वित्तीय, लेखा सम्बन्धी तथा लेखा परीक्षा सम्बन्धी कृत्यों का निर्वहन करने में समुचित आंतरिक जांच, संतुलन एवं नियन्त्रण प्रणाली अपनायेगा।

(3) विश्वविद्यालय के लेखाओं की लेखा-परीक्षा प्रति वर्ष नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जायेगी।

(4) नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित विश्वविद्यालय की लेखायें, उन पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित बोर्ड के समक्ष रखी जायेंगी और बोर्ड विश्वविद्यालय को तत्सम्बन्ध में ऐसे अनुदेश जारी कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे और विश्वविद्यालय को ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करना होगा।

(5) विश्वविद्यालय की लेखाओं की लेखा परीक्षा, निदेशक आन्तरिक लेखा और लेखा परीक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा प्रत्येक वर्ष की जायेगी और ऐसे आवधिक आन्तरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों को बोर्ड के समक्ष पुनरीक्षण हेतु रखी जायेगी।

(6) विश्वविद्यालय, प्रत्येक वर्ष पूर्ववर्ती वर्ष के क्रिया कलापों की एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें ऐसे विवरण सम्मिलित होंगे जैसा कि बोर्ड विनिर्दिष्ट करे और वह उसे बोर्ड के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट के रूप में, ऐसे दिनांक को या उसके पूर्व जैसा कि विहित किया जाय पुनरीक्षण एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत कर सकता है।

(7) वार्षिक रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्रति, उस पर बोर्ड के संकल्प के साथ, राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी।

पेंशन बीमा तथा भविष्य निधि

33–(1) विश्वविद्यालय, बोर्ड के अनुमोदन से अपने अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की प्रसुविधा हेतु ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसा कि विहित किया जाय, पैंशन, भविष्य निधि और बीमा की ऐसी योजनाएं जैसा कि वह उचित समझे सृजित करेगा और विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों, कर्मचारियों की प्रसुविधा के लिए आगणित संगमों, संस्थाओं, निधियों, न्यास तथा प्रवहण की स्थापना और सहयोग में सहायता भी करेगा।

(2) जहाँ ऐसी कोई भविष्य निधि सृजित की गयी हो, वहां भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (अधिनियम संख्या 19 सन 1925) के उपबन्ध, ऐसी निधि के लिए लागू होंगे मानो वह कोई सरकारी भविष्य निधि हो।

अध्याय-पॉच

अनुपूरक उपबन्ध

रिक्तियों द्वारा अधिनियमों तथा कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना

34–विश्वविद्यालय के बोर्ड या किसी प्राधिकरण या इस अधिनियम के अधीन या विनियमावली द्वारा गठित किसी समिति का कोई कार्य या उसकी कोई कार्यवाही, विश्वविद्यालय के ऐसे बोर्ड, प्राधिकरण या समिति में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि मात्र विद्यमान होने के आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी।

विश्वविद्यालय द्वारा उपाधियां, डिप्लोमा प्रदान किया जाना तथा प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाना

35–विश्वविद्यालय के पास उपाधियां, डिप्लोमा प्रदत्त करने और प्रमाण-पत्र प्रदान करने और बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित मानद उपाधियां और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्ट उपाधियां तथा अभिधान प्रदत्त करने की शक्ति होगी।

विवरणी और सूचना

36–विश्वविद्यालय राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य सांविधिक प्राधिकरणों को ऐसी रिपोर्ट, विवरणियां, विवरण तथा अन्य सूचना, जैसा कि उनके द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाय, उपलब्ध करायेगा।

अधिकारी तथा कर्मचारी लोक सेवक होंगे

37–विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त प्रत्येक अधिकारी,अध्यापक तथा कर्मचारी, भारतीय दण्ड संहिता1860(अधिनियम संख्या 45 सन 1860) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत एक लोक सेवक समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण:- इस धारा के प्रयोजनार्थ यदि किसी ऐसे व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के किसी विनिर्दिष्ट अवधि या किसी विनिर्दिष्ट कार्य के लिए नियुक्त किया गया हो अथवा जो विश्वविद्यालय निधि से कृत किसी कार्य के लिए भत्तों या फीस के माध्यम से कोई पारिश्रमिक प्राप्त किया हो, को ऐसी नियुक्ति या कार्य से सम्बन्धित कर्तव्यों और कृत्यों का निर्वहन करने के दौरान विश्वविद्यालय का अधिकारी या कर्मचारी समझा जायेगा।

विश्वविद्यालय के कर्मचारिवर्ग को पद्च्युत किया जाना, अवनत किया जाना या उनकी सेवा समाप्त किया जाना

38–(1) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी, अध्यापन एवं अध्यापनेत्तर सदस्य तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवर्ग को ऐसी जांच जिसमें उसे अपने विरूद्ध आरोपों के सम्बन्ध में सूचित किया गया हो और उसे उन आरोपों के सम्बन्ध में सुनवाई किये जाने का युक्तियुक्त, अवसर प्रदान किया गया हो, के सिवाय पद्च्युत नहीं किया जायेगा या हटाया नहीं जायेगा या पदावनत नहीं किया जायेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन पदच्युत किये जाने, हटाये जाने या पदावनत किये जाने के किसी आदेश के विरूद्ध अपील, ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर कुलपति के समक्ष की जायेगी।

राज्य सरकार की निदेश देने की शक्ति

39–राज्य सरकार के पास इस अधिनियम, तद्धीन बनायी गयी विनियमावली तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों का अनुपालन करने हेतु समय-समय पर यथा अपेक्षित रूप में निदेश जारी करने की शक्ति होगी।

विनियमावली बनाने की शक्ति

40–(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन बोर्ड के पास उसमें निहित समस्त अन्य शक्तियों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के मामलों को प्रशासित करने तथा उनका प्रबन्धन करने का उपबन्ध करने हेतु विनियमावली बनाने की शक्ति होगी।

(2) विशिष्ट रूप से और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी विनियमावली में निम्नलिखित समस्त मामलों या किसी मामले का उपबन्ध हो सकता है, अर्थात्:-

(एक) बोर्ड की प्रथम बैठक से भिन्न विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों की बैठक आहूत करना तथा आयोजित करना और ऐसी बैठक की गणपूर्ति तथा कार्य संचालन करना;

(दो) कुलपति द्वारा प्रयुक्त तथा निस्तारित शक्तियाँ एवं कृत्य;

(तीन) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों, निकायों तथा अन्य समितियों का गठन, उनकी शक्तियां तथा कर्तव्य, ऐसे प्राधिकरणों के सदस्यों की अर्हतायें तथा निरर्हताएं, सदस्यों की पदावधि, उसके सदस्यों की नियुक्ति तथा उन्हें हटाया जाना और तत्सम्बन्धी अन्य मामले ;

(चार) कार्य के संचालन, शक्तियों के प्रयोग तथा कृत्यों के निर्वहन में अधिनियम द्वारा या तद्धीन या विनियमावली द्वारा गठित बोर्ड तथा किसी समिति या अन्य निकाय द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(**पाँच**)अध्ययन पाठयक्रम स्थापित किये जाने तथा छात्रों के प्रवेश में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा मानदण्ड;

(छः) विश्वविद्यालय में अनुशासन प्रवर्तित करने हेतु अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(सात) विश्वविद्यालय की सम्पतियों का प्रबंधन;

(आठ) उपाधियां डिप्लोमा प्रमाण-पत्र तथा अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्ट उपाधियां तथा अभिधान, जो विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या प्रदान किये जायें और ऐसी किन्हीं उपाधियों प्रमाण-पत्रों तथा विद्या सम्बन्धी अन्य विशिष्ट उपाधियों एवं अभिधानों तथा तत्सम्बन्धी अपेक्षाओं को वापस किया जाना और रदद् किया जाना;

(नौ) परीक्षकों की पदावधि तथा नियुक्ति सहित परीक्षा संचालन करना;

(दस) विश्वविद्यालय के निदेशकों, आचार्यों, सह आचार्यों, सहायक आचार्यों, उपाचार्यों, प्राध्यापकों के पदों या समकक्ष शैक्षणिक पदनाम या पदों तथा अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों का सृजन और उनकी अपेक्षित अर्हताओं सहित ऐसे पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति;

(ग्यारह) विश्वविद्यालय को, उसके द्वारा उपबन्धित किये गये पाठ्यक्रमों, प्रशिक्षण, सुविधाओं तथा सेवाओं हेतु संदत्त की जाने वाली फ़ीस तथा प्रभार;

(बारह) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा कर्मचारियों की प्रसुविधाओं हेतु बीमा पैंशन तथा भविष्य निधियां तथा ऐसी अन्य योजनाएं सृजित किये जाने की रीति तथा शर्तें;

(तेरह) अन्य संस्थाओं के साथ विश्वविद्यालय के संगम की निबन्धन एवं शर्तें;

(चौदह) आय-व्ययक प्राक्कलन तैयार किया जाना तथा लेखा अनुरक्षित किया जाना;

(पन्द्रह) विश्वविद्यालय द्वारा अथवा उसकी ओर से संविदा या करार निष्पादन की रीति;

(सोलह) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा अन्य कर्मचारिवृंद की नियुक्ति का वर्गीकरण तथा उसकी प्रक्रिया;

(सत्रह) विश्वविद्यालय के निदेशक, अनुसंधान एवं विकास, निदेशक, अन्य अधिकारियों, अध्यापकों तथा कर्मचारियों की सेवा की निबन्धन एवं शर्तें तथा नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन तथा भत्ते, संविदात्मक सेवायें, अनुशासन नियमावली तथा अन्य सेवा शर्तें;

(अठारह) विश्वविद्यालय के अध्यापकों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति को शासित करने वाली निबन्धन तथा शर्तें;

(उन्नीस) विश्वविद्यालय के निदेशक, अनुसंधान एवं विकास, निदेशकगण तथा अन्य अधिकारियों, अध्यापकों तथा कर्मचारियों की शक्तियाँ तथा कर्तव्य;

(बीस) अध्येतावृतियों, छात्रवृतियों, वृतिकाओं, पदकों एवं पुरस्कारों को शासित करने वाली निबन्धन एवं शर्तें;

(इक्कीस) बोर्ड के आदेशों एवं विनिश्चयों का अधिप्रमाणन,

(बाइस) छात्रावासों, निवासकक्षों तथा संकायों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु आवास तथा अतिथिगृह से सम्बन्धित मामले, जिनमें अनुशासनिक नियन्त्रण सम्मिलित है; और

(तेईस) ऐसे समस्त मामले, जो इस अधिनियम द्वारा विहित किये जाने हैं या विहित किये जा सकते हैं।

प्रथम कुल सचिव की नियुक्ति

41–धारा 12 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रथम कुल सचिव की नियुक्ति, राज्य सरकार द्वारा, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात यथा शक्य शीघ्र अनधिक तीन वर्ष की अवधि के लिए ऐसी शर्तों, जैसा कि राज्य सरकार उपयुक्त समझे, पर की जायेगी।

अस्थायी उपबन्ध

42–इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कुलपति, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन, इस अधिनियम और तत्धीन बनायी गयी विनियमावली के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के प्रयोजनार्थ, विश्वविद्यालय के समस्त कृत्यों या किसी कृत्य का निर्वहन कर सकता है और उक्त प्रयोजनार्थ इस अधिनियम तथा तद्धीन बनायी गयी विनियमावली द्वारा या तद्धीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण द्वारा प्रयोग की जाने वाली किसी शक्ति या निष्पादित किये जाने वाले किसी कर्तव्य का तब तक प्रयोग या निष्पादन कर सकता है जब तक इस अधिनियम तथा तद्धीन बनायी गयी विनियमावली के उपबन्धों के अनुसार ऐसा प्राधिकरण अस्तित्व में न आ जाय।

क्षतिपूर्ति

43–इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी किसी विनियमावली के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक कृत या किये जाने हेतु तात्पर्यित किसी कार्य के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के कुलपति, निदेशकों, प्राधिकारियों या अधिकारियों या कर्मचारियों या किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन, अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं होंगी और उनसे किसी नुकसान का दावा नहीं किया जायेगा।

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति

44–(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, कर सकती है, जो कठिनाईयों को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो:

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष समाप्त होने के पश्चात ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-44 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक सांइस विश्वविद्यालय विधेयक, 2020 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक सांइस विश्वविद्यालय विधेयक, 2020 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिये विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-29 सन् 1974 द्वारा यथा-संशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-10 सन् 1973 का साधारण संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, में शब्द ''ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ'' जहां कहीं अनुसूची सहित आये हों, के स्थान पर शब्द ''ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ'' रख दिये जायेंगे।

धारा-5 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा-5 में, उपधारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात :-

''(7) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी भारतीय और विदेशी भाषाओं की शिक्षा और शोध और उसके ज्ञान की अभिवृद्धि तथा प्रसार के सम्बन्ध में ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ को प्रदत्त शक्तियां उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वत्र प्रयोक्तव्य होगी।''

धारा-7-ख का निकाला जाना

4-मूल अधिनियम की धारा-7-ख निकाल दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आापकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2020

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2020

फण्डामेन्टल रूल 56 का अग्रतर संशोधन करने और तद्धीन या तत्सम्बन्ध में कृत कतिपय कार्यवाहियों का विधिमान्यकरण करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2020 कहा जायेगा।

फण्डामेन्टल रूल 56 का संशोधन

2-समय-समय पर यथा संशोधित वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2, भाग-2 से 4 तक में प्रकाशित उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल (जिसे आगे उक्त रूल कहा गया है) के नियम-56 में, खण्ड (ङ) में प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिया जायेगा और उसे दिनांक 01 जनवरी, 2006 से निकाला गया समझा जायेगा।

विधिमान्यकरण

3-किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2020 के प्रारम्भ होने के पूर्व शासनादेश संख्या-सा-3-1508/10-2008-308-97, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 (यथा-संशोधित) के पैरा-6 के निबन्धनों के रूल 56 के खण्ड (ङ) के अधीन या तत्सम्बन्ध में कृत या की गई तात्पर्यित कोई बात और कृत या की गई तात्पर्यित कोई कार्यवाही, उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल-56 (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2020 द्वारा यथा संशोधित उक्त रूल 56 के खण्ड (ङ) के अधीन या तत्सम्बन्ध में किये जाने हेतु और सदैव से कृत या की गई समझी जायेगी और वे उतनी ही विधिमान्य होगी तथा सदैव विधिमान्यकृत समझी जायेगी मानो उक्त अधिनियम के उपबन्ध दिनांक 01 जनवरी, 2006 से समस्त सारवान समयों पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2020 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2020 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

व्यवसाय संघ (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि व्यवसाय संघ (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि व्यवसाय संघ (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

व्यवसाय संघ (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020

व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 का उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध मे अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम व्यवसाय संघ (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जायेगा। — संक्षिप्त नाम और विस्तार

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा,

2-व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 की धारा-8 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :- — अधिनियम संख्या-16 सन् 1926 की धारा-8-क का बढ़ाया जाना

''8-क(1) व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण हेतु सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी यथा विहित रीति से आवेदन-पत्र प्राप्त किये जाने

व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण की अवधि

के दिनांक से पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर व्यवसाय संघ को रजिस्ट्रीकृत कर सकता है या रजिस्ट्रीकृत करने से अस्वीकार कर सकता है या रजिस्ट्रीकृत करने से आपत्ति कर सकता है। उक्त अवधि की समाप्ति पर व्यवसाय संघ, रजिस्ट्रीकृत किया गया समझा जायेगा।

(2) आवेदक व्यवसाय संघ अपेक्षित दस्तावेजों और विहित फीस के साथ विभागीय वेब पोर्टल पर अथवा आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकता है। ऐसी दशा में, यदि आवेदन-पत्र सभी प्रकार से पूर्ण हो और आवेदक पात्र हों तो रजिस्ट्रीकरण वेब पोर्टल द्वारा प्रदान किया जा सकता है और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, ई-मूल के माध्यम से आवेदक को प्रेषित कर दिया जायेगा।

परन्तु यदि ऐसा रजिस्ट्रीकरण तथ्यों के दुर्व्यपदेशन द्वारा या तथ्यों का छिपाकर या कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त किया गया हो, तो ऐसा रजिस्ट्रीकरण आरम्भ से अकृत और शून्य समझा जायेगा और उसे रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है और ऐसे व्यवसाय संघ के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि व्यवसाय संघ (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि व्यवसाय संघ (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

राज्य आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2020

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि राज्य आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि राज्य आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-55 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

राज्य आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2020

उत्तर प्रदेश स्थित गोरखपुर में राज्य आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश नामक एक राज्य आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना करने तथा उससे सम्बन्धित और आनुषंगिक विषयों का उपलब्ध करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम राज्य आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2020 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में है।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिये भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

परिभाषायें

2—जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,—

(1) 'विद्या परिषद' और 'कार्य परिषद' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः विद्या परिषद और कार्य परिषद से है ;

(2) 'सम्बद्ध महाविद्यालय' या 'सम्बद्ध संस्था' का तात्पर्य इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी परिनियमावली के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय या किसी संस्था से है ;

(3) 'नियत दिनांक' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित दिनांक से है;

(4) आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी और परिचर्या के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 एवं केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद अधिनियम, 1973 और उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1939 में उनके लिये समनुदेशित हैं;

(5) 'संकाय' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के किसी अध्यापन संकाय से है;

(6) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार से है;

(7) 'छात्रावास' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त छात्रों के आवास—इकाई से है;

(8) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के सम्बन्ध में 'प्रबन्धतंत्र' का तात्पर्य उस महाविद्यालय के प्रबंधन संबंधी क्रियाकलापों से प्रभारित और विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में मान्यता प्राप्त प्रबन्ध समिति या अन्य निकाय से है;

(9) 'आयुष' का तात्पर्य आनुकल्पिक चिकित्सा प्रणाली की उन समस्त शाखाओं से है, जिसमें आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्धा तथा सोयारिग्पा, परिचर्या, पराचिकित्सा विज्ञान और उनकी समस्त शाखाओं के अन्य समवर्ती विषय सम्मिलित हैं;

(10) 'विहित' का तात्पर्य परिनियमावली द्वारा विहित से है;

(11) 'परिनियमावली' 'अध्यादेशों' और 'विनियमावली' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियमावली, अध्यादेशों और विनियमावली से है;

(12) 'अध्यापक' का तात्पर्य विश्वविद्यालय या उसके सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा अनुदेश या मार्गदर्शन प्रदान करने अथवा अनुसंधान संचालित करने के लिए नियोजित किसी अध्यापक से है, जिसमें किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का निदेशक या प्राचार्य सम्मिलित है।

(13) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन स्थापित राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश से है।

अध्याय—दो

विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय का निगमितीकरण

3—कुलाधिपति, कुलपति और कार्य परिषद तथा विद्या परिषद के सदस्यों, जो विश्वविद्यालय में तत्समय इस रूप में पदधारण करते हों, से राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश के नाम से एक निगमित निकाय सृजित होगी।

कुलपति और कर्मचारीवृन्द की प्रथम नियुक्ति

4—(1) प्रथम कुलपति की नियुक्ति, सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए की जायेगी।

(2) प्रतिकुलपति और चिकित्सालयों के चिकित्सा अधीक्षक (अधीक्षकों) की नियुक्ति, कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के आचार्यों के मध्य से की जा सकती है।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

5–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :–

(क) आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्धा तथा सोयारिग्पा, परिचर्या, भैषजी, पराचिकित्सा विज्ञान और उनकी समय–समय पर विहित की जाने वाली अन्य शाखाओं में ज्ञान का प्रसार और उसकी अभिवृद्धि करना तथा उनमें अध्यापन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संबंधी दक्ष एवं व्यवस्थित अनुदेश, सुनिश्चित करना;

(ख) बहुशाखीय और अतिविशिष्ट आयुष चिकित्सालयों का उपबन्ध करना;

(ग) उसके चिकित्सालयों तथा स्वास्थ्य केन्द्रों में रोगियों का उपचार करना;

(घ) सम्बद्ध (सरकारी तथा निजी रूप से प्रबन्धकृत) महाविद्यालयों को सम्बद्ध करना, उनका पर्यवेक्षण करना तथा उन्हें विनियमित करना और तत्सम्बंधी परीक्षायें संचालित करना;

(ङ) आयुष चिकित्सालयों, निदान केन्द्रों तथा रक्त बैंकों को प्रशासित करना, उनका प्रबन्ध एवं नियंत्रण करना;

(च) परम्परागत तथा अभिनव क्षेत्रों में अनुसंधान को सुगम बनाना;

(छ) अध्यापकों और अन्य प्राविधिक तथा पराचिकित्सीय अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु केन्द्र स्थापित करना; और

(ज) संघ, राज्य और अन्य अभिकरणों की विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वयीत करना।

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ और कृत्य कर्त्तव्य

6–विश्वविद्यालय के पास निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगेः–

(एक) आयुष चिकित्सा, परिचर्या, परा–चिकित्सीय तथा अन्य शाखाओं जैसा कि विश्वविद्यालय उचित समझे, में अध्यापन तथा प्रशिक्षण संस्थित करना, और उन शाखाओं में अनुसंधान एवं ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार के लिये उपबंध करना तथा उनकी अनुवृद्धि का प्रबंध करना;

(दो) सम्बद्ध आयुष महाविद्यालयों, परिचर्या संस्थाओं तथा परा–चिकित्सा संस्थाओं और ऐसे घटक एवं स्वशासी महाविद्यालयों में उपाधियां संस्थित करना तथा प्रदान करना;

(तीन) विश्वविद्यालय के विभिन्न आयुष पाठ्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश का और परीक्षा या परीक्षण आयोजित करना तथा तत्सम्बंध में शर्तें अधिकथित करना;

(चार) ऐसे व्यक्तियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करना और उन्हें उपाधियां, स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा अन्य विद्या सम्बंधी विशेष उपाधियाँ स्वीकृत करना तथा प्रदत्त करना; जो,

(क) विश्वविद्यालय या उसके सम्बद्ध महाविद्यालयों में पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन किये हों; अथवा

(ख) विश्वविद्यालय में अनुसंधान जारी रखे हों;

(पाँच) परिनियमावली में अधिकथित रीति से और उसकी शर्तों के अधीन मानद् उपाधियाँ अथवा अन्य विद्या सम्बंधी विशेष उपाधियाँ प्रदत्त करना;

(छः) अभ्यर्थियों, जो विश्वविद्यालय के छात्र न हों , के लिये ऐसे व्याख्यानों, अनुदेशों तथा प्रशिक्षण का उपबंध करना जैसा कि विश्वविद्यालय अवधारित करे;

(सात) अन्य विश्वविद्यालयों तथा प्राधिकरणों के साथ, ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिये, जैसाकि विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहकार तथा सहयोग करना;

(आठ) छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति, अध्ययनवृत्ति, वृत्तिका, पदक, पारितोषिक संस्थित करना तथा प्रदान करना और अन्य छात्र कल्याणकारी क्रियाकलापों का दायित्व ग्रहण करना;

(नौ) किसी उपाधि हेतु पाठ्यक्रम में प्रवेश के प्रयोजनार्थ किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किसी उपाधि को अपनी उपाधि के समतुल्य या किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण द्वारा आयोजित किसी समकक्ष परीक्षा को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा के समतुल्य मान्यता प्रदान करना;

(दस) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों का पूरा करने के लिये अनुसंधान संस्थानों, चिकित्सालयों, प्रयोगशालों, पुस्तकालयों या अन्य आवश्यक बातों की स्थापना, अनुरक्षण और प्रशासन करना;

(ग्यारह) छात्रावासों की स्थापना , अनुरक्षण और प्रशासन करना और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए आवास के स्थानों को मान्यता देना;

(बारह) फीस एवं अन्य प्रभार नियत करना और संग्रह करना;

(तेरह) निवासियों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करना और विश्वविद्यालय के छात्रों के अनुशासन को विनियमित करना और उनके स्वास्थ्य के संवर्द्धन के लिये व्यवस्था करना;

(चौदह) अध्यापन, प्रशासनिक, प्राविधिक, अध्यापनेत्तर और विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियाँ करना;

(पन्द्रह) श्रेष्ठ शोध और एकस्व कार्यों के प्रकाशन का दायित्व लेना;

(सोलह) अपने चिकित्सालयों में रोगियों के प्रबन्धन और उपचार के लिये उपबंध करना;

(सत्रह) किसी राजकीय या निजी आयुष महाविद्यालय या किसी ऐसी संस्था, जो परिचर्या तथा पराचिकित्सा उपाधि पाठ्यक्रमों में शिक्षा या प्रशिक्षण प्रदान कर रही हो, को सम्बद्धता के विशेषाधिकार देना अथवा ऐसे विशेषाधिकारों को वापस लेना या उनमें कटौती करना और ऐसी संस्था के कार्यों का मार्गदर्शन और नियंत्रण करना;

(अट्ठारह) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिये अपेक्षित ऐसे सभी कार्य एवं बातें करना चाहे वे पूर्वोक्त शक्तियों के आनुषंगिक हों या न हों।

विशेषाधिकारों की अधिकारिता और उनकी स्वीकृति

7–(1) उत्तर प्रदेश राज्य के किसी अन्य विधि में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंध अभिभावी होंगे।

(2) परिचर्या, पराचिकित्सा शाखाओं में आयुष चिकित्सा उपाधि पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य का कोई महाविद्यालय या संस्था किसी अन्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध नहीं की जायेगी और किसी अन्य राज्य विश्वविद्यालय के किसी भी रूप में किन्हीं विशेषाधिकारों में या उनकी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु सरकार का अनुमोदन सम्मिलित होगा।

(3) उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित किसी आयुष विज्ञान के किसी आयुष महाविद्यालय या संस्था द्वारा नियत दिनांक के पूर्व अन्य विश्वविद्यालय से उपभुक्त ऐसा कोई विशेषाधिकार ऐसे दिनांक से प्रत्याहृत माना जायेगा।

(4) नियत दिनांक को और से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अधीन गठित किसी क्षेत्रीय राज्य विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों से पूर्व में स्वीकृत या उनसे सम्बद्ध आयुष चिकित्सा विज्ञान के समस्त महाविद्यालय और संस्थायें, इस विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों को स्वीकृत किये हुये या उससे सम्बद्ध समझे जायेंगे।

विश्वविद्यालय समस्त जातियों एवं पंथो के लिए होगा

8–जाति, वर्ग, पंथ या लिंग के भेदभाव के बिना विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिये होगा; परन्तु यह कि आयुष विश्वविद्यालय–

(एक) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता निर्बंधित कर सकता है;

(दो) तत्समय प्रवृत्त सरकार के किसी विधि या आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, महिला छात्रों और अन्य श्रेणियों के पक्ष में आरक्षण कर सकता है।

निरीक्षण और जाँच

परिदर्शन

9–(1) सरकार को ऐसे व्यक्ति या यक्तियों द्वारा जैसा कि वह निदेश दे, विश्वविद्यालय, जिसके अन्तर्गत उसके भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशालायें, कर्मशालायें तथा उपस्कार हैं, के सम्बंध में, और विश्वविद्यालय द्वारा कराई गयी परीक्षाओं, अध्यापन तथा समस्त अन्य कार्यों का निरीक्षण कराने का, और उसी प्रकार विश्वविद्यालय के प्रशासक तथा वित्त व्यवस्था से सम्बन्धित किसी विषय के सम्बन्ध में निरीक्षण कराने का अधिकार होगा।

(2) जहाँ सरकार उपधारा (1) के अधीन कोई निरीक्षण या जांच कराने का विनिश्चय करे, तो वह उसकी सूचना कुलसचिव के माध्यम से विश्वविद्यालय को देगी और ऐसे निरीक्षण या जाँच में परिषद द्वारा नाम–निर्दिष्ट कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हो सकेगा और उसे इस रूप में सुनवाई का अधिकार होगा :

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय की ओर से विधि व्यवसायी के रूप में ऐसी निरीक्षण या जाँच में उपस्थित नहीं होगा, पक्ष समर्थन नहीं करेगा या कार्य नहीं करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच करने के लिये नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को, शपथ पर साक्ष्य लेने और साक्षियों को उपस्थित कराने तथा दस्तावेजों और सारवान वस्तुओं को प्रस्तुत करने के प्रयोजनार्थ सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन समस्त शक्तियाँ होंगी और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और 346 के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जायेगा और उसके या उनके समक्ष कार्यवाही, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाहियां समझी जायेंगी।

(4) सरकार ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के प्रति निर्देश, कुलपति को सम्बोधित करेगी और कुलपति, सरकार के विचार और उस पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बध में ऐसे परामर्श, जैसा कि सरकार प्रदान करे, के साथ कार्य–परिषद को संसूचित करेगी।

(5) कुलपति, तब ऐसे समय के भीतर, जिसे सरकार नियत करे कार्य परिषद द्वारा की गयी या की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही की रिपोर्ट उसे प्रस्तुत करेगा।

(6) यदि विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, युक्तियुक्त समय के भीतर सरकार के समाधान के अनुसार कार्यवाही न करें तो सरकार किसी ऐसे स्पष्टीकरण पर, जिसे विश्वविद्यालय के प्राधिकारी प्रस्तुत करें, विचार करने के पश्चात् ऐसे निर्देश जारी कर सकेगी जिसे वह ठीक समझे और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे।

(7) सरकार, कुलपति को उपधारा (1) के अधीन कराये गये किसी निरीक्षण या जाँच की, और उपधारा (5) के अधीन कुलपति से प्राप्त प्रत्येक संसूचना की, और उपधारा (6) के अधीन जारी किये गये प्रत्येक निदेश की प्रत्येक रिपोर्ट, और ऐसे निदेशों का अनुपालन करने अथवा न करने के सम्बध में प्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट या सूचना की प्रतियां भी भेजेगी।

अध्याय– तीन

विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी

10–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :–

(क) कुलाधिपति;

(ख) कुलपति;

(ग) प्रति–कुलपति;

(घ) कुलसचिव;

(ङ) वित्त अधिकारी;

(च) परीक्षा नियंत्रक;

(छ) संकाय का संकायाध्यक्ष;

(ज) ऐसे अन्य अधिकारी, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

कुलाधिपति

11–(1) राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे। वह अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय के प्रधान होंगे और जब वह उपस्थित हों तो विश्वविद्यालय के किसी दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेंगे।

(2) कोई मानद उपाधि प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाधिपति की पुष्टि के अध्यधीन होगा।

(3) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि विश्वविद्यालय के प्रशासन कार्य से सम्बन्धित ऐसी जानकारी या अभिलेख , जिन्हें कुलाधिपति मांगे, प्रस्तुत करें।

(4) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियां होंगी जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या उनके अधीन प्रदान की जाए।

कुलपति

12–(1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतानिक अधिकारी होगा और उपधारा (6) या उपधारा (10) द्वारा तथा उपबंधित के सिवाय वह कुलाधिपति द्वारा उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायेगा, जिनके नाम, उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा उन्हें प्रस्तुत किये गये हों।

(2) (क) केवल ऐसा व्यक्ति, कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा जिसने पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त न की हो;

(ख) कुलपति अपने पद ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि या अरसठ वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, के लिये पद धारण करेगा;

(ग) कुलपति, जिसने पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, इस रूप में दूसरी अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है :

परन्तु कुलाधिपति को सम्बोधित और स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा कुलपति अपना पद त्याग सकेगा और कुलाधिपति द्वारा ऐसा त्याग–पत्र मंजूर कर लिये जाने पर वह अपना पद धारण करने से प्रविरत हो जायेगा।

(3) कुलपति की नियुक्ति, कुलाधिपति द्वारा ऐसी समिति की संस्तुति पर की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगेः–

(क) मुख्य सचिव;

(ख) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आयुष विभाग;

(ग) कुलपति, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय;

(घ) निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली;

(ङ) आयुष क्षेत्र में एक विशेषज्ञ, जो चिकित्सा संस्था या चिकित्सा विश्वविद्यालय के प्रधान की श्रेणी से नीचे का न हो, जिसे कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन पदावधि समाप्ति अथवा पदत्याग के कारण कुलपति के पद में होने वाली रिक्ति के दिनांक से यथाशक्य कम से कम साठ दिन पूर्व और जब कभी अपेक्षा की जाये ऐसे दिनांक के पूर्व जो कुलाधिपति द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, समिति कुलपति का पद धारण करने के लिये कुलाधिपति को कम से कम तीन और अधिक से अधिक पांच ऐसे व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करेगी। समिति, कुलाधिपति को नाम प्रस्तुत करते समय सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से प्रत्येक की शैक्षणिक अर्हताओं का एक संक्षिप्त विवरण भी भेजेगी किन्तु वह उसमें कोई अधिमान–क्रम उपदर्शित न करेगी।

(5) जहां कुलाधिपति समिति द्वारा संस्तुत किये गये व्यक्तियों में से किसी एक या अधिक व्यक्तियों को कुलपति नियुक्त किये जाने के लिये उपयुक्त नहीं समझते हैं अथवा संस्तुत किये गये व्यक्तियों में से एक या एकाधिक व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपलब्ध न हों और कुलाधिपति के लिए चयन करना तीन से कम व्यक्तियों तक सीमित हो जाय तो वह समिति से उपधारा (4) के अनुसार नये नामों की सूची प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेंगे।

(6) समिति का कोई कार्य या कार्यवाही, केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं की ज़ायेगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां विद्यमान थी अथवा किसी ऐसे व्यक्ति ने उसकी कार्यवाहियों में भाग लिया, जिसके संबंध में बाद में यह पाया जाय कि वह ऐसा करने का हकदार नहीं था।

(7) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कुलपति की परिलब्धियां तथा सेवा की अन्य शर्तें, ऐसी होंगी जो राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त अवधारित करे।

(8) निम्नलिखित किन्हीं भी परिस्थितियों में (जिनके विद्यमान होने के एक मात्र निर्णायक स्वयं कुलाधिपति होंगे) कुलाधिपति, किसी उपयुक्त व्यक्ति को छः मास से अनधिक पदावधि के लिए, जैसा वह विनिर्दिष्ट करे, कुलपति के पद पर नियुक्त कर सकेंगे:–

(क) जहां कुलपति का पद छुट्टी लेने के कारण अथवा पद–त्याग या पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से, रिक्त हो जाये अथवा उसका रिक्त होना सम्भाव्य हो, तो उसकी सूचना कुलसचिव द्वारा कुलाधिपति को तुरन्त दी जाएगी;

(ख) जहाँ कुलपति का पद रिक्त हो जाये और उसे उपधारा (1) से (5) के उपबन्धों के अनुसार सुविधा तथा शीघ्रता से भरा न जा सकता हो;

(ग) किसी अन्य आपात स्थिति में :

परन्तु कुलाधिपति इस उपधारा के अधीन कुलपति पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति की पदावधि को, समय–समय पर बढ़ा सकेंगे। किन्तु इस प्रकार की ऐसी नियुक्ति की कुल पदावधि (जिसके अन्तर्गत मूल आदेश में नियत अवधि भी है) एक वर्ष से अधिक न हो।

(9) जब तक कि उपधारा (1) या उपधारा (5) या उपधारा (9) के अधीन नियुक्त कुलपति अपने पद का कार्यभार न संभाल ले तब तक प्रतिकुलपति, यदि कोई हो, या जहाँ कोई प्रतिकुलपति न हो, वहां विश्वविद्यालय का ज्येष्ठतम आचार्य कुलपति के कर्तव्यों का भी निर्वहन करेगा।

(10) यदि कुलाधिपति की राय में कुलपति जानबूझकर इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इन्कार करता है या अपने निहित शक्तियों का दुरूपयोग करता है या यदि कुलाधिपति को यह अन्यथा प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के लिये अहितकर है, तो कुलाधिपति ऐसी जांच करने के पश्चात जैसी वह उचित समझे, आदेश द्वारा कुलपति को हटा सकते हैं।

(11) उपधारा (10) में निर्दिष्ट किसी जांच के विचाराधीन रहने के दौरान या ऐसी जांच को अनुध्यात करते हुए कुलाधिपति यह आदेश दे सकते हैं कि अग्रतर आदेशों तक–

(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कार्य संचालन से विरत रहेगा, किन्तु उसे ऐसी परिलब्धियाँ प्राप्त होती रहेंगी जिनके लिये वह अन्यथा उपधारा (8) के अधीन हकदार था;

(ख) कुलपति के पद के कृत्यों का सम्पादन, आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

कुलपति की शक्तियां तथा कर्तव्य

13–(1) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक तथा शैक्षणिक अधिकारी होगा, और –

(क) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर साधारण पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रवर्तित करेगा;

(ग) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, प्राधिकारियों के अधिवेशनों और विश्वविद्यालय के किसी दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा;

(घ) नए छात्रों का उनके ज्येष्ठों द्वारा किसी हिंसक या अशोभनीय रैगिंग के प्रतिषेध को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगा;

(ङ) विश्वविद्यालय परीक्षओं का समुचित ढंग से और ठीक समय पर आयोजन और संचालन करने के लिये और यह सुनिश्चित करने के लिये कि ऐसी परीक्षाओं का परीक्षाफल शीघ्रता से प्रकाशित किया जाता है और विश्वविद्यालय का शैक्षणिक सत्र समुचित दिनांक को प्रारम्भ एवं समाप्त होता है, उत्तरदायी होगा।

(2) कुलपति कार्य परिषद, विद्या परिषद तथा वित्त समिति का पदेन सदस्य और अध्यक्ष (अध्यक्षा) होंगे/होंगी।

(3) कुलपति को विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के अधिवेशन में बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार नहीं होगा।

(4) कुलपति का कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों का निष्ठापूर्वक अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करे और धारा 11 और 50 के अधीन कुलाधिपति की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे ऐसी सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो उस निमित्त, आवश्यक हों।

(5) कुलपति को कार्य परिषद, विद्या परिषद तथा वित्त समिति की बैठकें बुलाने अथवा बुलवाने की शक्ति होगी :

परन्तु कुलपति विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को इस उपधारा के अधीन अपनी शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(6) जहां विश्वविद्यालय के अध्यापक की नियुक्ति से भिन्न कोई ऐसी अत्यावश्यक मामला हो, जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिये इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सशक्त विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा उस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके तो कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जो वह ठीक समझे और अपने द्वारा की गई कार्यवाही की तत्काल रिर्पोट, वह कुलाधिपति तथा ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय को भी देगा जो साधारण क्रम में उक्त मामले के सम्बन्ध में कार्यवाही करते :

परन्तु यदि उसमें परिनियमो या अध्यादेशों के उपबन्धों से कोई विचलन हो तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन के बिना कुलपति द्वारा ऐसी कार्यवाही नहीं की जायेगी :

परन्तु यह और कि यदि अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय की यह राय हो कि ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये थी, तो वह मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट कर सकेगा जो या तो कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि कर सकेगा या उसे निष्प्रभावी कर सकेगा अथवा उसे ऐसी रीति से उपान्तरित करेगा जिसे वह ठीक समझे और तदुपरान्त वह कार्यवाही यथास्थिति प्रभावी नहीं होगी या उपान्तरित रूप से प्रभावी होगी तथापि ऐसे निष्प्रभावीकरण या उपांतर से कुलपति के आदेश द्वारा या उसके अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगाः

परन्तु यह और भी कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही के विरुद्ध उस दिनांक से, जिस दिनांक को ऐसी कार्यवाही पर विनिश्चय से उसे संसूचित किया जाए, अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरान्त कार्य परिषद, कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही को पुष्ट या उपान्तरित कर सकेगी या उसे उलट सकेगी।

(7) उपधारा (6) में किसी बात से कुलपति का कोई ऐसा व्यय उपगत करने के लिये सशक्त नहीं समझा जायेगा जो सम्यक् रूप से प्राधिकृत न हो और जिसकी व्यवस्था, बजट में न की गयी हो।

(8) जहाँ उपधारा (6) के अधीन कुलपति द्वारा शक्ति के प्रयोग में नियुक्ति सम्मिलित हो, वहाँ ऐसी नियुक्ति, उक्त विहित रीति से नियुक्ति किये जाने पर अथवा कुलपति के आदेश के दिनांक से छः माह की अवधि के अवसान पर, जो भी पहले हो, समाप्त हो जायेगी।

(9) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसा कि परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा अधिकथित किया जाय।

प्रति–कुलपति

14–(1) कुलपति यदि आवश्यक समझे विश्वविद्यालय के आचार्यों में से किसी एक को प्रति–कुलपति नियुक्त कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रति–कुलपति, आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(3) प्रति कुलपति, कुलपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।

(4) प्रति कुलपति, सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा यथा अवधारित धनराशि का विशेष भत्ता प्राप्त करेगा।

(5) प्रति–कुलपति ऐसे मामलों में कुलपति की सहायता करेगा जैसाकि कुलपति द्वारा समय–समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाय तथा वह कुलपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के बैठकों का सभापतित्व करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का सम्पादन करेगा जैसाकि कुलपति द्वारा उसे समनुदेशित या प्रत्यायोजित किया जाय।

कुल सचिव

15–(1) कुल सचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

(2) कुल सचिव की नियुक्ति सरकार द्वारा ऐसे निबंधनो और शर्तों पर की जायेगी जैसाकि विहित किया जाय।

(3) कुल सचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेख अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी।

(4) कुल सचिव विश्वविद्यालय के अभिलेखों और सामान्य मुद्रा की सम्यक अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी होगा। वह किसी अध्यापक हेतु कार्य परिषद, विद्या परिषद, प्रवेश समिति, अनुशासन समिति का और विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति और पदोन्नति हेतु प्रत्येक चयन समिति का पदेन सचिव होगा और इन प्राधिकारियों तथा कुलपति के समक्ष समय–समय पर अपेक्षित ऐसी समस्त सूचनाओं को रखने के लिये बाध्य होगा किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने के लिये हकदार नहीं होगा।

(5) कुल सचिव को सरकार के आदेश के सिवाय विश्वविद्यालय में किसी कार्य के लिये कोई पारिश्रमिक न तो प्रदान किया जायेगा और न वह स्वीकार करेगा।

(6) सरकार द्वारा अनुमोदित सदस्य संख्या के सापेक्ष परिनियमावली के अधीन विहित शर्तों पर सहायता देने और सहायता करने के लिये उप कुलसचिव (उप कुलसचिवों) तथा सहायक कुल सचिव (सहायक कुल सचिवों) की नियुक्ति की जा सकती है।

वित्त अधिकारी

16–(1) विश्वविद्यालय हेतु एक वित्त अधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा एक अधिसूचना द्वारा की जायेगी और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का संदाय विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

(2) सरकार द्वारा स्वीकृत सदस्य संख्या के सापेक्ष, परिनियमावली के अधीन विहित शर्तों पर वित्त अधिकारी को सहायता देने और सहायता करने के लिये एक लेखा अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है।

(3) वित्त अधिकारी कार्य परिषद को बजट (वार्षिक प्राक्कलन) और लेखा विवरण प्रस्तुत करने तथा विश्वविद्यालय की ओर से निधियों का आहरण एवं वितरण करने के लिये भी उत्तरदायी होगा।

(4) वित्त अधिकारी को कार्य परिषद की कार्यवाहियों में बोलने और उनमें अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु वह मत देने का हकदार नहीं होगा।

(5) वित्त अधिकारी निम्नलिखित के लिये उत्तरदायी होगा :–

(क) यह सुनिश्चित करना है कि विश्वविद्यालय द्वारा (विनिधान से भिन्न) बजट में अप्राधिकृत कोई व्यय उपगत न किया जाए;

(ख) किसी ऐसे प्रस्तावित व्यय को अस्वीकार करना जो इस अधिनियम के उपबंधों या किन्हीं परिनियमों या अध्यादेशों के निबन्धनों का उल्लंघन करता हो;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि कोई अन्य वित्तीय अनियमितता न की जाय और लेखा–परीक्षा के दौरान उपदर्शित किन्हीं अनियमितताओं को ठीक करने के लिये कदम उठाये जाएं;

(घ) यह सुनिश्चित कराना कि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा उसके विनिधानों को सम्यक रूप से संरक्षण और प्रबंध किया जाय।

(6) वित्त अधिकारी की पहुंच विश्वविद्यालय के ऐसे अभिलेखों और दस्तावेजों तक होगी तथा वह उन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है और उसकी राय में उसके कार्यों से सम्बन्धित ऐसी सूचना का प्रस्तुत किया जाना उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिये आवश्यक हो सकता है।

(7) वित्त अधिकारी को विश्वविद्यालय में किसी कार्य हेतु कोई पारिश्रमिक न तो दिया जायेगा और न ही वह स्वीकार करेगा।

(8) वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय की ओर से समस्त संविदायें करेगा और उन पर हस्ताक्षर करेगा।

(9) वित्त अधिकारी की अन्य शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसाकि विहित किया जाय।

परीक्षा नियंत्रक

17–(1) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

(2) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति सरकार द्वारा की जायेगी और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का संदाय, विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

(3) परीक्षा नियंत्रक अपने कार्य से संबधित अभिलेखों की सम्यक अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी होगा। वह विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति का पदेन सचिव होगा और वह ऐसी समिति के समक्ष ऐसी समस्त सूचनायें प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी होगा जैसा कि उसकें कारबार के संव्यवहार के लिये आवश्यक हो। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी सम्पादन करेगा जैसा कि विनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाय या जैसा कि कार्य परिषद या कुलपति द्वारा समय–समय पर अपेक्षा की जाय किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने के लिये हकदार नहीं होगा।

(4) परीक्षा नियंत्रक को अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखना होगा और उसके पास इस संबंध में कुल सचिव की समस्त शक्तियां होंगी।

(5) परीक्षा समिति के अधीक्षण के अध्यधीन परीक्षा नियंत्रक को परीक्षाओं का संचालन करना होगा और उसके लिये समस्त अन्य व्यवस्थाएँ करनी होगी और तत्सम्बन्धी समस्त प्रक्रियाओं के सम्यक निष्पादन हेतु उत्तरदायी होगा।

(6) परीक्षा नियंत्रक को सरकार के आदेश के सिवाय विश्वविद्यालय में किसी कार्य हेतु न तो कोई पारिश्रमिक दिया जायेगा और न ही वह स्वीकार करेगा।

(7) जहां परीक्षा नियंत्रक, किसी कारणवश कार्य करने मे असमर्थ हो या परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त हो तो उस पद के समस्त कर्तव्यों का सम्पादन, यथा स्थिति, परीक्षा नियंत्रक के पुनः अपने कृर्तव्यों को संभालने तक या रिक्त हो तो उस पद के समस्त कर्तव्यों का सम्पादन, परीक्षा नियंत्रक के पुनः अपने कर्तव्यों को संभालने तक या रिक्ति को भरे जाने तक कुलपति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

(8) अतिरिक्त परीक्षा नियंत्रक और उप परीक्षा नियंत्रक को सरकार द्वारा अनुमोदित सदस्य संख्या के सापेक्ष परिनियमों के अधीन विहित शर्तों पर परीक्षा नियंत्रक को सहायता देने और सहायता करने के लिये नियुक्त किया जा सकता है।

अन्य अधिकारी

18—कुलाधिपति, कुलपति, प्रति—कुलपति, वित्त अधिकारी, कुल सचिव और परीक्षा नियंत्रक, यदि कोई हों, जो नियुक्त किये गये हों, से भिन्न विश्वविद्यालय के अधिकारियों की शक्ति वही होगी जैसा कि अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाय या अधिकथित किया जाय।

अध्याय — चार

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

19—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थातः—

(क) कार्य परिषद;

(ख) विद्या परिषद;

(ग) वित्त समिति;

(घ) परीक्षा समिति;

(ङ) संकाय बोर्ड;

(च) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति हेतु चयन समिति;

(छ) प्रवेश समिति;

(ज) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हें परिनियमावली द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकारी घोषित किया जाय।

कार्य परिषद का गठन

20—(1) कार्य परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष (अध्यक्षा) होगा/होंगी;

(ख) प्रति—कुलपति, यदि कोई हो;

(ग) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आयुष विभाग अथवा उसका नामनिर्देशिती, जो विशेष सचिव की श्रेणी से नीचे का न हो;

(घ) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त विभाग अथवा उसका नामनिर्देशिती जो विशेष सचिव की श्रेणी से नीचे का न हो;

(ङ) सम्बद्ध महाविद्यालयों सहित विश्वविद्यालय के दो संकायों के संकायाध्यक्ष ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम द्वारा;

(च) निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, उत्तर प्रदेश;

(छ) निदेशक, आयुर्वेद (पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन), उत्तर प्रदेश;

(ज) निदेशक, यूनानी सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ;

(झ) निदेशक, होम्योपैथी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ;

(ञ) कार्य परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट राजकीय आयुष महाविद्यालयों के दो सेवानिवृत्त प्राचार्य;

(ट) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रत्येक राजकीय आयुष महाविद्यालय का एक प्राचार्य;

(ठ) सम्बद्ध महाविद्यालयों सहित विश्वविद्यालय के दो ज्येष्ठ आचार्य, जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ड) आयुष चिकित्सा व्यवसाय या सामाजिक सेवा में संलग्न सिविल सोसाइटी के दो प्रख्यात सदस्य या सेवानिवृत्त सिविल सेवक या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जो सरकार की संस्तुति पर कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे।

(2) कार्य परिषद के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी।

(3) कोई व्यक्ति कार्यपरिषद का सदस्य होने और सदस्य (पदेन सदस्य से भिन्न) रहने के लिए अनर्ह होगा, यदि वह या उसका नातेदार विश्वविद्यालय अथवा उसके सम्बद्ध महाविद्यालय की सेवा में होंगे अथवा विश्वविद्यालय में या उसके लिये किसी कार्य के लिये कोई पारिश्रमिक अथवा विश्वविद्यालय को माल की आपूर्ति करने की, या उसके निमित्त किसी कार्य का निष्पादन करने की कोई संविदा स्वीकार करता है:

परन्तु यह कि इस उपधारा की कोई बात, किसी अध्यापक द्वारा इस रूप में अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा के सम्बन्ध में किन्हीं कर्तव्यों का पालन करने के लिये अथवा किसी प्रशिक्षण के संबंध में किन्हीं कर्तव्यों का पालन करने के लिए अथवा किसी प्रशिक्षण इकाई या किसी छात्रावास के अधीक्षक या वार्डन अथवा प्राक्टर के रूप में किन्हीं कर्तव्यों के लिये अथवा विश्वविद्यालय के संबंध में तत्सदृश किन्हीं कर्तव्यों के लिये कोई पारिश्रमिक स्वीकार करने पर लागू न होगी।

स्पष्टीकरण– इस धारा में नातेदार का तात्पर्य समय–समय पर यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 2 में परिभाषित कम्पनी और परिभाषा ब्यौरों के विनिर्देशन नियम, 2014 के नियम–4 के अधीन विहित "नातेदारों" से है।

कार्य परिषद की शक्तियां और कर्तव्य

21–(1) कार्य परिषद, विश्वविद्यालय की प्रधान कार्यकारी निकाय होगी और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उसकी निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात्:–

(एक) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियों को धारण करना और उन पर नियंत्रण रखना;

(दो) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का अर्जन या अन्तरण करना;

(तीन) परिनियमों और अध्यादेशों को बनाना, संशोधित करना या निरसित करना;

(चार) विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिये विश्वविद्यालय के व्ययन पर रखी गई किन्हीं निधियों को प्रशासित करना;

(पाँच) विश्वविद्यालय का बजट तैयार करना;

(छः) अध्यादेशों के अनुसार छात्रवृत्तियाँ, अधि–छात्रवृत्तियाँ, निर्धन छात्रवृत्तियाँ, पदक और अन्य पारितोषिक प्रदान करना;

(सात) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करना और उनके कर्तव्यों और उनकी सेवा की शर्तों को परिभाषित करना और उनके पदों की अस्थायी आकस्मिक रिक्तियों को भरने की व्यवस्था करना;

(आठ) परीक्षकों की फीस, परिलब्धियाँ तथा यात्रा और अन्य भत्ते नियत करना;

(नौ) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा का आकार और उसके प्रयोग के सम्बन्ध में निदेश देना;

(दस) विश्वविद्यालय के अध्यापक वर्ग, प्रशासकीय वर्ग और अन्य कर्मचारी वर्ग के सदस्यों के मध्य परिनियमों और अन्य अध्यादेशों के अनुसार अनुशासन विनियमित और प्रवर्तित करना;

(ग्यारह) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखाओं, विनिधानों, सम्पत्ति, कारोबार और अन्य सभी प्रशासनिक मामलो का प्रबन्ध और विनियमन करना और उक्त प्रयोजन के लिये ऐसे अभिकर्ता नियुक्त करना, जिन्हें वह ठीक समझे;

(बारह) विश्वविद्यालय के किसी धन को (जिसके अन्तर्गत किसी न्यास या विन्यासित सम्पत्ति से होने वाली कोई आय भी है) ऐसे स्टाक निधियों, शेयरों या प्रतिभूतियों में, जिन्हें वह समय–समय पर ठीक समझे या भारत में स्थावर सम्पत्ति को क्रय करने में विनिधान करना और समय–समय पर ऐसे विनिधान में परिवर्तन करना;

(तेरह) विश्वविद्यालय के कार्य को करने के लिये आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचर और साधित्र और अन्य साधनों की व्यवस्था करना;

(चौदह) विश्वविद्यालय की ओर से संविदा करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें कार्यान्वित करना और निरस्त करना;

(पन्द्रह) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार विश्वविद्यालय और साथ ही साथ घटक, सम्बद्ध महाविद्यालयों, चिकित्सालयों और स्वास्थ्य केन्द्रों से सम्बन्धित अन्य सभी विषयों को विनियमित करना और अवधारित करना।

(2) सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना कार्य परिषद, बन्धक, विक्रय, विनिमय, दान या अन्यथा द्वारा विश्वविद्यालय की किसी स्थावर सम्पत्ति का (सिवाय साधारण प्रबन्ध के अनुक्रम में मासानुसार किराये पर देने के) न तो अन्तरण करेगी और न सिवाय सरकार से विश्वविद्यालय के लिये कोई सहायता अनुदान प्राप्त होने की शर्त के रूप में सरकार से विश्वविद्यालय के लिये कोई सहायता अनुदान प्राप्त होने की शर्त के रूप में अथवा सरकार से विश्वविद्यालय के लिये कोई सहायता अनुदान प्राप्त होने की शर्त के रूप में अथवा सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी अन्य व्यक्ति से उसकी प्रतिभूति पर कोई धन उधार या अग्रिम लेगी।

(3) सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त किये बिना कोई ऐसा व्यय उपगत नहीं किया जायेगा जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम या परिनियमों अथवा अध्यादेशों द्वारा ऐसा अनुमोदन अपेक्षित हो और सरकार के पूर्वानुमोदन के सिवाय अथवा सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के सिवाय कोई भी पद विश्वविद्यालय में सृजित नहीं किया जायेगा।

(4) विश्वविद्यालय के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन और अन्य भत्ते वहीं होंगे जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये जायें।

(5) कार्य परिषद, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवर्ती और अनावर्ती व्यय के लिये वित्त समिति द्वारा नियत सीमा से अधिक व्यय उपगत नहीं करेगी।

(6) विद्या परिषद और सम्बन्धित संकायों के बोर्डो के परामर्श पर विचार किये बिना कार्य परिषद अध्यापकों की संख्या, अर्हताओं तथा परिलब्धियों और परीक्षकों को संदेय फीस के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं करेगी।

(7) कार्य परिषद परिनियमों में अधिकथित किन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी को या अपने द्वारा नियुक्त किसी समिति को अपनी कोई शक्ति, जिसे वह ठीक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगी।

विद्या परिषद

22–(1) विद्या परिषद, विश्वविद्यालय की प्रधान विद्या निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के अधीन रहते हुए,–

(क) विश्वविद्यालय में दिये जाने वाले अनुदेश, शिक्षा और किये जाने वाले अनुसंधान कार्य के स्तर को बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगी और उसका नियंत्रण और साधारण विनियमन करेगी;

(ख) विद्या सम्बन्धी समस्त विषयों पर, जिनके अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं से सम्बन्धित विषय भी है, कार्य परिषद को परामर्श दे सकेगी; और

(ग) उसकी ऐसी अन्य शक्तियाँ तथा कर्तव्य होंगे जो उसे परिनियमों द्वारा प्रदत्त हो या उस पर अधिरोपित किये जायें।

(2) विद्या परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे; अर्थात्:–

(एक) कुलपति;

(दो) संकायों के संकायाध्यक्ष

(तीन) विश्वविद्यालय के सभी अन्य विभागाध्यक्ष;

(चार) विश्वविद्यालय के सभी आचार्य, जो विभागाध्यक्ष न हों;

(पाँच) आयुष संस्थाओं या आयुष महाविद्यालयों के दो सेवानिवृत्त प्राचार्य, जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाएंगे;

(छः) विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्रत्येक संकाय से दो आचार्य, दो सह–आचार्य और दो सहायक आचार्य, जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाएंगे; और

(सात) शैक्षणिक ख्याति के पाँच व्यक्ति, जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाएंगे।

(3) नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी।

वित्त समिति

23–(1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे:–

(क) कुलपति, जो उसका/उसकी अध्यक्ष (अध्यक्षा) होगा/होगी;

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष विभाग का अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव;

(ग) सरकार के वित्त विभाग का प्रमुख सचिव;

(घ) प्रति-कुलपति, यदि कोई हो;

(ड.) कुल सचिव;

(च) परीक्षा नियंत्रक;

(छ) वित्त अधिकारी जो समिति का सचिव होगा।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में निर्दिष्ट कोई सदस्य वित्त समिति की किसी बैठक में स्वयं भाग लेने के बजाय राज्य सरकार के संयुक्त सचिव से अनिम्न पद के किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्त कर सकता है और इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी को मत देने का भी अधिकार होगा।

(3) वित्त समिति, कार्य परिषद को विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियों के प्रशासन से सम्बद्ध विषयों पर सलाह देगी। वह विश्वविद्यालय की आय तथा साधनों को ध्यान में रखते हुए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कुल आवर्ती तथा अनावर्ती व्ययों की सीमा नियत करेगी और किसी विशेष कारण से वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार नियत व्ययों की सीमा को पुनरीक्षित कर सकेगी और इस प्रकार नियत सीमा कार्य परिषद पर बाध्यकारी होगी।

(4) वित्तीय समिति को ऐसी अन्य शक्तियां तथा कर्तव्य होंगे जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनायी गयी परिनियमावली द्वारा उसे प्रदत्त हों अथवा उस पर अधिरोपित किये जाएं।

संकाय

24–(1) विश्वविद्यालय में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, परिचर्या, पराचिकित्सा संकाय और यथाविहित अन्य संकाय होंगे।

(2) प्रत्येक सकाय में अध्यापन के ऐसे विभाग समाविष्ट होंगे जो विहित किये जाएं और प्रत्येक विभाग में ऐसे पाठ्य विषय होंगे जो उसके लिये अध्यादेशों द्वारा समनुदेशित किये जाएं।

(3) प्रत्येक संकाय का एक बोर्ड होगा, जिसका गठन (उसके सदस्यों की पदावधि सहित) तथा उसकी शक्तियां और कर्तव्य वही होंगे जैसा कि विहित किये जायं।

(4) प्रत्येक संकाय का एक संकायाध्यक्ष होगा जो आचार्यो में से चक्रानुक्रम द्वारा ज्येष्ठता क्रम में चुना जायेगा और तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(5) संकायाध्यक्ष संकाय के बोर्ड का/की अध्यक्ष (अध्यक्षा) होगा/होगी, और

(क) संकाय में समाविष्ट विभागों के अध्यापन तथा अनुसंधान कार्य के संगठन तथा संचालन के लिए;

(ख) संकाय से सम्बन्धित परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के सम्यक अनुपालन के लिए;

उत्तरदायी होगा।

(6) विश्वविद्यालय में प्रत्येक अध्यापन विभाग में एक विभागाध्यक्ष होगा जिसकी नियुक्ति परिनियमों द्वारा विनियमित की जायेगी।

(7) विभागाध्यक्ष विभाग में अध्यापन के संगठन के लिए संकायाध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होगा और उसके पास ऐसी शक्तियां और कर्तव्य होंगे जैसा कि अध्यादेशों में उपबन्धित किया जाए।

(8) विभिन्न पाठ्य विषयों के सम्बन्ध में अध्ययन बोर्डों का गठन अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा और एक अध्ययन बोर्ड के लिये एक से अधिक विषय समनुदेशित किये जा सकेंगे।

प्रवेश समिति

25–(1) विश्वविद्यालय की एक प्रवेश समिति होगी, जिसका गठन उसी प्रकार से किया जायेगा जैसा कि अध्यादेशों में उपबंधित किया गया हो।

(2) प्रवेश समिति को उतनी संख्या में उपसमितियां नियत करने की शक्तियां होगी जितनी वह ठीक समझे।

(3) विद्या परिषद के अधीक्षण के अधीन तथा उपधारा (5) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रवेश समिति विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की नीतियों को शासित करने वाले सिद्धान्तों या प्रतिमानों को अधिकथित करेगी।

(4) उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए समिति प्रवेशों के मापदण्ड या पद्धतियों (जिसमें प्रवेश किये जाने वाले छात्रों की संख्या सम्मिलित हो) के सम्बन्ध में कोई निदेश जारी कर सकती है।

(5) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय में किसी पाठ्यक्रम में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के प्रवेश के लिए (अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर) ऐसी विधि या आदेशों द्वारा स्थान आरक्षित और विनियमित किये जा सकेंगे जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उस निमित्त करें।

(6) पूर्ववर्ती उपधाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश केन्द्रीय या राज्य नियामक निकायों के किन्हीं आदेशों के अध्यधीन होंगे।

(7) इस धारा के उपबन्धों का उल्लंघन करके विश्वविद्यालय या उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रविष्ट किसी छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा सचालित किसी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी और कुलपति के पास ऐसा उल्लंघन किये जाने पर दिये गये किसी प्रवेश को रद्द करने की शक्ति होगी।

परीक्षा समिति

26–(1) विश्वविद्यालय में एक परीक्षा समिति होगी, जिसका गठन अध्यादेशों में यथा उपबंधित रूप में किया जायेगा।

(2) समिति सामान्यतः विश्वविद्यालय की समस्त परीक्षाओं का जिसमें अनुसीमन तथा सारणीकरण भी सम्मिलित है, पर्यवेक्षण करेगी और निम्नलिखित अन्य कृत्यों को सम्पादित करेगी, अर्थात्:–

(क) परीक्षकों तथा अनुसीमकों को नियुक्त करना तथा यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना;

(ख) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के परिणामों का समय–समय पर पुनरीक्षण करना और तत्सम्बन्ध में विद्या परिषद को रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(ग) परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए विद्या परिषद को संस्तुतियां करना;

(घ) अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित परीक्षकों की सूची की संवीक्षा करना, उसे अंतिम रूप देना और विश्वविद्यालय के परिणामों की घोषणा करना।

(3) परीक्षा समिति उतनी उप समितियां नियुक्त कर सकेगी जितनी वह उचित समझे और विशिष्टतः किसी एक या अधिक व्यक्तियों अथवा उप समितियों को परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग करने से सम्बन्धित मामलों में कार्यवाही करने तथा उन पर विनिश्चय करने की शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगी।

(4) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी परीक्षा समिति या यथास्थिति किसी उप समिति या किसी व्यक्ति के लिए, जिसे परीक्षा समिति ने उपधारा (3) के अधीन इस निमित्त अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन किया हो,

विश्वविद्यालय की भावी परीक्षओं से किसी परिक्षार्थी को विवर्जित करना विधिपूर्ण होगा, यदि उसकी राय में ऐसा परीक्षार्थी किसी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने का दोषी हो।

अन्य प्राधिकरण

27–विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का गठन, उनकी शक्तियां तथा कर्तव्य वहीं होंगे जो विहित किये जायें।

अध्याय – पाँच

महाविद्यालयों की सम्बद्धता और मान्यता

सम्बद्ध महाविद्यालय

28–(1) कार्य परिषद, किसी महाविद्यालय को, जो सम्बद्धता की उन शर्तों की पूर्ति करता है, जिन्हें विहित किया जाए, सम्बद्धता के विशेषाधिकारों को प्रदान कर सकेगी अथवा पहले से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय के विशेषाधिकारों को निस्तारित कर सकेगी अथवा उपधारा (7) के उपबन्धों के अध्यधीन ऐसे किसी विशेषाधिकार को वापस ले सकेगी या उसे कम कर सकेगी।

(2) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उसी स्थानीय क्षेत्र में अवस्थित किसी अन्य सम्बद्ध महाविद्यालय के साथ अथवा विश्वविद्यालय के साथ अध्यापन अथवा अनुसंधान कार्य में सहयोग के लिए प्रबन्ध करे।

(3) इस अधिनियम में यथा उपबन्धित के सिवाय, सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबंधतंत्र महाविद्यालय के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने और उनका नियंत्रण करने के लिए स्वतन्त्र होगा और उसके अनुरक्षण एवं रख–रखाव के लिए उत्तरदायी होगा और उसका प्राचार्य, उसके विद्यार्थियों के अनुशासन के लिए और उसके कर्मचारिवृन्द पर अधीक्षण एवं नियंत्रण करने के लिए उत्तरादायी होगा।

(4) प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय ऐसी रिपोर्टों, विवरणियों और अन्य विशिष्टियों को प्रदान करेगा जिन्हें कार्यपरिषद अथवा उप–कुलपति मांगे।

(5) कार्यपरिषद, प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण, उस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा पांच वर्ष से अनधिक के अन्तराल पर समय–समय पर करायेगी और उस निरीक्षण की रिपोर्ट कार्यपरिषद को दी जाएगी।

(6) कार्य परिषद, इस प्रकार निरीक्षण किये गये सम्बद्ध महाविद्यालय को ऐसी कार्यवाही करने का निदेश कर सकेगी जो उसे उस अवधि के भीतर, जिसे विहित किया जाए, आवश्यक प्रतीत हो।

(7) ऐसे किसी महाविद्यालय, जो उप–धारा (6) के अधीन कार्यपरिषद के किसी निदेश का अनुपालन करने में अथवा सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने में विफल हो जाता है, की सम्बद्धता का विशेषाधिकार, उस महाविद्यालय के प्रबंधतंत्र से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् और कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति से, कार्यपरिषद द्वारा परिनियमों के उपबंधों के अनुसार वापस लिये जा सकेंगे या उनमें कमी की जा सकेगी।

(8) उपधारा (1) और (7) में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, यदि सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबंधतंत्र, सम्बद्धता की शर्तों का पालन करने में विफल हो गया हो तो कुलाधिपति प्रबन्धतंत्र और कुलपति से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् सम्बद्धता के विशेषाधिकारों को वापस ले सकेगा अथवा उनमें कमी कर सकेगा।

संघटक महाविद्यालय

29–(1) संघटक महाविद्यालय वे महाविद्यालय होंगे, जिन्हें परिनियमों द्वारा नामित किया जाये और विश्वविद्यालय द्वारा अथवा सरकार द्वारा अनुरक्षित किये जायेंगे।

(2) किसी संघटक महाविद्यालय के प्राचार्य का महाविद्यालय के कर्मचारिवृन्द पर सामान्य नियंत्रण होगा। वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जैसा कि विहित किया जाय।

स्वशासी महाविद्यालय

30–विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों पर, ऐसे किसी सम्बद्ध महाविद्यालय को विहित रीति से स्वशासी महाविद्यालय, जो उस निमित्त विहित शर्तों को पूरा करता हो, के रूप में उस महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा विहित पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने और इस प्रकार परिवर्तित किये गये पाठ्यक्रमों में परीक्षा आयोजित कराने के विशेषाधिकार प्रदान कर सकता है।

अध्याय – छः

विश्वविद्यालय के अध्यापकों की भर्ती तथा उनकी सेवा की शर्तें

अध्यापकों की नियुक्ति

31–(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अध्यापक, कार्यपरिषद द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर एतद्पश्चात् उपबन्धित रीति से नियुक्त किये जायेंगे। चयन समिति की बैठक उतनी बार होगी जितनी आवश्यक हो:

परन्तु, अध्यापकों को किसी नियामक निकाय की अनुज्ञा की गम्भीर आवश्यकता होने पर विशेष परिस्थतियों में अनधिक एक वर्ष की अवधि के लिए संविदा के आधार पर लगाया जा सकता हैं। न्यूनतम अर्हताएं और अनुभव वहीं होंगे जैसा कि सरकार के मार्गदर्शनों के अनुसार विहित किया जाएं।

(2) प्रत्येक ऐसे अध्यापक की नियुक्ति, जो उपधारा (3) के अधीन की गयी नियुक्ति न हो, प्रथमतः एक वर्ष के लिए परिवीक्षा पर होगी जिसे कार्यपरिषद द्वारा एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु यह कि परिवीक्षा अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर सेवा समाप्ति का कोई आदेश, विश्वविद्यालय के अध्यापक की दशा में पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि कुलपति और सम्बद्ध विभागाध्यक्ष (जब तक कि अध्यापक स्वंय विभागाध्यक्ष न हो) की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् कार्यपरिषद आदेश न दे दें:

परन्तु यह और कि सम्बद्ध अध्यापक को प्रस्तावित सेवा समाप्ति के आधारों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण का अवसर देते हुए नोटिस दिये बिना सेवा समाप्ति का ऐसा कोई आदेश नहीं पारित किया जायेगाः

परन्तु यह भी यदि यथास्थिति परीवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व नोटिस दी जाए तो परिवीक्षा अवधि तब तक के लिए बढ़ायी जायेगी जब तक कि प्रथम परन्तुक के अधीन कार्य परिषद का अंतिम आदेश न दे दिया जाये।

(3) जहां कोई अध्यापक (चयन समिति को निर्देश देने के पश्चात्) ऐसे अस्थायी पद पर नियुक्त किया गया हो, जिसके छः मास से अधिक चलने की संभावना रही हो, और जिस पद को बाद में स्थायी पद में परिवर्तित कर दिया गया हो, या किसी स्थायी पद पर ऐसी रिक्ति मे नियुक्त किया गया हो, जो पदधारी को दस मास से अधिक अवधि के लिए छुट्टी देने के कारण हुई हो और ऐसा पद बाद में स्थायी रूप से रिक्त हो जाये या उसी विभाग में उसी संवर्ग और श्रेणी का कोई अन्य पद रिक्त या नव सृजित हो जाय, वहां कार्य परिषद, यदि कारण बताने का अवसर देने के पश्चात उसकी सेवा समाप्त करने का विनिश्चय नहीं करती है तो ऐसे अध्यापक को उस पद पर मौलिक हैसियत से चयन समिति को निर्देश के बिना नियुक्त कर सकेगीः

परन्तु यह खण्ड तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि संबंधित अध्यापक, ऐसी मौलिक नियुक्ति के समय, उस पद के लिए विहित अर्हतायें धारण न करता हो और चयन समिति को निर्देश के पश्चात् हुई नियुक्ति के बाद उसने लगातार एक वर्ष तक काम न किया होः

परन्तु यह और कि इस खण्ड के अधीन मौलिक हैसियत से नियुक्त कोई ऐसा अध्यापक जिसने ऐसी नियुक्ति के पूर्व दो वर्ष से कम अवधि पर्यन्त लगातार काम किया हो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा, जिसे एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, और उपधारा (2) के उपबंध तद्नुसार लागू होंगे।

(4) अध्यापक की नियुक्ति के लिये चयन समिति में निम्नलिखित होंगेः–

(एक) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष (अध्यक्षा) होगा/होगी;

(दो) संबद्ध विभागाध्यक्ष :

परन्तु विभागाध्यक्ष उस दशा में चयन समिति में नहीं बैठेगा जब वह स्वयं नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी हो अथवा जब सम्बद्ध पद उसके मौलिक पद की श्रेणी से उच्चतर हो, ऐसी दशा में उसका पद विभाग के ज्येष्ठतम आचार्य द्वारा और यदि कोई आचार्य नहीं है तो संकायाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगाः

परन्तु यह और कि जहां कुलाधिपति का यह समाधान हो जाये कि मामले की विशेष परिस्थितियों में, पूर्ववर्ती परन्तुक के अनुसार चयन समिति का गठन नहीं किया जा सकता है, वहां वे ऐसी रीति से चयन समिति का गठन करने का निदेश दे सकते हैं, जैसी वे उचित समझें।

(तीन) किसी आचार्य या किसी सह आचार्य की दशा में तीन विशेषज्ञ, और किसी अन्य दशा में दो विशेषज्ञ, जो कुलाधिपति द्वारा नाम–निर्दिष्ट किये जायेंगे।

(5) (क) प्रत्येक पाठ्य विषय के लिए भारतीय विश्वविद्यालय के तत्स्थानिक संकाय या उत्तर प्रदेश में अथवा उसके बाहर स्थित ऐसे विद्या निकायों या अनुसंधान संस्थाओं से जिन्हें कुलपति आवश्यक समझें, परामर्श करने के पश्चात कुलाधिपाति छः या उससे अधिक विशेषज्ञों का एक पैनल बनायेंगे। उपधारा (4) के अधीन कुलाधिपति द्वारा नाम–निर्दिष्ट किया जाने वाला प्रत्येक विशेषज्ञ वही व्यक्ति होगा जिसका नाम ऐसे पैनल में दिया गया हो;

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट कोई पैनल प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् पुनरीक्षित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण (1) इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे विषय की शाखा को, जिसमें स्नातकोत्तर उपधि के लिए पृथक पाठ्यक्रम विहित हो, पृथक पाठ्य विषय समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण– (2) जहां चयन किए जाने वाले अध्यापक का पद एक से अधिक पाठ्य विषय के लिए हो तो विशेषज्ञ उनमें से किसी एक पाठ्य विषय का हो सकेगा।

(ग) कुलाधिपति, चयन समिति में अपने नाम–निर्देशितियों के रूप में कार्य करने के लिए विशेषज्ञों के उतने नामों से अधिक नाम, जो उपधारा (4) के अधीन अपेक्षित हैं, विनिर्दिष्ट आदेश से संसूचित कर सकेगा। ऐसे मामले में जब कोई व्यक्ति जिसका नाम विनिर्दिष्ट क्रम में उपर दिया गया हो, चयन समिति की बैठक के लिए उपलब्ध न हो तो उस व्यक्ति से, जिसका नाम विनिर्दिष्ट क्रम में उसके ठीक नीचे हो, समिति में कार्य करने के लिए अनुरोध किया जायेगा;

(6) उपधारा (4) में निर्दिष्ट चयन समिति द्वारा की गयी किसी सिफारिश को तब तक विधिमान्य नहीं समझा जायेगा जब तक कि विशेषज्ञों में से एक विशेषज्ञ ऐसे चयन से सहमत न हो;

(7) उपधारा (6) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी चयन समिति की कुल सदस्यों के बहुमत से ऐसी समिति की गणपूर्ति होगीः

परन्तु आचार्य या सह आचार्य के मामले में गणपूर्ति के लिए उपस्थित व्यक्तियों में कम से कम दो विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे।

(8) यह चयन समिति पर निर्भर होगा कि वह प्रत्येक पद के लिए एक या एक से अधिक किन्तु तीन से अनधिक नामों की सिफारिश करे।

(9) किसी अध्यापक की नियुक्ति की दशा में यदि कार्य परिषद चयन समिति द्वारा की गयी सिफारिश से सहमत न हो तो कार्यपरिषद उस मामले को असहमति के कारणों सहित कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगा और उनका विनिश्चय अन्तिम होगाः

परन्तु यह कि यदि कार्यपरिषद चयन समिति के अधवेशन के दिनांक से चार मास की अवधि के भीतर समिति की सिफारिशों पर विनिश्चिय न करें, तब भी मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट माना जायेगा, और उनका विनिश्चिय अन्तिम होगा।

(10) अध्यापकों की नियुक्ति के लिये चयन समिति के सदस्यों की ऐसी समितियों में विचार–विमर्श में भाग लेने में हित होने के आधार पर अनर्हता, और ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति से संबंधित अन्य विषय, परिनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।

(11) इस धारा के अधीन किसी नियुक्ति के लिए चयन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक वह रिक्ति कम से कम दो ऐसे समाचार–पत्रों के तीन अंकों में विज्ञापित न कर दी जाये, जिसका उत्तर प्रदेश में पर्याप्त परिचालन हो।

सह– आचार्य और आचार्य के पद पर वैयक्तिक पदोन्नति

32–(1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी विश्वविद्यालय में मौलिक रूप से नियुक्त कोई सहायक आचार्य या मौलिक रूप से नियुक्त या इस धारा के अधीन पदोन्नत कोई सह–आचार्य, जिसकी उतनी सेवा अवधि हो और जो ऐसी अर्हताएं रखता हो, जैसी विहित की जायें, को क्रमशः सह आचार्य या आचार्य के पद पर वैयक्तिक पदोन्नति दी जा सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन ऐसी वैयक्तिक पदोन्नति, महाविद्यालय के अध्यापकों से भिन्न विश्वविद्यालय के अध्यापकों को धारा 31 की उपधारा (4) के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिश पर ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों, जैसी विहित की जायें, के अध्यधीन प्रदान की जायेगी।

विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति की संविदा

33–(1) परिनियमों द्वारा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय विश्वविद्यालय और सम्बद्ध महाविद्यालयों का कोई अध्यापक, सिवाय ऐसी लिखित संविदा के, जो इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुरूप होगी, नियुक्त नहीं किया जायेगा।

(2) मूल संविदा कुलसचिव के पास रखी जाएगी और उसकी एक प्रति संबंधित अधिकारी या अध्यापक को दी जाएगी।

(3) किसी संविदा या अन्य लिखत में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को, ऐसी सीमा, यदि कोई हो, के सिवाय और ऐसी शर्तों और निबन्धों के अधीन रहते हुए जैसा राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, निजी चिकित्सा व्यवसाय (प्रैक्टिस) करने का अधिकार नहीं होगा।

पेंशन भविष्य निधि आदि

34–विश्वविद्यालय, अपने अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की प्रसुविधा के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो सरकार द्वारा सामान्य और विशेष आदेश द्वारा विहित की जाएं, ऐसी पेंशन स्कीमें, बीमा या भविष्य निधि गठित करेगा, जिसे वह ठीक समझे, जिसके अन्तर्गत ऐसी निधि भी है, जिससे

यथास्थिति ऐसे अध्यापकों या उनके उत्तराधिकारियों को, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (परीक्षा संचालन संबंधी उपबन्ध) अधिनियम, 1965 के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के संबंध में उपगत निर्योग्यता, आहत या मृत्यु हो जाने की दशा में पेंशन या उपदान दिया जाएगा।

अध्यापकों के लिए अनुज्ञेय अतिरिक्त पारिश्रमिकीय कार्य की सीमायें

35–(1) अध्यापकों को किसी भारतीय विश्वविद्यालय या लोक सेवा आयोग से भिन्न किसी निकाय द्वारा संचालित किसी परीक्षा के सबंध में किये गये किन्हीं कर्तव्यों के लिए पारिश्रामिक के संदाय संबधी शर्तें वही होंगी जो विहित की जाएं।

(2) कोई अध्यापक अध्यापन संबंधी कर्तव्यों या किन्हीं परीक्षा संबंधी कर्तव्यों से भिन्न कर्तव्यों वाला एक से अधिक पारिश्रमिकीय पद धारण नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण–शब्द "पारिश्रमिकीय पदों" में किसी छात्रावास के प्रोवोस्ट, वार्डन या अधीक्षक, प्रॉक्टर, क्रीड़ाधीक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष के पद सम्मिलित हैं।

माध्यस्थम अधिकरण

36–(1) धारा 33 में निर्दिष्ट किसी नियुक्ति के संविदा से उठने वाला कोई विवाद माध्यस्थतम अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसमें कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य, संबंधित अधिकारी या अध्यापक द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य (जो संयोजक का काम करेगा) सम्मिलित होंगे।

(2) यदि किसी कारणवश अधिकरण के किसी सदस्य का पद रिक्त हो जाए तो उस रिक्ति की पूर्ति के लिये उपयुक्त व्यक्ति या संबंधित निकाय उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करेगा, और अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियां उस प्रक्रम से जारी रखी जा सकती है, जिस प्रक्रम पर रिक्ति की पूर्ति की जाय।

(3) अधिकरण का विनिश्चय अंतिम और पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जाएगी।

(4) माध्यस्थम अधिकरण की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगीः–

(क) अपनी प्रक्रिया विनियमित करना;

(ख) संबंधित अधिकारी या अध्यापक को पुनर्नियुक्ति करने का आदेश देना; और

(ग) संबंधित अधिकारी या अध्यापक को, ऐसी आय की कटौती करने के पश्चात् जो उसे सेवा से निलंबित होने, हटाये जाने, पदच्युत किये जाने अथवा समाप्त किये जाने के दौरान अन्यथा प्राप्त हुई हो, वेतन दिलाना।

(5) माध्यस्थम से सम्बद्ध तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट कोई बात इस धारा के अधीन माध्यस्थम पर लागू न होगी।

(6) किसी न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही किसी ऐसी बात के सम्बन्ध में नहीं की जाएगी जो उपधारा (1) द्वारा माध्यस्थम अधिकरण को निर्दिष्ट किये जाने के लिये अपेक्षित हो :

परन्तु उपधारा (3) में निर्दिष्ट अधिकरण का प्रत्येक विनिश्चय प्रादेशिक अधिकारितायुक्त निम्नतम न्यायालय द्वारा निष्पादनीय होगा मानों वह उक्त न्यायालय की कोई डिक्री हो।

अध्याय–सात

विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृंद की भर्ती और उनकी सेवा शर्तें

शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृंद की सेवा शर्तें

37–(1) विभिन्न सेवाओं में विभिन्न पदों पर सीधी भती और पदोन्नति, परिनियमावली में यथा विहित भर्ती बोर्ड या पदोन्नति समितियों की सिफारिशों पर संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी।

(2) सेवाओं की सदस्य संख्या और उनमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या वही होगी, जैसा कि कार्य परिषद द्वारा अवधारित किया जाय और सरकार द्वारा समय–समय पर अनुमोदित किया जाय।

(3) आयु अवधारण और सेवा या अनुभव काल की गणना, उस भर्ती वर्ष, जो प्रत्येक वर्ष के 01 जुलाई से प्रारम्भ हो, के 01 जुलाई को की जायेगी।

(4) विभिन्न पदों आदि पर सीधी भर्ती या पदोन्नति हेतु आयु, न्यूनतम अर्हता, अनुभव, आरक्षण और अन्य सेवा शर्तें वही होंगी जैसा कि विहित किया जाय;

(5) रिक्त अनुमोदित पदों के सापेक्ष सरकार के निदेशों के अनुसार कर्मचारीगण को बाह्य स्रोतित किया जा सकता है।

अध्याय–आठ

परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम

परिनियम

38–इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिनियमों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे और विशिष्टतया निम्नलिखित के लिये उपबन्ध किये जायेंगे:–

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों का गठन, उनकी शक्तियाँ और उनके कर्तव्य;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के सदस्यों का नाम निर्देशन, नियुक्ति तथा पदावधि, और उनकी सदस्यता में रिक्तियों का भरा जाना और इन प्राधिकरणों से संबंधित अन्य सभी विषय, जिनके लिए उपबन्ध करना आवश्यक हो;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य;

(घ) विश्वविद्यालय और सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों और अन्य अध्यापकों का वर्गीकरण एवं भर्ती (न्यूनतम अर्हता और अनुभव सहित) उनके द्वारा विद्या संबंधी वार्षिक प्रगति रिपोर्ट का रखा जाना और उनके द्वारा अनुपालनीय आचरण–नियम और उनकी परिलब्धियों तथा सेवा की अन्य शर्तें (जिनमें अनिवार्य सेवानिवृत्ति से संबंधित उपबन्ध सम्मिलित हैं);

(ङ) विश्वविद्यालय के अधीन अन्य पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती (जिसमें न्यूनतम अर्हता और अनुभव सम्मिलित है) और उनकी परिलब्धियाँ एवं उनकी सेवा शर्तें (जिनमें अनिवार्य सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित अन्य उपबन्ध भी सम्मिलित हैं);

(च) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की प्रसुविधा के लिए नयी पेंशन स्कीम या भविष्य निधि का गठन अथवा बीमा स्कीम की स्थापना;

(छ) उपाधियों और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियों का संस्थित किया जाना;

(ज) मानद उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(झ) उपाधियों और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियों का वापस लिया जाना;

(ञ)संकायों की स्थापना, उनका समामेलन, उत्सादन और पुनर्गठन;

(ट) संकायों में अध्यापन विभागों की स्थापना;

(ठ) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित छात्रावासों की स्थापना, उनका उत्सादन और पुनर्गठन;

(ड) विश्वविद्यालय या किसी सम्बद्ध कालेज के वैतनिक कर्मचारियों (जो अध्यापक नहीं हैं) की संख्या , न्यूनतम अर्हतायें, अनुभव, परिलब्धियाँ और अन्य सेवा शर्तें, जिनमें सेवानिवृत्ति की आयु और अनिवार्य सेवानिवृत्ति से संबंधित उपबन्ध सम्मिलित हैं और उनके सेवा अभिलेख की रचना और अनुरक्षण;

(ढ) छात्रवृत्तियों, अधिछात्रवृत्तियों, पदकों तथा पारितोषिकों को संस्थित करना;

(ण) दीक्षान्त समारोह, यदि कोई हो, आयोजित करना;

(त) ऐसी शर्तें, जिनके अधीन महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता के विशेषाधिकार प्रदान किए जा सकते हैं और ऐसी शर्तें, जिनके अधीन ऐसा कोई विशेषाधिकार वापस लिया जा सकता है;

(थ) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रबंध तंत्र को मान्यता प्रदान करना;

(द) अन्य सभी विषय जो इस अधिनियम द्वारा परिनियमों में उपबन्धित किये जाने हों या किये जा सकेंगे।

परिनियमावली कैसे बनायी जायेगी

39–(1) विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली सरकार द्वारा, अधिसूचना के माध्यम से बनायी जायेगी।

(2) कार्य परिषद नई या अतिरिक्त परिनियमावली बना सकेगी या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमावली में संशोधन या उसे निरसित कर सकेगी।

(3) कार्य परिषद, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्तियों या उसके गठनों को प्रभावित करने वाली किसी परिनियमावली के प्रारूप का प्रस्ताव तब तक नहीं करेगी, जब तक कि ऐसे प्राधिकरण को उस प्रस्ताव पर अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार अभिव्यक्त कोई राय लिखित रूप में होगी तथा उसे कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) प्रत्येक नयी परिनियमावली या किसी परिनियमावली में किया गया परिवर्द्धन या किसी परिनियमावली में किया गया संशोधन या निरसन, कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा जो उस पर अपनी अनुमति दे सकेगा अथवा अपनी अनुमति रोक सकता है अथवा उस पर अग्रतर विचार करने के लिए कार्य परिषद को भेज सकेगा।

(5) कार्य परिषद द्वारा पारित कोई परिनियमावली, उस दिनांक से, जब कुलाधिपति द्वारा अनुमति दी जाए अथवा ऐसे पश्चात्वर्ती दिनांक से जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, प्रभावी होगी।

(6) पूर्ववर्ती उपधाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य नियामक प्राधिकरण के किसी सुझाव या सिफारिश पर या राज्य या राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए विद्या, अध्यापकों, छात्रों या अन्य कर्मचारिवृंद के हित में अपने किये गये किसी विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए कार्य परिषद से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नये या अतिरिक्त परिनियमावली बनाने या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमावली में संशोधन करने या उसे निरस्त करने की अपेक्षा कर सकती है और यदि कार्य परिषद ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रहती है तो सरकार कुलाधिपति की सहमति से नये या

अतिरिक्त परिनियमावली बना सकती है या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमावली का संशोधन या निरसन कर सकती है।

(7) कार्य परिषद को सरकार द्वारा उपधारा (6) के अधीन बनायी गयी परिनियमावली को संशोधित या निरस्त करने या ऐसी परिनियमावली से संगत नई या अतिरिक्त परिनियमावली बनाने की शक्ति होगी।

अध्यादेश

40–(1) इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी परिनियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अध्यादेशों में किसी ऐसे विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे जिनके लिए इस अधिनियम या परिनियमावली द्वारा उपबन्ध किया जाना हो या अध्यादेशों द्वारा किये जायें।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अध्यादेशों में निम्नलिखित विषयों के लिये उपबन्ध किये जायेंगे, अर्थात्:–

(क) विश्वविद्यालयों में छात्रों का प्रवेश तथा उनका नामांकन होना और इस रूप में बना रहना;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों और अन्य विद्या संबधी विशेष उपाधियों के लिए अधिकथित किये जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम;

(ग) वे शर्तें, जिनके अधीन छात्रों को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं और उपाधियों में प्रविष्ट किया जायेगा तथा वे ऐसी उपाधियाँ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे;

(घ) छात्रवृत्तियाँ, अधिछात्रवृत्तियाँ, विद्यावृत्तियां, निर्धन छात्रवृत्तियाँ, पदक तथा पारितोषिक प्रदान करने के लिये शर्तें;

(ङ) विश्वविद्यालय में छात्रों के निवास तथा विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित छात्रावासों के प्रबंध की शर्तें;

(च) ऐसे छात्रावासों, जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित न हों, की मान्यता और प्रबंध;

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाये रखना और ऐसे दण्ड की व्यवस्था करना, जिसमें अनुशासन भंग करने अथवा ज्येष्ठ छात्रों द्वारा नये छात्रों की हिंसात्मक या अशिष्ट रैंगिंग के लिये निलम्बन, निष्कासन या निर्बंधन सम्मिलित हैं;

(ज) फीस, जो विश्वविद्यालय या किसी सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा किसी प्रयोजन हेतु प्रभारित की जाय;

(झ) परीक्षा निकायों, परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तरीक्षकों तथा सारणीकारों की नियुक्ति की शर्तें और रीति तथा उनके कर्तव्य;

(ञ) परीक्षाओं का संचालन;

(ट) विश्वविद्यालय के कार्यों में नियोजित व्यक्तियों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक तथा भत्ते, जिनमें यात्रा और दैनिक भत्ते सम्मिलित हैं; और

(ठ) अन्य सभी विषय, जिनके लिये इस अधिनियम या परिनियमावली द्वारा उपबंध किये जाने हों या अध्यादेशों द्वारा किए जाएं;

अध्यादेश कैसे बनाये जायेंगे

41–(1) अध्यादेश कार्य परिषद द्वारा बनाये जायेंगे और कुलाधिपति को उनके अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे।

(2) कार्य परिषद समय--समय पर नये या अतिरिक्त अध्यादेश बना सकती है अथवा उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों में संशोधन या निरसन कर सकती है:

परन्तु ऐसा अध्यादेश नहीं बनाया जायेगा,–

(क) जिससे छात्रों के प्रवेश पर प्रभाव पड़े या जो विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के समतुल्य मान्यता दी जाने वाली परीक्षायें अथवा विश्वविद्यालय की उपधियों, पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये धारा 25 की उपधारा (1) में उल्लिखित अर्हताओं को विहित करें, जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप, विद्या परिषद द्वारा प्रस्तावित न किया गया हो; या

(ख) जिससे परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तों, तथा रीति और उनके कर्तव्यों तथा परीक्षाओं या किसी ऐसे पाठ्यक्रम के संचालन या उनके मानक पर प्रभाव पड़े जो कि संबधित संकाय के प्रस्ताव के अनुसार न हो और जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप विद्या परिषद द्वारा प्रस्तावित न किया गया हो; या

(ग) जिससे विश्वविद्यालयों के अध्यापकों की संख्या, अर्हताओं तथा परिलब्धियों अथवा विश्वविद्यालय की आय या व्यय पर प्रभाव पड़े जब तक कि उसका प्रारूप सरकार द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो।

(3) कार्य परिषद को उपधारा (2) के अधीन विद्या परिषद द्वारा प्रस्तावित किसी प्रारूप को संशोधित करने की शक्ति नहीं होगी किन्तु वह उसे अस्वीकार कर सकेगी या वह उसे विद्या परिषद को पूर्णतया अथवा अंशतः पुनः विचारार्थ किसी ऐसे संशोधनों के साथ वापस कर सकेगी जिनका कार्य परिषद सुझाव दे।

(4) कार्य परिषद द्वारा बनाये गये सभी अध्यादेश, ऐसे दिनांक से प्रभावी होंगे जैसा कि वह निदेश दे और कुलाधिपति को यथाशक्य शीघ्र प्रस्तुत किये जायेंगे।

(5) कुलाधिपति किसी समय उपधारा (2) के परन्तुक के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अध्यादेशों से भिन्न अध्यादेशों को अननुज्ञात करने को कार्य परिषद को संज्ञापित कर सकेगा और कार्य परिषद को ऐसे अननुज्ञात करने की सूचना की प्राप्ति के दिनांक से ऐसे अध्यादेश, शून्य हो जायेंगे।

(6) कुलाधिपति यह निदेश दे सकेंगे कि उपधारा (2) के परन्तुक के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अध्यादेश से भिन्न किसी अध्यादेश का प्रवर्तन, तब तक निलम्बित रहेगा जब तक उसे अननुज्ञात करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने का अवसर न मिला हो। इस उपधारा के अधीन निलम्बन का कोई आदेश ऐसे आदेश के दिनांक से एक मास की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रह जायेगा।

विनियम

42–(1) इस अधिनियम, परिनियमावली तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकरण या अन्य निकाय, निम्नलिखित के लिए विनियम बना सकेगाः–

(क) अपनी बैठकों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या अधिकथित करना;

(ख) ऐसे समस्त विषयों का उपबन्ध करना, जो इस अधिनियम, परिनियमावली या अध्यादेशों द्वारा विनियमों से उपबन्धित किये जाने हों; और

(ग) किसी ऐसे विषय का उपबन्ध करना, जिसका संबंध केवल ऐसे प्राधिकरण या निकाय से हो और जिनके लिये इस अधिनियम, परिनियमावली और अध्यादेशों में उपबन्ध न किये गये हों।

(2) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय द्वारा बनाये गये विनियमों में उसके सदस्यों की बैठको के दिनांक और उनमें किये जाने वाले कार्य की सूचना देने तथा ऐसी बैठकों की कार्यवाही का अभिलेख रखने का उपबंध होगा।

(3) कार्य परिषद, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय को यह निदेश दे सकेगी कि वह ऐसे प्राधिकरण या निकाय द्वारा बनाये गये किसी विनियम को निदेशों में यथा विनिर्दिष्ट रूप में रद्द कर दे या उसमें संशोधन कर दे और तदोपरान्त ऐसा प्राधिकारी या निकाय तद्नुसार विनियम को रद्द करेगा अथवा उसमें संशोधन करेगा;

(4) विद्या परिषद, अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा, उपाधि या डिप्लोमा के पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने के लिये विनियम, संबन्धित संकाय बोर्ड द्वारा उसका प्रारूप प्रस्तावित किये जाने के पश्चात् ही बना सकेगा।

(5) विद्या परिषद के पास उपधारा (4) के अधीन संकाय बोर्ड द्वारा प्रस्तावित किसी प्रारूप में संशोधन अथवा उसे अस्वीकार करने की शक्ति नहीं होगी, किन्तु वह उसे बोर्ड को अपने सुझावों के साथ अग्रतर विचार करने के लिये वापस कर सकेगी।

अध्याय– नौ

वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा

वार्षिक रिपोर्ट

43–विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, कार्य परिषद के निदेशों के अधीन तैयार की जायेगी।

लेखा तथा संपरीक्षा

44–(1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा तथा तुलनपत्र, कार्य परिषद के निदेश के अधीन तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय द्वारा प्रोद्भूत समस्त धनराशि, और ऐसी समस्त धनराशि, जिनका वितरण अथवा संदाय किया गया हो, विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित लेखाओं में प्रविष्ट की जायेगी।

(2) वार्षिक लेखाओं और तुलनपत्र की एक प्रति सरकार को प्रस्तुत की जायेगी जिससे उनकी संपरीक्षा की जायेगी।

(3) सम्परीक्षित वार्षिक लेखाओं और तुलनपत्र को मुद्रित किया जायेगा और उनकी प्रतियाँ, संपरीक्षा रिपोर्ट की प्रतियों के साथ कार्य परिषद द्वारा सरकार को प्रस्तुत की जायेंगी।

(4) कार्य परिषद ऐसे दिनांक के पूर्व, जो विहित किया जाय, आगामी वर्ष का बजट भी तैयार करेगी।

(5) व्यय की प्रत्येक नई मद, जो यथा विहित धनराशि से अधिक हो, जिसे बजट में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित हो, कार्य परिषद द्वारा वित्त समिति को निर्दिष्ट की जायेगी जो उस पर अपनी सिफारिश कर सकेगी।

(6) कार्य परिषद, जो वित्त समिति की सिफारिशों, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् बजट का अन्तिम रूप से अनुमोदन करेगी।

(7) कुलपति या कार्य परिषद के लिये कोई व्यय उपगत करना वैध न होगा–

(क) जो या तो बजट में मंजूर न हो या बजट मंजूर होने के पश्चात् सरकार या भारत सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन या फाउन्डेशन द्वारा विश्वविद्यालय को निधियाँ अनुदानित किये जाने की दशा में ऐसे अनुदान के निबन्धनों के अनुसार न हो:

परन्तु यह कि धारा 13 की उपधारा (7) में किसी बात के होते हुये भी, अग्निकाण्ड, बाढ़, अतिवृष्टि अथवा अन्य आकस्मिक अथवा अप्रत्याशित परिस्थितियों में कुलपति एक लाख रुपये से अनधिक ऐसा अनावर्ती व्यय, जो बजट में मंजूर न किया गया हो, उपगत कर सकेगा और उसे ऐसे सम्पूर्ण व्यय के संबध में तत्काल सरकार को सूचित करना होगा;

(ख) जो इस अधिनियम के अधीन दिये जाने हेतु तात्पर्यित कुलाधिपति या सरकार के किसी आदेश का विरोध करने के लिये किसी मुकदमें के सम्बन्ध में हो।

अधिभार

45–(1) धारा 10 के खण्ड (ख) से (ज) में से किसी खण्ड में विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी, विश्वविद्यालय की किसी धनराशि या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन हेतु अधिभार का दायी होगा, यदि ऐसे हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन सीधे उसकी उपेक्षा या अपचार के परिणामस्वरूप हुआ हो।

(2) अधिभार की प्रक्रिया और ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन में अन्तर्निहित धनराशि की वसूली की रीति ऐसी होगी जैसे विहित की जाय।

प्राधिकरणों के अधिकारियों तथा सदस्यों की नियुक्ति की रीति

46–(1) इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी परिनियमावली द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथा उपबन्धित के सिवाय विश्वविद्यालय के अधिकारी और विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के सदस्यगण यथासंभव निर्वाचन से भिन्न पद्धातियों से चुने जायेंगे।

(2) जहां इस अधिनियम या परिनियमावली में चक्रानुक्रम से ज्येष्ठता अथवा अन्य अर्हता के अनुसार किसी आवेदन के लिये कोई उपबन्ध किया गया हो तो चक्रानुक्रम और ज्येष्ठता तथा अन्य अर्हतायें अवधारित करने की रीति वही होगी जो विहित की जाय।

(3) इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथा उपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या कर्मचारी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के निर्वाचन में खड़े होने के लिये पात्र न होगा।

आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना

47–(1) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की किसी आकस्मिक रिक्ति को उसी रीति से भरा जायेगा जिस रीति से वह सदस्य, जिसकी रिक्ति भरी जानी हो, चुना गया हो और रिक्ति को भरने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकरण या निकाय का उस अवशिष्ट अवधि के लिये सदस्य होगा जिसके लिये, वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य बना रहता।

(2) कोई व्यक्ति, जो अन्य निकाय के प्रतिनिधि के रूप में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य हो, चाहे वह विश्वविद्यालय का हो अथवा बाहरी हो केवल तब तक ऐसे प्राधिकरण में अपना सीट धारित करता रहेगा, जब तक वह ऐसे निकाय का प्रतिनिधि बना रहेगा।

रिक्तियों आदि के कारण कार्यवाही का अविधिमान्य न होना

48–(1) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय अथवा समिति की कोई कार्यवाही, केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि–

(क) उसमें कोई रिक्ति अथवा उसके गठन में कोई त्रुटि थी; या

(ख) कार्यवाहियों में किसी ऐसे व्यक्ति ने भाग लिया है, जो ऐसा करने के लिए हकदार नहीं था; या

(ग) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के नाम–निर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि थी; या

(घ) उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता थी जिससे मामले के गुणावगुण पर कोई प्रभाव न पड़ता हो।

विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाया जाना

49–कार्य परिषद, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय की सदस्यता से इस आधार पर कि ऐसा व्यक्ति नैतिक अधमता से संबंधित ऐसे अपराध के लिये सिद्धदोष हुआ हो अथवा इस आधार पर कि वह कलंकात्मक आचरण का दोषी हो अथवा उसने ऐसी रीति से व्यवहार किया हो, जो विश्वविद्यालय के सदस्यों के लिये अशोभनीय हो, हटा सकती है और उन्हीं आधारों पर किसी व्यक्ति से विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या मंजूर की गयी कोई उपाधि या प्रमाण–पत्र वापस ले सकती है।

कुलाधिपति को निदेश

50–यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय का सम्यक रूप से निर्वाचित या नियुक्त सदस्य रहा है या नहीं या उसका सदस्य होने का हकदार है या नहीं (जिसके अन्तर्गत किसी परिनियम, अध्यादेश या विनियम, जो राज्य सरकार द्वारा या कुलाधिपति द्वारा बनाया या अनुमोदित किया गया परिनियम या अध्यादेश न हो, की विधिमान्यता से संबंधित कोई प्रश्न भी सम्मिलित है) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए परिनियमों या अध्यादेशों के अनुरूप है या नहीं, तो उक्त विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा और कुलाधिपति का उस पर विनिश्चय अंतिम होगा;

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन कोई निर्देशः–

(क) उस दिनांक के, जब प्रश्न प्रथम बार उठाया जा सकता था तीन मास से अधिक के पश्चात्

(ख) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी अथवा किसी व्यथित व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति द्वारा, नहीं किया जायेगाः

परन्तु यह और कि कुलाधिपति आपवादिक परिस्थितियों में–

(एक) पूर्वगामी परन्तुक में उल्लिखित अवधि की समाप्ति के पश्चात् स्वप्रेरणा पर कार्य कर सकेगा अथवा निदेश ग्रहण कर सकेगा;

(दो) जहां निर्दिष्ट विषय का संबंध निर्वाचन से संबंधित किसी विवाद से हो, और इस प्रकार निर्वाचित व्यक्तियों की पात्रता संदेहास्पद हो तो ऐसा स्थगन आदेश दे सकेगा जिसे वह न्यायोचित और समीचीन समझे।

विश्वविद्यालय का अभिलेख सिद्ध करने की रीति

51–(1)विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण अथवा समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेजों अथवा विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक रूप से अनुरक्षित किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रति, यदि कुल सचिव द्वारा प्रमाणित हो, तो ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प अथवा दस्तावेज अथवा रजिस्टर में प्रविष्टि की विद्यमानता, प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायेगी और उसमें अभिलिखित विषय तथा संव्यवहारों को साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जायेगा जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गयी होती तो वह साक्ष्य में ग्राह्य होती।

(2) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी से, किसी ऐसी कार्यवाही में, जिसमें विश्वविद्यालय एक पक्षकार न हो, विश्वविद्यालय का कोई ऐसा दस्तावेज, रजिस्टर या अन्य अभिलेख, जिसकी अन्तर्वस्तुएं उपधारा (1) के अधीन प्रमाणित प्रति द्वारा सिद्ध की जा सकती हों, प्रस्तुत करने की अथवा उसमें अभिलिखित विषयों तथा संव्यवहारों को सिद्ध करने के लिए साक्षी के रूप में उपस्थित होने की तब तक अपेक्षा न की जायेगी, जब तक कि न्यायालय विशेष कारण से आदेश न दे।

अधिकारी और कर्मचारी लोक सेवक होंगे

52–कुलपति, कुलसचिव, वित्त अधिकारी और विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारीगण, जब इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अनुसरण में कार्यरत हों या कार्यरत होना तात्पर्यित हों, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

वाद का वर्जन

53–सरकार या विश्वविद्यालय या उसके किसी अधिकारी, प्राधिकरण या उसके निकाय के विरूद्ध उक्त अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी परिनियमावली या अध्यादेशों के अनुसरण में किये गये अथवा किये जाने के लिए तात्पर्यित या आशयित किसी बात के सम्बन्ध में कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

अध्याय – ग्यारह

संक्रमणकालीन उपबन्ध

प्राधिकरण का गठन

54–(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकरण, यथाशीघ्र इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार गठित किया जायेगा।

(2) जब तक कि उपधारा (1) के अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का गठन न किया जाय, राज्य सरकार आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि कार्य परिषद से भिन्न विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्रयोक्तव्य शक्तियों अथवा निर्वहन योग्य, कर्तव्यों तथा कृत्यों का प्रयोग अथवा निर्वहन किसके द्वारा और किसी रीति से किया जायेगा।

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति

55–(1) सरकार, कोई कठिनाईयां दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबंध, ऐसी अवधि में जो आदेश में विर्निदिष्ट की जाये, ऐसी अनुकूलनों के अधीन रहते हुए चाहे वे उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगेः

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा;

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि उक्त उपधारा में निर्दिष्ट कठिनाई विद्यमान नहीं थी या उसको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-55 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि राज्य आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2020 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि राज्य आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2020 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[03:08] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-51 की 104 सूचनाएं प्राप्त हुई थीं, मैंने सभी सूचनाएं स्वीकार कर ली हैं।

पहली सूचना श्री अनिल सिंह की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा स्थित रेशम उत्पादन केन्द्र पर अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री प्रेमसागर पटेल की जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र सिसवा में पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 में डॉक्टरों की तैनाती कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री रजनीकांत मणि त्रिपाठी की जनपद कुशीनगर के धार्मिक व पौराणिक कस्बा कुबेरस्थान को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री रवि कुमार सोनकर की जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र महादेवा स्थित चन्द्रोताल को कब्जा मुक्त व सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री संजय सिंह गंगवार की जनपद पीलीभीत में गौहनियां तालाब का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की जनपद बस्ती के नगरपालिका की नजूल की भूमि पर अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री मोहम्मद रिजवान की समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक कार्यालय में स्थानान्तरण हेतु की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री संजय गर्ग की जनपद सहारनपुर में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के कर्मचारियों के बकाये का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री शीतल पाण्डेय की जनपद गोरखपुर की तहसील सहजनवां में क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री अमिताभ बाजपेई

की कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित इस्पात नगर योजना व्यवधानों को दूर किये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्रीमती निर्मला संखवार की कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र रसूलाबाद में अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री रघुराज प्रताप सिंह की जनपद लखनऊ के इन्दिरानगर के सेक्टर ए के भवन सं0-1103 से 1103/15 के सामने बने पार्क की सफाई कराने व चहारदीवारी बनाये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' की उत्तर प्रदेश के 63 जनपदों में पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत वरिष्ठ सहायक के पदों का सृजन किये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत की जनपद झांसी की तहसील गरौठा में अवैध खनन की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह'' की जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र हरैया के अन्तर्गत कतिपय बाजारों को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्रीमती अनीता की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री अमनमणि त्रिपाठी की जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र नौतनवां में फैलाये जा रहे प्रदूषण के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्री जितेन्द्र वर्मा की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री अनिल कुमार मौर्य की इन्दिरानगर सेक्टर-17 में अवैध सब्जी मण्डी को हटाये जाने एवं नाले से सटे वन क्षेत्र में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री बम्बा लाल की जनपद उन्नाव के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सफीपुर में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना श्री उज्जवल रमण सिंह की जनपद प्रयागराज निवासी स्व0 शहीद महेश कुमार के परिवार को समस्त सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, बाइसवीं सूचना श्री दयाराम चौधरी की जनपद बस्ती के ग्राम पंचायत सुपेलवा में सड़क व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेइसवीं सूचना श्री महबूब अली की जनपद अमरोहा स्थित शाह विलायत की दरगाह एवं वासुदेव तीर्थ स्थल का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौबीसवीं सूचना डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल की गोरखपुर नगर निगम तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता अधिनियम, 2014 तथा नियमावली, 2017 का उल्लंघन करके गरीबों, दलितों तथा समाज के कमजोर अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का शोषण किये जाने के सम्बन्ध में है, पच्चीसवीं सूचना श्री दलवीर सिंह की जनपद अलीगढ़ में बरौली से लहटोई मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, छब्बीसवीं सूचना श्री ज्ञान तिवारी की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सेवता में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्ताइसवीं सूचना श्री ब्रजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया की जनपद महोबा स्थित चरखारी

को पर्यटन केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठाइसवीं सूचना श्री प्रेम नारायण पाण्डेय की जनपद गोण्डा में बन्धे का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्तीसवीं सूचना श्री रामचन्द्र यादव की जनपद लखनऊ के थाना महानगर में विवेचक जमाल अहमद के विरुद्ध कार्रवाई कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसवीं सूचना श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद में जर्जर विद्युत लाइनों का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकतीसवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बल्देव में ग्राम पंचायतों को आवंटित धनराशियों में की गई अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, बत्तीसवीं सूचना श्री चन्द्रपाल कुशवाहा की जनपद बस्ती के भूमिधरी आराजी नं0-579 इत्यादि पर हुए अवैध कब्जे को हटाये जाने के सम्बन्ध में है, तैंतीसवीं सूचना डॉ0 अरुण कुमार की वर्ष 1975 से 1977 तक आपातकाल की अवधि में संघर्षरत् लोकतंत्र सेनानी की बिधवाओं को पेंशन दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, चौंतीसवीं सचूना श्री दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे की जनपद सन्तकबीरनगर में काली जगदीशपुर से जिला मुख्यालय व मण्डल के बीच सरकारी रोडवेज बस सेवा चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, पैंतीसवीं सूचना श्री दिनेश चौधरी की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत में आई0टी0आई0 कालेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में है, छत्तीसवीं सूचना श्री सत्यवीर त्यागी की जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र किठौर में पुलिया का निर्माण/चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सैंतीसवीं सूचना श्री राजीव तरारा की जनपद अमरोहा में सड़क निर्माण में सरकारी धन का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में है, अड़तीसवीं सूचना श्री भूपेश चौबे की जनपद सोनभद्र के ब्लाक चोपन में सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्तालीसवीं सूचना श्री बाबा गोरखनाथ की जनपद हरदोई/लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, चालीसवीं सूचना श्री विक्रम सिंह की जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम कवाल में जी0आई0सी0 को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकतालीसवीं सूचना डॉ0 श्याम बिहारी लाल की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बयालीसवीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत के कतिपय ग्राम पंचायतों में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने में किये गये घोटाले की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, तैंतालीसवीं सूचना श्री चेतराम की जनपद शाहजहाँपुर के ग्राम चिनौर में तालाब का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौवालीसवीं सूचना श्री इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी की जनपद लखनऊ के अन्तर्गत मायानगर में अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में है, पैंतालीसवीं सूचना श्री सत्यपाल सिंह राठौर की जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र अलीगंज में सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छियालीसवीं सूचना श्री सुभाष त्रिपाठी की जनपद बहराइच में कतिपय गन्ना क्रय केन्द्रों को बलरामपुर चीनी मिल से सम्बद्ध किये जाने के सम्बन्ध

में है, सैंतालीसवीं सूचना श्री मुकेश चन्द्र वर्मा की जनपद आगरा में एकलव्य स्टेडियम के अन्दर वीर एकलव्य की प्रतिमा स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में है, अड़तालीसवीं सूचना श्री शशांक त्रिवेदी की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र महोली में कठिना नदी की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्चासवीं सूचना श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भइया की जनपद बदायूं के विकास खण्ड समरेर एवं उसावा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पचासवीं सूचना श्री योगेन्द्र उपाध्याय, श्री पुरुषोत्तम खण्डेलवाल तथा श्री राम प्रताप सिंह की नगर विकास विभाग से सम्बन्धित विकास कार्यों में मा0 मुख्य मंत्री, मा0 नगर विकास मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक का नाम अंकित कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्यावनवीं सूचना श्री मूलचन्द्र सिंह की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बावनवीं सूचना श्री विकास गुप्ता की जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड तेलियानी में हनुमान मन्दिर का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिरपनवीं सूचना श्री अवस्थी बाला प्रसाद की जनपद लखीमपुर खीरी में हो रहे खनन को रोके जाने के सम्बन्ध में है, चौवनवीं सूचना श्री देवेन्द्र कुमार निम की जनपद सहारनपुर में स्टार पेपर मिल द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण को रोके जाने के सम्बन्ध में है, पचपनवीं सूचना श्री कारिन्दा सिंह की जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र गोवर्धन में पेयजल आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में है, छप्पनवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की जनपद लखनऊ के तहसील मलिहाबाद में ग्राम सभा नवीपनाह में पी0एच0सी0 स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तावनवीं सूचना प्रिंस वीर विक्रम सिंह की जनपद शाहजहाँपुर में अपर निदेशक द्वारा जांच कार्य में बाधा उत्पन्न किये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठावनवीं सूचना श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह की जनपद लखीमपुर खीरी में गोमती नदी की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में है, उनसठवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया के चिलकहर ब्लाक में जर्जर विद्युत तारों को बदले जाने के सम्बन्ध में है, साठवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में शिक्षकों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में है, इकसठवीं सूचना श्री अनिल कुमार दोहरे की जनपद कन्नौज के ग्राम ठठिया में आलू मण्डी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बासठवीं सूचना श्री सोबरन सिंह यादव की जनपद मैनपुरी में कतिपय सड़कों एवं नालियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिरसठवीं सूचना श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर ''एडवोकेट'' की जनपद लखनऊ में कतिपय स्थानों पर नालों के ऊपर क्रासिंग व चौड़ी पुलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौसठवीं सूचना इंजी0 बृजेश कठेरिया की जनपद मैनपुरी में कतिपय नालों की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में है, पैंसठवीं सूचना श्री धर्मराज सिंह उर्फ सुरेश यादवकी नगरपालिका बाराबंकी द्वारा वर्ष 2018-2019, 2019-2020 में शासनादेश के विपरीत कराये गये कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, छाछठवीं सूचना

श्री प्रभुनारायण सिंह यादव की जनपद चन्दौली के अन्तर्गत सर्वशिक्षा अभियान के तहत कार्यरत शिक्षा मित्रों का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है, सरसठवीं सूचना श्री सुभाष पासी की जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत अमुवारा रजबहा तथा शारदा सहायक खण्ड 23 को संचालित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, अड़सठवीं सूचना श्री सुभाष राय की जनपद अम्बेडकरनगर की तहसील जलालपुर की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, उनहत्तरवीं सूचना श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया की जनपद कुशीनगर के अथरहा पिपरिया घाट पर सेतु के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तरवीं सूचना डॉ0 नीरज बोरा की लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जानकीपुरम् सेक्टर एच को नगर निगम को हस्तान्तरित कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकहत्तवीं सूचना श्री मसूद अख्तर की जनपद सहारनपुर में कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बहत्तवीं सूचना श्री सोहिल अख्तर अंसारी की कानपुर नगर वार्ड सं0-102, 105 की सीवर लाइनों की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिहत्तरवीं सूचना श्री नरेश सैनी की जनपद सहारनपुर के ब्लाक मुजफ्फराबाद के ग्राम खुजनावर में जल निगम द्वारा कराई गई बोरिंगों से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौहत्तरवीं सूचना श्री लालजी वर्मा की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पचहत्तवीं सूचना श्री राम अचल राजभर की जनपद लखनऊ के जानकीपुरम्-1 वार्ड के अन्तर्गत सड़क का निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, छिहत्तवीं सूचना श्री सुखदेव राजभर की जनपद आजमगढ़ में अधूरे पुल का निर्माण पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सतहत्तवीं सूचना श्रीमती सुषमा पटेल की जनपद बाराबंकी के डिपो से सेवानिवृत्त वरिष्ठ लिपिक श्री रामजस वर्मा को सेवानिवृत्तीय लाभ के साथ पेंशन का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है, अठहत्तवीं सूचना श्री असलम अली, श्री मो0 मुजतबा सिद्दीकी की जनपद हरदोई के विकास खण्ड भरावन में सड़क की मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्यासवीं सूचना श्री आजाद अरिमर्दन की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज में सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, अस्सीवीं सूचना डा0 हरगोविन्द भार्गव की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली में सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्यासवीं सूचना श्री हाकिम लाल बिन्द की जनपद उन्नाव के विकास खण्ड असोहा में शौचालय निर्माण में की गई अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, बयासवीं सूचना कुं0 नरेन्द्रपाल सिंह की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के अन्तर्गत कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिरासवीं सूचना श्री नाहिद हसन की जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना में यमुना कड़ा (तटबन्ध) की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौरासीवीं सूचना श्री श्रीराम सोनकर की जनपद मिर्जापुर के थाना पडरी के ग्राम

देवपुरा के अन्तर्गत अवैध कब्जा हटवाये जाने के सम्बन्ध में है, पचासीवीं सूचना श्री मनोज कुमार पाण्डेय की जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार में खेलो इण्डिया योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, छियासीवीं सूचना श्री पंकज गुप्ता की जनपद लखनऊ के वृन्दावन योजना में भूमि बेचने में की गई अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तासीवीं सूचना श्री हरीराम की जनपद मेरठ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनाती कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठासीवीं सूचना श्री राहुल प्रकाश की उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिशाषी अभियन्ता बुलन्दशहर खण्ड गंगा नहर में व्याप्त अनियमिताओं के सम्बन्ध में है नवासीवीं सूचना श्री नील रतन सिंह पटेल 'नीलू' की परिवहन विभाग के अन्तर्गत श्री नन्हे लाल, चालक की अनावश्यक वेतन वृद्धि रोके जाने के सम्बन्ध में है, नब्बेवीं सूचना श्री राजकुमार पाल की जनपद चन्दौली की तहसील चकिया के अन्तर्गत मनरेगा में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में है, इक्कानवेवीं सूचना डा0 डी0सी0 वर्मा की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र मीरगंज में निर्मित राजकीय इण्टर कालेज चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, बानबेवीं सूचना श्री उमेश मलिक की जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत हिंडन नदी पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, तिरानबेवीं सूचना श्री बृजेश कुमार रावत की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान में क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौरानबेवीं सूचना श्री राम नरेश रावत की जनपद लखनऊ के ग्राम हैबत मऊ में पेयजल की समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में है, पन्चानबेवीं सूचना श्री पारसनाथ यादव की जनपद बलिया के अनुदेशकों के स्थानान्तरण में किये गये भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, छानबेवीं सूचना श्रीमती लीना तिवारी की जनपद मेरठ में खाद्य एवं रसद विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तानबेवीं सूचना श्री बहोरन लाल मौर्य की जनपद बरेली के अन्तर्गत अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा बनाये जा रहे इण्टर कालेज/आई0टी0आई0 का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठानबेवीं सूचना श्री प्रमोद उटवाल की जनपद मुजफ्फरनगर में सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, निन्यानबेवीं सूचना श्री सुरेन्द्र मैथानी की जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र गोविन्दनगर में कतिपय पुलियों का निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, सौवीं सूचना श्री राकेश प्रताप सिंह की जनपद अमेठी में कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ एकवीं सूचना मो0 फईम इरफान की जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र बिलारी में अग्निशमन केन्द्र का निर्माण पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ दोवीं सूचना डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज की राज्य सम्पत्ति विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ तीनवीं सूचन श्रीमती राजबाला की जनपद रामपुर में सिंचाई विभाग के नाले पर किये गये अवैध कब्जे को हटाये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ चारवीं सूचना श्रीमती सावित्री

कठेरिया की जनपद इटावा में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा में कतिपय राशन गोदामों को विस्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

जनपद उन्नाव के ब्लाक गोदाम असोहा का खाद्यान्न पूर्व में चन्दनखेड़ा ...

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। लेकिन मा0 सदस्य नहीं हैं। उन्होंने इसकी विस्तृत जांच की अपेक्षा की है। करा दीजिए।

(मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[असोहा गोदाम स्वामी दशरथ गुप्ता पुत्र श्री अयोध्या प्रसाद के भवन में संचालित था। दिनांक 27-09-2009 को खाद्यान्न के व्यवर्तन के फलस्वरूप गोदाम स्वामी दशरथ व अन्य के खिलाफ प्राथमिक सूचना रिपोर्ट पूर्ति निरीक्षक, उन्नाव के द्वारा दर्ज कराई गई।

ब्लाक गोदाम असोहा के खाद्यान्न का भण्डारण असुरक्षित होने के कारण दिनांक 31-08-2013 से गोदाम स्वामी श्री दशरथ गुप्ता के भवन को छोड़ दिया गया। वर्तमान में असोहा ब्लाक का गोदाम, गोदाम स्वामी अमर सिंह पुत्र श्री हरि नारायण सिंह गुसाईखेड़ा असोहा थाने के निकट मेन रोड पर संचालित है। वर्तमान में संचालित विकास खण्ड असोहा का गोदाम जो भवन स्वामी अमर सिंह के यहाँ स्थित है को पूर्ण रूप से सुरक्षित तथा विवाद रहित होने के फलस्वरूप भवन स्वामी से दिनांक 01-09-2023 तक का किराया अनुबन्ध निष्पादित किया जा चुका है।]

जनपद महाराजगंज के मुख्यालय पर के0एम0पी0 अस्पताल से हनुमान मन्दिर तक की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रेम सागर पटेल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

प्रश्नगत मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- ...

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लें।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[730 के किमी0 484.00 से 505.120 के मध्य किमी0 496.700 (के0एम0सी0 डिजिटल हास्पिटल) तथा किमी0 502.390 पर (महराजगंज सदर) का भाग है। राष्ट्रीय मार्ग सं0-730 के चैनेज 484.00 से 505.120 तक (रामनगर से सिसवा बाबू तक) 2 लेन विद पेण्ड शोल्डर सड़क निर्माण एवं 8.621 किमी0 लम्बाई में सर्विस रोड के निर्माण कार्य हेतु रु0 185.18 करोड़ की स्वीकृति सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई है।

नगर पालिका परिषद् महराजगंज क्षेत्र के अन्तर्गत प्रशासन के सहयोग से अधिकांश भाग के अतिक्रमण हटाने के पश्चात् कार्य कराया जा रहा है किन्तु अभी भी लगभग 0.50 किमी0 लम्बाई में मुख्य मार्ग एवं लगभग दो-दो किमी0 लम्बाई में दोनो ओर सर्विस रोड का कार्य बाधित होने के कारण कार्य की प्रगति धीमी है।

विद्युत लाइनों की शिफ्टिंग कार्य का अनुमोदन/स्वीकृति मंत्रालय द्वारा दिनांक 31-05-2019 को तथा अतिरिक्त अण्डरग्राउण्ड केबिल एवं पानी की लाइनों/हैण्डपम्पों के विस्थापन की स्वीकृति दिनांक 02-01-2020 को प्रदान की गई है। उक्त के क्रम में ई0पी0सी0 ठेकेदार द्वारा यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य कराया जा रहा है। मार्ग के निर्माण से प्रभावित शहरी भाग में पानी आपूर्ति हेतु पाइप लाइन का कार्य जल निगम महराजगंज द्वारा कराया जा रहा है। वर्तमान में जल आपूर्ति का कार्य सामान्य रूप से बाधित नहीं है। निर्माण कार्य के दौरान निर्बाध जल-आपूर्ति के दृष्टिगत उचित प्रबन्धन के साथ कार्य किया जा रहा है।

कार्य प्रारम्भ की तिथि 18-02-2019 तथा अनुबन्ध कार्य समापन की तिथि 17-02-2020 है किन्तु कार्य की सम्पादन अवधि में विभिन्न व्यवधानों के कारण ठेकेदार द्वारा 120 दिन के अतिरिक्त समय की मांग की गई है। वर्तमान में बिजली एवं पानी की व्यवस्था सामान्य है। शहरी भाग में भूमि की उपलब्धता/अतिक्रमण हटाने की स्थिति के अनुसार कार्य को शीघ्र पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।]

सेतु निर्माण निगम के उप परियोजना प्रबन्धक के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शीतल पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

उक्त प्रकरण में प्रबन्ध निदेशक ..

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लें।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 द्वारा दिनांक 22-04-2017 को मुख्य परियोजना प्रबन्धक, प्रयागराज को जांच अधिकारी नामित करते हुए जांच सांस्थित की गई है। मुख्य परियोजना प्रबन्धक, प्रयागराज द्वारा दिनांक 23-12-2017 को जांच आख्या सेतु निगम को उपलब्ध कराई गई। जांच आख्या में आडियो, वीडियो की सी0डी0 की जांच किसी एजेन्सी से कराये जाने के उपरान्त ही सत्यता की जांच किये जाने की संस्तुति की गई।

प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 द्वारा दिनांक 11-04-2018 को निदेशक, स्टेट फारेन्सिक साइंस लेबोरेटरी महानगर, लखनऊ को व्यक्तिगत रूप से सी0डी0 की सत्यता हेतु सी0डी0 संलग्न कर प्रेषित की गई। तत्क्रम में उप निदेशक के पत्रांक-2018 सीएफएवी000013, दिनांक 02-05-2019 द्वारा ऑडियो वीडियो की आख्या प्रेषित की गई है। ऑडियो वीडियो की प्राप्त आख्या को मुख्य परियोजना प्रबन्धक (परिवाद) के पत्रांक-679 ईएसबी/3362एसबीसी-परिवाद/2018, दिनांक 13-08-2019 द्वारा जांच अधिकारी/मुख्य परियोजना प्रबन्धक, प्रयागराज को प्रेषित करते हुए जांच आख्या उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है। जांच कार्यवाही गतिमान है। जांच कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

वर्तमान में श्री प्रमोद कुमार वर्मा, उप परियोजना प्रबन्धक (सिविल) मुख्यालय से सम्बद्ध हैं।]

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र शोहरतगढ़ में नगर पंचायत द्वारा सड़क के निर्माण में की गई अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमर सिंह चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर ..

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(नगर विकास मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

[के पत्रांक 982/निकाय सहायक/2019-20, दिनांक 27-02-2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि खुनुवा पी0डब्लू0डी0 मार्ग से भिरिन्डा माता तक (समय माता रोड) का प्रस्ताव समय माता मन्दिर समिति एवं जनता के लिखित मांग पर (सड़क पर वाटर लागिंग एवं पतली सड़क 2.5 मी0 को उच्चीकरण एवं चौड़ीकरण-5 मी0) नगर पंचायत शोहरतगढ़ बोर्ड द्वारा दिनांक 18-07-2018 को पारित किया गया। तब यह सड़क वाटर लागिंग एवं कम चौड़ी होने के कारण नगर की जनता को आने जाने में काफी असुविधा हो रही थी एवं निर्मित नहीं थी। तत्पश्चात् प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया। शासनादेश संख्या-97/2019/ आर0एफ0167/नौ-9-2019-35 आर0एफ0/19, दिनांक 05 मार्च, 2019 द्वारा पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में ''नगर पंचायत शोहरतगढ़ में समय माता गेट से मन्दिर तक सड़क का उच्चीकरण का कार्य'' स्वीकृत किया गया। शिलान्यास के समय मा0 सांसद डुमरियागंज, मा0 विधायक शोहरतगढ़ एवं अध्यक्षा, नगर पंचायत शोहरतगढ़ उपस्थित रहे। उखाड़े गये ईंट पुनः उसी कार्य में प्रयोग कर लिया गया है। वाटर लागिंग एवं पतली व नीची सड़क को देखते हुए सड़क का उच्चीकरण व चौड़ीकरण कराया गया है। सड़क निर्माण में अच्छी गुणवत्ता की ईंट (रंगीन ईंट) लगाई गई है। उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 212(क) के अनुसार नगर पालिका क्षेत्र के बाहर 05 मील की दूरी तक किसी भवन, मार्ग या नाली के निर्माण को नियंत्रित तथा विनियमित कर सकती है। वर्तमान में यह सड़क नगर पंचायत शोहरतगढ़ के सीमान्तर्गत है।]

श्री अध्यक्ष-

इसमें अमर सिंह चौधरी जी को कुछ पूछना है ?

श्री अमर सिंह चौधरी-

मान्यवर, अपनी निधि से हमने शोहरतगढ़ में जो नगर पंचायत से अलग है, वहाँ वृंदा माता का स्थान है। वहाँ के लोगों की मांग पर हमने विधायक विकास निधि से 4-5 महीने पहले काफी बढ़िया इण्टरलॉकिंग कराया था और 4-5 महीने बाद नगर पंचायत ने बगैर किसी जानकारी के उसको उखाड़ करके हमने जो लगवाया था उसको वे अपनी तरफ से फिर से कराना शुरू कर दिए। मा0 अध्यक्ष जी, हम लोग शिकायत करते हैं, शिकायत की जांच में फिर जो रिपोर्ट आई है, वह गलत आई है। हम चाहते हैं कि इसकी फिर से जांच हो जाए कि जो उखाड़ा गया है, उसकी रिपोर्ट में दे रहे हैं कि वही इण्टर लॉकिंग हमने उसी पर लगा दिया।

श्री अध्यक्ष-

अब इसमें जांच कराकर कुछ तथ्य तो आए हैं, आप मा0 आशुतोष जी से मिल लेना।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अमर सिंह चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, जांच तो आई है लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी टी0ए0सी0 से जांच हो जाए। क्योंकि हमारे सरकारी धन का दुरुपयोग करके, उसको उखाड़ करके हमारा ही लगा रहे हैं और ऊपर से दिखा रहे हैं कि हमने रंगीन ईंटा वाइब्रेटर वाला लगाया है और यह तो मौके पर है ही नहीं। 05 मीटर चौड़ी सड़क दिखा रहे हैं वहाँ 07 मीटर सड़क ही नहीं है। हमने 03 मीटर चौड़ी बनवाई थी फिर वे ढाई मीटर ऊपर बता रहे हैं कि उच्चीकरण किया। इस तरह से वहाँ से जो रिपोर्ट आई है, वह गलत आई है। यह नगर पंचायत में है भी नहीं। उसके बाद भी इस तरह से दुरुपयोग हो रहा है तो मा0 अध्यक्ष जी उसकी जांच तो होनी चाहिए और जब हमारे लोग प्रतिनिधि के रूप में वहाँ गए तो वे कहते हैं कि इधायक-विधायक क्या करेंगे ? हम लोगों के साथ यह सब हो रहा है। वे कहते हैं कि इसमें इधायक-विधायक क्या करेंगे ? मान्यवर, इस तरह से हम लोगों के साथ हो रहा है। इस पर तो गम्भीरता से जांच होनी चाहिए क्योंकि हम लोग ऐसे ही लगवाते रहेंगे और वे उखड़वाते रहेंगे। मा0 अध्यक्ष जी, यह तो एक तरह से हम लोगों के विशेषाधिकार का हनन है।

श्री अध्यक्ष-

अब यह विशेषाधिकार कहाँ से आ गया ?

श्री अमर सिंह चौधरी-

मान्यवर, जब वे हमारे लोगों से अनाप-शनाप बोल रहे हैं तो हो ही गया।

श्री अध्यक्ष-

आप सबके प्रिय हैं, इसमें कोई विशेषाधिकार की बात कहीं नहीं है।

श्री अमर सिंह चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि इसकी टी0ए0सी0 से जांच करा ली जाए और जो भी सही-गलत तथ्य हैं, वे सामने आ जाएँगे।

श्री अध्यक्ष-

हमने कह दिया आपके सामने ही, गोपाल जी बैठे हैं। हमने कह दिया है।

श्री अमर सिंह चौधरी-

मान्यवर, आपको धन्यवाद।

जनपद बलिया में मेडिकल कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमाशंकर सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, चिकित्सा शिक्षा मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि केन्द्र सहायतित योजना.....

श्री अध्यक्ष-

मा0 उमा शंकर सिंह जी हैं नहीं, अब हम मद संख्या-96 लेते हैं।

श्रम एवं सेवा योजन विभाग द्वारा आई स्पर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर श्रम मंत्री का वक्तव्य

श्रम, सेवायोजन एवं समन्वय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत.....

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य श्रम मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[दी गई सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आई स्पर्श स्मार्ट ग्राम योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों यथा-शेषपुरनरी, वि0ख0 सी0 करन, ग्राम फत्तेपुर वि0ख0 सिरोसी, जनपद उन्नाव के अधूरे कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु रु0 387.234 लाख का प्रस्ताव जिलाधिकारी, उन्नाव द्वारा तथा जनपद सीतापुर के ग्राम-खपूरा, वि0ख0 महमूदाबाद, ग्राम पोखराकला, वि0ख0 महमूदाबाद एवं ग्राम मीरानगर, वि0ख0 रामपुर (मथुरा) के अधूरे कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण प्रखण्ड, सीतापुर द्वारा रु0 590.72 लाख का प्रस्ताव किया गया था। उक्त प्रस्ताव के क्रम में प्रथम अनुपुरक अनुदान के माध्यम से रु0 977.00 लाख का बजट प्राविधान वित्त विभाग द्वारा किया गया है।

2-उल्लेखनीय है कि जनपद उन्नाव के ग्राम शेषपुरनरी के पूर्ण कार्यों की अवशेष लागत रु0 318.00 लाख तथा ग्राम फत्तेपुर के पूर्ण कार्यों के अवशेष लागत रु0 33.98 लाख सहित कुल रु0 352.08 लाख की वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से शासनादेश संख्या-1215/73-सम0-2019-01 (आई0एस0डी0)/2016, दिनांक 20-12-2019 द्वारा निर्गत की गई है। प्रश्नगत योजनान्तर्गत जनपद सीतापुर के ग्राम खपूरा, वि0ख0 महमूदाबाद, ग्राम पोखराकला, वि0ख0 महमूदाबाद एवं ग्राम मीरानगर वि0ख0 रामपुर (मथुरा) के अधूरे कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु रु0 589.766 लाख एवं जनपद उन्नाव के अधूरे कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु रु0 35.15 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने हेतु तत्समय प्रस्ताव वित्त विभाग की सहमति हेतु प्रस्तुत किया गया था। वित्त विभाग द्वारा जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद के चयनित ग्राम खपूरा, वि0ख0 महमूदाबाद, ग्राम पोखराकला, वि0ख0 महमूदाबाद एवं ग्राम मीरानगर वि0ख0 रामपुर (मथुरा) एवं जनपद उन्नाव के अधूरे कार्यों को पूर्ण कराया

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जाना है, अथवा नहीं के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा यह परामर्श दिया गया है कि प्रशासनिक विभाग अपने स्तर पर मत स्थिर करते हुए मा0 मुख्य मंत्री जी का आदेश/अनुमोदन प्राप्त कर यथा आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

3-प्रकरण में वित्त विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के क्रम में पत्रावली मा0 मुख्य मंत्री जी को सन्दर्भित की गई थी। मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रकरण में निम्नवत् आदेश प्रदान किये गये हैं :-

''मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा राज्य स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति की स्पष्ट संस्तुति के साथ मुख्य सचिव के माध्यम से पत्रावली प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की गई है।''

4-प्रकरण में पत्रावली पुनः मा0 मुख्य मंत्री जी को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गई थी, जिस पर मुख्य सचिव महोदय द्वारा वित्त विभाग के परामर्श के पश्चात् पत्रावली प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात् पत्रावली में वित्त विभाग द्वारा पुनः यह परामर्श दिया गया है कि योजनान्तर्गत पूर्व निर्धारित प्रश्नगत कार्य पूर्ण किये जाये अथवा न किये जाने के सम्बन्ध में प्रशासनिक विभाग द्वारा मत स्थिर किया जाना होगा। तद्नुसार प्रशासनिक विभाग उक्त के क्रम में योजना की गाईडलाइन्स के अनुसार राज्य स्तरीय अनुमोदन/अनुश्रवण समिति की संस्तुति प्राप्त करते हुए वित्त विभाग के परामर्शानुसार यथा माध्यम मा0 मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन/आदेश प्राप्त करना चाहेंगे। वित्त विभाग के परामर्श के क्रम में आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित पत्रावली में व्यवहृत की जा रही है।]

समाज कल्याण विभाग के शादी अनुदान वाले साफ्टवेयर में जबरदस्त तकनीकी कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री संजय गर्ग द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, समाज कल्याण मंत्री का वक्तव्य

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)-

मान्यवर, श्री संजय गर्ग मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत निम्नवत् सूचना दी गई है.....

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य समाज कल्याण मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग के शादी अनुदान वाले पोर्टल पर आवेदनकर्ता के आवेदन करते समय छोटी सी भी त्रुटि हो जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जाता है। वही आवेदक जब त्रुटियों को ठीक करा कर पुनः आवेदन करता है कि तो साफ्टवेयर आवेदन तो स्वीकार कर लेता है परन्तु PFMS वेलिडेशन के समय सॉफ्टवेयर डुप्लीकेट अकाउण्ट का कारण बताते हुए आवेदन को निरस्त कर देता है।

एक दिवस में दो पुत्रियों की एक साथ शादी करने पर आवेदक के एक ही बैंक खाता देने पर विभागीय साफ्टवेयर डुप्लीकेट अकाउन्ट का कारण बताते हुए दोनों आवेदनों को निरस्त कर देता है।

आवेदक के वृद्धावस्था/विधवा पेंशन लाभार्थी होने या पूर्व में पुत्री की शादी का अनुदान आवेदन, वृद्धावस्था/विधवा पेंशन वाले बैंक खाते के साथ कर देने पर वर्तमान में पुत्री की शादी के आवेदन को साफ्टवेयर डुप्लीकेट अकाउण्ट का कारण दिखाकर निरस्त कर देता है।

प्रधानमंत्री जन धन खातों में शादी अनुदान का रु0 20,000/- तथा राष्ट्रीय पारिवारिक लभ योजना का अनुदान रु0 30,000/- ट्रांसफर नहीं हो पाता क्योंकि जन धन खातों में रु0 10,000/- रुपयों से अधिक का ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता है। अतः आवेदन निरस्त हो जाता है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर वक्तव्य देने तथा उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग के शादी अनुदान वाले पोर्टल में अपेक्षित सुधार कराये जाने की मांग करता हूं।

2-मा0 सदस्य की उपरोक्त सूचना के प्रथम अंश के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के शादी अनुदान हेतु आवेदक द्वारा पोर्टल पर आवेदन करते समय त्रुटियों का निराकरण का विकल्प रहता है। आवेदक द्वारा बार-बार त्रुटियों का निराकरण कर सकता है परन्तु अन्तिम रूप से सबमिट कर देने के उपरान्त कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। वही आवेदक जब पहले आवेदन को अन्तिम रूप से सबमिट करने के बाद अपने स्तर पर त्रुटियों को ठीक कराकर किन्हीं कारणों से नये सिरे से पुनः ऑन लाइन आवेदन कर देता है तो एक ही आवेदक द्वारा दो आवेदन पत्र पोर्टल पर प्रदर्शित होने लगते है। ऐसी स्थिति में सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी/उप जिलाधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों का परीक्षण कर एक ही आवेदन पत्र को अनुमोदित/अग्रसारित एवं अन्य आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाता है। इस प्रकार आवेदक का एक ही आवेदन पत्र पी0एफ0एम0एस0 पर जाता है जो डुप्लीकेट अकाउण्ट होने के आधार पर निरस्त नहीं होता है।

सूचना के द्वितीय अंश के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि एक दिवस में दो पुत्रियों की एक साथ शादी करने पर आवेदक के एक ही बैंक खाता देने पर विभागीय साफ्टवेयर डुप्लीकेट अकाउण्ट का कारण बताते हुए दोनों आवेदनों को निरस्त कर देने की समस्या पहले

से ही संज्ञान में है तथा इस सप्ताह के निराकरण हेतु राज्य सूचना इकाई (एन0आई0सी0) द्वारा इसके साफ्टवेयर में उचित संशोधन करने की कार्यवाही पूर्व से ही प्रक्रियाधीन है।

सूचना के तृतीय अंश के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आवेदक वृद्धावस्था/विधवा पेंशन लाभार्थी होने अथवा वृद्धावस्था/विधवा पेंशन के खाते का इस योजना के अन्तर्गत आवेदन में प्रयोग करने पर आवेदन निरस्त नहीं होता है, परन्तु पूर्व में की गई पुत्री की शादी में प्रयोग किये गये बैंक खाते का विवरण पुनः किये गये आवेदन में दर्ज किये जाने पर आवेदन निरस्त हो जाने की समस्या के निराकरण के लिये भी राज्य सूचना इकाई (एन0आई0सी0) द्वारा साफ्टवेयर में उचित संशोधन करने की कार्यवाही पूर्व से ही की जा रही है।

उक्त सूचना के अन्तिम अंश के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना में खोले गये बैंक खातों में एक बार में ट्रांजेक्शन की सीमा रु0 50000/- निर्धारित है। अतः शादी अनुदान योजना एवं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की धनराशि क्रमशः रु0 20000/- एवं 30000/- सम्बन्धित लाभार्थी के बैंक खाते में अन्तरित होने में कोई समस्या नहीं है।]

जनपद महाराजगंज में चानकी घाट का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमन मणि त्रिपाठी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, श्री अमन मणि त्रिपाठी, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत निम्नवत् सूचना दी गई है.....

श्रम, सेवायोजन एवं समन्वय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[जनपद महराजगंज को तहसील नौतनवां भारत नेपाल मुख्य मार्ग से जुड़ने के लिये रोहिणी नदी पर चानकी घाट पर हेतु का निर्माण किया गया जिससे महराजगंज जनपद मुख्यालय से नौतनवां तहसील मुख्यालय अच्छी तरह से जुड़ जाये दूरी कम हो जाये परन्तु वन विभाग के नकारात्मक सोच के कारण आज तक दोनों मुख्यालय आपस में जुड़ नहीं पाये जिससे नौतनवां तहसील के लोगों को जिला मुख्यालय जाने पर अत्यन्त असुविधाओं का सामना करना पड़ता है आज भी चानकी घाट का मार्ग क्षत-विक्षत पड़ा हुआ है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण और जनहित का अविलम्बनीय कार्य है। जनपद महराजगंज के लिये यह मुख्य मार्ग है इस तरह

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय को ध्यानाकर्षण कराते हुए आप से निवेदन है कि इस मार्ग को तत्काल बनवाने का आदेश देने की कृपा करें।

वक्तव्य

जनपद महराजगंज में रोहिणी नदी के चानकी घाट पर दीर्घ सेतु स्थित है। उक्त सेतु के महराजगंज साइड में 0.850 कि0मी0 लम्बाई के उपरान्त पक्का मार्ग (केवलापुर सम्पर्क मार्ग) स्थित है जिसमें मुख्य पहुंच मार्ग के रूप में 0.200 कि0मी0 लम्बाई में पक्का मार्ग है एवं शेष 0.650 किमी0 लम्बाई में कच्चे मार्ग के निर्माण की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

प्रश्नगत सेतु के नौतनवां साइड के 6.70 किमी0 लम्बाई के उपरान्त पक्का मार्ग (मुड़ली बनरसिहा जगल गुलहरिया मार्ग) स्थित है, जिसमें पहुंच मार्ग के रूप में 0.200 किमी0 लम्बाई में पक्का मार्ग स्थित है एवं शेष 6.50 किमी0 लम्बाई का मार्ग सोहगीबरवा वन जीव क्षेत्र में स्थित है। उक्त भाग में वन विभाग का सोलिंग/कच्चा/कंकड़ स्तर का मार्ग स्थित है, जिस पर छोटे वाहनों का आवागमन होता है। उक्त वन क्षेत्र भाग में लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग का निर्माण/चौड़ीकरण का कार्य कराया जाना निषिद्ध है।]

श्री अध्यक्ष-

त्रिपाठी जी, आप बोलेंगे क्या ?

श्री अमन मणि त्रिपाठी-

हाँ, मा0 अध्यक्ष जी, एक छोटा सा प्रश्न है। अध्यक्ष जी, मा0 उप मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य आया है कि यह चूँकि वन क्षेत्र में पड़ता है, इसका कार्य नहीं हो सकता। मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा है कि जो भी वन टांगिया क्षेत्र हैं उनके मुख्य मार्ग को पिच सड़क से जोड़ा जाएगा। इसी मार्ग पर हमारे सारे क्षेत्र की सारी वन टांगियाएँ हैं, वन विभाग द्वारा एन0ओ0सी0 भी मिल चुकी है और यह असत्य सूचना सदन को गुमराह करने के लिए सामने आई है। इसलिए इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इस मार्ग का निर्माण होना चाहिए जो मा0 मुख्य मंत्री जी की योजना है, एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें 04 वन टांगियाएँ आती हैं जो इस सड़क से लाभान्वित होंगी। मान्यवर, केवल इस 06 कि0मी0 के बन जाने से हमारे पूरे क्षेत्र की जिले पर से दूरी 40 कि0मी0 कम होगी।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वन क्षेत्र भाग में लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग का निर्माण/चौड़ीकरण का कार्य कराया जाना निषिद्ध है। इसका मतलब यह कार्य नहीं कराया जा सकता और इसमें वहां का कोई नियम, अधिनियम होगा।

श्री अमन मणि त्रिपाठी-

मान्यवर, वन विभाग इसके लिए तैयार है, वन विभाग एन0ओ0सी0 दे रहा है। मा0 मुख्य मंत्री जी की वन टांगिया की जो योजना है कि उसको पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा तो मैं

उसी सड़क की बात कर रहा हूँ जिसमें 06 कि0मी0 बच जा रहा है तुलसीपुर चौराहे से चानकी घाट तक। अगर वन विभाग एन0ओ0सी0 देने को तैयार है तो फिर इसमें असत्य बात प्रदर्शित की गई है। मैं उस 06 कि0मी0 का आश्वासन इस सदन से चाहता हूँ।

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊँचाहार में स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री जय प्रताप सिंह)-

मान्यवर, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गई है कि वि0स0 क्षेत्र ऊंचाहार, जनपद रायबरेली.....

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[के वि0ख0 रोहनियां एवं वि0ख0 दीनशाह गौरा में क्रमांशः प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण वर्ष 2016-17 में हुआ था। परन्तु स्वास्थ्य विभाग के मानक के अनुरूप चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ न होने के कारण मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है एवं करोड़ों रुपये की धनराशि से बनी बिल्डिंगों का कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है एवं इससे क्षेत्रीय कई मरीजों की मृत्यु भी हो चुकी है। वहीं वि0ख0 दीनशाह गौर के ग्राम पंचायत जलालपुर घई में 3 वर्षों से नवनिर्मित स्वास्थ्य केन्द्र को आज तक शुरू नहीं किया गया जिससे जहां सरकारी धन का अपव्यय हो रहा है वही क्षेत्रीय लोग स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हो रहे हैं।

अतः आपसे आग्रह है कि उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में अभी तक अनुमन्य स्टाफ की नियुक्ति न किये जाने एवं वि0ख0 दीनशाह गौरा के जलालपुर धई स्वास्थ्य केन्द्र को 3 वर्ष से चालू न किये जाने की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने एवं उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों को अनुमन्य चिकित्सा स्टाफ देकर चालू कराये जाने का निर्देश देने की कृपा करें।

2-इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी, रायबरेली के पत्र दिनांक 27-02-2020 द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या के आधार पर अवगत कराना है कि विधान सभा केन्द्र, ऊंचाहार के विकास खण्ड रोहनियां एवं दीनशाह गौरा, रायबरेली में सामु0 स्वा0 केन्द्र रोहनियां एवं दीनशाह गौरा स्थापित है। इसी प्रकार विकास खण्ड दीनशाह गौरा के ग्राम पंचायत जलालपुर धई में प्राथ0 स्वा0 केन्द्र, जलालपुर धई स्थापित है। उक्त केन्द्र चालू है एवं सभी केन्द्रों पर चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ तैनात है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

3-उल्लेखनीय है कि प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत चिकित्साधिकारियों की अत्यन्त कमी के दृष्टिगत रिक्त पदों पर चिकित्साधिकारियों की तैनाती उपयोगिता एवं उपलब्धता के आधार पर की जाती है।]

नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री (श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी')-

मान्यवर, क्या आप सदन में इशारे करने की अनुमति देते हैं ? ये लोग तो इशारे कर रहे हैं, जरा इस पर आपकी व्यवस्था चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

हमने कहा, आप भी कोई इशारा करिए। मुझे लगता है कि यह बजट का समर्थन करने का कोई सुन्दर तरीका है, ये बजट का समर्थन कर रहे हैं।

(तत्पश्चात् सदन में मेजें थपथपाई गईं)

जनपद गोरखपुर नगर निगम से होकर गुजरने वाले प्राकृतिक नाले से अतिक्रमण हटाये जाने एवं आधुनिक नाला बनवाये जाने के सम्बन्ध में डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री (श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी')-

इस सम्बन्ध में अवगत कराया जाना है कि सन्दर्भित...

श्रम, सेवायोजन एवं समन्वय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(केवल वक्तव्य नगर विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[नाला राजस्व अभिलेखों में नगर निगम की सम्पत्ति के रूप में नहीं दर्ज है। जल निकासी के लिये नाले की आवश्यकता है, इसके दृष्टिगत समय-समय पर उक्त नाले पर हो रहे अतिक्रमण को राजस्व और नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा हटाया जाता है।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम, गोरखपुर द्वारा संयुक्त रूप से लिडार टेक्नोलॉजी से मै0 जियोनो इण्डिया प्रा0लि0 फर्म से गोरखपुर शहर का ड्रेनेज मास्टर प्लान तैयार किये जाने हेतु सर्वे का कार्य कराया जा चुका है। उक्त सर्वे के अनुसार शहर से जल एवं सीवरेज के लिये योजना तैयार कराई जा रही है।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना के अन्तर्गत ग्राम गढ़ी नोआबाद में पुलिस चौकी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमेश मलिक द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

अवगत कराना है कि नवीन रिर्पोटिंग एवं इन्वेस्टिगेटिंग.....

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[पुलिस चौकियों की स्थापना हेतु मानक शा0 दिनांक 07 अगस्त, 1996 द्वारा निर्धारित है जिसके अनुसार थाने से दूरी :- सामान्यतः रिपोर्टिंग पुलिस चौकी के लिये सम्बन्धित थाने से 10 कि0मी0 की दूरी होनी चाहिये। विशेष परिस्थितियों में ही वह दूरी कम भी हो सकती है। जनसंख्या- रिपोर्टिंग पुलिस सामान्य रूप से न्यूनतम 15000 तक की जनसंख्या को आच्छादित करने के लिये स्थापित की जानी चाहिये।

प्रकरण में जनपदीय आख्यानुसार ''---- थाना भौराकलां से स्वास्थ्य केन्द्र गढ़ी नौआबाद की दूरी मात्र 04 कि0मी0 होने तथा जनसंख्या एवं आपराधिक दृष्टिकोण से चौकी स्थापना के मानक पूर्ण नहीं हो रहे हैं।'' अतः मानकों के पूर्ण न होने के दृष्टिगत जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भौराकलां के गांव गढ़ी-नौआबाद में स्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के नजदीक पुलिस चौकी स्थपित किये जाने का औचित्य नहीं है।]

श्री अध्यक्ष-

मेरा ख्याल है कि आप लोग सब माननीय मुख्य मंत्री जी को सुनने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं।

नेता सदन द्वारा सदन संचालन में नेता प्रतिपक्ष सहित सभी दलीय नेताओं, मा0 सदस्यों के प्रति आभार

***मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-**

माननीय अध्यक्ष जी, बजट सत्र में जो रोचक चर्चा हुई है और बहुत सारे माननीय सदस्यों ने अपनी बात को बहुत मजबूती के साथ अच्छे सुझावों के साथ इस सदन में रखा है, मैं उन सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। यह सदन संवाद का सबसे सशक्त माध्यम है

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन संवाद को कौन लोग बाधित करने वाले हैं पूरा प्रदेश आज उनके वास्तविक चेहरे को जान गया है और उन्होंने यह साबित किया है। दलीय नेताओं की बैठक में जब हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर चर्चा कराने की बात की थी उस समय भी हम लोगों ने इस बात को कहा था कि देश का पहला विधान मण्डल उत्तर प्रदेश का होगा जिसमें प्रदेश के गरीबों पर, प्रदेश के नौजवानों पर, प्रदेश की बुनियादी सुविधाओं पर, प्रदेश के बुनियादी ढॉचागत विकास के मुद्दों पर, प्रदेश के युवाओं, प्रदेश के किसानों इन सब के मुद्दे पर चर्चा करने का हम लोगों के लिए एक मंच विधान मण्डल है और इस पर हम लोग एक ऐसी चर्चा प्रारम्भ करें जो लगातार 48 घंटे तक चले। सबने दलीय नेताओं की बैठक में अपनी सहमति भी व्यक्त की लेकिन जब बापू की 150 वीं जयंती के अवसर पर यह आयोजन यहाँ पर प्रारम्भ हुआ तो गरीबों के मुद्दे पर चर्चा न होने पाये, बुनियादी सुविधाओं पर चर्चा न होने पाये, नौजवानों के मुद्दे पर, महिलाओं के मुद्दे पर ये चर्चा न होने पाये इसलिए हमारे विपक्ष के मित्रों ने सदन का ही बहिष्कार कर दिया था। आप जब गरीबों पर चर्चा नहीं करना चाहते। प्रदेश के विकास पर चर्चा नही करना चाहते। प्रदेश के अन्दर जो कुछ नयापन हो रहा है या जो माननीय सदस्य अलग-अलग पृष्ठभूमि से आकर अपने अमूल्य सुझावों से सदन के माध्यम से सरकार को और प्रदेश को लाभान्वित करना चाहते हैं जब आप स्वयं उससे वंचित रहना चाहते हैं और सदन की कार्यवाही में बाधा डालते हैं तो कौन-से सदन को आप चलाने की बात कर रहे हैं। 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को पूरे प्रदेश और पूरे देश ने देखा है विपक्ष के उस आचरण को जहाँ पर उन्होंने इस सदन के कार्य से पूरी तरह बहिष्कार किया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर चर्चा यह किसी पार्टी के एजेण्डे को आगे बढ़ाने तथा सरकार के एजेण्डे को आगे बढ़ाने की कार्यवाही नहीं थी। यह तो प्रदेश के अन्दर उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में किये जाने वाले प्रयास का हिस्सा था और हम लोगों ने पहले ही दिन सरकार के गठन होने के बाद जब दलीय नेताओं की बैठक हो रही थी, तब भी हम लोगों ने इस बारे में कहा था। हम चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही अधिक समय तक चलनी चाहिए। अध्यक्ष जी, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि दलीय नेताओं की एक कमेटी गठित होनी चाहिए। संसद की तर्ज पर विधान सभा की कार्यवाही को भी हम लोग कैसे और समृद्ध बना सकते हैं, कैसे हम नियमों के अन्दर यदि आवश्यकता पड़ती है तो संशोधन करते हुए इसको और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, हमें इस पर विचार करना चाहिए। यह देश का सबसे बड़ा विधान मण्डल है और यहाँ का अपना एक मैसेज है, अपना एक संदेश है, देश के लिए भी और दुनिया के लिए भी । वह हम कैसा देना चाहते हैं, यह हम पर तय करेगा। मुझे लगता है कि इस सदन के दलीय नेताओं की बैठक के माध्यम से उसकी एक कमेटी गठित करके मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि इस पर हमें प्रयास करना चाहिए कि यदि आवश्यकता पड़े तो नियमों में संशोधन करके संसद की तर्ज पर सदन की कार्यवाही को भी व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। चूँकि होता यह है कि दलीय नेता तो बोलते हैं लेकिन जो

नये सदस्य हैं, उनको बहुत बार मौका नहीं मिल पाता है। उनमें एक एनर्जी है, उनके पास कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। वह अपने अमूल्य सुझावों से, जिस अलग-अलग पृष्ठभूमि से वह लोग आएं हैं, उनके पास उसका भी अनुभव है। प्रदेश उन अनुभवों से वंचित रह जाता है। इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैसे उन सब लोगों को भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सके, इसके लिए हमें एक व्यवस्था यहाँ पर बनाने का प्रयास करना चाहिए। मुझे लगता है कि इसका जो मैसेज होगा वह बहुत बड़ा मैसेज होगा। विपक्ष का यह आरोप है कि सरकार सदन नहीं चलने देना चाहती है। यह बजट सेशन है, बजट सेशन बजट तक सीमित होता है परन्तु अन्य मुद्दों को भी माननीय सदस्यों ने इस दौरान रखा है और जिस पर चर्चा भी हुई। हम लोगों ने किसी भी कार्य से अपने आप को अलग नहीं किया है। सरकार ने हमेशा कहा है कि किसी भी मुद्दे पर सार्थक बहस के लिए हम तैयार है। सरकार प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। सदस्यों की चर्चा का स्तर गम्भीर था और समृद्ध था तो उत्तर का स्तर भी उसी प्रकार का गम्भीर और उतना ही समृद्ध रहा है। पूरे सदन के दौरान मंत्रियों के द्वारा दिये गये वक्तव्य और सदस्यों के द्वारा उठाये गये मुद्दे इन सबका प्रमाण है। हम लोग चुने गये जनप्रतिनिधि हैं। जनता के प्रति हमारी भी प्रतिबद्धता है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप 15 वर्षों की उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की कार्यवाही को उठाकर देखें। हमने एक सत्र में जितना सदन चलाया है, आपने पूरे वर्ष में उतना सदन नहीं चलाया है। आपको प्रश्न करने का कोई अधिकार इसमें नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें हम लोगों ने तो अधिक से अधिक दिनों तक सदन को चलाने की कार्यवाही की है और हम लोग आगे भी करेंगे। इस सत्र को केवल हम सत्रावसान की ओर नहीं ले जा रहे हैं, हम बीच में फिर उस प्रकार की परम्परा को आगे बढ़ाना चाहते हैं जैसी विगत वर्ष में हमने तीन अलग-अलग अवसरों पर सत्र को आहूत करके विशेष मुद्दों को लेकर सदन की चर्चा को और समृद्ध बनाने की कार्यवाही को आगे बढ़ाया था। सस्टेनेबल डेवलपमेण्ट गोल पर इस सदन में चर्चा हुई थी। संविधान दिवस पर इस सदन में विशेष चर्चा हुई थी। एक अन्य मुद्दे पर भी हम लोगों ने विशेष चर्चा को आगे बढ़ाने की कार्यवाही की थी। रिजर्वेशन से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर विशेष सत्र हमने यहाँ पर आहूत किया था। यह तीन विशेष सत्र सामान्य चलने वाले सत्रों के बाद अतिरिक्त रूप से भी यहाँ पर पिछले वर्ष चले थे और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वर्ष का यह पहला सत्र है। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र का शुभारंभ हुआ था। इसके उपरांत बजट पर चर्चा करते हुए आज यहाँ पर बजट पारित हुआ है। मैं सबसे पहले पूरे सदन के सभी दलीय नेताओं का और सभी माननीय सदस्यों को हृदय से आभार व्यक्त करते हुए सबको धन्यवाद भी देता हूँ कि सबने राज्यपाल जी के अभिभाषण को भी और बजट को भी यहाँ पर पारित किया है। अलग-अलग मुद्दों पर भी चर्चा हुई है, अलग-अलग विभागों के बजट पर भी चर्चा हुई है और काफी अच्छी चर्चा हुई है। मैंनें आपको पहले भी कहा था कि संसद में अगर 16 मंत्रालय हैं तो 16 पर चर्चा नहीं होती है। 4 पर लोकसभा में

चर्चा होती है, 4 पर राज्यसभा में चर्चा होती है शेष अन्य विभागों के बजट को कमेटी की बैठक में चर्चा करके उनके ठोस सुझावों को उसमें शामिल करके फिर उसे सदन में रखा जाता है। सदन उसको स्वीकार करता है। कमेटी की बैठकें भी बहुत समृद्ध होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, बहुत सार्थक होती हैं और मुझे लगता है कि कहीं-न-कहीं हमें विधान मण्डल की कार्यवाही को भी उस समृद्ध परम्परा की ओर आगे बढ़ाना चाहिए। हम लोग चाहेंगे कि अभी आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे अवसर आयेंगे, जिस अवसर पर हम लोगों को बैठने की आवश्यकता पड़ेगी। हम लोग तो चाहेंगे कि प्रदेश से जुड़े हुये अलग-अलग मुद्दों पर, अलग-अलग समय में यहाँ पर सदन की विशेष बैठकें आयोजित हों। सदन को हम सार्थक चर्चा का विषय बनायें। मैं जो बोल रहा हूँ, नेता विरोधी दल इसलिए इधर देखना नहीं चाहते क्योंकि वह आज मजबूर हैं, उन्होंने अपने मुँह पर एक ऐसी पट्टी बांध ली है जो अब निकलने का नाम नहीं ले रही है इसलिए अब उनकी मजबूरी समझ में आ सकती है लेकिन मैं चाहूँगा कि उन्होंनें मुँह पर पट्टी बांधी है, कान पर पट्टी न बांधें, वे सुनें। इसके बारे में कल संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह ही दिया था कि कान की रूई को हटाने की व्यवस्था हो जायेगी आप उसकी चिन्ता मत कीजिये लेकिन इस कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाना चाहिए और हम लोग चाहते हैं कि सदन में अलग-अलग मुद्दों पर जैसे पिछले वर्ष इस सदन में सस्टेनेबुल डेवल्पमेन्ट गोल्स पर चर्चा हुई थी। जिसे सबने सराहा था, जो लोग नहीं आये थे उनको पश्चाताप हुआ था और मुझे लगता है कि जिन्होंने आज अपने मुँह पर पट्टी बांधी है, उनको भी जरूर पश्चाताप होगा। इसके बाद, जैसे ही सदन की कार्यवाही पीठ के द्वारा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होगी, तो उसके साथ ही इनको इस बात का पश्चाताप होगा। महोदय, हम यह भी चाहते हैं कि अलग-अलग विषयों को ले करके सदन में चर्चा हो, परसों आपने विधायक निधि के मुद्दे पर भी यहाँ चर्चा की थी और उससे जुड़ी हुई जो गाइडलाईन है उसमें आज के अनुरूप क्या संशोधन होने हैं, इसको ले करके भी मैं चाहूँगा कि इस पर दलीय नेताओं की एक कमेटी बना करके वे सभी सुझाव ले करके एक समय सीमा के अन्दर अगर प्राप्त हो जाते हैं तो हम लोगों को दोनों प्रकार से मदद मिलेगी। एक मदद आज के कार्य के अनुरूप, क्योंकि एक समय था विधायक निधि जब आयी थी तब गांव में इस बात को ले करके चर्चा होती थी कि हमें खण्डजे का कार्य करना है, विद्युतीकरण का कार्य करना है, तब उस समय की आवश्यकता कुछ और थी, आज की आवश्यकता कुछ और है। आज विकास के कुछ नये मानक और कुछ नये प्रतिमान तैयार हुए हैं। लोगों की विकास के प्रति सोच बदली है। उसके अनुरूप विधायक निधि का उपयोग हो सके, उस मुद्दे को ले करके, गाईडलाइन में जो संशोधन करने हैं, उस दृष्टि से हमें कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। विधायक निधि बढ़े मुझे लगता है कि नेता विरोधी दल इससे सहमत नहीं हैं इसलिए वह सदन से वाक-ऑउट करके चले गये हैं। मैं चाहता हूँ कि विधायक निधि के बारे में भी एक कमेटी बनायी जाये जो विधायकों की निधि को बढ़ाने के बारे में व्यापक चर्चा कर सके और यह बता सके कि विधायक

निधि को किस हद तक हमें बढ़ाना है, किन-किन योजनाओं को इसके साथ मर्ज करना है कि विधायक सम्मानजनक ढ़ंग से अपना प्रस्ताव भी दे सके और उनके अनुरूप विभागीय कार्यों का सम्पादन विभिन्न विभागों के द्वारा भी किया जा सके। यह दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए क्योंकि विभागीय बजट भी हम लोगों ने सभी विभागों का पर्याप्त मात्रा में बढ़ाया है और अगर उससे सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव भी, अन्य विधायकों के प्रस्ताव के साथ जुड़ करके इन कार्यों को सामयिक रूप से हम आगे बढ़ाते हैं तो यह मान करके देखा जा सकता है कि प्रत्येक विधायक अपनी-अपनी विधान सभा में एक ही वर्ष में 50 करोड़ से ले करके 100 करोड़ तक का कार्य विभिन्न प्रकार की योजनाओं में करके अपनी उपलब्धियों को जब प्रकाशित करेगा तो पांच वर्ष के बाद उसके सामने एक लम्बा-चौड़ा लेखा-जोखा होगा कि विधायक निधि के साथ-साथ उसके प्रस्ताव पर इतने ज्यादा कार्य, उसकी विधान सभा क्षेत्र में हुए हैं, यह उस विधायक के साथ जुड़ेगा और मुझे लगता है कि इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव भी नहीं होना चाहिए और सभी को समान रूप से अवसर प्राप्त हो, इसके बारे में ठोस कार्य-योजना उस कमेटी के माध्यम से बननी चाहिए और मैं चाहूँगा कि संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्री की ही अध्यक्षता में अगर इस प्रकार की कमेटी बनती है तो मुझे लगता है कि अच्छा होगा। वह समय से इस कार्यक्रम को, उसकी पूरी रूप-रेखा को तैयार करके आगे बढ़ा दें और जिससे इस पर आगे बढ़ाने में हमें मदद मिल सके। (माननीय सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाईं गईं) इसके साथ ही एक बात की चर्चा जो अक्सर होती है, जो पूर्व विधायकगण भी और वर्तमान के कुछ विधायकगण भी, पता नहीं हमारे प्रतिपक्ष के नेतागण उसके लिए सहमत हैं, नहीं हैं, मैं नहीं जान सकता कि वेतन और भत्तों के बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। सम्भवतः नेता प्रतिपक्ष इसके लिए सहमत होते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि अगर कल सरकार कोई घोषणा करती है, ये कल तुरन्त जाकर कहेंगे कि साहब हम तो सहमत थे ही नहीं और इसलिए मेरा प्रस्ताव होगा, इसके बारे में भी वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हो, इस पर चर्चा हो और दलीय नेता इसके साथ बैठें और बैठ करके व्यापक चर्चा हो। आप मुँह की पट्टी को हटा करके बोलेंगे तो अच्छा होगा। आप (नेता प्रतिपक्ष) कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल लीजिए।

(श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' के अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री योगी आदित्यनाथ-

नेता प्रतिपक्ष को पहले बोलने दीजिए। नेता प्रतिपक्ष कुछ बोलना चाहते हैं।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, आज हम लोगों के लिए बोल दीजिए।

श्री योगी आदित्यनाथ-

बोल दीजिए।

(श्री राम गोविन्द चौधरी द्वारा अपने स्थान पर खड़े होकर कुछ इशारा किया गया)

(सदन में हँसी)

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

अध्यक्ष जी, वैसे ''मौनं स्वीकृति लक्षणम्''।

(सदन में हँसी)

श्री योगी आदित्यनाथ-

चूँकि खन्ना जी, उनके बहुत घनिष्ठ मित्र हैं और मुझे लगता है कि इन दोनों को लेकर के कोई फिल्म बने, तो वह बहुत हिट होगी (माननीय सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं) अच्छा होगा अगर नेता विरोधी दल सहमत हों, तो इसको लेकर भी एक कमेटी .....

(हँसी)

श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह-

मान्यवर, इसकी कुछ समय-सीमा निर्धारित कर दें।

श्री योगी आदित्यनाथ-

समय-सीमा, जितना समय यह ले लेंगे, एक दिन, दो दिन, दस दिन, दो महीना, चार महीना, दो वर्ष।

(श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव एवं कई सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री योगी आदित्यनाथ-

इन लोगों को देखो, सामने बोलना चाहते हैं कि नहीं बोलना चाहते हैं। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि माननीय सदस्यों के लिए विधायक निधि 3 करोड़ कर दी जाये।

(माननीय सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं)

साथ ही साथ विभिन्न विभागों से जुड़े हुए प्रस्ताव, हमारा प्रयास होना चाहिए कि माननीय सदस्यों को, जो सहमत हैं, उनके सदस्यों की राय लेनी चाहिए, जो असहमति व्यक्त कर रहे हैं, उनके प्रस्ताव न लिये जायें, भले ही वह न सहमत हों। लेकिन बाकी सदस्यों के प्रस्ताव लेकर के उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। सरकार तीन वर्ष की उपलब्धियों पर एक पत्रिका छाप रही है। उसमें कोई दलीय भेद नहीं होगा, उसमें सभी माननीय सदस्यों की अपनी विधान सभा क्षेत्र की उपलब्धियों को लेकर के वह पत्रिका होगी। आप भी अगर अपनी विधान सभा की उपलब्धियों को एक बार चेक कर लेंगे और उसको भेज देंगे तो हमारा प्रयास होगा कि 15 मार्च तक हम वह पत्रिका छाप करके आपको उपलब्ध करावा देंगे। अगर यह चीजें होंगी तो आपकी तीन वर्ष की उन उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच में जाने का एक अवसर प्राप्त होगा। जनता को आप बता पायेंगे कि सरकार ने यह किया, जनपद में यह हुआ और विधान सभा में यह कार्य हुए हैं। जनपद की भी और विधान सभा स्तर पर भी इन उपलब्धियों

की जानकारी मिलेगी, इसके प्रस्ताव यद्यपि हम लोगों ने जनपद स्तर से तो मांगे हैं लेकिन फिर भी यदि आप लोग उसमें कुछ संशोधन करना चाहेंगे तो इसको लेकर जितनी जल्दी कर लें, ये चीजें जल्दी मिल जाएंगी तो 15 मार्च तक हम लोग पत्रिकाओं को प्रकाशित करके आप तक पहुंचाने का कार्य कर लेंगे, सभी माननीय सदस्यों को पूरी मात्रा में इसको उपलब्ध कराने की कार्यवाही कर दी जायेगी। इसके अलावा जो माननीय सदस्यों ने कहा तो वास्तव में वेतन और भत्तों के बारे में एक चर्चा होनी चाहिए और इसके बारे में एक ठोस व्यवस्था, कि क्या इसमें पेंशन की व्यवस्था होनी है, क्या वेतन के बारे में, अन्य भत्तों के बारे में, ट्रेविलिंग भत्ते के बारे में, क्योंकि जो कूपन का सिस्टम है क्या हमें कोई स्मार्ट कार्ड की तरफ जाना है, क्या करना है इन सभी चीजों के बारे में मुझे लगता है कि वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी दलीय नेताओं की बन जाये, वह कमेटी इस पर चर्चा कर ले और चर्चा करके अपना प्रस्ताव दे दे, सरकार इस पर आपकी भावनाओं के साथ में है लेकिन पारदर्शी तरीके के साथ यह सारी चीजें दिखनी चाहिए, जिससे कहीं भी किसी को बोलने का मौका न मिले।

(सदन में प्लॉट और हैण्डपम्प की आवाज आने पर)

श्री योगी आदित्यनाथ-

बहुत कुछ तो मिल गया है भाई। अब तो हम पाइप पेयजल योजना पहुंचा रहे हैं। घर-घर नल, हर घर नल के लिए 15 हजार करोड़ रुपए अभी इस सरकार ने बुन्देलखण्ड और विन्ध्य क्षेत्र में दे दिये हैं। हम लोग हर एक गांव में आगामी दो वर्ष के दौरान इस सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए पूरी तैयारी के साथ कार्य कर रहे हैं। भारत सरकार इसमें पर्याप्त धनराशि दे रही है, यहाँ कोई भेद नहीं है लेकिन बुन्देलखण्ड सबसे प्रभावित क्षेत्र था, विन्ध्य क्षेत्र सबसे प्रभावित क्षेत्र था इसलिए पहले चरण में सरकार ने अपने स्तर पर इस कार्यवाही को आगे बढ़ा दिया है जिसमें भारत सरकार भी सहयोग कर रही है। मैं चाहूँगा कि हर एक सदस्य को, जैसे बिजली के लिए आपको बोलना नहीं पड़ा, हर एक गांव में हर एक मजरे तक बिजली पहुंचा दी गई, जैसे सड़क के लिए किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लगातार सरकार की कार्रवाई उस तक पहुंच रही है। आपने देखा होगा, पहले भी सरकारें रही हैं, कोई बीमार होता था तो मुख्य मंत्री राहत कोष से पैसा देने के लिए चेहरे और दल देखे जाते थे, आज चेहरा और दल देख करके नहीं, पीड़ित व्यक्ति को देख करके सरकार तीन दिन के अन्दर रिपोर्ट मंगा करके सीधे उसके खाते में पैसा देने का कार्य करती है, उसका प्रस्ताव सरकार के पास आ जाए। आयुष्मान भारत में पॉच लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा का कवर प्रत्येक नागरिक को मिला, बिना भेदभाव के मिला। ऐसी ही स्थिति हमें पेयजल के लिए भी देनी है। हम जो मॉडल तैयार कर रहे हैं वह 10 वर्ष से 15 वर्ष तक के लिए कर रहे हैं, जो संस्था उस कार्य को करेगी उसको उसकी मरम्मत और मेंटीनेंस आदि की व्यवस्था भी अपने जिम्मे लेनी पड़ेगी जिससे कि हम उस परियोजना को सस्टेनेबल बना सकें और लोगों को लम्बे समय तक इस सुविधा का उपयोग दे सकें। यह कार्य सरकार के स्तर पर प्रारम्भ हुआ है। जहाँ पर

सरफेस वाटर होगा, हम सरफेस वाटर को ट्रीट करके, ट्रीटमेंट के माध्यम से हम वहाँ पर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करायेंगे और जहाँ पर सरफेस वाटर नहीं होगा, ग्राउंड वाटर की मौजूदगी होगी, वहीं पर ग्राउंड वाटर ले करके हम इस योजना को पूरी तरह से उन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। सरकार इसके लिए पूरी तरह से तैयार है, हर प्रकार का सहयोग करने को तैयार है, इन चीजों को ले करके हमारी कार्यवाही आगे बढ़ेगी। इसके अलावा पूरे सदन की कार्यवाही, आज सदन का सोलहवां दिन है, कार्यदिवस में देखेंगे तो दसवां दिन है लेकिन सदन की कार्यवाही का सोलहवां दिन है। सदन की कार्यवाही 13 फरवरी से प्रारम्भ हुई थी और यह कार्यवाही निरन्तर चली, बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव आये उस पर हमने चर्चा को आगे बढ़ाया। सदन की इस कार्यवाही में सभी माननीय सदस्यों ने बड़ी रुचि के साथ यहाँ पर भाग लिया, अपने विचारों को दिया, उनके बहुमूल्य सुझाव सरकार के पास आये, विभिन्न मंत्रालयों के पास गये, उससे लोगों को कार्य करने और एक नई स्थिति उनके सामने पैदा हुई है।

महोदय, इस दौरान हमारे यहाँ पर विधान सभा सचिवालय से जुड़े जो अधिकारी/कर्मचारी हैं, देर रात्रि तक यहाँ पर सदन की कार्यवाही चली है, उसमें उन्होंने पूरी तन्मयता के साथ सदन का कार्य किया है। इसलिए पुरस्कार स्वरूप उनकी मेहनत, उनकी लगन और निष्ठापूर्वक कार्य करने के लिए उन्हें ग्यारह हजार पॉच सौ रुपये की पुरस्कार राशि उपलब्ध करायी जा रही है। इसके बारे में मैं इस सदन में एक प्रस्ताव रखता हूँ। मैं सभी के प्रति हृदय से धन्यवाद देता हूँ। नेता प्रतिपक्ष और अपने सभी दलीय नेताओं के साथ ही सभी मा0 सदस्यों को, जिन्होंने सदन की गरिमा को बनाये रखते हुए एक समृद्ध चर्चा का मंच उत्तर प्रदेश विधान मण्डल को बनाया है। विधान मण्डल में भी इतनी समृद्ध चर्चा आगे बढ़ सकती है, संभवतः कई वर्षों के बाद यह चीज देखने को मिली है। हमें इसको और समृद्ध बनाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। मैं उन सबके सभी बहुमूल्य सुझावों का समर्थन करूँगा, जो प्रदेश के अन्दर एक लोकतांत्रिक माहौल को सुखद और समृद्ध बनाने में सहायक होगा और मुझे उसमें बहुत प्रसन्नता होगी। मा0 अध्यक्ष जी, आपके प्रति, प्रमुख सचिव विधान सभा के प्रति और सचिवालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति भी हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को बहुत सफलतापूर्वक इस पूरी व्यवस्था को शानदार तरीके से आगे बढ़ाया है और उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की गरिमा को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, क्योंकि विधान मण्डल की गरिमा हमारी लोकतांत्रिक परंपरा और मूल्यों की गरिमा होती है। विधान मण्डल में चर्चा का स्तर लोकतांत्रिक मूल्यों के चर्चा को और समृद्ध बनाता है, इससे लोकतांत्रिक मूल्यों पर आम जन का विश्वास और सुदृढ़ होता है और वह आज यहाँ पर देखने को मिला है। मैं एक बार फिर से आपका, सभी दलीय नेताओं का, सभी मा0 सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए बजट सत्र में शानदार चर्चा और कार्य के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सदन के संचालन हेतु नेता प्रतिपक्ष सहित सभी दलों के नेताओं, सदस्यों तथा श्री अध्यक्ष के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सभी को होली की बधाई

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले नेता सदन मा0 मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज उन्होंने काफी दिनों से कई माँगों के सम्बन्ध में जो चर्चा थी, उसमें एक विधायक निधि के सम्बन्ध में और दूसरी जो चर्चा थी, उसके सम्बन्ध में भी एक सार्थक पटाक्षेप किया है।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)।

श्री अध्यक्ष-

नेता प्रतिपक्ष इस समय उपस्थित हैं और प्रायः हर विषय पर बोलते हैं, इसलिए मैं उनसे पूछ लूं।

(सदन में हँसी)

(नेता प्रतिपक्ष ने अपने आसन से खड़े होकर सदन के सभी सदस्यों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया।)

हम लोग पीछे लम्बे समय से इस बजट सत्र में हिस्सा ले रहे थे और लगातार सत्र में और जहाँ-जहाँ बहस में बोलने का अवसर था, वहाँ-वहाँ विषय रखने में इस आदरणीय सदन के सभी सदस्यों की तत्परता रही है। मेरे पास भी बहुत भीड़ रहती थी और भिन्न-भिन्न दलों के कार्यालय-भारतीय जनता पार्टी का, समाजवादी पार्टी का, ब0स0पा0 का, अपना दल का, कांग्रेस का, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का सब जगह माननीय सदस्य प्रयासरत रहते थे कि हमको अपनी बात कहने का अवसर मिले। इस बार हम सबने देखा होगा कि नये सदस्यों द्वारा, नया मैं उनको कह रहा हूँ जो पहली बार चुनकर आये हैं। अब कोई नया नहीं है क्योंकि लगभग 3 वर्ष हो रहा है तो पहली बार के चुने हुए सदस्य का भाषण, उनका वक्तव्य, विषय रखने का ढंग और विषयों में तथ्य ज्यादा रहे हैं। इस तरह हमारी उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने सदस्यों की मेधा, अनुभव, कार्य-कुशलता में पर्याप्त विकास किया है। हम लोग उत्तर प्रदेश का हित संवर्द्धन चाहते हैं जिसके लिए चुने गये हैं, पूरे देश का हित-संवर्द्धन यह हमारा संवैधानिक दायित्व है। इसलिए यहाँ पर कभी-कभी ऐसे अवसर भी आये हैं जब बहुत तीखी नोक-झोंक हुई है। कल भी एक अवसर आया था और आज भी हमारे माननीय वरिष्ठ मंत्री श्रम-मंत्री और नेता प्रतिपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। आज भी एक अवसर आया था जब मुझे लगा कि अभी यह उमस, आंधी बन रही है तो कुछ गड़बड़ न हो जाये। कल भी ऐसे अवसर आये थे। संसदीय परिपाटी में थोड़ा गरम, थोड़ा नरम, आक्रामकता यह स्वभाविक है। लेकिन उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की तरफ से पूरे देश और प्रदेश को यह संदेश जाते ही रहना चाहिए कि यहाँ की सभा, यहाँ की समितियां, यहाँ का लोकतंत्र सारी दुनिया को प्रेरित

करने में सक्षम है। यहाँ पर ही संसदीय परिपाटी का उद्गम और विकास हुआ, उसके बाद लोकतंत्र सारी दुनिया में फैला। तो उस उत्तर प्रदेश के निवासी और उस उत्तर प्रदेश के 22-23 करोड़ जनता के प्रतिनिधि, उनका यह सदन है। इस बीच हम लोग यहाँ पर लम्बे समय तक बैठे। अनेक बार ऐसे अवसर भी आये कि जब वरिष्ठों की इच्छा थी कि 5:00 बजे समाप्त किया जाये लेकिन हम लोग 7:00, 7:30 बजे व और देर तक बैठे। इस कार्यावधि में माननीय मुख्य मंत्री जी दो बार तो विशेष रूप से उपस्थित हुए श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव व बजट की सामान्य चर्चा पर। इसके अलावा भी उनका यहाँ पर आना-जाना और विषयों को रखना, हस्तक्षेप करना बना रहा यह संसदीय परिपाटी के विकास के लिए, नेता सदन की अतिशय व्यस्तता के बावजूद यह प्रशंसनीय कार्य है और हम आप सबकी तरफ से माननीय मुख्य मंत्री जी की प्रशंसा करते हैं (सत्तापक्ष के मा0 सदस्यों ने मेजें थपथपायी।) कि इन्होंने बहुत ठीक से सदन की कार्यवाही में हिस्सा लिया। इसके अलावा भी समय-समय पर वे चाहे बाहर (दौरे पर) रहे हों लेकिन इस आदरणीय सदन में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका हालचाल वे लेते रहे हैं।

माननीय नेता प्रतिपक्ष लगातार, प्रातःकाल 11:00 बजे से सदन होता है, मैंने कभी ऐसा नहीं पाया कि मैं आ गया हूँ और नेता प्रतिपक्ष बाद में आये हों।

(मेजें थपथपायी गयीं)

वे लगातार इस सदन की कार्यवाही में हस्तक्षेप करते रहे हैं और उनके हस्तक्षेप, उनके वाक्-कौशल से, उनके विषय परिवर्तन से तमाम सदस्यों को प्रेरणा भी मिली है। वे यह न समझें कि उनके साथ केवल 32-35 या 40-42 जो भी हों उतने ही लोग उनको अगुवा मानते हैं, उसमें से हो सकता है कि कुछ कम मानते हों लेकिन जो अन्य दल स0पा0 के अलावा हैं उन्होंने पूरे आदरभाव के साथ आपको सुना है।

(मेजें थपथपायी गयीं)

हम सब आपको शुभकामनायें देते हैं। माननीय लालजी वर्मा जी चले गये, माननीय वर्मा जी का तर्क और तथ्यों को रखने का अपना ढंग है, उससे यह सदन लाभान्वित हुआ है। हमारी हर बैठक में वे एक वाचाल और मार्गदर्शक की भूमिका में उपस्थित हुये हैं। कान्ग्रेस दल से मोना जी अभी जल्दी-जल्दी वरिष्ठ नेता बनी हैं। और हम सब लोग उनसे परिचित हैं वह दूसरी पीढ़ी में हैं और हम लोग पुरानी पीढ़ी में हैं। तो कई बार वह यह भूल जाती हैं कि हम नेता हैं और वेल में आ जाती हैं। नेता नहीं आते हैं और ओम प्रकाश राजभर जी के ज्ञान से, उनके कौशल से उनकी की बुद्धि से परिचित हैं। उन्होंने बहुत स्नेह दिया हम सब लोगों को। उनको हमने कभी गुस्से में नहीं पाया (हँसी) नील रतन पटेल जी के प्रति बहुत आभार। उन्होंने जब-जब यहाँ से कहा गया और जितने मिनट कहा गया उससे कम मिनट में अपनी बात कही। ऐसे हमारे पास बहुत से सदस्य हैं जिनको हमने कहा कि पॉच मिनट में अपनी बात बोलिये

वह बीस मिनट बोले और उसके बाद कहा कि अभी हम तीन ही मिनट बोले हैं। (हँसी) अब मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय सुरेश कुमार खन्ना जी को शुभकामनाएं देता हूँ कि वह लगातार इस सदन में उपस्थित रहे। अन्य जो मंत्रि-मण्डल के सदस्य हैं श्रीकान्त जी बैठे हैं, राणा जी लगातार बैठते रहे हैं, गोपाल जी बैठते रहे हैं। तो मैं जिनके नाम ले पा रहा हूँ वह और जिनके नाम नहीं ले पा रहा हूँ। हम लोगों के यहाँ अवध क्षेत्र में जब शादी विवाह होता है तो एक दिन पहले सारी महिलाएं गाना गाती हैं सबको निमंत्रण देती हैं फिर कहती हैं कि ऑधी बॅवर हो तुम्हीं निमंते कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनको भी निमंत्रण। तो ऐसे सारे मित्र जो बाधा डालते थे जो साधक हैं (हँसी) ऐसे अपने इस आदरणीय सदन के आदरणीय सदस्यों के प्रति बहुत आदर भाव मैं व्यक्त करता हूँ और अपनी ओर से टोका-टोकी में किसी को रोका होगा कभी। अब हम तो पुराना इंजन हैं कभी खड़े होकर डॉट दिया होगा। पुराना इंजन आवाज ज्यादा करता है, तो कभी डॉट दिया हो तो उसके प्रति मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और शुभकामना करता हूँ कि जिस तरह आप यहाँ उत्तर प्रदेश के हित के लिये, राष्ट्रवाद के लिये, देश की संस्कृति और सभ्यता के लिये, अपने दायित्वों के निर्वहन के लिये, संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिये यहाँ आप लगातार सत्र के दौरान सनद रहे हैं उसी प्रकार अपने अपने क्षेत्रों में आप काम करेंगें, मैं इन शब्दों के साथ मुख्य मंत्री जी का और सभी वरिष्ठों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ (मेजों की थपथपाहट)

***श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं भी, नेता सदन ने सबको बधाई भी दी शुभकामनाएं भी दीं। आज के इस मौके पर मैं एक बात के लिये माननीय नेता प्रतिपक्ष को बधाई जरूर दूंगा क्योंकि इनसे पूरा सदन कई बातें सीखता है। एक तो मान्यवर, इनका वक्तव्य और वॉकेब्लरी जिस तरह से प्रजेन्ट करते हैं वह सीखता है। साथ ही साथ जो योग करते हैं मान्यवर, भाषण के दौरान जो योग है उसके बारे में भी पूरा सदन अवगत है, वह भी बहुत सीखता है और आज भी मान्यवर, यह एक योग की एक क्रिया है जो अन्तिम समय में मान्यवर, उन्होंने योग करके मुँह पर पट्टी बांध कर योग किया मान्यवर। यह भी मौन धारण करना मान्यवर, योग का एक अंग है। इसलिये इसके लिये भी मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को विशेष रूप से बधाई और धन्यवाद देता हूँ। आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने बड़ी सदाशयता के साथ सभी को अवसर भी दिया और हर खट्टी-मीठी बात के लिये मान्यवर आपका संरक्षण हमको प्राप्त होता रहता है। हम आपके प्रति भी आभार व्यक्त करते रहते हैं और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी सदस्यों को देते हुए माननीय अध्यक्ष जी आपको एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदन को अनिश्चितकाल के लिये स्थगित करने विषयक प्रस्ताव

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

अब हम राष्ट्रगान के लिये खड़े होंगें।

राष्ट्र-गान

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे।
भारत-भाग्य-विधाता।।
पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा।
द्राविड़-उत्कल-बंग।
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,
उच्छल-जलधि-तरंग।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे।।
गाहे तव जय गाथा।।
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्य विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे।।

अब हम अनिश्चितकाल के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 03 बजकर 54 मिनट पर अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 28 फरवरी, 2020

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं0-04 का उत्तर पीछे पृष्ठ 18 पर।)

विधान सभा के प्रथम सत्र 2020 के द्वितीय शुक्रवार के लिये निर्धारित श्री राकेश प्रताप सिंह, मा0 सदस्य द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-4 की अनुपूरक सामग्री

1-प्रदेश की कारागारें जिनमें जालीयुक्त मुलाकात घर स्थापित है, उनका विवरण निम्नवत् है :-

क्र0	कारागार का नाम	क्र0	कारागार का नाम
1	केन्द्रीय कारागार बरेली	13	जिला कारागार मुजफ्फरनगर
2	केन्द्रीय कारागार नैनी, प्रयागराज	14	जिला कारागार महराजगंज
3	केन्द्रीय कारागार वाराणसी	15	जिला कारागार आजमगढ़
4	जिला कारागार मथुरा	16	जिला कारागार मऊ
5	जिला कारागार फिरोजाबाद	17	जिला कारागार सिद्धार्थनगर
6	जिला कारागार अलीगढ़	18	जिला कारागार गाजियाबाद
7	जिला कारागार कासगंज	19	जिला कारागार कौशाम्बी
8	जिला कारागार गौतमबुद्धनगर	20	जिला कारागार चित्रकूट
9	जिला कारागार बागपत	21	जिला कारागार सोनभद्र
10	जिला कारागार कानपुर नगर	22	जिला कारागार लखनऊ
11	जिला कारागार बलरामपुर	23	जिला कारागार कन्नौज
12	जिला कारागार अम्बेडकरनगर		

2-प्रदेश में बनाई जाने वाली समस्त नवीन कारागारों में जालीयुक्त मुलाकात घर का निर्माण करवाने का प्राविधान किया गया है।

3-वर्तमान में निम्नलिखित 04 निर्माणाधीन कारागारों में जालीयुक्त मुलाकात घर की व्यवस्था की गई है :-

(1) जिला कारागार प्रयागराज।

(2) जिला कारागार श्रावस्ती।

(3) जिला कारागार सन्तकबीरनगर।

(4) जिला कारागार इटावा।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं0-09 का उत्तर पीछे पृष्ठ 35 पर।)

संलग्नक-01

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ।
दूरभाष : 0522-2218592, ई-मेल : cgmrespopcl@gmail.com
CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्याः 1790 /सीएमयूडी/विद्युत सुरक्षा/2019 दिनांकः 15.07.2019

विषयः- किसी भी प्रकार के घातक/अघातक दुर्घटना रोकने हेतु 33, 11 केवी एचटी लाईनों एवं 33/11 केवी उपकेन्द्रों पर सुरक्षा मानकों का अनुपालन कराने के सम्बन्ध मे।

प्रबन्ध निदेशक,
विद्युत वितरण निगम लि0,
पश्चिमाचंल-मेरठ/दक्षिणाचंल-आगरा/
मध्याचंल-लखनऊ/पूर्वाचंल-वाराणसी एवं केस्को-कानपुर।

आज दिनांक 15 जुलाई 2019 को जनपद बलरामपुर में विद्युत हाईटेंशन तार के गिर जाने के कारण हुई दुःखद घटना के परिप्रेक्ष्य में मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश द्वारा पूरे प्रदेश में विद्युत के हाईटेंशन तारों से सुरक्षा के लिये अभियान चलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया हैं। तत्कम में प्रदेश में विद्युत लाईनों की सुरक्षा मानकों के अनुसार सर्वे करा लिया जाये एवं इनको मानकों के अनुसार ना पाये जाने की स्थिति में इनका तत्काल अनुरक्षण कराया जाये। इस सम्बन्ध में निम्नवत् निर्देशित किया जाता है:-

1. विद्युत के हाईटेशन तारों से सुरक्षा के लिये अभियान सम्पूर्ण प्रदेश में चलाया जाये।
2. सम्बन्धित अवर अभियन्ता 33 एवं 11 केवी लाईनों का स्वयं निरीक्षण करेगें जिसमें मुख्यतः निम्न बिन्दुओं का निरीक्षण किया जायेगा:-
   i. लाईन में विद्युत कन्डक्टर का जमीन/सड़क से न्यूनतम दूरी।
   ii. विद्युत लाईन हेतु प्रयुक्त कन्डक्टर की स्थिति (जर्जर तार होने पर तुरन्त प्रतिस्थापित किया जाना)।
   iii. विद्युत लाईन में खम्भे टेढ़े अथवा जंकयुक्त (केवल स्टील ट्यूबलर पोल की स्थिति में) तो नहीं हैं?
   iv. रोड क्रासिंग पर विद्युत कन्डक्टर का जमीन/सड़क से न्यूनतम दूरी। रोड क्रासिंग पर गार्डिंग की स्थिति।
   v. भविष्य में रोड के अनुरक्षण पर भी लाईन कन्डक्टर की रोड से मानकानुसार सुरक्षित दूरी रहेगी अथवा नही।
   vi. लाईन क्रासिंग पर दोनों लाईनों के मध्य क्लीयरियेन्स। लाईन क्रासिंग पर गार्डिंग है कि नही?
   vii. लाईन जम्फरों पर पीजी क्लैम्प लगे है अथवा नहीं?
   viii. लाईन के समस्त एंगिल पोलो एवं डबल पोल पर स्थापित स्टे विधिवत् टाइट हो;
   ix. सभी 33 केवी एवं 11 केवी पोषकों की ट्रिपिंग समुचित रुप से हो रही है अथवा नहीं?

पूर्व में भी विद्युत उपकेन्द्रों एवं उनसे संबंधित 33 के0वी0 एवं 11 के0वी0 लाइनों की सघन पेट्रोलिंग करके आवश्यक अनुरक्षण किये जाने हेतु कारपोरेशन के पत्र सं0 3738/सीएमयू(डी)/विद्युत सुरक्षा/2018

दिनांक 22.11.2018, पत्र सं0 1667–रेस्पो/सौभाग्य/क्वालिटी सेल दिनांक 27.05.2019 एवं पत्र सं0 97–पीएसडी(डी)/ पीसीएल/2019 दिनांक 01.06.2019 द्वारा निर्देश निर्गत किये गये है।

मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देशो के क्रम में उपरोक्त बिन्दुओं पर संबंधित अवर अभियंता द्वारा निरीक्षण आगामी 10 दिन में सुनिश्चित करें एवं संबंधित उपखण्डाधिकारी एवं अधिशासी अभियंता के हस्ताक्षर युक्त आख्या संलग्न प्रारूप में तदुपरान्त अविलम्ब कारपोरेशन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। संबंधित अधीक्षण अभियंता (वितरण) उपरोक्त निरीक्षण एवं पायी गयी कमियों को समय सीमा में दूर कराने हेतु उत्तरदायी होंगें।

संलग्नकः– यथोपरि।

आलोक
(आलोक कुमार)
अध्यक्ष

प्रतिः–

4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
5. निदेशक (वितरण), उप्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
6. समस्त निदेशक (तकनीकी), विद्युत वितरण निगम लि0।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं0-09 का उत्तर पीछे पृष्ठ 35 पर।)

संलग्नक-02

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)
शक्ति भवन, विस्तर, 14-ए, गांधी मार्ग, लखनऊ
CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या–2269–औ0सं0/2017–19(125)ए0एस0/01 दिनांक : 01 मई, 2017

कार्यालय ज्ञाप

वाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से उपकेन्द्रों/लाइनों के अनुरक्षण एवं परिचालन आदि कार्यों हेतु नियोजित किये जाने वाले संविदा श्रमिको की घातक विद्युत दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु होने की दशा में उनके परिजनों को तात्कालिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में कारपोरेशन के आदेश सं0–2347–औ0सं0/2012–19(125)ए0एस0/2001 (टी0सी0) दिनांक 03.08.2012 को संशोधित करते हुये निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 01.05.2017 को परिचालन माध्यम से एतद्द्वारा निम्न संकल्प पारित किये गये :–

1. वाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से उपकेन्द्रों/लाइनों का अनुरक्षण एवं परिचालन कार्यों हेतु नियोजित संविदा श्रमिकों की घातक विद्युत दुर्घटना में मृत्यु होने पर सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता (Contracting Engineer) द्वारा तात्कालिक सहायता रू0 5.00 लाख अनुग्रह राशि के रूप में स्वीकृत करते हुए मृतक संविदा श्रमिक के परिजनों को सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के माध्यम से भुगतान करेंगे।

2. कारपोरेशन द्वारा अनुग्रह राशि के रूपें में भुगतान की गई धनराशि रू0 5.00 लाख की वापसी हेतु संविदाकारों द्वारा नियोजित श्रमिकों का रू0 5.00 लाख का बीमा सामूहिक रूप से कराया जायेगा । उक्त बीमे हेतु संविदाकार को श्रमिकों की मजदूरी के साथ बीमा की राशि का भुगतान किये जाने की नीति विद्यमान है। बीमे की राशि इंश्योरेन्स कम्पनी से प्राप्त कर संविदाकार द्वारा उक्त धनराशि रू0 5.00 लाख सम्बन्धित खण्ड में 120 दिन में जमा करना सुनिश्चित करेंगें अन्यथा सम्बन्धित संविदाकार के बीजक से रू0 5.00 लाख की धनराशि समायोजित कर ली जायेगी। तद्नुसार अनुबन्ध की शर्तों में इसका उल्लेख भी किया जायेगा। सम्बन्धित खण्ड/मण्डल के अन्तर्गत अनुग्रह राशि के भुगतान किये जाने एवं निर्धारित समयावधि में प्राप्ति का लेखा–जोखा रखने का दायित्व इकाई के लेखाकार का होगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी एवं लागू माने जायेगें।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

(सत्य प्रकाश पाण्डेय)
निदेशक (कार्मिक प्रबन्ध एवं प्रशासन)

संख्या–2269–औ0सं0/2017, तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन के निजी सचिव, लखनऊ।
2. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, के निजी सचिव, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांस्मिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक(का0प्र0 एवं प्रशा0)/(वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. समस्त प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/पश्चिमाँचल/मध्याँचल/दक्षिणाँचल विद्युत वितरण निगम लि0, केस्को, वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा/कानपुर।
7. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, को इस आशय से कि वे अपने स्तर से उक्त ओदश की प्रति अधिनस्थ अधिकारियों/इकाईयों को उपलब्ध करा दें।
9. मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. महाप्रबन्धक (औ0सं0)/उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
11. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14. कट फाइल/पत्रावली सं0–19(125)ए0एस0/01।

Nav Mathur 1.5.17
(नवनीत माथुर)
उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं0-09 का उत्तर पीछे पृष्ठ 36 पर।)

संलग्नक-03

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)
CIN : U32201UP1999SGC024928

15.7.15

संख्या–2445–औ0सं0/2015–8–एम/92 दिनांक 15 जुलाई, 2015

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/केस्को,
विद्युत वितरण निगम लि0,
वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा एवं केस्को कानपुर।

अति महत्वपूर्ण

विषय :– विद्युत दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु दिशा निर्देश।

महोदय,

कृपया उक्त विषयक पत्र सं0–4370–औ0सं0/2014–8–एम/92 दिनांक 06.01.2015 का संदर्भ ग्रहण कर जिसके द्वारा बढ़ती हुयी विद्युतीय दुर्घटनाओं की संख्या के दृष्टिगत दुर्घटनाओं के कारणों एवं उनके रोकथाम किये जाने के उपाय दृढ़तापूर्वक सुनिश्चित करने के निर्देश प्रेषित किये गये है किन्तु क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा विद्युत दुर्घटनाओं की रोकथाम के सम्बन्ध में दिये जा रहे निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है जिसके कारण जनहानि, पशुहानि, सम्पत्तियो व फसलों के नष्ट होने की घटनाओं में वृद्धि हो रही है एवं इस कारण मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं मा0 उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के समक्ष परिवादो की संख्या भी निरन्तर बढ़ रही है एवं इन प्रकरणों के कारण कारपोरेशन व शासन के शीर्ष अधिकारियों के समक्ष असहज स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है।

इस सम्बन्ध में आप भलीभांति अवगत है कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–161 के अन्तर्गत निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ0प्र0 शासन एवं उनके क्षेत्रीय व सहायक निदेशकों द्वारा विद्युतीय दुर्घटनाओं की जांच व संस्तुतियाँ सम्बन्धित डिस्काम को प्रेषित की जाती है जिनमें दुर्घटना के संदर्भ में निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाता है :–

(क) त्रुटिपूर्ण अधिष्ठापन को ठीक कराने के सम्बन्ध में भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के नियम–5(4) के अधीन जारी किये गये आदेश की स्थिति।
(ख) प्रभावित/परिवार/व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करने के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की स्थिति।
(ग) दुर्घटना/त्रुटिपूर्ण अधिष्ठापन से सम्बन्धित उत्तरदायी विभागीय व्यक्ति/व्यक्तियों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही की स्थिति।

प्रायः यह देखा जा रहा है कि मा0 आयोगों से संदर्भित प्रकरणों में आयोग की शिकायत के निराकरण हेतु पीड़ित/प्रभावित परिवार/व्यक्ति को अनुग्रह धनराशि का भुगतान तो कर दिया जाता है किन्तु त्रुटिपूर्ण अधिष्ठापन को ठीक कराये जाने एवं दुर्घटना/त्रुटिपूर्ण अधिष्ठान से सम्बन्धित उत्तरदायी विभागीय अधिकारियों/अधिकारिकों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की जाती है, जबकि अधिकांश प्रकरणों में मा0 मानवाधिकार आयोग द्वारा उत्तरदायी/दोषी के विरूद्ध कृत कार्यवाही की आख्या भी मांगी जाती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि विद्युत दुर्घटनाओं एवं मा0 आयोगों से प्राप्त प्रकरणों के सम्बन्धों में निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ0प्र0 शासन द्वारा अपनी आख्या में की गई उपर्युक्त इंगित संस्तुतियों को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय एवं डिस्काम स्तर पर विशेष अभियान चलाकर सम्भावित विद्युत दुर्घटनाओं को कम कराने हेतु दृढ़तापूर्वक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

कृपया इन निर्देशों को अतिआवश्यक एवं महत्वपूर्ण समझा जाय एवं इनके अनुपालन की स्थिति से अद्योहस्ताक्षरी को संज्ञानित भी कराया जाय।

भवदीय,
(संजय अग्रवाल)
अध्यक्ष
15.7.15